राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवम् सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या : 15

बुधवार;

12 मार्च, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्षः श्री हरिमोहन शर्मा

कोटा जिले के राजीव गांधी विद्युत मिशन योजनान्तर्गत अविद्युतीकृत राजस्व ग्राम/मजरे/ढाणियां

110. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां और हिण्डौली में कुल कितने बीपीएल परिवार हैं और उनमें से कितने बीपीएल परिवारों के मकानों पर राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत कनैक्शन दिये जाने का प्रावधान है ?

(2) बीपीएल परिवारों के निवास पर विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत कुल कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई और प्राप्त राशि में से कितनी राशि विभिन्न जिलों में अब तक व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बूंदी जिले के बीपीएल परिवारों के विद्युतिकरण हेतु वर्ष 2005-6, 2006-07 एवं 2007-08 के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये थे? यदि हां तो कितने और उनमें से कितनों को कनैक्शन जारी कर दिये गये? नैनवां व हिण्डौली तहसील में कुल कितने बीपीएल परिवार है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ऐसे राजस्व गांव व मजरे जिनकी आबादी लगभग 100-150 हो और जिसमें लगभग 25 घर हों, के लिये भी विद्युतिकरण करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(5) क्या यह सही है कि हिण्डौली और नैनवां तहसील के अन्तर्गत राजस्व गांव व मजरे जिनमें करीब कम से कम 25 घर हों और लगभग 100 व्यक्ति निवास करते हैं उन मजरों के विद्युतिकरण करने हेतु राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत राशि प्राप्त हुई है? यदि हां तो कितने राजस्व ग्राम/मजरों हेतु?

(6) क्या यह सही है कि राजीव गांधी विद्युत मिशन के अन्तर्गत मजरों, ढाणियों तथा विद्युतिकरण विहीन राजस्व गांवों में भी बिजली लगाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली एवं नैनवां तहसील में ऐसे कुल कितने मजरे ढाणियां व गांव हैं जिसमें गत दो वर्षों में विद्युतिकरण राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत किया गया हो और कितने ढाणी व मजरे राजस्व गांव शेष हैं जिनमें विद्युतिकरण किया जाना प्रस्तावित है ?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री गजेन्द्र सिंह) : (1) विधान सभा क्षेत्र नैनवां में 6094 एवं हिण्डौली में 9083 बीपीएल परिवार हैं और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सभी बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनैक्शन दिये जाने का प्रावधान है।

(2) बीपीएल परिवारों के निवास पर विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य को 2387.88 लाख रुपये प्राप्त हुये हैं जबकि बीपीएल परिवारों के निवास पर विद्युतीकरण हेतु 3170.85 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बूंदी जिले के 10803 बीपीएल परिवारों के निवास पर विद्युतीकरण किया जाना है जिनमें से वर्ष 2005-06 में 1120, वर्ष 2006-07 में 2700 तथा वर्ष 2007-08 में 31.1.08 तक 3403 बीपीएल परिवारों को कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं। विधान सभा क्षेत्र नैनवां व हिण्डौली के क्रमश: 6094 एवं 9083 बीपीएल परिवार हैं।

(4) जी नहीं।

(5) आर.जी.जी.वी.वाई. योजना तहत हिण्डौली क्षेत्र में 12 राजस्व ग्राम, 37 ढाणियां एवं नैनवां क्षेत्र में 6 राजस्व ग्राम, 37 ढाणियां विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं। बूंदी जिले के 77 अविद्युतिकृत राजस्व ग्राम, 125 ढाणियों के विद्युतीकरण एवं 762 विद्युतिकृत राजस्व ग्रामों में विद्युत तंत्र विस्तार हेतु

(श्री गजेन्द्र सिंह)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से अब तक 977.92 लाख रुपये प्राप्त हुये हैं।

(6) जी हां। आर.जी.जी.वी.वाई. के तहत राज्य में 4017 अविद्युतिकृत व अविद्युतिकृत घोषित राजस्व ग्रामों एवं 6600 ढाणियों का विद्युतिकरण करना प्रस्तावित है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हिण्डौली क्षेत्र में 12 राजस्व ग्राम 37 ढाणियां एवं नैनवां क्षेत्र में 6 राजस्व ग्राम 37 ढाणियां विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित हैं। इनमें से दिनांक 31.1.2008 तक हिण्डौली क्षेत्र में 7 राजस्व ग्राम 8 ढाणियां एवं नैनवां क्षेत्र के 5 राजस्व ग्रामों में विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा हिण्डौली क्षेत्र में एक राजस्व ग्राम 31 ढाणियों एवं नैनवां क्षेत्र की 37 ढाणियों का विद्युतीकरण करना शेष है। हिण्डौली क्षेत्र के चार राजस्व ग्राम एवं नैनवां क्षेत्र का एक राजस्व ग्राम जंगलात क्षेत्र में आने के कारण उनका विद्युतीकरण होना सम्भव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रामनारायणजी को पता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या इस प्रस्तावित योजना को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की थी?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ऐसा है मेरी पार्टी, निर्णय करने जा रही है कि मैं टोंक से चुनाव लड़ूंगा और डेढ़ लाख वोट से आपको हराऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चुनौती स्वीकार है। भाग मत जाना, चुनौती दी आपको।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह टोंक से मेरा सहयोग करेंगे, तन से, मन से और सवा सौ रुपया चंदा देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जहां तक टोंक का सवाल है....

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको तो टिकट नहीं देगी वसुन्धराजी ने तय कर रखा है, आपका पत्ता साफ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं एक लाख रुपये... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपको टिकट ही नहीं मिलने वाला है इसलिए किससे लड़ेंगे?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो सेठ हो इसलिए एक लाख दे दोगे...(व्यवधान) ग्यारह सौ देंगे।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय रामनारायणजी, टोंक में सम्भल कर आना, टोंक बहुत विचित्र जगह है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूछिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो हमेशा ही बीपीएल परिवारों के खिलाफ रहे हैं, उनका शोषण करने वाले हैं इसलिए व्यवधान करेंगे ही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य के लिए बोल रहे हैं हिण्डौली से आने वाले सदस्य। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप देख लीजिए रिकार्ड, रामनारायणजी बोले हैं, उनका जवाब दिया है, देख लीजिए रिकार्ड।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किया रामनारायणजी ने, क्या यह बीपीएल के विरोध में है, आपको डिस्टर्ब करने वाले रामनारायणजी हैं, रामनारायणजी बीपीएल के विरोध में हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): पंचायती राज मंत्री आपके उत्तर के (व्यवधान) सहयोग में बोलो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सहयोग में बोलो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये।

एक माननीय सदस्य: वोट ही एक लाख उनचालीस हजार है, बेकार चिंता कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दो लाख है।

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो-छोड़ो इसको।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहताहूं कि प्रश्न के क्रम संख्या तीन में आपने जवाब दिया है 2005-06 में 1120, 2006-07 में 2700 और 2007-08 31.1.08 तक 3403 कनैक्शन जारी करना बताया है। अच्छा तो यह होता माननीय मंत्री जी कि अधिकारियों के भरोसे नहीं रहकर आप इन सारी संख्या का जोड लगाते। और इस जोड़ को, आपने परिशिष्ट एक में बूंदी जिले में, बूंदी जिले में जो कनैक्शन जारी करना बताया है वह 6103 है। इधर तो आप बता रहे हैं 6103 और मुख्य पृष्ठ पर आप जो लिख रहे हैं उनका जोड़ होता है 7223, तो यह 6103 वाला सही माने या 7223 वाला सही माने? दूसरा मेरा आपसे निवेदन करना है।

तीसरा यह है कि राजस्थान में जितने बीपीएल परिवार हैं, बूंदी जिले में जितने बीपीएल परिवार हैं, क्या इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवार सारे, पूरे राजस्थान के और उन सहित बूंदी जिले के सभी बीपीएल परिवारों के घर पर इस योजना के अन्तर्गत आप, नि:शुल्क कनेक्शन जारी करने की कोई योजना है?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गणित का आप बता रहे हैं इसके अंदर यह जो प्रश्न पहले पूछा गया था, इसके अंदर यह जो प्रश्न पहले पूछा गया था इसके अंदर संशोधन करके पहले तो हमने जनवरी एंड तक का आपको बताया था अब हमने आपको लेटेस्ट फरवरी के अंत तक का..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, नहीं, जनवरी एक का ही है और आज का भी यही है। जनवरी एक का ही है पहला भी और आज भी जनवरी एक का है । आज का मिला उसमें भी यही है और उसमें भी यही है, दोनों में एक है। आप मान लीजिए ना इसमें कि हमसे गलती हो गई, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई चीज पकड़ में आ जाए तो मान भी लेना चाहिए सार्वजनिक।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में बजाए गणित के अपन यह जो मूल प्रश्न पूछ रहे हैं और आरजीजीवीवाई के बारे में बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में अपना समय इस पर लगायें तो बेहतर हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे एतराज नहीं है लेकिन प्रश्न पूछा है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि आंकड़ों का अंतर क्यों है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अगर मंत्रीजी तैयार नहीं हैं तो पोस्टपोन कर दें, कल दे देना जवाब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आंकड़ों में जो अंतर आ रहा है वह पहले के जो कुटीर ज्योति के कनैक्शन दिये थे यह कुटीर ज्योति की स्कीम आपकी आरजीजीवीवाई में मर्ज हो गई है उसका अंतर जो आ रहा है इसी वजह से आ रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कुटीर ज्योति का क्या संबंध है प्रश्न से ?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कुटीर ज्योति तो (व्यवधान) आरजीजीवीवाई में बीपीएल की कुटीर ज्योति स्कीम...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ना, ना बीपीएल (व्यवधान) कुटीर ज्योति की योजना तो अलग है, बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क कनैक्शन देने की योजना अलग है। दोनों चीजें अलग हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): एक ही चीज है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आंकड़ों के अंतर को आप छोडो, चलो आगे बढ़ो।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं आपको अलग से समझा दूंगा।

श्री अमराराम (धोद): अलग से क्या समझाओगे, यहीं समझाओ। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे तो ध्यानाकर्षित करना था। जहां इतने बड़े-बड़े चीफ इंजीनियर हो, एम.डी. हो, सी.एम.डी. हो, उसमें इतना बड़ा मिस्टेक हो जाए यह कोई साधारण बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई जोड़ तोड़ नहीं ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आरजीजीवीवाई स्कीम, सेंट्रल ने जो घोषणा की थी उसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस देश के हर घर के अंदर 2012 तक हर आदमी को कोई भी घर कहीं भी हो उसको बिजली के कनैक्शन को एक्सेस होना चाहिए। यह भारत निर्माण और A time bound plan for rural infrastructure by the Government of India in partnership with the State Governments and Panchayati Raj Institutions. इसका

(श्री गजेन्द्र सिंह)

2005 से लेकर 2009 तक का इन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था, यह योजना जो इन्होंने अनाउंस की। यह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आर.जी.जी.वी.वाई. जो योजना, जो कंसीव की गई, it is a very impractical scheme, कारण मैं बताता हूं कि इनका उद्देश्य यह है कि 2012 तक हमें कनैक्शन देने हैं सबको। और 2012 तक जो राजस्थान की भौगोलिक जो परिस्थिति है, उसके तहत हमें 16 हजार करोड़ रुपये की जरुरत है, हर घर में बिजली पहुंचाने के लिये। और उनकी जो स्कीम है वह केवल हमें 1091 करोड़ रुपये दे रहे हैं। तो कहां एक हजार करोड़ और कहां 16 हजार करोड़ रुपये। अब हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी ने जो रोड्स की पी.एम.जी.एस.वाई. की थी उसके अन्दर उस स्कीम के अन्तर्गत उन्होंने यह कहा था कि राजस्थान के जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पर आबादी कम है या हिमाचल जैसे पहाड़ी एरिये को, उन्होंने एक स्पेशल स्टेट्स देकर 250 की जनसंख्या तक को रोड पहुंचाने का किया था। तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि यह स्कीम जो है मैं आर.ई.सी., रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की टीम को मैं मेरे गांव ले गया, मैंने उनको ढाणियों में फिराया। मैंने उनको बोला, आप जानते भी हो कि ढाणियां क्या होती हैं। क्या आप जानते हो कि राजस्थान की पापुलेशन स्केटर्ड पापुलेशन है, आपने कैसी स्कीम बना दी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): महोदय, इसकी रिलेवेंसी क्या है। इसकी रिलेवेंसी क्या है, इसकी रिलेवेंसी क्या है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ रहा है (व्यवधान) आ रहा है जवाब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं ढाणियों में ले गया, मैं घर ले गया, और मैं गांव ले गया, उसकी रिलेवेंसी क्या है। (व्यवधान) कोई रिलेवेंसी तो हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको इसका बेक-ग्राउण्ड बता रहे हैं ना। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कैसे सम्भव होगा, बेक-ग्राउण्ड बता रहे हैं उसमें, सुनें आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, यह बी.पी.एल. के कनैक्शंस की बात, मतलब, सम्भव कैसे होगा, वह राजस्थान की ढाणियों के अन्दर। राजस्थान की ढाणियों के अन्दर और और हम.. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कनैक्शन नहीं दिये। ढाणियों में कनैक्शन देना तो बंद कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। आप और हम, माननीय सदस्य, राजस्थान के..

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हम कनैक्शन दें, कहां से कनैक्शन दें। (व्यवधान) केन्द्र सरकार पैसे देगी, तब कनैक्शन देंगे कि यूं ही कनैक्शन दे देंगे आपको। बात सुनो इनकी, हम कनैक्शन देंगे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह मंत्रीजी बहक रहे हैं। यह एक हजार करोड़ तो खर्च करें, यह एक हजार करोड़ तो खर्च करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, आप पहले। बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में नहीं। आप पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य बी.पी.एल. कनैक्शन के बारे में अपनी सिम्पेथी बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल के अन्दर बी.पी.एल. को केवल 65 हजार कनेक्शन दिये थे। (व्यवधान) जबकि हमारी सरकार ने 4 साल के अन्दर 3 लाख 22 हजार बी.पी.एल. के कनैक्शन दिये हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्या, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह कांग्रेस और बी.जे.पी. का सवाल नहीं है। यह कांग्रेस और बी.जे.पी. का सवाल नहीं है। (व्यवधान) यह कांग्रेस और बी.जे.पी. का सवाल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहां 65 हजार और कहां 3 लाख 22 हजार कनैक्शन।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह उन बी.पी.एल. परिवारों, गरीबों का सवाल है जिससे सरकार की संवेदनहीनता जाहिर होती है। (व्यवधान) कांग्रेस का क्या आ गया है इसमें, बी.जे.पी. कहां से आ गई। भाषण देकर इस सवाल को अलग करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, आज स्पेसिफिक रूप से मेरे प्रश्नों का, अभी तक पहले वाले पूरक का ही जवाब नहीं आया, बाकी प्रश्न और हैं। (व्यवधान) तो यह जवाब क्या है कि मैं ढाणियों में ले गया और कांग्रेस का सवाल आ गया और यह बी.जे.पी. का आ गया। कांग्रेस सरकार ही संवेदनशील है। (व्यवधान) आप नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): लग रहा है, कितनी संवेदनशील थी 5 साल में। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पैसा देने के बाद भी कनेक्शन नहीं कर सके हो आप। पैसा देने के बाद भी कनैक्शन नहीं कर पा रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कांग्रेस संवेदनशील नहीं है, कांग्रेस संवेदनशील नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब सुनें, बीच में नहीं। (व्यवधान) बीच में नहीं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी तैयारी करके नहीं आये, वक्त खराब हो रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न सीधा सा है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का है। कांग्रेस के टाइम में तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भी नहीं थी। यह तो बाद में स्वीकृति मिली है। हमारी जब यू.पी.ए. की केन्द्र में सरकार आई, उसके बाद में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कुटीर योजना थी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बैठो, आप बैठो। आप विभाग नहीं चला रहे हो, आप विभाग नहीं चला रहे हो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे यह प्रश्न पूछा भी नहीं गया। आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा गया कि कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया। (व्यवधान) आप क्या कर रहे हो इस राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में, यह प्रश्न सीधा सा है। आप इस बात का, पीछे का, 5 साल पीछे का जवाब दे रहे हो, उससे क्या लेना देना? आप सीधी बात करो ना, आपके पास जवाब है तो, जवाब नहीं है तो फिर बात को घुमाते रहो।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कांग्रेस की जन्म-पत्री जनता के सामने धर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने बोला कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से पहले आप क्या करते थे। मैं आपको बताता हूं, आप क्या करते थे और हम क्या करते थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह जवाब नहीं चाहिए, प्रश्न का चाहिए। प्रश्न का जवाब चाहिए। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप सुनिये मेरी बात।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह क्या मतलब हुआ? यह क्या मतलब हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सुनिये, आप सुनने की भी क्षमता रखिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप प्रश्न का जवाब दो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): आप मंत्रीजी की बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप प्रश्न का जवाब दो। आप प्रश्न का जवाब दो। (व्यवधान) आप क्या करते थे।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता का जवाब दे रहा हूं। ये बीच में उठकर क्यों बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप प्रश्न का जवाब दो। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप सीधा सा जवाब दो। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अपनी अक्षमता को छिपाने के लिये। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान) जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये तो सही।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): ये सरकार का जवाब ही नहीं सुन रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे पूछ रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रश्न है और उसमें आप कनेक्शन देने की बात का जवाब नहीं दे रहे हो। आप पहले की बात, चिट्ठा यहां खोलने से क्या मतलब है उसका? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने यह कहा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से पहले आप लोग, आपने क्या किया। मैं उसका भी जवाब देता हूं। (व्यवधान) आपकी सरकार के अन्दर..

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप वर्तमान का जवाब दो। आप वर्तमान का जवाब दो। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप खुद की चिंता रखिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमें इसका जवाब नहीं चाहिए। हमें तो इसका जवाब चाहिए, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का जवाब चाहिए। उसका जवाब हमें नहीं चाहिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): एक साथ चार-चार खड़े हो जाते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके प्रश्न का जवाब भी आप जानना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): उपाध्यक्षजी, एक साथ 4-4, 5-5 सदस्य खड़े हैं, माननीय मंत्रीजी जवाब नहीं सुन रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने आपसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रश्न किया है, उसके बारे में उत्तर दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हाउस को आर्डर में लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनें तो सही।

श्री अमराराम (धोद): जो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दें। जन्म-पत्री जनता जानती है इनकी और उनकी। पाइंटेड सवाल आ रहा है, उसका जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ रहा है, जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सब समझ में आ जाएगा, उत्तर सुन तो लें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, यह राजीव गांधी विद्युतीकरण स्कीम, यह 2005 में अप्रैल के अन्दर लांच हुई है। इससे पहले आपने जो पूछा सवाल कि आपकी सरकार ने... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पहले का नहीं पूछा, नहीं पूछ रहा हूं, नहीं पूछा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): फिर यह खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पूछा आपने, जवाब सुनना पड़ेगा। पूछा आपने।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मेरा जवाब सुनिये, आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपने पूछा है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने पहले का नहीं पूछा है। इस योजना में आप क्या कनेक्शन देने जा रहे हो, उसके बारे में पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपकी पोल खुल रही है तो आप जवाब नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका आप जवाब दें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): आपने पूछा है, आपने।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने जो पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, सब माननीय सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं, इसमें किसी को दबाने की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): नेता महोदय, आपने पूछा है। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके पास जवाब ही नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सुनने की क्षमता रखिये, सुनने की। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): ये 4-4 लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। बात तो सुनते नहीं हैं। सुनने का मादा तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं आप, पहले जवाब दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हाउस को आर्डर में लें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, 2005 अप्रैल के अन्दर यह स्कीम लांच हुई उससे पहले, मेरे पास ये आंकड़े हैं। कांग्रेस सरकार 15 हजार कनैक्शन प्रतिवर्ष ही देती थी, हम 45 हजार दे रहे हैं। 45 हजार हमने दिये यह जो प्रश्न पूछा। (व्यवधान) 4 साल में हमने 45 हजार प्रति साल दिये। आपने 15 हजार ही नहीं दिये प्रतिवर्ष। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके बारे में पूछ रहे हैं हम और आप कल की बात कर रहे हो। आपके पास जवाब कुछ है नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार को अपनी अयोग्यता स्वीकार करनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। सरकार को अपनी अयोग्यता स्वीकार कर लेनी चाहिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये, बैठिये आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अयोग्यता तो आपकी सरकार की है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) पुरानी बातों को छोड़ो आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह जो स्कीम बनी, उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये, इसके अन्दर इन्होंने केवल साढ़े छह लाख सैंक्शन किये एक गांव में। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप मेरे प्रश्न का जवाब दो। जो मैंने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब तो सुनो आप पहले।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह नहीं दे रहे हैं। वह नहीं दे रहे हैं। वह नहीं दे रहे हैं, वह इधर-उधर जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैंने जो तीन स्पेसिफिक प्रश्नों को पूछा उनका जवाब दिलवाओ आप। (व्यवधान) ऐसे जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में यह हुआ, उससे क्या लेना-देना?

श्री गोविन्द राम मेघवाल (संसदीय सचिव): जवाब सुन लो, जवाब। जवाब सुनने की क्षमता रखो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह राजस्थान के लिये, पूरे राजस्थान के लिये जो बी.पी.एल. कनैक्शन जो केन्द्र सरकार ने हमें पैसा जो दिया है, 23.88 करोड़ आज की तारीख तक और हमने खर्चा किया है 31.7 करोड़।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है,... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हो गया, और क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: आप पूछिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या हो गया?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हिण्डौली में सब बी.पी.एल. परिवारों को कनैक्शन दिये जाएंगे। परन्तु आपकी सरकार, केन्द्र सरकार पैसा तो दे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पूरे ही मंत्रियों को शर्म आ रही है क्या जवाब में, क्या हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पूछिये, स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीनों ही सप्लीमैंट्री पूछे हैं। तीनों में से एक का जवाब भी नहीं आया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तीनों का ही दे दिया स्पेसिफिक में। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप कृपया यह बतायें कि आपने अपने जवाब के पैरा 6 में...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आपने बी.पी.एल. का प्रश्न पूछा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, बी.पी.एल. का ही है, साहब। मैं राजस्व का थोड़े ही पूछ रहा हूं, वह तो आपसे पूछूंगा।

इसमें कहा, हिण्डौली क्षेत्र में 4 राजस्व गांव, नैनवां क्षेत्र का एक राजस्व गांव जंगलात में आने के कारण उनका विद्युतीकरण होना सम्भव नहीं है। क्या यह सही है?

अगर कोई फोरेस्ट में भी आता है तो उसकी परमिशन लेने के आधार पर वह होती है और आपके विभाग ने परमिशन लेने की कार्यवाही चालू कर दी है और फोरेस्ट विभाग उसकी परमिशन दे रहा है। आपने जवाब दे दिया कि फोरेस्ट में आएगा तो हम यह काम नहीं करेंगे, नम्बर-1, आप इसका स्पष्टीकरण करें।

दूसरा, आपको जो है, पैरा नम्बर-5, जिसमें आपको यह जो धनराशि प्राप्त हुई है 977.92 लाख। यह 977.92 लाख में से जो आपके टार्गेट थे, उसमें से कितने आपने एचीव किये और कितनी धनराशि आपने खर्च की?

नम्बर-3, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कुल राजस्थान में कितने बी.पी.एल. परिवार हैं और कितने को इस योजना के अन्तर्गत कनैक्शन देना है और कब तक देना है, नम्बर-3 और तीसरा, मेरा जो आपसे आखरी, जो मेरा इसमें जो प्रश्न में निवेदन है कि आपने जो टार्गेट निश्चित किये थे, आपने जो टार्गेट निश्चित किये थे 2005-06, 2006-07, 2007-08 में ... (व्यवधान) चुप तो रहो। (व्यवधान) 2005-06, 2006-07, 2007-08 में ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपस में तो शांति कर लो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह हाथापाई हो रही है आपस में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हाथापाई हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: यह कुछ नहीं है, यह इनके घरेलू है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कल हुई थी उससे निपटूंगा जीरो ऑवर में।

श्री उपाध्यक्ष: यह अंदरूनी मामला है आपस का।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने जिन ढाणियों में इन तीन साल में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किये, यह लक्ष्य से भी आधे से भी बहुत कम के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

क्या कारण हैं और जिन गांवों में बिजली के कनेक्शन की, बिजली में अधिक चोरी होने के कारण डिफाल्टर होने के कारण, जिन गांवों के कनेक्शन आपने काट दिये और वहां पर बी.पी.एल. परिवार रह रहे हैं तो उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं, नम्बर-4. जहां पर जो ढाणियां, जहां पर 20 घर और करीब 200-250 आदमी रहते हैं, उन 200-250 आदमियों की ढाणियों में जहां पर बी.पी.एल. परिवार निवास करता है वहां पर भी कनैक्शन देने की आपकी क्या योजना है? अगर आप उनको वहां कनैक्शन देंगे या नहीं देंगे ? और एक सबसे जो जबरदस्त सवाल जो मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि जितने भी बी.पी.एल. परिवारों को कनैक्शन दिया जा रहा है वह जो ठेकेदार है उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। न विभाग का कण्ट्रोल है। हर बी.पी.एल. परिवार से कनैक्शन चालू करने से पहले 400, 500, 700, 800 रुपया वह ऐंठ कर ले जाते हैं। बूंदी में इस बात की एफ.आई.आर. तक दर्ज हुई और पूरे राजस्थान में बी.पी.एल. परिवारों से यह जो कम्पनी काम कर रही है, जो उसके एजेंट सबलेट में जो काम कर रहे हैं, वह हर बी.पी.एल. परिवार से हजार-पांच सौ रुपया वसूल कर रहे हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है, कनैक्शन देने में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उसके लिए आपने क्या किया?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले तो छह प्रश्न पूछे, उसमें इन्होंने दूसरे विधायक के प्रश्न भी पूछ लिये। कभी कहते हैं कि तहसील नैनवां, कभी कहते हैं विधान सभा हिण्डौली ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप जवाब आने दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर मेरे प्रश्न को, आप मेरे प्रश्न को पढ़ो। पहला पैरा जो है वह नैनवां हिण्डौली से है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और दूसरा है वह पूरे राजस्थान का है। आपने देखा या नहीं देखा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। अब कुछ ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आप जवाब सुनिये। विराज जाओ। सुनो तो जवाब। आप विराज जाओ। जवाब तो सुनो पूरा। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कभी यह कहते हैं कि तहसील हिण्डौली, कभी कहते हैं विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सिंचाई का जवाब दे देना। बिजली का इनको देने दो। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कभी यह चले जाते हैं नैनवां के अन्दर। अच्छा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है वह गलत पूछा है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ... (व्यवधान) इन्होंने कहा है कि राजीव गांधी मिशन ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये-सुनिये आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, मैंने प्रश्न गलत पूछा इसलिए आप गलत उत्तर देंगे क्या? माननीय मंत्री महोदय, मैंने गलती की है तो आप भी गलत उत्तर देंगे क्या? आप तो सही दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): राजीव गांधी मिशन, मैं आपको बताता हूं कि मिशन का मतलब क्या होता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले सुने तो सही। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इन्होंने यूज किया है राजीव गांधी मिशन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेवेस्टर डिक्शनरी में मिशन का अर्थ है-A Ministry commissioned by a religious organization to propagate its faith or carry on humanitarian work. No. 1. No. 2. A definite military, naval or aero-space tasks. यह कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, साहब। जो स्कीम का डेफिनेशन है, जिसको योजना कहते हैं, A plan or programme of action in a systematic or organized framework. पहले तो आप यह बताइये कि मिशन की बात कर रहे

(श्री गजेन्द्र सिंह)

हैं? कोई नेवल एक्सरसाइज या कोई पनडुब्बी का यह कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बात, काहे का जवाब दे रहे हैं? मिशन का दे रहे हैं या बी.पी.एल. का दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मिशन का क्या होता है? वाट इज मिशन? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप बताओ। आप बताओ। क्या दे रहे हो? (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो जवाब दो न। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपको मालूम है मिशन क्या होता है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह थोड़ी अंग्रेजी। आप अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, डिक्शनरी को पढ़िये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अंग्रेजी आपके मुकाबले में, आपके मुकाबले में कमजोर है। यह तो मैं मानता हूं लेकिन आप जवाब तो दो। हिन्दी में दे रहे हो आप जवाब, अंग्रेजी में थोड़े ही दे रहे हो।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): राजीव गांधी मिशन ... (व्यवधान) आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी, आप ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जवाब नहीं है तो इसको पोस्टपोन करवा दीजिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी, एम.एल.ए. से बड़ा ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मंत्रीजी, जवाब लेकर नहीं आये हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): एक भी सवाल का जवाब नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप पहले यह बतायें कि यह मिशन है या योजना है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मंत्रीजी से पूछ कर हम सवाल बनाएंगे क्या?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माफी मांगे यह। (व्यवधान) मिशन है यह, मिशन है।

एक माननीय सदस्य: मिशन है, मिशन है। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): हम मंत्रीजी से पूछकर सवाल बनाएंगे क्या? मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): एम.एल.ए. से लड़ने का मिशन है ... (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): ... (व्यवधान) होता है मिशन। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): एम.एल.ए. से लड़ने का मिशन है, गांव वालों को ... (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधायक होता है वह ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गांव वालों को उजाला दिखाने का मिशन है और आज अंधेरा दूर करके रह ... (व्यवधान) आप यहां से खोल देंगे ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): यह मिशन है कि आपकी आंखें खुल जाएं और आपको रोशनी दिखे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बता दें कि बी.पी.एल. कनैक्शन दिये जा रहे हैं उसमें ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आंखें खुल जाएं। (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पर आधा घंटा हो गया। हमारे प्रश्न और भी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, ज्यादातर इन्होंने योजना के बारे में ही पूछा है। आप मिशन को छोड़िये। योजना के बारे में बताइये।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इन्होंने मिशन पूछा है। इनका प्रश्न देखिये आप।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न और बहुत हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मिशन का जवाब देंगे हम, आप बताइये कि राजीव गांधी का कौनसा मिशन है। बताइये आप? (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और भी प्रश्न है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप टार्गेट ही एचीव नहीं कर पाएं बी.पी.एल. परिवारों का। आपके पास पैसा आ गया केन्द्र से और आप काम नहीं कर पाएं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मिशन का पूछा है। आपने मिशन के बारे में पूछा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और बी.पी.एल. परिवारों को रिश्वत दिलवा-दिलवा कर कम्पनी के और आप कनैक्शन दिलवा रहे हैं, आपके टार्गेट ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह क्या कह रहे हैं? हंगामा करने की इच्छा थी इनकी तो। ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या आपने अपने टार्गेट पूरे किये क्या? आपने कोई टार्गेट पूरे नहीं किये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी नीयत सही नहीं है। प्रश्न पूछना ही नहीं आता है। आपने मिशन का पूछा है। ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका ध्यान बी.पी.एल. परिवारों की तरफ नहीं है। यह सरकार गरीब विरोधी है और पैसा उपलब्ध होने के बाद भी ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ध्यान नहीं दे रही बी.पी.एल. पर ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नेक्स्ट क्वेश्चन पुकारें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री उपाध्यक्ष: पूरा जवाब तो आने दीजिए। पहले आप, आप पहले जवाब तो सुनिये ... (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कह चुका हूं कि उनके पांच साल में 65 ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): फिर पांच साल में आ गये आप।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): और हमने दिये ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): फिर पांच साल पर आ गये आप। यह पांच साल का रोज-रोज कहना ... (व्यवधान) साढ़े चार साल हो गये, अब तो कुछ करो।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं कह चुका हूं कि इनके पांच साल में ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अब तो कुछ करो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इनके पास जवाब नहीं है और यह इधर-उधर की बातें करके सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। सरकार के पास बी.पी.एल. का ... (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न और भी बहुत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और भी बहुत हैं, आगे पुकारिये आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट क्वेश्चन । नेक्स्ट क्वेश्चन पुकारिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह जनरल क्वेश्चन नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) अभी सरकार ने किस तरह से ... (व्यवधान) बी.पी.एल. परिवारों के साथ धोखा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और भी क्वेश्चन हैं। (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): मेरा भी मजदूरों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इस बजट में यह सरकार ... (व्यवधान) गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे और भी क्वेश्चन लगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये अभी। (व्यवधान)

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बी.पी.एल. को जो कनेक्शन दिये हैं, क्या यह सही है कि बी.पी.एल. ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ऐसे तो प्रश्न छूट जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह एक तो जवाब दिला दो। पहली बार इनका सवाल लगा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह सदस्य खड़े हुए हैं। यह सदस्य खड़े हैं, पहले इनको। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो बी.पी.एल. में जो कनेक्शन दिये गये हैं उनमें प्रति यूनिट रेट है 85 पैसा और क्या यह सही है कि स्थाई सेवा शुल्क के नाम पर पाँच-छह रुपये प्रति यूनिट से बी.पी.एल. से बिल लिया जा रहा है। क्या इसको कम करने का इरादा रखते हैं? दूसरा, माननीय मंत्री

(श्री अमराराम)

महोदय ने कहा कि 2011 तक सबको बिजली देने का प्रोग्राम है। क्या यह सही है कि ढाणी की सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से 500 मीटर दूरी पर है उससे ज्यादा दूरी पर है तो उससे सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का 75 हजार रुपया और अगर डेढ़ किलोमीटर है तो डेढ़ लाख रुपया, वह सवा दो लाख रुपया लेकर जो आदेश आपने दे रखे हैं, उससे सवा दो लाख रुपया लेकर, राजस्थान की ढाणी में रहना वाला गरीब किसान क्या कनेक्शन ले सकता है? क्या इसको आप हटाने का इरादा रखते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया अब।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं भी सवाल ... (व्यवधान) कि 1997-98 के बी.पी.एल. सूची के जो परिवार ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह देखो पाइंट, माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो परिवार विद्युत कनेक्शन के घरेलू से वंचित रह गये हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह अलाऊ नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर से अगर इनको ट्रिपिंग कनेक्शन दिया जा सकता है तो क्या सरकार वह बी.पी.एल., गरीब परिवार को ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिये। मेरा निवेदन सुनिये। आप मेरी बात सुनिये पहले। आप मेरी बात सुनिये। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप इधर देखकर बात करिये। मेरी बात सुनिये पहले। माननीय सदस्यगण, यह कोई बिजली से संबंधित पूरी चर्चा नहीं हो रही है। बिजली के लिए अलग से चर्चा होगी। आप पूरे राजस्थान का, बी.पी.एल. परिवारों को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह नैनवां से संबंधित है। नैनवां से संबंधित है। यह नहीं, आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये। प्रश्न के अन्दर डाइरेक्ट हर चीज का जवाब देना आवश्यक नहीं है। इसमें नहीं, हर प्रश्न के जवाब में इतना जवाब आ चुका है। इससे आगे कुछ नहीं चलेगा, माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बी.पी.एल. परिवार के हित में ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सारे राजस्थान की बहस नहीं हो रही है। यह सारे राजस्थान का, माननीय सदस्य, यह कोई इतना डिटेल का सवाल नहीं है। प्रश्न के अन्दर आप इतना ही पूछ सकते हैं। प्रश्न पर जवाब आ गया मंत्री महोदय का। आप माननीय सदस्य कोई पर्टीकूलर एकाध सप्लीमैंट्री क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद): मैंने तो पाइंटेड दो ही प्रश्न पूछे हैं। जो बी.पी.एल. में कनैक्शन दिये हैं, उनसे 6 रुपये प्रति यूनिट ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दे दिया जवाब। (व्यवधान) तो दे देंगे जवाब। (व्यवधान) तो देने दीजिये जवाब। इसके बारे में जवाब दे रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक बात पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष: पूछिये, पूछो-पूछो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं कि जितने भी बी.पी.एल. परिवार हैं, राजस्थान में एक भी बी.पी.एल. परिवार को कनेक्शन दिया है क्या, कि जिसके कनैक्शन को करने में खम्भा लगता था और खम्भा लगने वाले को, जिसको कनैक्शन नहीं दिया है, उसको आप कनैक्शन अब किस माध्यम से देंगे?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय से मेरा भी एक प्रश्न है कि पाली जिले को आप राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में कब जोड़ रहे हैं?

श्री सभापति: अब ठहरिये आप।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि ..(व्यवधान) नागौर जिले को तो जोड़ें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसके बारे में जरूर कहियेगा 1997 के .. (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि 17 लाख ..(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्री महोदय सबसे पहले नागौर जिले पर गौर करें। सबसे पहले नागौर जिले को जोड़ें।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): 17 लाख 50 हजार कनैक्शन बी.पी.एल. को देना लक्ष्य है केन्द्रीय सरकार का, लेकिन हम कनेक्शन जब ही दे पायेंगे जब हमारे पास फण्ड्स आयेंगे। पैसा नहीं आयेगा तो कैसे करेंगे? जितना इन्होंने दिया है उससे ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 17 लाख 50 हजार के बाद जो 3 लाख बचेंगे, उन बी.पी.एल. परिवारों को मैं अपने खर्चे पर सारी सुविधा दूंगी। आप 17 लाख 50 हजार क्या, आपको अपने खर्चे से 3 लाख को और देना है, यह भी बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आप वाला खजाना बी.पी.एल. वालों के लिए नहीं हैं क्या? आप वाले खजाने में बी.पी.एल. वालों का हक नहीं है क्या?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपको पता ही नहीं क्या पूछ रहे हैं और क्या उत्तर मिल रहा है?

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। ..(व्यवधान) माननीय सदस्य बैठिये। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है। जितना पैसा दिया गया है उसी पैसे के अंदर जो काम होगा, वह करवायेंगे। यह कह दिया है उन्होंने और बिलकुल वह करवायेंगे। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह क्या जवाब है? यह तो कोई जवाब ही नहीं है। (व्यवधान) जो पैसा दिया है, वह खर्च नहीं हुआ। (व्यवधान) उनसे कहलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश त्रिवेदी, नैक्स्ट क्वेश्चन। माननीय सदस्य आ गया सब। यह बहस नहीं हो रही है। यह पूरे डिटेल में बहस नहीं होगी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बी.पी.एल. वालों को विद्युत कनेक्शन देने के लिए संवेदनहीन हैं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, कोई जवाब देने को तैयार नहीं हैं। अपने खजाने में से एक पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हैं, बी.पी.एल. वालों को कनेक्शन देने को तैयार नहीं हैं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हम बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह शासन में रहते हैं तब इनको बी.पी.एल. का ध्यान नहीं रहता। पूरे पाँच साल में 67 हजार कनैक्शन दिये हैं।

एक माननीय सदस्य: पहले तो राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं, अब यह मिशन है और राजस्थान की जनता का +++ अब समझ जाओ। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो RRGY की स्कीम है यह बिलकुल बोगम स्कीम है, असली बात यह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलो न कितने पैंडिंग हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी 33 में से 18 स्कीम ही सैंक्शन की है।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले वाली सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। प्रश्न संख्या-111.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

आप बैठिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री कैलाश त्रिवेदी..(व्यवधान) श्रम मंत्री महोदय जवाब दें। (व्यवधान) मंत्री महोदय जवाब दीजिये। आपका प्रश्न पुकार लिया है मैंने।

भीलवाड़ा जिले के नियोजन कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थी

112. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाड़ा में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनका जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन है? इनमें से कितने बेरोजगारों ने भत्ते के लिए आवेदन किया व कितनों को भत्ता दिया गया एवं कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्रम एवं नियोजन मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) जिला रोजगार कार्यालय, भीलवाड़ा में दिनांक 31.01.2008 को 10,620 शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(श्री रामकिशोर मीणा)

सैकण्डरी	हायर सैकण्डरी/10+2	स्नातक	अधिस्नातक	कुल
1611	4041	3747	1221	10,620

इनमें से 253 स्नातक/अधिस्नातक बेरोजगारों ने स्नातक बेरोजगारी भत्ता योजनान्तर्गत आवेदन किया आवेदित में से 215 को भत्ता दिया गया एवं 8 आवेदन पत्र शेष हैं तथा 30 आशार्थियों के आवेदन पत्र पात्रता पूरी नहीं होने के कारण निरस्त किये गये।

(2) जी नहीं। बेरोजगारी भत्ता, स्नातक बेरोजगारी भत्ता योजनान्तर्गत पात्र स्नातकों के लिये हैं, जो उनके आवेदन करने पर दिया जाता है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह 215 को जो आपने बेरोजगार भत्ता दिया है, किस दिनांक को इन्होंने आवेदन किया और कब आपने इनको बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया। नम्बर-दो, आठ आवेदन पत्र में जो पात्रता रखते हैं वह आज तक आपके पास लम्बित हैं वह किस दिनांक से लम्बित हैं और कब तक आप इनको स्वीकृत करने का विचार रखते हैं? 30 आशार्थियों को आपने अपात्र मानते हुए आवेदन रद्द कर दिये तो अपात्र आवेदनों को रोजगार कार्यालय ने पात्र क्यों किये? 3747 जो स्नातक बैठे हुए हैं, इन 3747 स्नातकों को क्या रोजगार कार्यालय ने पत्र लिखकर पात्रता बताई कि इस पात्रता के आवेदन ही आप करें। क्या आप इस तरह के पत्र लिखकर राजस्थान के बाकी बेरोजगारों को गुमराह होने से बचाने का प्रयास करेंगे?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गये बजट में पैरा 32 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अक्षत योजना के नाम से शुरू की थी। यह 01 जुलाई, 2007 से प्रारम्भ हुई है स्नातक बेरोजगारों के लिए और इसमें भी जितने भी स्नातक बेरोजगार हैं, वह आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद में जो पात्रता की शर्तें हैं, उनके अनुसार जो भी पात्रता रखते हैं, उनको स्वीकृत किया जाता है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, फार्म चैक करके ही क्यों नहीं रोजगार कार्यालय प्राप्त करें ताकि बेरोजगारों को और नुकसान न हो।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, लेकिन हमको जो आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद में दो-तीन रोज के अंदर पात्रता में है या नहीं है, जो आवेदन पात्र माने जाते हैं, उनको हम बेरोजगार भत्ता स्वीकृत करते हैं और उसके आधार पर उनको दिया जाता है। जो भी आपने सूची मांगी है कि कब-कब इन्होंने, जो पात्र हैं और जिनको हमने मंजूर किया, उनकी लम्बी लिस्ट है, आप कहें तो मैं एक-एक को पढ़कर सुना दूं। वह आपको सूची में दिया हुआ भी है। एक-एक आपको दिये हुए हैं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं हैं। नहीं हैं।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): और जो हमने निरस्त किये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनके भी हमने कारण बताये हैं। उनके कारण से जो पात्रता हैं उसमें 6 महीने से लगातार रजिस्टर्ड होने चाहिये। उनको मैं आप कहें तो मैं एक-एक सूची पढ़कर सुना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): 8 को आप कब तक करेंगे? ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पूरे राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए कितने लोग अधिकृत हैं? कितने पात्रता रखते हैं और कितने प्रतिशत को आपने भत्ता दिया है?

श्री उपाध्यक्ष: यह पूरे राजस्थान का नहीं पूछा है। भीलवाड़ा जिले का पूछा है। सिर्फ भीलवाड़ा तक सीमित है। यह पूरे राजस्थान से संबंधित प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य। नैक्स्ट क्वेश्चन श्री बाबूलाल खराड़ी। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जो शेष रहे हैं आवेदन उनकी पात्रता की शर्तें पूरी करने पर मंजूर कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये। श्री बाबूलाल खराड़ी ।

उदयपुर-कोटड़ा-देवली निगम बस सेवा का पुनर्संचालन

113. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उप खण्ड कोटड़ा में निगम की कितनी बसें उदयपुर से कोटड़ा वाया देवला संचालित हैं?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर से कोटड़ा वाया देवला 5 पी.एम. से

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

9 पी.एम. बजे पहुंचने वाली बसें एवं आबू रोड से डूंगरपुर-कोटड़ा होकर चलने वाली बसें भी बंद हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त बसों का पुनः संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

यातायात मंत्री (श्री यूनुस खान): (1) वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा उदयपुर से कोटड़ा वाया देवला मार्ग पर दैनिक 6 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं।

(2) उदयपुर से कोटड़ा वाया देवला 5 पी.एम. से 9 बजे पहुंचने वाली बस का राजस्थान परिवहन निगम द्वारा कभी भी संचालन नहीं किया गया।

निगम द्वारा आबू रोड से डूंगरपुर-कोटड़ा मार्ग पर जिला कलक्टर एवं जन प्रतिनिधियों की मांग पर वाहन संचालन किया गया था किन्तु निगम को पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलने के कारण अप्रैल, 1998 से उक्त मार्ग पर वाहन संचालन बन्द कर दिया गया।

(3) जी नहीं। पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल इन मार्गों पर पुनः निगम बस सेवा संचालन का कोई विचार नहीं है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कोटड़ा से उदयपुर जाने के लिए शाम को 4.30 बजे के बाद कोई साधन नहीं है, और काफी लोग ऐसे होते हैं जो जीपों में भर कर ओवर लोड होकर कोटड़ा पहुंचते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप चार बजे बाद कोई साधन, बस उपलब्ध करायेंगे?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने यह कहा कि आबू रोड से डूंगरपुर कोटड़ा मार्ग पर जिला कलक्टर एवं जनप्रतिनिधियों की मांग पर संचालन किया था और वहां पर यात्री भार नहीं मिला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय की परिस्थितियां अलग थीं आज की परिस्थितियां अलग हैं। अब डूंगरपुर और खैरवाड़ा के काफी कर्मचारी कोटड़ा में नौकरी करते हैं, उनको हमेशा आना-जाना पड़ता है इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए इस बस का संचालन पुनः शुरू करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: मौजूदा स्थिति के बारे में पता करवा लें।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोटड़ा से उदयपुर से जो बस के संचालन की माननीय सदस्य ने बात कही, हमारी काफी बसें चल रही हैं, अभी उनका संचालन हो रहा है। यह बात अलग है कि उनका जो है, कोटड़ा से उदयपुर जो एक बस है उसका संचालन साढ़े पाँच बजे होता है और वो कोटड़ा 9.45 पर पहुंचती है, दूसरी बस 7.45 पर रवाना होती है और 12 बजे पहुंचती है और तीसरी बस 12.15 बजे रवाना होकर के 4.30 बजे पहुंचती है। अब आपने बात कही कि क्या आप कोटड़ा से उदयपुर सायंकाल बस चलायेंगे, एक बस हमारी चल रही है जो रात्रि को पहुंचती है।

दूसरा, आपने विषय जो उठाया है डूंगरपुर से खैरवाड़ा के सरकारी कर्मचारियों का, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आठ दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र को और विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र को जोड़ने के लिए 1150 बसें हम नयी खरीदेंगे, कल ही हमारी उदयपुर संभाग के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। आपने बहुत सारा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र बताया जिनमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत या मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत नयी सड़कें बन गयीं, उन पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन के सम्बन्ध में बात कही है। चूंकि अभी हमारे उदयपुर डिपो में 129 बसें और डूंगरपुर में लगभग 83 बसें चल रही हैं और चूंकि और वहां पर आदिवासी क्षेत्र में कल भी आपने मांग रखी और हमारे फलासिया से आने वाले माननीय सदस्य ने कल भी हमारे सामने बात रखी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह 1150 बसें नयी आयेंगी और यह बेड़ा जब नया जुड़ेगा तो निश्चित रूप से, माननीय सदस्य, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इस पर विचार किया जायेगा।

एक मैं आपसे और निवेदन करूंगा। अभी-अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का दौरा आदिवासी क्षेत्र में हुआ और उन्होंने रियायती दर पर आदिवासी क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों के लिए घोषणा की है, उसको भी हम अतिशीघ्र अप्रैल माह से लागू करेंगे। आदिवासी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको यात्री सुविधाएं मिलेंगी और आदिवासी क्षेत्र से जो भी हमारे पास मांग आयी है उस पर निश्चित रूप से सरकार नयी बसें आने पर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामनारायण मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री। एक सप्लीमेंट्री।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोटड़ा से है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): कोटड़ा हमारा जुड़ा हुआ है ...(व्यवधान) पहाड़ी क्षेत्र है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो मेड़ता और जैतारण और मेड़ता और रीयां और मेड़ता और गोठन क्या आपकी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से स्पेसिफिक दो सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी मांग के अनुसार ...(व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): जारोड़ाजी, एक मिनट।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फलासिया से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि उदयपुर से कोटड़ा के लिए चार बजे बाद कोई साधन नहीं है, एक। मंत्रीजी ने कहा कि वहां यात्री भार नहीं मिलने की वजह से हमारा लगाने का कोई इरादा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: वो कह दिया, होगी जब कह देंगे उसको।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): दूसरी तरफ मंत्रीजी ने हवा में बिना परों की बात कर दी।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था कर देंगे तो ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं स्पेसिफिक यह पूछना चाह रहा हूं क्या चार बजे बाद कोई नयी बस उदयपुर से कोटड़ा के लिए प्रारम्भ करेंगे? दूसरा, आपका लाभ कमाने के लिए गाड़ियां लगायी हैं या सेवा के लिए? यह दो बातें मैं पूछना चाहता हूं।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो चिंता की, आर.एस.आर.टी.सी. की सारी बसें लगभग हमारे डिपो माइनस में चल रहे हैं, जनहित में हम इन गाड़ियों का संचालन करते हैं। माननीय

(श्री यूनुस खान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो ब्रेक इवन पॉइण्ट है वो साढ़े ग्यारह रुपये के लगभग आता है, साढ़े ग्यारह रुपये पर अगर वो बस लेकर आती है तो नौ लोस नौ प्रोफिट की वह गाड़ी होती है उसके नीचे के, आज लगभग हम आधी गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्र में चला रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में और जोड़ने के लिए ही यह घोषणा की थी।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि उदयपुर-गोगुंदा-जसवंतगढ़-देवला और सुलाब और कोटड़ा की यह बसें जो यह रूट चल रही हैं, मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे अन्तरराज्यीय बसें जो चलती हैं वो भी इसी रूट से एक बस हमारी जाती है। और कल ही जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने हमारे से, बैठक करके चर्चा हुई है, इस सारे क्षेत्र में नये सिरे से हम जब नयी बसें आयेंगी इनके साथ बैठ करके जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर बसें चलायेंगे। (व्यवधान) और मैं यह कहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण मीणा। (व्यवधान) यह जनरल बहस नहीं हो रही है, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): दे रहा हूं, रामचन्द्रजी, बैठो तो सही आप।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): एम.एल.ए. के मुख्यालय पर ही गाड़ियां नहीं हैं, 200 विधान सभा क्षेत्र में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है, माननीय सदस्य, यह जनरल बहस नहीं है, बिराजें आप।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिलाइये।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी-अभी एक प्रश्न किया है इसका इस विषय से अलग प्रश्न था, उसका जवाब मैंने माननीय सदस्य को भेज दिया।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस जवाब के बावजूद भी इस क्षेत्र में हमने नयी बसें चालू की हैं। जहां तक

(श्री यूनुस खान)

आपने जैतारण, मेड़ता की बसों की बात कही, एक रूट के बीच में थोड़ी सी पहले रोड नहीं थी अब वो पक्की रोड बनी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब यह डूंगरगढ़ को नहीं लेना बीच में। (व्यवधान)

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): मैंने आपको कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के मामले में 1150 बसें जब नयी बेड़े में जुड़ जायेंगी तो हम निश्चित रूप से गांवों को बस सेवाएं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: अब यह डूंगरगढ़ बीच में नहीं आयेगा अब इसमें। (व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सुजानगढ़ से नोडिया बस चलती है वो रोडवेज की, अभी बंद ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आ गयी बात, अब वो बात इसमें नहीं आयेगी देखो, बात कर लेना उनसे आप।

श्री यूनुस खान (यातायात मंत्री): आप अलग से बता देना, देख लेंगे।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सांवरियाजी मेवाड़ का मुख्य धाम है, मंत्री महोदय से निवेदन है कपासन से सांवरियाजी।

कोटा संभाग में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण कार्य

114. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सड़कों का निर्माण करवाया जाता है? यदि हां, तो सड़क स्वीकृत की जाने का आधार क्या है? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2004 से अब तक की अवधि में झालावाड़, बूंदी एवं टोंक जिलों में सड़क कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा सड़क कार्य सहित विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करवाए गए हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के किस-किस एजेंसी/संवेदक या व्यक्तियों के मार्फत? लागत सहित पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कार्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा निर्धारित गुणवत्ता के हैं? यदि हां, तो जांचकर्ता के नाम व दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): (1) जी हां। सड़क स्वीकृत किये जाने का आधार कृषि (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.09(11)ग्रुप-2/94 दिनांक 11.03.1996 के अनुसार है जिसकी प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2004 से अब तक झालावाड़, बूंदी एवं टोंक जिलों में सड़क कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा सड़क कार्य सहित विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करवाये गये हैं।

एजेंसी/संवेदक के नाम लागत सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर जिला झालावाड़ की, परिशिष्ट 'ब' पर जिला बूंदी की एवं परिशिष्ट 'स' पर जिला टोंक की सड़क कार्य सहित विभिन्न प्रकार के करवाये गये निर्माण कार्यों की सूची संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त कार्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं तथा निर्धारित गुणवत्ता के हैं।

जांच कर्ता के नाम व तारीख सहित विवरण झालावाड़, बूंदी एवं टोंक जिलों में क्रमश: परिशिष्ट 'अ'-1, 'ब'-1 एवं 'स'-1 में संलग्न है। शिकायत प्राप्त होने पर उसकी पृथक से जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ-साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जाती है।

(आदेश/विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि, मंत्रीजी, जिस सड़क के बारे में आपने कहा है कि शिकायत होने पर जांच करवायी जायेगी, आपके आज गुणवत्ता की दृष्टि से ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जहां न तो अधिशासी अभियंता जांच करने जाते हैं, आपके एडीशनल चीफ इंजीनियर ने किसी एक भी सड़क की जांच नहीं की। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग की जितनी भी सड़क पर मैं गया हूं, एक भी गुणवत्ता की दृष्टि से सही नहीं है। मैंने आपको चिट्ठी लिखी कृषि मंत्रीजी को, उसकी जांच हुई केवल एक सड़क की जांच आपके यहां से हुई है वह भी घटिया स्तर की पायी गयी है, अजेता से रायथल, और उसके बारे में आपने आज की तारीख तक न एस.ई. के खिलाफ एक्शन लिया ना एक्स.ईएन. के खिलाफ एक्शन लिया इसलिए मैं जानना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि गुणवत्ता की दृष्टि से आपका जो जांच, परीक्षण का कार्यालय है वो क्यों नहीं जांच करता?

(श्री रामनारायण मीणा)

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक-एक पाई भारत सरकार से आती है और 500 की आबादी की सड़क जुड़ गयी है, 350 के आर्डर्स आने वाले हैं, जैसा मेरी जानकारी में है शायद, होना भी चाहिए क्योंकि देश का सवाल है, तो क्या आप जहां भी पुलियाएं, दूसरे काम हैं उसको हाथ में लेंगे?

तीसरा, मेरा आपसे अर्ज करना यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आपके अधिकारी हैं, जो अधिकारी एक ही जगह पर डेपूट हैं दस साल से, पन्द्रह साल से एक ही जिले में, क्या कारण है कि उसी जिले में आपकी सड़कें गुणवत्ता की दृष्टि से घटिया स्तर की हैं?

अंत में मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जहां-जहां भी सीमेंटेड रोड बनी हैं, एक भी सीमेंटेड रोड का रेश्यो आपके बजरी का सीमेंट का मिला हुआ नहीं है, क्या इसके बारे में आपने जांच करायी ? और करायी तो किस तारीख को किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी?

श्री उपाध्यक्ष: यह तो बड़ा जनरल क्वेश्चन कर लिया आपने तो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इन्होंने जांच ही नहीं की।

एक माननीय सदस्य: यह तो भाषण है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): कोटा संभाग के लिए पूछा, कोटा संभाग की बता दीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप मेरे डिविजन की बता दीजिए, जो मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इनकी जो गाइड लाइन्स हैं इन्होंने उत्तर दिया है उसकी गाइड लाइन्स और पी.डब्ल्यू.डी. की गाइड लाइन्स में क्या अन्तर है? क्या यह सही है कि आप उसी गाइड लाइन्स जो पी.डब्ल्यू.डी. की हैं, मास्टर प्लान के तहत जिस योजना में सड़क बननी है उसी के तहत काम कर रहे हैं? यदि हां, वह आपकी गाइड लाइन है तो आप यह बताएं कि आपने जो उत्तर प्रदान किया है उसमें झालावाड़ जिले में जो कस्बे हैं विभिन्न कस्बे, बकानी में आपने 2.79 लाख रुपये खर्च किये हैं कस्बे में सीसी करने में, गंगधार में आपने 55 लाख 07 रुपये खर्च किये हैं सीसी करने में, इसी प्रकार

(श्री भरत सिंह)

असनावर, मनोहरथाना, सुनेल, रटलाई, बकानी फिर रटलाई, रायपुर दस करोड़ रुपये आपने। क्या यह सही है कि जो आपकी गाइड लाइन हैं उससे हटकर आपने झालावाड़ कस्बे में खर्च किये हैं? मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या आप सड़क निर्माण का काम विभाग छोड़कर पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तांतरित कर रहे हैं और आप कृषि विपणन का काम है, कृषि मण्डियों के सुधार का काम है उस पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे?

मैं इतना सा जानना चाहता हूं कि यह काम जो पी.डब्ल्यू.डी. को करना है उसकी मास्टर प्लान, गाइड लाइन्स हैं वही गाइड लाइन्स आपकी हैं और उससे हटकर आप अपने क्षेत्र के अन्दर जो राजनीतिक प्रभाव वाला है वह मंत्री अपने क्षेत्र में, आपने टोंक में करवा लिये, मुख्य मंत्रीजी ने झालावाड़ में करवा लिये और उसकी जो गाइड लाइन्स हैं उससे हटकर आप काम करवा रहे हैं। क्या यह सड़क निर्माण का काम आप पी.डब्ल्यू.डी. पर छोड़ेंगे और आपका ध्यान मण्डियों को सुधारने पर केन्द्रित करेंगे? यह मेरा आपसे प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह सिर्फ झालावाड़ बूंदी से ही संबंधित है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): वो ही पूछ रहा हूं, राजस्थान से ही संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ...(व्यवधान) आप दिलायें पहले।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान से संबंधित सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: यह राजस्थान से संबंधित नहीं है माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): संभाग आ गया इसमें उपाध्यक्ष महोदय, कोई राजस्थान पीछे थोड़े ही रह गया।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नार्म्स के तहत यह उत्तर दें, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बता रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): माननीय उपाध्यक्ष

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

महोदय, गुण नियंत्रण की बात है जहां तक, गुण नियंत्रण के लिए हमारे बोर्ड के अन्दर गुण नियंत्रण खण्ड बना हुआ है। उसका एक्स.ई.एन. है, उसका ए.ई.एन. है और समय-समय पर सड़कों के गुण नियंत्रण को वह चैक करते हैं। जहां शिकायत मिलती है वहां भी गुण नियंत्रण खण्ड द्वारा इसकी चैकिंग की जाती है और इसके जो चैकिंग्स हुए हैं यह सारे जवाब के अन्दर किस-किस सड़क का कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा इन्सपैक्शन किया गया, सारा विवरण हमने इसमें उपलब्ध करवा दिया।

जहां तक नैनवां से आने वाले सम्माननीय विधायकजी की सड़क का सवाल है, सड़क अजेता से रायथल यह विशेष मरम्मत के अन्दर सड़क ली गयी थी, 20.10 लाख रुपया इसके अन्दर सड़क निर्माण के लिए खर्च किया जाना था। सड़क का डब्ल्यू बी एम किया गया। क्योंकि सड़क जो पुरानी बनी हुई थी, पूरी तरह से बिगड़ गयी थी और डब्ल्यू बी एम करने के बाद अभी बी टी का काम उसमें चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही हमारे सम्माननीय विधायकजी की शिकायत आयी तो हमारे गुण नियंत्रण खण्ड के एक्स.ई.एन. द्वारा उसकी जांच की गयी। तब तक यह डब्ल्यू.बी.एम. का काम हुआ था। उसमें जितना उसकी मोटाई, जितना मेटेरियल था वह सही पाया गया। अब वह सड़क कम्पलीट होने जा रही है और कम्पलीट होने के बाद उसकी गुण नियंत्रण खण्ड से जांच करवायेंगे। अगर उसमें कोई कमी पाई गयी तो पेमेण्ट नहीं की जाएगी और अगर ठेकेदार की कमी पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे। उसके बावजूद भी अगर हमारे विधायकजी संतुष्ट नहीं हों तो जिस भी एजेंसी से यह चाहें वह जांच करा लें। अगर उसमें उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी पाई गई तो विभाग के अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ हम पूर्ण रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुभाषचन्द्र। (व्यवधान) आ गया।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): अभी और ठहरो, बता रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। सवाल एक सड़क का नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आपका गुण नियंत्रण खण्ड जो है उसने जांच की तो जांच रिपोर्ट क्या है, जितनी जांच इस साल में चार महीने में की हैं एक का भी इसमें जवाब नहीं

(श्री रामनारायण मीणा)

है और आपके अधिकारियों ने जांच करके एक के बारे में भी आपको रिपोर्ट नहीं दी और जो अधिकारी वहां बैठे हैं, जो दस साल से ज्यादा, पांच साल से ज्यादा जिले में बैठे हैं उनके यहां ही सबसे ज्यादा घटिया स्तर की सड़कें बन रही हैं। इसलिए कृपा करके जांच रिपोर्ट आपने देखी है क्या और जांच रिपोर्ट देखी है, मैं उन सड़कों की कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, गाइड लाइन्स क्या हैं कृषि उपज मण्डी की सड़क बनाने की, गाइड लाइन्स के बारे में बताएं तो सही ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): मैं बता रहा हूं ना।

श्री उपाध्यक्ष: पी.डब्ल्यू.डी. वाली गाइड लाइन उस पर लागू होंगी ...(व्यवधान) पी.डब्ल्यू.डी. वाली गाइड लाइन उसके अन्दर काम आएंगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कृपा करके आप उसकी रिपोर्ट देखिये ...(व्यवधान) आप दुबारा जांच करवायेंगे कि नहीं करवायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: पहले नहीं थी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा रिकार्ड हर सड़क किस तारीख को किस अधिकारी द्वारा चैक की गयी, इसके अन्दर उपलब्ध है। फिर भी अगर माननीय विधायक महोदय को जिस सड़क की शिकायत है उसकी कापी मैं आप ही उनको उपलब्ध करवा दूंगा कि जो उसमें जांच हुई, उसमें क्या-क्या जांच के अन्दर पाया गया।

जहां तक सड़क नीति की बात है, सड़क नीति 1996 में बनी थी। इस सड़क नीति के अन्दर जो प्रमुख पाइंट थे वह थे कि एक हजार की जनसंख्या, उसके बाद था गोद लिये हुए गांव, उसके बाद था पंचायत मुख्यालय को जोड़ना, उसके बाद 1991 से ...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह (दीगोद): पी.डब्ल्यू.डी. वाली जो नीति है वही ...(व्यवधान) मेरा पाइन्टेड प्रश्न है?

श्री उपाध्यक्ष: बता तो रहे हैं आप सुनिये तो सही।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आपकी मण्डी की क्या गाइड लाइन हैं यह तो बताओ आप ...(व्यवधान) तीस परसेंट पैसा मण्डियों से लेकर ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब बता रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): गांव की सड़क बनाने का पैसा शहर में किस गाइड लाइन पर लगाया ...(व्यवधान) छह करोड़ रुपया मण्डियों का ...(व्यवधान) गांव में सड़क बनाने पर खर्च होना चाहिए था।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): गाइड लाइन बताएं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उन्होंने पेमेण्ट कर दिया और बाद में जांच हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं जवाब ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, दे रहे हैं जवाब।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): सुनो तो सही आप।

श्री उपाध्यक्ष: दे दिया जवाब, जवाब दे दिया, आ गयी बात।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माइक ही नहीं चल रहा है ...(व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता का माइक बंद नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मेरा यह है कि उन्होंने जांच करवाई उसमें घटिया स्तर पाया गया और उसका पेमेण्ट हो गया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हो? (व्यवधान) पेमेण्ट ही कर दिया मैं तो यही तो पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, देना आप उनको शिकायत।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या देना, सदन है, पेमेण्ट कर दिया, वहां घटिया स्तर पाया गया।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, गाइड लाइन तो बता दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): जो आपकी शिकायत है उसके ऊपर जो एक्स.ई.एन. गुण नियंत्रण खण्ड ने जांच की उसके अन्दर जब आपने शिकायत की थी तब सड़क जो थी वह डब्ल्यू.बी.एम. थी और अब सड़क की बी टी हो गयी और हो रही है। मैंने आपको कह दिया कि अगर

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

उसमें कोई भी कमी पाई गयी तो दुबारा जांच करा देंगे और उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो तो पी.डब्ल्यू.डी. से करा देंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अधिकारी के खिलाफ क्या करोगे ...(व्यवधान) अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करोगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) बात सुनिये आप। इनकी गाइड लाइन अभी पी.डब्ल्यू.डी. की गाइड लाइन हैं वो ही इनकी गाइड लाइन हो गयी हैं। अब पहले वाली नहीं हैं, हो गई हैं उसमें ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह सवाल अलग है उपाध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. की गाइड लाइन ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करोगे?

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, तीस परसेंट पैसा अंशदान के रूप में कृषि विपणन बोर्ड लेता है, उसको खर्च करने की क्या गाइड लाइन हैं यह बता दें?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप चार-चार आदमी एक साथ बोलेंगे किसी भी ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): क्या यह सही है कि ...(व्यवधान) छह करोड़ रुपया ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तीस परसेंट की जो धनराशि ली जाती है उसको खर्च करने की क्या गाइड लाइन हैं? यह मैं जानना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत होगी तो करेंगे, कह दिया ना ...(व्यवधान) और सड़क कम्पलीट होने से पहले शिकायत नहीं चलेगी चलती सड़क के बाद आप शिकायत करना तैयार होने के बाद ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: जैसा जो चैंज किया गया है मंत्री महोदय बता देंगे। पी.डब्ल्यू.डी. के जो मापदण्ड हैं उसी के अनुसार पैसा माइलेज पर खर्च किया जा रहा है अभी, पहले नहीं था और ...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): तो उसके लिए जांच करवायेंगे कह दीजिए आप। पी.डब्ल्यू.डी. की गाइड लाइन के अनुसार यदि पैसा खर्च नहीं होता है तो क्या मंत्रीजी उसकी जांच करवायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: शिकायत कर देना उसकी जांच हो जाएगी।

श्री रामनारायण मीणा(नैनवां): अधिकारियों को बचायेंगे ...(व्यवधान) या कार्यवाही करेंगे?

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मण्डी का पैसा गांव का शहर में कैसे खर्च होगा? आपने छह करोड़ रुपया तीन जिलो में शहरों के लिए लिया है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्या, कृपया यह बताएं, मेरे को इतना सा बता दें।

श्री उपाध्यक्ष: बता देंगे ...(व्यवधान) आपके कहने से थोड़े ही ...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कार्यवाही करेंगे, क्या करेंगे, अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: चलते रास्ते में आप किसी के लगा दोगे ...(व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि सड़क खराब है। सड़क खराब है और उसका पेमेण्ट हो गया ...(व्यवधान) उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

(समय : 12.00 बजे)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): जहां तक विधायक का जांच का प्रश्न है यह जांच मैं टेबल कर देता हूं और इस जांच के अन्दर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैंने पहले ही कह दिया जिस एजेन्सी से चाहें उससे जांच करा देता हूं नम्बर एक। नम्बर दो ... (व्यवधान) सुनो।

जहां तक नीति का सवाल है, समय-समय पर राज्य सरकार नीति में परिवर्तन करती आयी है और इसमें सबसे पहले परिवर्तन 1997 में यह नीति बनी और ऐसा परिवर्तन कांग्रेस के समय में हुआ 12.12.2000 में। कृषि उपज

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

मंडी का पैसा गंग नहर को दे दिया गया। कौनसी नीति थी यह ? 8 करोड़ रुपया आपने नहरों को दे दिया। नम्बर दो, आपने नीति बनायी 2003-04 में ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम तो कहते हैं कि कांग्रेस ने अधिकारी को नहीं बचाया। आपकी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यह डिसाइड करते हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): यह बताओ पहले तो ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): 12 बज गये। 12 बजा दिये ... (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): बराबर 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त हुआ है। 12 बज गये ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री भरत सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से वन विभाग में कर्मचारियों की भर्ती नहीं करने से वन एवं वन्य जीवों पर पड़ रहे प्रभाव के सम्बन्ध में।

2. डा. चन्द्रशेखर बैद एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों में अतिक्रमण होने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होने से उत्पन्न स्थिति पर।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। (व्यवधान)

जल्दी ही दो-चार दिन के अन्दर आ जायेगा।

3. श्री खुशवीर सिंह एवं 22 अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की जायज मांगों का निस्तारण नहीं होने से उनमें व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए। वैसे भी माननीय सदस्य को 4 मार्च को सहकारिता विभाग की मांग पर चर्चा के समय अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मौजूद था, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री मांगीलाल गरासिया एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति कोटड़ा, गोगुन्दा के विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों तथा मुक्तांगन विद्यालय बन्द होने से विद्यार्थियों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए। वैसे भी माननीय सदस्यों को 14 मार्च को शिक्षा विभाग की मांग पर चर्चा के समय अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से सीकर के परसरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय के शिक्षक, छात्र एवं कर्मचारियों के 151 दिन से हड़ताल पर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए। वैसे भी माननीय सदस्य को 3 मार्च को चिकित्सा विभाग की मांग पर चर्चा के समय अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मौजूद था, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री मोहम्मद माहिर आजाद एवं 34 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना की आवश्यकता पर।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आजाद को अपने प्रस्ताव पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

(1) श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भूपाल सागर के श्रमिकों व कार्मिकों को बकाया वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

2. श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से कोटा शहर एवं कोटा शहर के बाहरी क्षेत्र की सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में।

3. श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाये जा रहे हाथी गांव कालबेलिया स्कूल आदि के लिये ली जा रही भूमि से उत्पन्न स्थिति।

4. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बीकानेर आगार की भूमि पर निगम का कब्जा यथावत रखने के सम्बन्ध में।

5. श्री भंवरू खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ शेखावाटी को हैरिटेज सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में।

6. श्री अशोक कुमार नवलखा, सदस्य की और से जिला चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

7. श्री भागीरथ चौधर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के पंचायत मुख्यालय अराई में तहसील/उप तहसील कार्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

8. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देसूरी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत शिक्षा विभाग के स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

9. श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनपोल की कालोनियों में सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

10. श्री जीवराम चौधरी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति सांचौर चितलवाना में नयी पंचायत समिति मुख्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

11. श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से गोगुन्दा के एन.एच. 76 पर ट्रोमा अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में।

12. श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार की ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मोहम्म्द माहिर आजाद। (व्यवधान)

(शून्यकाल)

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी शिरोधार्य है लेकिन चिकित्सा की मांग के दिन तो कोई चर्चा ही नहीं हुई हाउस में। और यह ऐसी है जिसमें 80 प्रतिशत सरकार का अनुदान है और करोड़ों की सम्पत्ति एक परिवार इसको हड़पने और जो सीकर की जनता ने ... (व्यवधान) इस परसरामपुरिया आयुर्वेद कालेज में 18 बीघा जमीन है, 82 कमरे हैं और वहां के निदेशक ने ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उस दिन चर्चा ही नहीं हुई। आप इजाजत दें। 151 दिन से पूरे शहर में करोड़ों की सम्पत्ति ... (व्यवधान) निदेशक आयुर्वेद ने प्रशासक की नियुक्ति ... (व्यवधान) यह हो गया। जनता की सीकर में है। इसको हड़पने के लिये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर करोड़ों की सम्पत्ति, यहां आयुर्वेद विभाग ने, आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने यहां प्रशासक लगाने के लिये ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की आवश्यक मांगों को लेकर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ...

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): गांव के अन्दर किसानों की जो एक विकास की धुरी है वह व्यवस्थापक हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन व्यवस्थापकों को स्थायी, सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह से घोषित किया जाए कर्मचारी ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा आपका ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा आपका माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: उठे ... (व्यवधान) कई बार मौका मिला है माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। मैंने व्यवस्था दे दी माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप अपना कम्पलीट करिये ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रीजी से बात ... (व्यवधान) शिक्षा मंत्रीजी से डेपुटेशन पर ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है आपका। मैंने नाम पुकार लिया दूसरे का ... (व्यवधान) बैठिये अब

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: दो-चार दिन के अन्दर, दो-चार दिन में आ जायेगा ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: इसी सत्र में ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बीच में ... (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) बैठिये प्लीज। मैंने परमीशन नहीं दी है ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बिराजें, आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लीजिये ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा, बिना परमिशन के बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरे से मिल लेना, आप वैश्म में मेरे से मिलना, कोई उपाय सोचेंगे दूसरा ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना परमिशन के खड़े हो गये हैं, माननीय सदस्य, बैठ जायें आप, बिना परमिशन के ही खड़े हो रहे हैं, बिना ही मतलब, आपका कोई परमिशन ही नहीं है, फालतू में ही ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, कुछ नहीं है स्थगन प्रस्ताव, बैठिये आप ...(व्यवधान) मैंने व्यवस्था दे दी है उस पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है अब ...(व्यवधान) दे दी व्यवस्था मैंने ...(व्यवधान) बैठिये आप, श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत पचासों सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं, क्या सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिया नहीं, प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत बार्डर की जो लैंड बेच दी उसके बारे में हमने स्थगन प्रस्ताव दिया कि सीबीआई से उसकी जांच करवाई जाये। आज 6 दिन हो गये

(श्री संयम लोढ़ा)

आप सरकार से जवाब मंगवायें। सरकार जवाब देवे नहीं, नियमों में प्रावधान है कि तीन दिन में जवाब देने का, स्थगन प्रस्तावों का सरकार जवाब देवे नहीं, आप हमें बतायें कि हम कौनसी प्रक्रिया के जरिये राजस्थान की जनता के मुद्दों को उठायें?

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरे से चैम्बर में मिल लेना, इसके बारे में सोचेंगे ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, सूचना देंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना):×××

श्री उपाध्यक्ष: वह उठाना आप, अकाल पर होगी बात ...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना):×××

श्री उपाध्यक्ष: देंगे, देंगे परमिशन आपको ...(व्यवधान) अब आप स्थान ग्रहण कर लीजिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, देंगे जवाब ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान) वह व्यवस्था कर देंगे अपने आप ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: वह कर देंगे व्यवस्था, बैठिये आप ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, वह अपने आप मंगायेंगे जवाब, वह जल्दी ही मंगायेंगे माननीय सदस्य, बैठिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी आपका अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: तो क्यों समय बरबाद कर रहे हैं आप ...(व्यवधान) मैंने कह दिया आपका जवाब ...(व्यवधान) आ जायेगा जवाब, आ जायेगा ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, माननीय सदस्य, बिराजें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बिराजें आप ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: बीच वालों का ध्यान रखेंगे ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, उसको छोड़ें अब ...(व्यवधान) वह हो गयी बात।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: काफी सदस्य रह जाते हैं कई बार, माननीय सदस्य, आप बैठिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ गया था माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री उपाध्यक्ष: शिक्षा के टाइम पर जवाब आ गया था उस पर कार्यवाही शुरू हो गयी थी ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बात कह दी थी ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर विधान सभा के समय में ही दिया जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना मतलब अनर्गल ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बिना आधार के आरोप नहीं लगा सकते हैं इस तरह से ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप लगा रहे हैं ना आरोप ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या बात करते हो, क्या राजस्थान जानता है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है ...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: कर देंगे, वक्तव्य आ जायेगा अपने आप ...(व्यवधान) आ जायेगा वक्तव्य, आ जायेगा वक्तव्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन के समय का उपयोग नहीं करना चाहते हैं ...(व्यवधान) सदन की परंपरा रही है, जवाब भी आते हैं, टाइम भी लगता है और हर चीज का जवाब दिया जायेगा आप तसल्ली रखिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: कोई तीन दिन की लिमिट थोड़े ही है, हो जायेगी बात ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: कोई खतम नहीं होगा ...(व्यवधान) कम से कम दस दिन और हाउस चलेगा, अभी आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, चलेगा सब ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह जनरल बातों का कोई अंत नहीं है ...(व्यवधान) यह जनरल बातों का कोई अंत नहीं है। माननीय सदस्य, नहीं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): × × ×

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): × × ×

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: इसका किसी पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): × × ×

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्डर की जमीनों के मामले में जितने प्रश्न आए थे, जितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए थे, जितने स्थगन प्रस्ताव आए थे, राज्य सरकार ने जवाब भिजवा दिया है। आप जब भी उचित समझें उस विषय पर किसी भी माध्यम से चर्चा कराना चाहें, ध्यानाकर्षण के रूप में, मंत्री के वक्तव्य के रूप में या जिस रूप में भी आप करना चाहें, वह कराएं, राज्य सरकार ने आपको जवाब भेज दिया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय के पास भेजती है और वैश्म में 131 के मामले में या मंत्री के वक्तव्य के मामले में उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी बात के और अनर्गल रूप से किसी पार्टी को लांछित करके आरोप लगाना, यह सरासर निन्दनीय कुकृत्य है। इन्होंने किसी पार्टी पर आरोप लगाया, बोर्डर का मामला है, एक राष्ट्रीय मामला है, किसी पार्टी का कोई सदस्य भी इसमें शामिल होगा तो उस पर भी एक्शन होना लेकिन इस प्रकार की बात करके किसी पार्टी को या सरकार को लांछित करने की कोशिश करना, वह भी निन्दनीय है। मैं समझता हूं कि इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए। जिस विषय पर भी आप जब भी चाहेंगे, जो वक्तव्य दिलाना चाहेंगे, ध्यानाकर्षण लगाना चाहेंगे, सरकार उसका जवाब देगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): समय निर्धारित कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उसकी चर्चा सदन में नहीं होगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे 16 ध्यानाकर्षण पड़े हैं, 16 ध्यानाकर्षण में से एक पर भी हाउस के अंदर डिस्कशन नहीं कराया।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप समय निर्धारित कर दें जब भी समय देंगे बात हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: सभी नियमों के अनुसार होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैम्बर्स के राइट्स का प्रोटेक्शन करिए उपाध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब यह चार-चार मंत्री जवाब देंगे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन की व्यवस्था के बारे में आज तक सदन में कभी कोई चर्चा नहीं हुई, हमारी परम्परा भी है और हमारे नियमों में भी है। अगर माननीय सदस्यों के पास कोई बात है तो वह आपसे वैश्म में जाकर निवेदन करे। जब मंत्रीजी ने साफ कह दिया कि हम हर चीज का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, कोई लुकाछिपी का खेल नहीं है तो फिर दिक्कत किस चीज की है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी महामहिम राज्यपाल महोदय को, आज तक, यह बजट सत्र खतम होने वाला है, आज तक आप यहां नहीं लाए तो आप कब किस तारीख को रखेंगे। वित्त आयोग की रिपोर्ट हुए कितना टाइम हो गया तो फिर यह पेश करने में क्या दिक्कत है? सारा बजट सत्र खतम हो जाएगा, उसमें क्या लिखा है, उस पर कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां से रिपोर्ट आ जाएगी, मंत्रिमण्डल में उसका पारण होगा उसके बाद रख देंगे हम। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप इतनी हीन भावना कर रहे हैं, इसका मतलब दुबारा आने की आप आस नहीं रखते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना विषयक

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सात निगम और मण्डल ऐसे हैं जो अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बन्ध रखते हैं, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकादमी, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और मेवात क्षेत्र विकास बोर्ड।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत चार वर्षों से जब से राजस्थान में माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेतृत्व वाली बी जे पी की सरकार बनी है, मुझे कहते हुए बड़ा दु:ख है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बन्धित इन सभी निगमों और मण्डलों की हालत बद से बदतर हो रही है, कोई काम ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण से सम्बन्धित नहीं किया जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग ने आज तक जितनी भी सिफारिशें की हैं उन सबको

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रद्दी की टोकरी में फेंकने का काम किया है। एक भी सिफारिश पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ चाहे वह रावतभाटा के साम्प्रदायिक दंगों में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का मामला हो, चाहे इकलेरा और खानपुर का मामला हो, चाहे आसींद और भीलवाड़ा का मामला हो, चाहे मलारना डूंगर, सवाई माधोपुर का मामला हो, चाहे मेवात क्षेत्र के कामां और नगर का मामला हो, उसकी किसी भी सिफारिश पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ।

अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम का पिछली कांग्रेस सरकार के समय में डूंगरपुर के असरार अहमद की अध्यक्षता में गठन हुआ। चार साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी मुझे कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने राजस्थान में अल्प संख्यक वित्त विकास सहकारी निगम का गठन ही नहीं किया है। जिससे सरकार उन अल्पसंख्यक नौजवानों जो पढ़े लिखे और अनपढ़ थे, दस्तकार थे, उनको स्वरोजगार मिलता, उससे उनको वंचित रहना पड़ा है और केन्द्रीय अनुदान की करोड़ों रुपये की राशि से भी राजस्थान वंचित रहा है।

जहां तक मदरसा बोर्ड का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मदरसा बोर्ड में पिछले चार-पांच माह से पैराटीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है।

राजस्थान उर्दू अकादमी का चौथाई बजट भी उपयोग में नहीं लाया गया है, उसका बजट लैप्स होने जा रहा है, मार्च क्लोजिंग पर है।

हज अकादमी की स्थिति यह है कि मुख्य मंत्रीजी ने सांगानेर के रामसर में जाकर हज भवन का शिलान्यास कर दिया लेकिन उनके ही मंत्रिमण्डल के सदस्य के विरोध के चलते आज तक हज हाउस नहीं बना और उसके कारण से प्रदेश के...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव में जो विषय दिया है, उस पर बोल रहे हैं, आप खुद देख लें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, मेरी बात सुनिए। दुर्दशा, दुर्दशा। पढ़ो जरा गौर से, इस पर लिखा हुआ है दुर्दशा का, जरा आप पढ़ो। चश्में का नम्बर बदल गया तो मेरा ले लो। (व्यवधान) मैं आसन से कह रहा हूं। (व्यवधान) आपके पेट में तो मरोड़ा उठना स्वाभाविक है, आप आज सुबह फ्रेश होकर नहीं आए होंगे।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि प्रदेश के उन हजारों मुसलमान हज यात्रियों को जो मक्का मदीना हज यात्रा पर जाते हैं, टेण्टों में सर्दी के अंदर ठहराया गया। आज तक उनका आबे जमजम का पानी जो गंगाजल की तरह पवित्र होता है, आज तक सऊदी अरब से नहीं आया है, कई चक्कर वहां के हज यात्री यहां पर लगा चुके हैं।

जहां तक मेवात विकास बोर्ड का सवाल है, एक पैसा मेवात विकास बोर्ड का गठन होने के बाद... (व्यवधान) । माननीय मंत्रीजी, संसदीय सचिवजी, मुझे पहले अपनी बात कहने दो, मुझे आसन ने अनुमति दी है।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): पिछले पच्चीस साल में आपने बना दिया क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले मुझे मेरी बात कहने दो, उसके बाद आप अपना निवेदन कर देना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मेवात विकास बोर्ड का एक पैसा खर्च नहीं हुआ और समझ आती है आपकी नीयत। अभी केन्द्र सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहजी के निर्देश पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो पांच सौ करोड़ का बजट था उसको बढ़ाकर एक हजार करोड़ रुपए किया गया तो +++ कहते हैं कि यह साम्प्रदायिक बजट है, इसमें से जिन्ना की बदबू आ रही है। पाकिस्तान जाओ तब तो जिन्ना धार्मिक एकता और कौमी एकता के प्रतीक नजर आते हैं और यहां सोनियाजी और मनमोहनसिंहजी के निर्देश पर केन्द्र सरकार अल्पसंख्यकों के लिए बजट देती है तो आपको जिन्ना की बदबू आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि यह स्थिति आप अल्पसंख्यकों ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इसमें सोनियाजी बीच में कहां से आ गई? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या इसमें है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां है यह।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनके स्थगन में है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां यह है, है, है, है। (व्यवधान) आप बैठिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि यह स्थिति क्यों हुई?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इन्होंने यह कहा है, इन्होंने आरोप लगाया है, जिन्ना की बदबू आती है, हम यह कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ये बोलने का ठेका ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): केन्द्र सरकार पर यह बदबू आती है कि अफजल खां को बचाने का आरोप लगता है तब जिन्ना की बदबू आती है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपका रिकार्ड ही नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपने अफजल खां को बचाने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। आप दूसरा विषय बीच में मत उठाएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): केन्द्र सरकार ने अफजल खां, जो आतंकवादी है उसको बचाने का काम किया है और अगर उसमें ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। आप बीच में नहीं। माननीय सदस्य मीणा जी, आप बैठिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए हो रहा है, मैं निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा स्थिति देखिए राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग आता है समाज कल्याण मंत्रीजी के अंडर में, अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम आता है सहकारिता मंत्रीजी के अंडर में, मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी शिक्षा मंत्रीजी के अंडर में आते हैं। वक्फ बोर्ड राजस्व मंत्रीजी के अंडर में आता है, हज कमेटी गृह मंत्रीजी के अंडर में आती है और मेवात विकास बोर्ड का पैरेंटल डिपार्टमेंट है ग्रामीण विकास मंत्रालय। 7 आयोग और सातों आयोगों के अलग-अलग मंत्री हैं। अगर प्रदेश का कोई अल्पसंख्यक इन कामों के लिए आएगा तो 7 मंत्रियों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

के पास उसको चक्कर लगाना पड़ेगा। केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों की समस्या को समझते हुए भारत सरकार में एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय स्थापित किया और श्री ए.आर. अंतुलेजी को उसका मंत्री बनाया और उसी की अनुपालना में देश के 18 राज्यों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया गया केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार, असम में। इसलिए मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह निवेदन है कि आपने कुछ शो-पीस जरूर रख रखे हैं जो यहां बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत अल्पसंख्यकों के प्रति सही नहीं है। अगर अल्पसंख्यकों का सही में भला चाहते हैं तो आप भी ...(व्यवधान) बैठ जाएं, एक मिनट आप बैठ जाएं।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): यह हिन्दुस्तान का नेतृत्व करते हैं, हमने इनको केबिनेट मंत्री बनाया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बना दिया आपने।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): युनूस खानजी की जो हालत आपने स्टेडियम में की है उससे राजस्थान परिचित है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): और माहिर आजादजी को आपने रैली में मंच पर नहीं चढ़ने दिया वह भी सारा राजस्थान जानता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं तो चढ़ा था वहां पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर ईमानदारी से अल्पसंख्यकों का भला चाहते हो तो आप राजस्थान में सिंगल विण्डो सिस्टम लागू करें और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाएं। और इन सारे विभागों को जो अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित हैं इनको एक जगह करें इससे आपके ऊपर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ रहा है ताकि राजस्थान के अल्पसंख्यकों को उनकी सुविधाएं और विकास मिल सकें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है, इनको एक वोट नहीं देता है। इसलिए जब से ये राज में आये हैं इन्होंने इन अल्पसंख्यक आयोगों को पंगु बनाने का काम किया है, उनकी दुर्दशा करने का काम किया है। और इस तरीके की स्थिति आपने पैदा कर दी कि राजस्थान में कहीं भी कोई

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अल्पसंख्यक, यहां आपके राष्ट्रीय नेताओं के बयानों से जाहिर होता है, आपके बयानों से जाहिर होता है ..(व्यवधान)..

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह आपकी गलतफहमी है। (व्यवधान) अल्पसंख्यक को आपने छोड़ दिया। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक छोड़ दिये। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया। (व्यवधान)..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पूरे राजस्थान में कहीं भी एक वोट अल्पसंख्यकों का नहीं मिलता। अल्पसंख्यक ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर है। इसलिए मैं आप उनसे इस तरीके की कुंठित भावना निकालने और पैदा करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाना होगा समर्थन करना हो तो जवाब दो कि आज तक हज हाउस क्यों नहीं बना, जयपुर में मुसलिम होस्टल का ...(व्यवधान) शिलान्यास क्यों नहीं हुआ? (व्यवधान) इन बातों का जवाब दो। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह मंत्रालय क्या माननीय युनूस खान जी को दिलाना है? दिला देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तनिक भी +++ है और आपका सेकुलरिज्म में विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है तो अल्पसंख्यक भी इस हिन्दुस्तान का और राजस्थान का हिस्सा है। इस मुल्क को आजादी दिलाने के अंदर रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने कुर्बानी दी है तो अशफाकउल्लाह खान ने भी फांसी का फंदा चूमा है। आपको याद होना चाहिए कि बहादुरशाह जफर ने अपने दोनों बच्चों के सर कटवा दिये। हिन्दुस्तान में रहने वाला मुसलमान हिन्दुस्तान का पक्का है, यहीं रहेगा और आप कितना ही नारा दे दो कि मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान, आपकी छाती पर यहीं मूंग दलने का काम करेगा। हम आपसे ज्यादा हिन्दुस्तानी हैं इससे ज्यादा क्या वफादारी का सबूत मांगते हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बीजेपी के लोगों के लिए इतना ही कह सकता हूं-

(मोहम्मद माहिर आजाद)

''खुदा महफूज रखे बड़ा जालिम जमाना है,
दिलों में जोश रखते हैं,
व जाहिर दोस्ताना है।''

आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अगर सरकार की नीयत है तो जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामलाल जाट।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: बोलो।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): क्योंकि सरकार पर इन्होंने इतनी गम्भीर बात कही है, आपने ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विभाग एक जगह तो इनका आता है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मैं दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा। जो आपने बात कही ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बीच में नहीं। कुछ भी अंकित नहीं होगा बीच में बिना परमिशन के। (व्यवधान) मंत्री अपने आप सुओमोटो जवाब दे रहे हैं। बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं होगा, बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री दे सकते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे सकते हैं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: दे देंगे जवाब।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री उपाध्यक्ष: यह नियमों में है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): संविधान ने मुझे हैसियत दी है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप सुनिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिए आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। मंत्रिमंडल की ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी है, कोई भी मंत्री दे सकता है जवाब इसके अन्दर और जब कोई स्पेसिफिक बात उठी है तो मंत्रिमंडल की तरफ से कोई भी मंत्रीमंडल का सदस्य जवाब दे सकता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब तक सदन में यह परम्परा रही है और आप लोगों का भी हमेशा यह आग्रह रहता है कि जब कभी भी विषय सदन के ध्यान में लाते हैं तो जो भी स्पष्टीकरण उस समय जो भी मंत्री होता है, आप स्वयं चला कर पूछते हो।

श्री उपाध्यक्ष: और देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): पर्ची पर भी आप चला कर पूछते हो, हर विषय पर आप चला कर पूछते हो और जब इस विषय पर आपने बंबार्डमेंट कर दिया तो दूसरे बंबार्डमेंट का गोला आने दो न आपके ऊपर ताकि पता तो लगेगा कि क्या है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए, माननीय सदस्य। देंगे जवाब, सुनेंगे। (व्यवधान) जवाब सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: यह सदन की परम्परा रही है स्थगन प्रस्ताव के बारे में कि जब भी कोई सदस्य बोलता है तो मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को जवाब देने का अधिकार है, आप रोक नहीं सकते इसलिए सुनिए शांतिपूर्वक।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। माननीय बैठिए आप।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अभियुक्त नहीं है यहां, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। बैठिए आप।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं बोलने खड़ा हुआ, एक माननीय हमारे प्रतिपक्ष से यह आवाज आई कि इनको क्या अधिकार है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के संविधान में मुझे यह अधिकार दिया है और राजस्थान सरकार का मैं केबिनेट मिनिस्टर हूं इसलिए मैं भारत के संविधान के अनुसार हाउस में जवाब दे सकता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हमारी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वसुंधराजी के नेतृत्व में काम कर रही है, उन्होंने जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए पिछले 4 साल में काम किये हैं, मैं सोचता हूं कि इनके 50 साल के काम से अगर कम्पेरीजन किया जाए तो आज हम उनसे बड़े साबित होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी-अभी सबसे पहले जो हज के लिए बात कही, हमारी राजस्थान सरकार में पहली बार हज टर्मिनल शुरू हुआ, हज टर्मिनल के लिए

(श्री यूनुस खान)

यहां से हाजियों का जाना शुरू हुआ। सरकार ने यह फैसला किया था जब माननीय सैयद शहनवाज हुसैनजी केन्द्र में मंत्री थे, बार-बार यहां आए, उन्होंने कहा कि यहां से बहुत सारे हाजी जाते हैं इसलिए उन हाजियों को यहां जयपुर से ही जाने की सुविधा मिले उसके लिए उन्होंने फैसला किया और यह लागू हुआ फैसला और हाजी जाने लगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हज की जहां तक बात है, केन्द्र सरकार को आपने यह कहा कि यहां पर अलग-अलग विभाग अल्पसंख्यकों से संबंधित विषय देखते हैं और केन्द्र में एक अल्पसंख्यक का मंत्री बना हुआ है। आज भी हज का जो विषय है, विदेश मंत्रालय देखता है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं देखता है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब केन्द्र के अन्दर मा. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हाजियों की संख्या उन्होंने बढ़ा कर जिस तरीके से हर वर्ष 20 हजार हाजियों की संख्या बढ़ाते थे, यह हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि किसी स्टेट को जितनी संख्या दी गई। हमारे पिछले वर्ष 4900 हाजी गये, जो केन्द्र सरकार ने कोटा तय किया था। यह कोटा राज्य सरकार तय नहीं करती है, यह कोटा केन्द्र सरकार तय करती है। हिन्दुस्तान में वह काला दिन भी आया जब राजस्थान में इतने मुसलमानों की इच्छाओं के विपरीत पहली बार राजस्थान में साढ़े 9 हजार मुसलमानों ने हज के फार्म भरे। जहां 4900 पिछली बार हज गये, यह संख्या बढ़ कर 6 हजार होनी चाहिए थी, उसको केन्द्र सरकार ने घटा कर 4600 कर दिया। यह शर्म की बात है। यह कोई राज्य सरकार ने नहीं किया और मैं आपको, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बताना चाहता हूं कि वहां कोई केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय यह तय नहीं करता कि कौन सा हवाई जहाज मक्का और मदीना के लिए जाएगा, जद्दा के लिए जाएगा, यह तय करती है सिविल एविएशन मिनिस्टरी और सिविल एविएशन मिनिस्टरी ही अलाट करती है। और हमारे राजस्थान के हाजियों के साथ इतना पक्षपात हुआ कि केन्द्र सरकार ने हमारे को छोटे जहाज दिये, जबकि यहां मांग बड़े जहाजों की थी। हमारे हाजियों को जाने का अवसर सबसे बाद में दिया गया। हमारे हाजी सबसे पहले जाना चाहते थे, उनको बाद में जाने दिया गया। चूंकि उन हवाई जहाजों की साइज छोटी थी और हाजी जो वहां से मक्का और मदीना से जो वहां का आबे जमजम लेकर आते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और खजूर वगैरह लेकर के आते हैं उसमें वज़न ज्यादा था, हवाई जहाज छोटे

(श्री युनूस खान)

थे। इसलिए वह अपना सामान नहीं ला पाये उसके लिए राज्य सरकार दोषी नहीं है उसके लिए राजस्थान की हज कमेटी दोषी नहीं है, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो केन्द्र की सरकार है। इनको वहां जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में इन्होंने मुसलमानों के नाम पर राज किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मुसलमानों की बात आती है तो यह पंचायती करने लग जाते हैं, मुसलमानों के हितैषी बन जाते हैं इसलिए आज मुसलमान काबिल नहीं हैं। यह जो आज उनके ठेकेदार बन करके घूमते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, निवेदन करना चाहूंगा कि हमने आपकी बात सुनी है, कम से कम पहली बार चार साल में हम बोल रहे हैं, वह भी इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी तरफ से यह विषय उठा है। कम से कम सुनने की ताकत भी रखिए। आपने 40 साल में मुसलमानों का कोई ऐसा भला नहीं किया। मुसलमानों की ऐसी स्थिति आपकी सरकार के राज में सुधरी नहीं तो कम से कम सुनने की तो ताकत आप रखिए। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्या है यह ? जब वह बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि यहां पर हज की बात उठाई चूंकि इनका विषय उठाया हुआ था तो सदन को अवगत कराने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने आपको कहा कि पहली बार 4600 हाजियों की संख्या हुई, साढ़े 9 हजार लोगों ने फार्म भरे, इसके लिए केन्द्रीय हज कमेटी जिसमें इनकी सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति बैठा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मदरसों की बात कही।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर हज हाउस की बात आती है तो यह बात भी आएगी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने मदरसा बोर्ड की बात कही और माननीय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह 7 निगम और बोर्डों की क्या स्थिति है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पहली बार हमने छह बोर्ड और निगमों के जो अध्यक्ष हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा अगर किसी सरकार ने दिया है तो राजस्थान की सरकार ने दिया है। इनके सरकार के अन्दर हज कमेटी के चेयरमैन की क्या हालत थी। हज कमेटी के चेयरमैन के लिए सचिवालय के अन्दर आफिस नहीं था, हज कमेटी के चेयरमैन के लिए गाड़ी नहीं थी, हज कमेटी को कोई भी सुविधाएं इनके राज में नहीं थी। हमारा राज जब आया, भारतीय जनता पार्टी का राज आया, पहली बार हज कमेटी के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा देकर के शासन सचिवालय में अगर किसी ने बिठाया तो वसुंधरा की सरकार ने बिठाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने मदरसा बोर्ड की बात की है। बार-बार आप भारतीय जनता पार्टी को साम्प्रदायिक पार्टी कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 11 साल तो हमारे आदरणीय भैरोंसिंहजी ने राजस्थान में राज किया और सवा चार साल से वसुंधराजी के नेतृत्व में राज हो रहा है, आज मदरसा बोर्ड के अन्दर मदरसा बोर्ड के चैयरमैन को बाकायदा कार्यालय खोलकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इनके शासन में जिन 1600 मदरसों का रजिस्ट्रेशन था उन मदरसों की संख्या बढ़ाकर के आज 2500 की और आज 2500 मदरसे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हमने किया। इतना ही नहीं, खाली हम मुसलमानों के लिए भाषण ही नहीं देते हैं, उनको खाली वोटों के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमने

(श्री युनूस खान)

फैसला किया, हमारी मुख्य मंत्रीजी माननीय वसुंधराजी ने, हमारी सरकार ने यह फैसला किया कि मुसलमान को भी हक है कि आधुनिक शिक्षा से वो जुडे। उसके लिए पिछले वर्ष एक करोड़ रुपये का बजट में बाकायदा प्रावधान करके 200 मदरसों को कम्प्यूटर से जोड़ा गया, हर विधान सभा क्षेत्र में, हर विधायक के क्षेत्र में एक कम्प्यूटर दिया गया। इतना ही नहीं, इस वर्ष जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा, उपाध्यक्ष महोदय, ये सब लोग हाउस में बैठे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2008-09 में 400 मदरसों के लिए दो करोड़ रुपये का फिर प्रोविजन किया। इतना ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि मदरसे से ही नहीं, वहां पर जो हमारा मिड-डे मील है, पहली बार मदरसों के अन्दर वह लागू किया गया हमारे मदरसा बोर्ड ने। इनका भी मदरसा बोर्ड था, इनके पास भी अध्यक्ष थे पर हमारे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जी ने पहली बार हर विधान सभा क्षेत्र में पैंसिल से लेकर चटाई तक हर सामग्री उस मदरसे में पहुंचाई है। चाहे खेल सामग्री, वॉलीबॉल, फुटबॉल हो, मुसलमानों के बच्चे भी खेल से जुडे, मुसलमानों के बच्चे भी कम्प्यूटर से जुडे और मुसलमान का, आधुनिक शिक्षा का विकास हो इसका अगर किसी ने विचार किया है तो वसुंधराजी की सरकार ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये एक-एक विषय पर बोले हैं और एक-एक विषय का जवाब जाना जरूरी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य आज हमारे वक्फ बोर्ड में मैम्बर हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड का कार्यालय पहले भी था, वक्फ बोर्ड का कार्यालय आज भी है जिस कार्यालय में ये जाकर के बैठक करते हैं। पहली बार इस राजस्थान के इतिहास में पूरे बजट को आप उठाकर के देख लीजिये, एक रुपया भी किसी सरकार ने वक्फ बोर्ड के लिए दिया है तो आप जैसा कहें वैसा कर लूंगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार पिछले वर्ष जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा उसमें एक करोड़ रुपये भवन के लिए प्रोविजन किया। और आज आप देखें कि हम जब इस रोड से विधान सभा से निकलकर जाएं तो हमारे इस हाथ को वक्फ बोर्ड का कार्यालय है। नगर से आने वाले माननीय सदस्य भी उसमें विराजते हैं क्योंकि वे मेम्बर हैं, वो जाते हैं। हमारी सरकार ने वक्फ बोर्ड के लिए भी एक करोड़ रुपये देकर के भवन निर्माण

(श्री युनूस खान)

करने का काम किया है और पहली बार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। जो राज्य मंत्री का खर्चा आता है वह राज्य सरकार उठाती है। इसलिए मैं आपसे दो मिनट और बोलना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और बोलना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, वक्फ बोर्ड...

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और बोलना चाहूंगा, मुझे दो मिनट और चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये, मैं बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी तो बोलता हूं। मैं कभी बोलता ही नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं रोक नहीं रहा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक आयोग की आपने बात कही। पहली बार राजस्थान में अल्पसंख्यक आयोग ने हर जिला मुख्यालय पर जाकर के मीटिंग की, बात सुनी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ...उनकी समस्याएं सुनीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ... जिला कलक्टरों के साथ बैठकर के अल्पसंख्यकों के साथ उनकी समस्याओं का.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने राशि... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): ...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आप जिस क्षेत्र से जीतकर के आते हैं... (व्यवधान) पहली बार अगर किसी सरकार ने मेवों की परवाह की, पहली बार अगर किसी मेव समाज की परवाह की तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। हमने मेवात बोर्ड का गठन किया। हमारे 2 से 3 सदस्य मेवात क्षेत्र से आते हैं। हमारे रामगढ़ से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं वो मेवात क्षेत्र से आते हैं... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): हमारे दुर्रु मियां साहब आते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मेवों की शिक्षा की, मेवों के पिछड़ेपन की अगर किसी सरकार ने चिंता की तो माननीय वसुंधराजी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में यह भी कहना चाहूंगा... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मैं मेरी तरफ से तथ्य नहीं रख रहा हूं। मेवात बोर्ड का गठन किया और मेवात बोर्ड के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा अगर किसी ने दिया तो वसुंधराजी

(श्री यूनूस खान)

की सरकार ने दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री यूनूस खान (यातायात मंत्री): ... कि बजट में पैरा 125 के अन्दर है इसको पढ़कर के सुनाना चाहूंगा- मैंने गत वर्ष मगरा, डांग और मेवात विकास बोर्ड का बजट 5 करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी। अब मैं इसका बजट बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये प्रस्तावित करती हूं। (व्यवधान) यह कोई मेरे तथ्य नहीं हैं, मेवात बोर्ड को 7 करोड़ रुपये आपकी सरकार ने दिये हों तो माहिर साहब, यहां रख दीजिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने चाहे मेवात बोर्ड हो, चाहे मदरसा बोर्ड हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे जितने आयोग हों, उर्दू अकादमी हो, सब को पैसा देने का काम किया है और मुसलमानों को अपलिफ्ट करने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। आप 50 साल तक हमारा शोषण करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे। आप जो हमेशा वोट लेते हैं क्या आज इनके पास एक भी ऐसा मुसलिम नेता नहीं है जिसको नेता प्रतिपक्ष बना दें या पार्टी का नेतृत्व दे दें? इस पार्टी को साम्प्रदायिक पार्टी कहते हैं और मुसलमानों का शोषण करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग झूंठा ढोंग करते हैं वो बाज आयें और जो कांग्रेस की अन्य सरकारें हैं उनमें कितनी ऐसी कांग्रेस की सरकारें हैं जिनमें उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना दिया वह भी इस टेबल पर रख दें। जिस दिन इनकी सरकारें बना देंगी उस दिन हमारी सरकार सोच लेगी। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। अब नहीं... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

(समय : 13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: आसन से कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। आसन से व्यवस्था नहीं हुई है। (व्यवधान) मैंने परमिशन नहीं दी है। मैंने अलाऊ नहीं किया है किसी को। कोई आसन की व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैंने आसन की तरफ से कोई बोलने की परमिशन नहीं दी है। आप सुनिये पहले।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप पूछने की अनुमति दे दें आप। प्रश्न तो पूछने का हकदार है ही।

एक माननीय सदस्य:×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव है, इनको प्रश्न तो पूछने का हक है। इनको प्रश्न पूछने दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): ×××

श्री हेमाराम चौधरी(नेता, प्रतिपक्ष): आप बहुमत के आधार पर किसी को कोई बात कहने नहीं दें, यह बात प्रजातंत्र में ठीक नहीं है इसलिए इनको आप प्रश्न के रूप में अपनी बात पूछने दें। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको अनुमति प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये पहले। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) नियम 290 में जो मुख्य सचेतकजी ने बताया है और आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पर आगे वाद-विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। मंत्रीजी को अपना स्टेटमेंट देने का राइट है। इसमें मैं आगे प्रश्न अलाऊ नहीं करूंगा। नैक्स्ट आइटम। (व्यवधान) नियम 295 के अन्तर्गत चर्चा। श्री बद्री लाल जाट।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने कहा था कि आप प्रश्न पूछ लेना। आप इनको प्रश्न पूछने दें। वह प्रश्न पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है। श्री बद्रीलाल जाट।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो...

श्री उपाध्यक्ष: मैंने नहीं कहा था (व्यवधान) मैंने नहीं कहा था। नियम में है नहीं माननीय नेता प्रतिपक्ष। यह कभी भी अलाऊ नहीं हुआ है, यह नियम में नहीं है। उन्होंने कोई जवाब...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,..

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने जो जवाब दिया है, वह रिकार्ड पर आ गया है। उन्होंने कह दिया है। जवाब मंत्रीजी दे सकते हैं, उसके बाद में बहस नहीं होगी। बहस नहीं होती है, बहस नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको प्रश्न पूछने का तो अधिकार है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दें। स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की ओर से उत्तर आता है तो उसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप माननीय सदस्य को अलाऊ करिये। आप माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह हमारा अधिकार है प्रश्न पूछने का, हमारा प्रश्न पूछने का राइट है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। यह नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर हमारे को यहां पर हमारी बात कहने का अवसर नहीं मिलता है। यह तो प्रजातंत्र का हनन है। यह हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। उपाध्यक्ष महोदय, कृपा करके अनुमति प्रदान करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये, सुनिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा पहले भी आपसे निवेदन किया, जब कभी भी जीरो आवर में चाहे स्थगन चाहे पर्ची या 295 में, जब कोई भी ऐसा विषय आ जाता है, जिस विषय पर सरकार को अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण देना होता है तो अब तक देने की परम्परा अपने यहां सदन में रही है। लेकिन कभी भी...

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई तय हो गया क्या? यह कोई गलत-सही का तय नहीं हो गया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, गलत जवाब दिया है तो आप दूसरे तरीके से आइये। माननीय सदस्य, गलत जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दूसरे तरीके से आइये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...आपको दर्द इस बात का नहीं है, आपको दर्द इस बात का है कि सारे हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है और उसकी खीझ मिटा रहे हो यहां पर। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पहले इनका बहुमत आता था, आज उत्तर प्रदेश में जो दुर्दशा हो रही है, उन्हीं मुसलमानों ने जब अपना हक समझा। हमारा तो ठीक है, आपने देखा होगा, बिहार में इनकी क्या गति बनी है (व्यवधान) किन-किन राज्यों की बताऊं? उड़ीसा में इनकी क्या गति बनी है? जहां मुसलमान यह समझ गया कि यह केवल बीजेपी का भूत दिखाकर राज के लिए वोट लेने का धंधा करते थे। यह जब से मुसलमान समझ गया तब से इनकी खाट खड़ी हो गई है और इसलिए यह फिर से अपने उन मुसलमान भाइयों को जो नाराज हो गये हैं, उनके लिए रोज नये-नये पिटारे लेकर आ रहे हैं। और वह इस बात को समझ गया कि जिन्होंने 50 साल तक राज किया है, उन्होंने मुसलमानों को एक कौड़ी नहीं दी। यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा कि एक भी नगरपालिका, हमारा राज आने के पहले, उदयपुर में ही नहीं, किसी भी नगरपालिका को देख लो, अगर कोई नरक था तो वह मुसलमानों का मौहल्ला नरक था... (व्यवधान) अगर किसी ने कद्र करने की कोशिश की तो वह बीजेपी ने नगरपालिकाओं में की है। केवल नारकीय जीवन बिताने के लिए रख दिया था। केवल बीजेपी का भूत दिखाकर, केवल उससे वोट लेने का धंधा किया। केवल शब्दों के जाल के अलावा और क्या किया? आपने क्या किया 50 साल के अन्दर?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अगर 50 साल में आप लोग अल्पसंख्यक की मदद करते तो आज वह शिक्षा में आगे होता। अगर 50 साल में अल्पसंख्यक की मदद करते तो अल्पसंख्यक आज अपने पैरों पर खड़ा होता। उसको पैरों पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की। उसको तो वोट बैंक की तरह से यूज लेकर और उसको यूज एण्ड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अब वह मुसलमान इस बात को समझ गया है कि कांग्रेस हमारी हितैषी नहीं है। कांग्रेस ने केवल इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(व्यवधान) साम्प्रदायिक दंगे खुद कराते हैं, साम्प्रदायिक झगड़े खुद कराते हैं और केवल बीजेपी का भूत दिखाकर अपने वोट लेने का धंधा करते हैं। अब जैसे-जैसे आपकी नीचे की जमीन खिसक रही है, अब यह चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मुसलमानों के नाम पर केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। 50 साल तक राज किया। क्या किया उस गरीब के लिए? क्या किया उस अल्पसंख्यक के लिए? 50 साल में कुछ नहीं किया। बताओ, क्या किया उसके लिए?

यानी उसका वह का वह हाल, यानी वह की वह बकरियां और वह का वह मकान। 50 साल तक राज करने के बाद रहने का मकान जब हम नहीं दे सके, 50 साल तक राज करने के बाद में अगर उसको कपड़ा नहीं दे सके। अगर किसी को रहने का मकान दिया तो वह बीजेपी के राज में दिया, आज वह खुद के मकान में रह रहा है, आज उसका वह मकान मालिक है। कच्ची बस्तियों में जो पहले रहते थे, आज शान से अगर कोई रह रहा है तो वह मुसलमान बीजेपी का राज आने के बाद में रह रहा है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

उनके लिए मकान अगर जुटाया है तो बीजेपी के राज में हमने जुटाया है। यह केवल घड़ियाली आंसू बहाकर, केवल वोटों के भिखारी की तरह अपना जीवन चला रहे हैं। ईमानदारी से अगर कोई हक दिया ना, ईमानदारी से उसकी सेवा करते तो वह इनको नहीं छोड़ता। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर मुसलमानों के लिए ईमानदारी से सेवा करते, वह तो की नहीं और उसकी खीझ निकालने का धंधा कर रहे हैं। अब उसको और समझ में आ गया है। उसकी खीझ निकालने से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। अपनी सीट पर जाइये। (व्यवधान) आप अपने-अपने स्थान पर जाइये माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...जब आपको मौका मिला,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने कुछ नहीं किया। आपको यू.पी. में राज मिला, आपने कुछ नहीं किया। आप उसकी शिक्षा की चिंता करते। आप उसका जीवन स्तर सुधारने की चिंता करते। आपने कुछ नहीं किया। केवल यहां घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। (व्यवधान) आप सब इकट्ठे हो जाओ तो मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हो। आप सारे इकट्ठे हो जाओ तो भी मेरी आवाज को दबा नहीं सकते। आपका केवल रोने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) यहां केवल राजस्थान में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसने 50 साल तक तुम्हारे को देखा है और उसका वोट बैंक खिसका है ना, तब से तुम्हारी हालत खराब हो गई है। आज की तारीख में कांग्रेस है कहां? कांग्रेस है कहां? हममें से किसी को याद नहीं है, कांग्रेस का राज यदि कहीं हो तो बता दो। एक नाम बता दो कांग्रेस के राज का। कांग्रेस का नाम बता दो। सारे राज्यों में इसका सफाया हुआ है, उसकी खीझ निकाल रहे हो, उसकी खीझ मिटा रहे हो। उसकी दुर्गति के लिए यहां पर नाटक कराया जा रहा है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के मानीय सदस्यों द्वारा नारेबजारी)

अब वह जमाना लद चुका जब मुसलमान भाइयों ने तुम्हें वोट दिया है (व्यवधान) मुसलमानों का अगर सही काम किया है तो बीजेपी के राज में किया है। (व्यवधान) हमने काम के आधार पर वोट लेने का काम किया है, हमने सेवा करके उसका वोट लिया ना... (व्यवधान) हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। (व्यवधान) अगर उस समय भी हमने मुसलमानों की चिंता की है तो बीजेपी के राज में की है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, आपने अपना विरोध व्यक्त कर दिया, विरोध प्रकट कर दिया, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब्दुल कलाम को अगर राष्ट्रपति बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। क्या बात करते हो यहां...(व्यवधान) आप लोगों को मौका दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया आप सीटों पर जाइये। कृपया अपनी सीटों पर बिराजिये माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जायें, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इन्होंने चांस इसलिए नहीं दिया, अगर तुम यह सोचते हो मुसलमानों के हिती हो तो उससे बढ़िया कंडीडेट आज इस देश में कौन हो सकता है, अब्दुल कलाम आजाद से...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य, आप सदन का समय...(व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई इश्यू नहीं है यह। माननीय सदस्य, यह कोई इश्यू नहीं है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय माहिर आजादजी, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...(व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पर, माननीय सदस्य, आप अगर दूसरे दस्यों को वंचित रखें, दूसरे सदस्य...(व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं ले रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: पढ़ना नहीं चाहते यह। पढ़ना नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य। मैं आगे ले रहा हूं मेरा। माननीय सदस्य। (व्यवधान) श्री बद्रीलाल जाट ।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों की, आम जनता की हितैषी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधराजी सिंधिया के नेतृत्व वाली सरकार ने जब से कार्यभार ग्रहण किया है तब से सभी वर्गों में खुशहाली है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ ही मैं सदन के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र कपासन...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र में विपक्ष की आवाज को बहुमत के आधार पर दबाया जा रहा है, हमारी बात को सुनाया नहीं जा रहा है यह बहुमत के आधार पर...

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये, बात कहें अपनी। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, फिर बात कहना, यदि कोई बात है तो आप, स्थान ग्रहण कीजिये पहले अपना।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से प्रतिपक्ष ने यहां विधान सभा के अंदर प्रदर्शन किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों की बात आई, अगर मैंने कोई भी असत्य बात कही तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इन्होंने अपने कार्यकाल में मदरसों के अंदर मात्र 1200 टीचर...

श्री उपाध्यक्ष: अब छोड़ो इसे। अब छोड़ो । नहीं, अब नहीं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मैं उपाध्यक्ष महोदय, 1200 टीचर भर्ती किये, हमने इस वर्ष 1400 टीचर और भर्ती किये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं लाना चाहता हूं। आज यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब कह दिया। अब बैठें।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, अब आ गयी बात आपकी।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब हो गई बात।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): जैसे हमारे गृह मंत्री महोदय ने कहा कि आज इनका आधार मुसलमानों से खिसकता जा रहा है इसलिए यह हाउस छोड़कर के गये हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो धोद से आने वाले सदस्य हैं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह हालत क्यों हुई? अल्पसंख्यकों की आज हालत दलितों से खराब है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): मैंने बता दिया फिर आयेंगे ही नहीं, इनको नकार दिया मुसलमानों ने इसलिए दोबारा यह आयेंगे भी नहीं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): यह गांव-गांव में गये...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुसलमानों की हालत पश्चिम बंगाल में है वैसी हालत हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में नहीं है...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह किस नियम से बोल रहे हैं अब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री रामलाल जाट ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारा मतलब तो यह था कि मन से स्वीकार करो।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अब नहीं बोल सकते, बहिर्गमन के बाद में बोल नहीं सकते।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मन तो बदला नहीं, मुखौटा लिये फिर रहे हो, मन तो नहीं बदला आप लोगों का। पूछो इनसे दिलावरजी से, बदला क्या मन। (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भूपालसागर के श्रमिकों का बकाया वेतन भुगतान

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों व आम जनता की हितैषी माननीय वसुंधराराजेजी सिंधिया के नेतृत्व वाली सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है तभी से सभी वर्गों को राहत मिली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं सदन के माध्यम से अपनी विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख मांग दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भूपालसागर के श्रमिकों व कार्मिकों का बकाया वेतन भुगतान किए जाने हेतु निवेदन करना चाहता हूं। बीमार उद्योग का बहाना लेकर मिल प्रबंधन ने कर्मचारियों का पिछले पांच वर्षों से वेतन भुगतान नहीं किया है जबकि वर्तमान में यह उद्योग बीमार उद्योग की श्रेणी से बाहर आ गया है। साथ ही मिल परिसर में करोड़ों रुपये का मोलासीस पड़ा हुआ है। विकल्प में सरकार द्वारा उक्त मोलासीस को जब्त किया जाकर विक्रय करा भुगतान कराया जा सकता है। साथ ही मिल को भी सरकार द्वारा अपने स्तर पर चलाया जा सकता है। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दी मेवाड़ शुगर मिल, भूपालसागर के कर्मचारियों का बकाया भुगतान मोलासीस विक्रय करा किये जाने एवं मिल को सरकारी स्तर से चलाये जाने की कृपा करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह।

कोटा शहर व बाहरी क्षेत्र में वन विभाग, रीको, आईआईटी, नगर विकास न्यास व अन्य सरकारी भूमि पर हो रहा अवैध खनन

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत उठाने की अनुज्ञा बाबत, विषय है कोटा शहर में व बाहरी क्षेत्रों में वन विभाग, रीको, आईआईटी, नगर विकास न्यास सहित अन्य सरकारी भूमि पर व्यापक रूप से हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता बाबत्। मान्यवर, कोटा शहर के भीतर व बाहरी क्षेत्रों नान्ता, अनन्तपुरा, रामनगर, खड़े गणेशजी रोड, महाराव भीमसिंह मार्ग, रावतभाटा रोड, बोराबास, रानपुर में रीको, वन विभाग, आईआईटी, नगर विकास न्यास

(श्री भरत सिंह)

सहित सरकारी भूमि पर अवैध खनन, ब्लास्टिंग खुले आम हो रहा है। इस कार्य में खनन माफिया के सक्रिय होने के कारण यह सब कार्य बेखौफ हो रहा है। खनन माफिया रात में ब्लास्टिंग से पत्थर तोड़ते हैं तथा जेसीबी से मिट्टी खोदने का काम करते हैं। दिन में डम्परों व ट्रेक्टर ट्रालियों से पत्थर व मिट्टी का निकास होता है। निकाले जा रहे पत्थर व मिट्टी का उपयोग कृषि भूमि पर काटी जा रही कालोनियों में प्लाट बेचने से पूर्व बनाई जा रही सड़कों में किया जा रहा है। अवैध खनन से भरे वाहन रायल्टी नाका चुंगी के सामने से होकर निकलते हैं। खनिज विभाग की मिलीभगत से भूमाफिया के हौंसले बुलन्द हैं। जिला प्रशासन और संबंधित विभाग सरकारी जमीन में भूमाफिया द्वारा किये जा रहे अवैध खनन को रोकने में निष्क्रिय है। क्रेशर खुलेआम अवैध खनन से प्राप्त पत्थरों से चल रहे हैं। कोटा जिले में 21 स्टोन क्रेशर इकाइयों में से मात्र 5 क्रेशर मालिकों के पास 9 खनन लीज हैं। अधिकांश खनन कार्य अवैध हो रहा है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी अवैध खनन के शिकार हो रहे हैं। खनिज विभाग रायल्टी के ठेके देकर आंखें बंद करके बैठा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ब्रजकिशोर शर्मा। (अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

लूणकरणसर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन की जमीन

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। मान्यवर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन की स्थापना अक्टूबर, 1964 में राजस्थान सरकार द्वारा सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में जनहित के लिए परिवहन हेतु की गई थी और उसी के अनुरूप निगम वर्तमान में कार्यरत है। बीकानेर आगार के बस स्टैण्ड, कार्यालय एवं कार्यशाला के निर्माण हेतु भूमि नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा परिवहन निगम को लोकोपयोगी सेवाएं देने वाली निगम मानते हुए वर्ष 1973 के इंदिरा गांधी नहर कालोनी, लूणकरणसर जाने वाले मुख्य सड़क पर 55x 800 वर्ग फुट कुल 4 लाख वर्ग फुट भूमि आबंटित और अनुमोदन हेतु प्रकरण न्यास के समक्ष रखने और आबंटित की जाने वाली भूमि की कीमत 50 पैसा प्रति वर्ग फुट की दर से जमा कराने के लिए लिखा। कब्जा प्राप्त करने के साथ ही निगम द्वारा बस स्टैण्ड एवं कार्यशाला का निर्माण कर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। वर्ष 1996 में

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

निगम द्वारा इस भूमि की लीज डीड हेतु निवेदन किए जाने पर नगर विकास न्यास ने अपने पत्र संख्या 10517 दिनांक 12.08.2006 द्वारा प्रति उत्तर में लिखा कि निगम के कब्जे में कुल आबंटित भूमि 4 लाख वर्ग फुट के बजाय 6,36,044 वर्ग फुट भूमि है। और निगम को वाणिज्यिक निगम बताते हुए निगम को बाजार भाव से 1,88,83,420 रुपए जमा कराने हेतु लिखा गया।

इसके पश्चात् नगर विकास न्यास द्वारा निगम को लिखे अपने पत्रांक 7956 दिनांक 11.07.2005 में निगम के कब्जे में 1,91,574.6 वर्ग फुट भूमि अतिरिक्त बता कर 1000 रु. प्रति वर्ग फुट की बाजार दर से कुल 19,38,11,671 रुपए जमा कराने अथवा अतिरिक्त भूमि न्यास को सौंपने का नोटिस दिया गया।

हाल ही में नगर विकास न्यास ने अपने पत्रांक सम./07/7947 दिनांक 23.08.2007 में निगम के पास 1,26,780 वर्ग फुट भूमि अधिक बताते हुए अतिरिक्त भूमि न्यास को देने हेतु लिखा। इसके विपरीत परिवहन निगम एवं नगर विकास न्यास के संयुक्त सर्वे में 1,15,000 वर्ग फुट जमीन अधिक होना पाया गया था। इस प्रकार निगम के कब्जे में कितनी अतिरिक्त भूमि है यह स्पष्ट नहीं है।

अत: मैं आशा करता हूं कि निगम के कब्जे की अतिरिक्त भूमि की सही पैमाइश करवाते हुए यातायात के बढ़ते दबाव एवं लोकोपयोगी सेवाओं हेतु कार्यरत निगम के विस्तार एवं भविष्य की आवश्यकताओं के मध्यनजर माननीय मंत्री महोदय उक्त अतिरिक्त भूमि यथावत राजस्थान परिवहन निगम के कब्जे में ही रखने और उक्त भूमि का 1973 की रियायती दर/रिजर्व प्राइस पर रोडवेज़ के पक्ष में नियमन व आबंटन कराने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भवरू खां (अनुपस्थित)

श्री अशोक कुमार नवलखा।

निम्बाहेड़ा में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विधान सभा की

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत मैं आपके माध्यम से निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने हेतु निवेदन करता हूं। निम्बोहड़ा क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए निरन्तर औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रगति के कारण पंजीयन कार्य हेतु सब रजिस्ट्रार कार्यालय होना अत्यावश्यक है। सम्पूर्ण निम्बाहेड़ा उपखण्ड में 40 पटवार सर्कल होकर 174 गांव है उक्त सम्पूर्ण कार्यों के निष्पादन हेतु 1 तहसीलदार व 1 नायब तहसीलदार की पोस्ट स्वीकृत है तथा उनके पास पंजीयन कार्यो हेतु उप पंजीयक का पद भार भी सुपुर्द किया हुआ है। मेरे इस क्षेत्र के विस्तृत होने तथा राजस्व कार्य की अधिकता के कारण दोनों ही अधिकारी काफी व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण पंजीयन के कार्यों में शिथिलता आती है।

यह कि गत वर्ष भी निम्बाहेड़ा पंजीयन कार्यालय की पंजीयन की आय लक्ष्य के मुकाबले 90 प्रतिशत रही है तथा इस वर्ष भी पंजीयन की आय लक्ष्य के मुकाबले अभी तक 90 प्रतिशत से ऊपर ही है। पंजीयन के कार्य का भार बढ़ रहा है तथा मेरे क्षेत्र के दूर-दूर से आने वाले काश्तकारों व आमजन को तहसीलदार के पास अतिरिक्त चार्ज होने के कारण अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है।

यह कि वर्तमान में निम्बाहेड़ा उपखण्ड में 3 नए सीमेंट प्लांट आने वाले हैं इसके अतिरिक्त एक एल्कोहल का प्लांट व दो सीमेंट बेग्स के बड़े संयंत्र भी लगने वाले हैं। वर्तमान में यहां कई बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं तथा कई छोटे बड़े उद्योग कार्यरत हैं तथा इस क्षेत्र में रीको द्वारा क्षेत्र को बढ़ाने, आवासन मण्डल द्वारा नये क्षेत्र का विकास व नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा नई कालोनियों का निर्माण भी किया जा रहा है। इन कारणों से पंजीयन की आय व कार्य क्षेत्र भी काफी बढ़ जाएगा तथा लोगों को त्वरित कार्य देना होगा व पंजीयन के रूप में राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी। जो अतिरिक्त सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने से ही सम्भव हो सकेगा।

यह कि इस हेतु सरकार को केवल सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की स्वीकृति ही प्रदान करनी पड़ेगी व मात्र स्टाफ ही देना होगा क्योंकि वर्तमान में यहां उपखण्ड कार्यालय के कमरों में ए.डी.जे. व ए.सी.जे.एम. कोर्ट चलती थी जो नए कोर्ट परिसर में शिफ्ट होने से खाली हो गई है। तथा इसे उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा मेरी अनुशंसा पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय हेतु

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

आरक्षित कर लिया गया है। एवं पदेन उप पंजीयक कार्यालय में सरकार द्वारा स्वीकृत कम्प्यूटर निविदा पर भी है, इससे सरकार का काम आसान हो जाएगा। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में माननीय राजस्व मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है। अतः मेरा निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 से निम्बाहेड़ा में सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करें ताकि राजस्व आय में बढ़ोतरी के साथ आम जनता भी कार्य के त्वरित गति से होने से लाभ प्राप्त कर सकेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

अरॉई (किशनगढ़) में तहसील कार्यालय खोलने विषयक

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षण करने बाबत्। माननीय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र, किशनगढ़ स्थित पंचायत समिति मुख्यालय अराई एक प्रमुख कस्बे के रूप में विख्यात है, जिसकी आबादी 6000 से भी अधिक है। यह कस्बा सभी दिशाओं में सड़क मार्ग से किशनगढ़, श्रीनगर, अजमेर, नसीराबाद, सरवाड़, मालपुरा एवं दूदू तहसील व पंचायत समिति मुख्यालयों से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की पृष्ठ भूमि में 55 राजस्व ग्रामों की 65 हजार जनसंख्या जुड़ी हुई है तथा इस क्षेत्र की स्थानीय मण्डी व हाट बाजार कस्बा अराई है।

प्रादेशिक पृष्ठ भूमि के ग्रामों से जुड़े लोगों का पंचायत समिति मुख्यालय, स्थानीय मण्डी, हाट बाजार व रेफरल चिकित्सालय, आवागमन साधनों की उपलब्धता, शैक्षणिक गतिविधियां स्थानीय विद्युत वितरण निगम कार्यालय, जलदाय विभाग कार्यालय, पुलिस स्टेशन आदि के कारण लोगों का कस्बा अरॉई में आना जाना बना रहता है। पृष्ठ भूमि में बसे ग्रामवासियों की मुख्य आजीविका कृषि है तथा क्षेत्र पैदावार की दृष्टि अच्छा होकर सिंचित एवं दो फसली क्षेत्र भी है। इसलिए कृषि भूमि संबंधित कार्य भी बने रहते हैं जिनसे संबंधित छोटे मोटे कार्यों के लिए अधिकांश क्षेत्रवासियों को 28 से 55 कि.मी. तक का सफर कर तहसील मुख्यालय किशनगढ़ जाना पड़ता है जिसमें

(श्री भागीरथ चौधरी)

श्रम, समय एवं व्यय का भार आमजन पर पड़ता है। यदि पंचायत समिति मुख्यालय पर तहसील या उप तहसील कार्यालय की स्थापना कर दी जाए तो यह दूरी 5 से 25 कि.मी. तक रह जाएगी तथा क्षेत्रवासियों को एवं गरीब ग्रामीणों के तहसील स्तरीय कार्य सुगमता एवं सहजता से निपटाए जा सकेंगे।

मान्यवर, स्टेट समय से 1960 के दशक तक कस्बा अराई क्षेत्र का तहसील मुख्यालय हुआ करता था। वर्तमान में तहसील किशनगढ़ दो पंचायत समितियां सिलोरा पूर्ण एवं अराई (आंशिक) 15 ग्राम पंचायतों से मिलकर बनी हुई है। पंचायत समिति सिलोरा क्षेत्र के 26 पटवार मण्डलों पर पिछले 10 वर्षों से उप तहसील रूपनगढ़ स्थापित है, जबकि पंचायत समिति अराई मुख्यालय की दूरी 28 कि.मी. है। जिसके 15 ग्राम पंचायतों के 29 पटवार क्षेत्रों के कार्यों एवं कृषि भूमि से संबंधित कार्यों की अधिकता एवं समान परिस्थितियां होते हुए भी उप तहसील या तहसील स्तर की सुविधाओं से वंचित है। यहां पर भविष्य के लिए तहसील या उप तहसील कार्यालय निर्माण हेतु 15 बीघा भूमि पूर्व से आरक्षित है एवं तहसील/उप तहसील घोषित करने के लिए सभी नोर्म्स पूर्ण होते हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदयजी के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति, अराई मुख्यालय पर वर्तमान संसाधनों एवं अन्य तहसील स्तरीय सुविधाओं की पर्याप्तता एवं बेहतर क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रवासियों की लम्बे समय से की जा रही तहसील मुख्यालय/उप तहसील मुख्यालय की स्थापना की मांग को अविलम्ब स्वीकृत कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

हाथी गांव हेतु जमीन आबंटन में कथित अनियमितताएं

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना। महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हाथी गांव को जमीन आबंटन करने के बाद आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाये जा रहे हाथी गांव में अनियमितताएं की गई हैं। ये कई खसरे गैर मुमकिन जमीन नाले व रास्तों के निहित हैं। हाल ही में कस्बा आमेर में पूर्व खसरा नं. 2565 जो गैर मुमकिन नहीं रिकार्ड में दर्ज है इस खसरे का भू प्रबंधन विभाग ने 1489/9378 बनाया है। इसे आबंटन करने

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

के लिए भूमि की किस्म बदलकर बंजर दर्शाई है। जबकि हाइकोर्ट के आदेशानुसार भूमि की किस्म 1947 से पूर्व की यथास्थिति बनाये रखने की हुई है। पूर्व में खसरा नं. 2565 रिकार्ड संवत 1904 व 1920 में गैर मुमकिन नहीं दर्ज है। नदी नालों व झील जलाशयों की भूमि पर उच्चतम न्यायालय के फैसले अब्दुल रहमान बनाम सरकार अवाप्त 04 की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नदी व नालों, झीलों को सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को आबंटन नहीं किया जा सकता है उसके बावजूद भी जयपुर विकास प्राधिकरण आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाया जा रहा है। हाथी गांव, कालबेलिया स्कूल, वगैरह से संबंधित है जो कि उच्चतम न्यायालय ने अब्दुल रहमान बनाम सरकार 04 के फैसले की अवहेलना है।

अत: ये आबंटन गैर कानूनी व उच्चतम न्यायालय की भावना के विरुद्ध है इसलिए इसे रद्द किया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

देसूरी स्कूल में निर्माण कार्य

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र देसूरी में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत शिक्षा विभाग में 13 कमरे, 13 पानी के टांके व इतने की शौचालय की स्वीकृति दी गई । यह स्वीकृति वर्ष 2001-02 में की गई। इसके लिए संवेदक को कार्य आदेश जारी कर दिया गया परन्तु दुर्भाग्य से इनमें से एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ, इसके क्या कारण रहे, इसका आज भी पता नहीं लग पाया है, न ही कार्य पूर्ण करवाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कोई कोशिश की गई। ऐसे में सरकार के धन की बर्बादी व गरीब जनता को नुकसान हुआ। अभी भी कार्य की नींवें भर कर छोड़ दिया गया है। विभाग द्वारा संवेदकों को न ही ब्लेक लिस्टेड घोषित किया गया और न ही सैकिंड लोएस्ट से कार्य पूर्ण करवाने की कोशिश की गई। जबकि संवेदकों को इसका दो क़िस्तों में भुगतान भी कर दिया गया परन्तु कार्य अभी भी अपूर्ण पड़ा है। इसके क्या कारण रहे और क्यों समय पर यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार यह कार्य पूर्ण करवाने के लिए ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर इस योजना के शेष अधूरे रहे कार्य को पूर्ण करने की इच्छा रखती है? ताकि बच्चों को बैठने के लिए कमरे मिल सकें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता।

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में समुचित पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कई कालोनियां, जिसमें गोखले मार्ग, इंदिरा वर्मा कालोनी, शिवाजी नगर, हंसराज पान वाले की गली, टाटा नगर गली नं. 1, 2, 3, भट्टा बस्ती टंकी के पास, भट्टा बस्ती कब्रिस्तान वाली गली, इमाम चौक, जे. पी. कालोनी, शाही मस्जिद, राजीव नगर एवं ओम शिव कालोनी, सुदामापुरी बन्धा बस्ती, प्रताप नगर, कृष्ण कृपा सुभाष नगर एवं ई-ब्लाक शास्त्री नगर एवं श्रीराम कालोनी, लालपुरा कालोनी, वनस्थली मार्ग, आजाद बस्ती, गुरुद्वारा रोड, बड़ोदिया बस्ती, हाथी बाबू का बाग़, कान्ती नगर में पानी का दबाव काफी कम आने के कारण क्षेत्र के निवासियों में काफी रोष व्याप्त है। सुभाष कालोनी कांवटिया अस्पताल के सामने एवं मेघ गंगा सामुदायिक केन्द्र के पीछे मकान नं. 286 से 292 सिन्धी कालोनी, बनीपार्क में पानी की लाइनें डली हुई नहीं हैं। विद्याधर नगर क्षेत्र कांवटिया अस्पताल से जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी की मुख्य लाइन से आये दिन रिसाव होने के कारण बड़े-बड़े खड्डे हो जाने से आम नागरिकों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो पानी के मीटर गत दो वर्षों से पुराने मीटरों के स्थान पर लगाये जा रहे हैं उन मीटरों के सम्बन्ध में जांच करवाकर कार्यवाही कर जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें क्योंकि पानी आने के पूर्व हवा के प्रेशर से ही तेज गति से चलने लगते हैं जिस कारण उपभोक्ताओं को मीटर की रीडिंग अधिक आने के कारण पानी के बिल चार गुना से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है।

विभागीय अधिकारियों को कई बार कहने एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराने के उपरान्त भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है जिसके कारण जनता को आर्थिक एवं मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाइप लाइनों की मरम्मत करने, छोटी पाइप लाइनों को जोड़ने के लिए विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों एवं ठेकेदारों के बीच आपसी समन्वय नहीं होने एवं छोटे-छोटे सामान उपलब्ध नहीं होने से समस्या का समाधान यथासमय नहीं हो पा रहा है। क्षेत्र में कई स्थानों पर गन्दा पानी आने की शिकायतें लगातार

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आती रहती हैं जिससे क्षेत्र में पीलिया, आन्त्रशोध एवं पेट की गम्भीर बीमारियां फैलने की सम्भावना बनी रहती है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि क्षेत्र में अविलम्ब पानी की लाइनें डालने, नलकूप खुदवाने, बार-बार होने वाले रिसाव की मरम्मत करवाने तथा क्षेत्र को जानने वाले संवेदनशील अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त कर समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जीवाराम चौधरी।

चितलवाना (सांचौर) में पंचायत समिति मुख्यालय खोलने विषयक

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के तहत पंचायत समिति सांचौर चितलवाना में नई पंचायत समिति मुख्यालय खोलने के क्रम में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन काल से ही स्थानीय विकास के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण दृष्टव्य है। हमें आधुनिक पंचायती राज का दर्शन सर्वप्रथम मौर्य काल में मिलता है जहां विभिन्न समितियां गांव के विकास एवं शांति बनाये रखने का कार्य करती थी। उत्तरत्तर पूर्व मध्यकाल में चोल शासन में ग्राम शासन का स्पष्टतया उल्लेख मिलता है जहां इसके विभिन्न पदाधिकारियों का निर्वाचन भी आधुनिक पद्धति के समान ही होता था। अंग्रेजों के शासन काल में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इस पंचायती विषय को राज्य सरकारों को सौंपा गया । स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज की शुरूआत हुई। समय समय पर इसमें जनता की भागीदारी बढ़ाने व अधिक सुचारू रूप से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया एवं अन्ततोगत्वा 1993 में पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया और क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का नव सृजन किया गया। हाल ही में राजस्थान की लोकप्रिय एवं जनता की हितैषी मुख्य मंत्री महोदया ने पंचायती राज में पचास प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जो राजस्थान के विकास के लिए एक सराहनीय कदम है। कुछ ही दिनों बाद राजस्थान का अन्न भण्डार कहलाने वाला सांचौर का नेहड एरिया चितलवाना सत्ता के विकेन्द्रीकरण के क्रम में एक पंचायत समिति मुख्यालय खोलने की अभिलाषा रखता है क्योंकि

1. पंचायत समिति मुख्यालय जिला मुख्यालय जालौर से 153 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

(श्री जीवाराम चौधरी)

2. पंचायत समिति मुख्यालय सांचौर से विभिन्न ग्राम पंचायत 80-90 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित है।

3. सड़क व साधनों की उचित व्यवस्था न होने के कारण जनता को पंचायत समिति मुख्यालय आने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

4. वर्तमान में पंचायत समिति सांचौर में 63 ग्राम पंचायत हैं बड़ी पंचायत समिति होने के कारण विकास में भी पिछड़ी हुई है।

अतः श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र के विकास केन्द्र राज्य की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन जनता की अधिक से अधिक भागीदारी एवं सम्पूर्ण विकास के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण अनिवार्य होना चाहिए, के क्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में एक और पंचायत समिति मुख्यालय चितलवाना की स्वीकृति के आदेश फरमायें क्योंकि प्रस्तावित पंचायत समिति चितलवाना सभी मापदंडों के अधीन खोलने योग्य है। नव प्रस्तावित पंचायत समिति चितलवाना में वर्तमान में 63 ग्राम पंचायत में से 29 ग्राम पंचायत, 253 राजस्व गांवों में से 128 राजस्व गांव, 341610 जनसंख्या में से 150919 जनसंख्या एवं 301837 हैक्टेयर क्षेत्रफल में से 156876 हैक्टेयर क्षेत्र होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मांगीलाल गरासिया।

एनएच-76 (गोगुन्दा) पर ट्रोमा सेन्टर

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया संचालन नियम 295 के अन्तर्गत गोगुन्दा में एनएच 76 पर ट्रोमा सेन्टर खोलने तथा अन्य पीएचसी व उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर व्यवस्था के संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जो एनएच 76 पर मुख्य रोड पर स्थित है। इस एरिये व नेशनल हाइवे को ध्यान में रखते हुए गोगुन्दा में ट्रोमा सेन्टर खोला जाना अति आवश्यक है।

गोगुन्दा तहसील मुख्यालय होने से व बाहुल्य आदिवासी अंचल तथा एनएच 76 का मुख्य स्थान होने से ट्रोमा सेन्टर यहां स्थापित कराया जाना नितान्त आवश्यक है। पीएचसी/सीएचसी बेकरिया, पडावली कला, सायरा, पदराडा, भानपुरा व गोगुन्दा में रिक्त पदों की संख्या बहुत लम्बे से नहीं भरे जाने से समस्या बनी हुई है । इन तत्काल रिक्त पदों को भरा जाये और

(श्री मांगीलाल गरासिया)

दवाइयां अन्य समुचित व्यवस्था करायी जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र चित्रावास, लौहारचा, टेपुर बन्द अवस्था में है तथा यहां पर विभाग के पदाधिकारी कोई सेवा नहीं देने से स्थानीय वासियों को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा लोग व्याप्त आक्रोश में है। नये उप स्वास्थ्य केन्द्र कुर्रा (बोखाडा) भाडरे (उखलियात), पालछा झालरा (गोगरुद), चांपाकीनाल (मेवाडो का मठ), खिला (डांग), आमरी (समीजा), कडेच (चित्रावास, सेनवाडा (मोरवल), क्यारला (सामोली) भुतवड (मेवाडोकामठ), पिपली खेडा (उखनलियात), रमण (गुन्दाली), बरवाडा (ढूण्ढी), बागडा (पानेर), काडा (क्यारी) सालरिया (मालवा का चोरा) छिपाल (मोडी), ईटो का खेत (दादिया), हायला, पाबा (विसमा) उमरोद (ढोल) गुमान (तिरोल) रोयडा (करदा) आदि स्थानों पर कराया जाये एवं पदराडा व सायरा को रेफरल हास्पिटल में परिणित कराये जाने की कार्यवाही के लिये सरकार/स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि मेरे विषय को प्राथमिकता प्रदान करावे।

(समय : 13.42 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर ।

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन विषयक

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार): सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधित नियम 295 के अंतर्गत माननीय पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रीजी का ध्यान ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं ।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि गंगरार विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कई वर्षों से नहीं किया गया है । कई ग्राम पंचायतें लम्बे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं जिससे विकास कार्य करवाने में कई समस्याएं आती है । अंतः राशमी पंचायत समिति में लसाडिया खुर्द, हीराखेडी, जालमपुरा, मुरोली व गंगरार पंचायत समिति में जावासिया, ऐरा, इन्दोरा, भटवाडा कलाको नई ग्राम पंचायतें घोषित करके विकास कार्यों को बढावा देने का श्रम करें, धन्यवाद ।

श्री सभापति: माननीय खुशवीर सिंहजी ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकाल विषयक

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, पिछले लम्बे समय से जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की मांग जनप्रतिनिधि करते आये हैं । इस सदन में भी इससे पूर्व ऐसी मांगें उठती रही हैं, उनके अधिकारों की बात है, जो जनप्रतिनिधि चुन कर आते हैं वह जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनको जनता के बीच में जाकर जवाब देना पड़ता है। पिछले सैशन में भी यह मुद्दा उठाया गया था । सभापति महोदय, हाल ही में प्रोटोकोल की चर्चा हुई । जो प्रोटोकोल की सूची है उस सूची में विधायक राज्य के मुख्य सचिव के ऊपर है । लेकिन उनकी घोर उपेक्षा हो रही है । जहां कहीं भी हम सर्किट हाउस में जाते हैं तो वहां हमें वीआईपी रूम नहीं दिया जाता है यह कहते हुए कि कोई भी सैक्रेटरी साहब किसी भी वक्त आ सकते हैं इसलिए आप तो उसी कोमन रूम में रहने के हकदार हैं और यह बात पिछले सदन में भी मैं उठा चुका हूं । मैं उदयपुर गया वहां भी मेरे साथ यही हुआ, अजमेर में भी यही हुआ, कोटा में भी यही हुआ । यह जो उपेक्षा हो रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं । सभापति महोदय, यहां तक की हम तहसील में जब जाते हैं, जब हम 26 जनवरी और 15 अगस्त जो हमारा एक अधिकार है उस दिवस पर...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य आपकी बात ठीक है पर यह पोल क्यों खोल रहे हो, कमांड की जाती है यह डिमांड की बात नहीं है । अपन बात करेंगे ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अधिकारी तो मातहत है खाने कमाने के आपकी सरकार में ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जो खुशवीरजी कह रहे हैं वह आपकी भी दशा है । यह कोई अकेलों की नहीं कह रहे हैं, पूरे सदन के जितने भी विधायक हैं उन सब विधायकों की यही गति है ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ... (व्यवधान) जानबूझ कर एमएलए को नीचा दिखाने की बात करते हो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक किसी को यह नहीं कहा कि मेरी कोई मानता नहीं है और किसी की

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मां ने दूध नहीं पिलाया जो अपनी नहीं माने । है क्या कोई जिसकी मां ने दूध पिलाया है?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो टोंक में रोने लग गये थे कि मुख्य मंत्री ... (व्यवधान) आप तो टोंक में रोने लग गये थे कि मुख्य मंत्री जी ने अफसरों से कह रखा है महावीर जैन की मत मानो और यह अखबारों में आया है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं रोता नहीं रुलाता हूं । और रामनारायणजी आपका प्रोटेक्शन भी मैं ही करता हूं ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बहुत बुरी हालत है आपकी तो। हमें तकलीफ होती है आप हमारे मित्र हो । (व्यवधान) आप हमारे मित्र हो इसलिए तकलीफ होती है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... (व्यवधान) नहीं तो कई बार रोने की नौबत आई है आपको ।

श्री सभापति: माननीय खुशवीर सिंहजी, बोलें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके साथ हो रहे दुर्व्यवहार की हमको तकलीफ होती है इसलिए कह रहे हैं । आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है इसलिए हमको तकलीफ हो रही है । आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है इसलिए हमको तकलीफ हो रही है कि हमारे मुख्य सचेतकजी हैं, वरिष्ठ नेता हैं फिर भी इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है । अधिकारी वर्ग आपकी मानता नहीं, टोंक में आपकी चलती नहीं, राजस्थान में आपकी चलती नहीं आखिर क्या करें लोगबाग, कहीं आपकी चलती नहीं और ज्यादा कहते हो तो अफीम मुक्ति में आपके मुकदमें बन जाते हैं । आप सोचिए तो सही, आपकी दुर्गति का हमको बहुत दुःख होता है इसलिए बोलना पडता है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): .... (व्यवधान) वहां विधायक नगर के गैरेज में पड़े रहते थे और मेरे सामने गिडगिड़ाया करते थे, भूल गये क्या? भूल गये क्या वह विधायक नगर । (व्यवधान) कांग्रेस का राज था और मैं एमएलए था ।

श्री सभापति: विराजें, खुशवीर सिंहजी ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, पहले मुख्य सचेतकजी को बैठायें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): क्योंकि आपकी मुख्य मंत्रीजी नहीं मानती... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, देवड़ा साहब का तो ऐसा रहा है कि जब यह विधायक नहीं रहे तब भी इस सदन में चर्चित रहे हैं और विधायक हैं तब तो हैं ही ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देवड़ा नहीं, देवल ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देवल साहब जब विधायक नहीं थे तब भी इस सदन में चर्चित रहे हैं और अब हैं तब भी चर्चित हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको तिवाड़ी को त्यागी कहें तो कैसा लगे, आप इनको देवड़ा साहब कह रहे हैं ।

श्री सभापति: विराजे, खुशवीर सिंहजी ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मुख्य सचेतक महोदय आप जो बात कर रहे थे कि मुझे कोई नहीं रोक सकता हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा है जब माननीय मुख्य मंत्रीजी विदेश यात्रा से वापस पधारीं उस वक्त मैंने देखा कि बच्चों की तरह लाइन में मंत्री खड़े थे, छोटे बच्चे खडे होते हैं ना स्कूल में उसी तरह लाइन में खड़े थे । एयरपोर्ट पर हवाई जहाज तक नहीं जाने दिया और यह नौकरशाही आगे खड़े थे और आप सब को कहा कि नहीं यहां लाइन बना कर खड़े रहो, कोई लाइन तोड़ कर आगे नहीं आयेगा इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। यह नौकरशाही सब के लिये है और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना पड़ेगा । आपको और हम दोनों को लड़ा कर यह नौकरशाही शासन कर रही है । इस नौकरशाही को कमजोर करना है । यह नौकरशाही जिस तरह का कृत्य कर रही है वह गलत है । मैंने आंखों से देखा है हमारे गृह राज्य मंत्रीजी खडे हैं और एक सिपाही कह रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते हो । गृह राज्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैं गृह राज्य मंत्री हूं वह कह रहा है कि नहीं बाहर रहिए कैबिनेट मंत्री को जाने का..., इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है ।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): कौनसी तारीख का है आप तारीख बताइए ना ऐसे ही बोलने के लिये बोल दो आप । कौनसी तारीख थी वह बताइए ना आप, आपको कुछ पता ही नहीं है ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं आपके पीछे खड़ा था, मुख्य मंत्रीजी जब एयरपोर्ट पर आई आपने चार बार कहा कि मैं गृह राज्य मंत्री हूं और उस सिपाही ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं ।

श्री सभापति: माननीय विराजिए आप, विराजिए आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इस सदन की गरिमा होती है, कोई तथ्य हो तो बोलें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप बहुत ही संजीदा विधायक हैं आपने यह क्या टोपिक छेड़ दिया?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं मेरे पाइंट पर आता हूं । माननीय मुख्य सचेतक महोदय आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सब विधायकों का संरक्षक यह आसन है, इसलिए आसन से चैम्बर में मिल लें तो अच्छा रहेगा ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय हमारे पूर्व विधायक की एक समिति बनी हुई है उनके अध्यक्ष भैरोसिंहजी गुर्जर हैं, जो पूर्व में इस सदन के सदस्य रहे हुए हैं। उन्होंने हमारे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में, पूर्व विधायक हमारे संसदीय कार्यमंत्रीजी से मिले और मिलकर एक ज्ञापन प्रस्तुत भी किया। उसमें यह मांग थी मुख्य तौर पर कि पूर्व विधायकों को राजस्थान हाउस और राज्य के सर्किट हाउस में रहने की सुविधा दी जाए, जबकि रिटायर्ड अधिकारी, अधिकारी कहना भी गलत शब्द है अधिकारी का मतलब, मैंने हिन्दी शब्द कोष में पढ़ा है, प्रभु या स्वामी, यह ना तो हमारे प्रभु हैं ना स्वामी हैं। इसलिए यह कार्मिक, रिटायर्ड कार्मिक जितने भी हैं, सरकारी सेवा से निवृत हो चुके हैं वह जाकर दस दिन तक रूक सकते हैं और हमारे पूर्व मंत्री मात्र सात दिन रूक सकते हैं। मैं यह नहीं कहता विधायकों को रूकने की सुविधा ही नहीं है, मैं यह नहीं कहता कि पूर्व विधायकों को सुविधा दें, मत दीजिए लेकिन इनकी सुविधा को आप समाप्त कीजिए।

श्री सभापति: आप संसदीय कार्य मंत्री से और मुख्य सचेतकजी, माननीय विपक्ष के नेता से बैठकर, अध्यक्षजी से बैठकर बात कर लेना इस सम्बन्ध में।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मेरा इतना ही अनुरोध है कि उनकी जो मांग है कि उनको भी राजस्थान हाउस में, सर्किट

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

हाउस में जितना रिटायर्ड कार्मिक ठहरते हैं उतने ही दिन की सुविधा उनको दी जाए।

श्री सभापति: बिराजिए, माननीय।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): दूसरी, जो कमेटी की रिपोर्ट है माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी वह आप सदन में घोषणा करें।

श्री सभापति: माननीय रामनारायणजी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): दूसरा सबसे अहम मुद्दा है कि कार्मिकों के, नौकरशाहों की लालबत्ती हटनी चाहिए। किस बात की लाल बत्ती? आज लाल बत्ती लगाकर आजाद भारत की जनता में क्या मैसेज देना चाहते हो।

श्री सभापति: बिराजिए आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्रियों के रहती है तो समझ में आती है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के लाल बत्ती रहे तो समझ में आती है... (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): लेकिन इन कार्मिकों के, नौकरशाह हैं इनके लालबत्ती लगाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं चाहूंगा संसदीय कार्य मंत्रीजी इस लालबत्ती को, लालबत्ती हटाने की आप जुर्रत करके, हिम्मत करके हटा दें, लालबत्ती इनकी हटा दें।

श्री सभापति: मैंने रामनारायणजी मीणा का नाम पुकार लिया है। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उस कमेटी की रिपोर्ट आप प्रस्तुत करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनिट आप बैठ जाइये ना, आपने अपनी पूरी बात आधे घंटे में कह दी फिर हमसे क्यों समर्थन करवाते हो। (व्यवधान) माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर रहा था, आज हम वर्तमान सदस्य हैं, कल भूत भी होना है, सारी उम्र नहीं रहते सत्ता में, सारी उम्र विधायक नहीं रहते। लेकिन आज कई पूर्व विधायकों की स्थिति ऐसी है कि अगर वह अपना मेडीकल चैकअप कराने के लिए भी दिल्ली जाते हैं तो राजस्थान हाउस में उनसे प्राइवेट टैस्ट के 18500 रुपये लिये जाते हैं, जो वह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

देने में असमर्थ हैं। आदिवासी क्षेत्र के, खासकर इस तरह की स्थिति है। प्राइवेट होटल में जाकर रहते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। भूतपूर्व अधिकारी है वह दस-दस दिन तक राजस्थान हाउस में रियायती दर पर रहते हैं।

श्री सभापति: वह बात कह चुके हैं, बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसलिए एक मिनिट (व्यवधान) आप तो फाइव स्टार होटल में ठहर जाना, सुन तो लीजिए, अच्छा यह मान लीजिए मुसलमान जाते हैं, यह कोई बात हुई, इन्हें क्यों कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गया, माहिरजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं आपसे कह रहा था कि पूर्व विधायकों को भी या तो यह सुविधा वहां पर मिलनी चाहिए। और संसदीय कार्य मंत्रीजी की स्थिति तो यह है कि मुख्य मंत्रीजी और विधान सभा अध्यक्ष के सामने आप बात करो तब तो इनसे सारी हां करवा लो, कि रेल कूपन भी दे देंगे, बस में सह यात्री भी अलाऊ करा देंगे, डाक बंगले और सर्किट हाउस में ठहरने की, सारी चीजें हां कर लेंगे। जब इनको गृह समिति के अध्यक्ष मिलकर रिपोर्ट देंगे तब भी हां कर लेंगे। बाद में जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है इनको? अधिकारी इनको किस तरह से घुमा देते हैं।

श्री सभापति: बिराजिए आप, माननीय बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसलिए मेरा निवेदन है आज आप इस सदन के माध्यम से पूर्व विधायकों को आश्वस्त करें कि आप कितने दिन में उनको सर्किट हाउस और राजस्थान हाउस में ठहरने के फैसले का और उनकी सुविधाओं के अंदर बढ़ोतरी का कब तक फैसला कर देंगे। आप गृह समिति (व्यवधान) रिपोर्ट दी है उसको कब तक लागू कर देंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अन्य यह जो मांग दी है उसके बारे में मंत्री महोदय आप अपना वक्तव्य दें, प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सदन के माध्यम से पूर्व विधायकों को आश्वस्त करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया उसका जवाब आया, पचास हजार रुपये विधायकों को फर्नीचर के दिये जाते हैं, उसके रखरखाव के लिए मेरे प्रश्न के जवाब में यह

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

आया कि साढ़े तीन करोड़ रुपये उसके मेंटीनेंस में खर्च हो चुके हैं। इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य होगा, एक विधायक को पचास हजार की यह दी जाती है...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, थोड़ा सा मैं इसके संबंध में....

श्री सभापति: बिराजिए यह कोई डिबेट का विषय नहीं है। कासनिया जी बिराजिए आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): डिबेट नहीं है सभापति महोदय, इतना सा विषय है या तो एक्स अधिकारी है उनको राजस्थान हाउस में रूकने की परमीशन नहीं होनी चाहिए अन्यथा पूर्व विधायकों को भी होनी चाहिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं इसी बारे में कहना चाहता हूं पूर्व विधायक एक बार हार जाता है तो कहीं न कहीं हैड आफिस पार्टी का, दिल्ली में है, वह दुबारा जीतकर मंत्री और मुख्य मंत्री भी बन सकता है। लेकिन पुराने अधिकारी हैं जो नौकरी के बाद दुबारा कोई काम उनका दिल्ली नहीं रहता है। उनको तो सब सुविधा दे रखी है और पूर्व विधायक जो दुबारा जीतकर आ सकता है उसको यह सुविधा नहीं दी जा रही। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): मेरा निवेदन है सभी सदस्यों से निश्चित रूप से इसका समर्थन करें।

श्री सभापति: बिराजिए, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान पूर्व विधायक संघ का शिष्ट मण्डल कल भी मुझसे मिला था इससे पहले भी माननीय अध्यक्ष महोदय के वैश्म में एक बार चर्चा हुई थी। उनका छह सूत्री मांग पत्र है उनमें से प्रमुख मांग यह थी कि राजस्थान हाउस में उन्हें एक महीने में तीन दिन तक ठहरने का अवसर दिया जाए। उनकी यह भी मांग थी कि उन्हें जो मेडीकल इन्वेस्टमेंट है वह एक साथ पांच हजार रुपये कर दिया जाए तथा रोडवेज के अंदर 100 कूपन दिये थे उनको बढ़ाकर 150 किया जाए। सभापति महोदय, करीब-करीब मांगों में, काफी कुछ मांगों में सहमति हो चुकी थी। और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं आपके माध्यम से सदन को भी अवगत कराना चाहूंगा और पूर्व विधायक संघ के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि दस दिन के अंदर-अंदर जिन मांगों पर पूर्व में सहमति हो चुकी थी उनका आदेश जारी कर दिया जाएगा। हमारे लिए वह भी सम्मानीय है। सदन के सदस्य रहे हैं। दस दिन के अंदर-अंदर सारी उन मांगों पर जिन पर पूर्व में सहमति हो चुकी है उनका आदेश जारी कर देंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान हाउस के अलावा अन्य सर्किट हाउस भी...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किस-किस में सहमति हुई है वह भी तो बताओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो माननीय सदस्य ने उठाया राजस्थान हाउस और सर्किट हाउस की सहमति हुई है उस पर ?

श्री सभापति: बिराजिए। माननीय मीणा साहब। अमरारामजी बिराजें आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजस्थान हाउस में तो करें या न करें क्योंकि राजस्थान हाउस की बात अलग है लेकिन सर्किट हाउस में तो किया जाए एक्स एमएलए को अलाउ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): राजस्थान हाउस तो प्रथम होना चाहिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मेडीकल बिल कम और कर दिया ढाई रुपये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक महीने में तीन दिन तक राजस्थान हाउस में पूर्व विधायक रह सके इसके लिए आदेश जारी करेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): राजस्थान के सर्किट हाउस ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कुछ विसंगतियां आ गई जो पहले उन्हें पांच हजार रुपये मिला करते थे आउटडोर में ट्रीटमेंट के बदले, उस विसंगति को भी दूर करेंगे। डाक बंगले में भी पूर्व विधायक और पूर्व

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेवानिवृत अधिकारियों की रेट में जो अंतर है उस रेट को भी पूरा करेंगे। (व्यवधान) रोडवेज से संबंधित जो बात है उसको भी पूरा करेंगे। निश्चित रूप से इन सारी बातों पर विचार करके दस दिन में आदेश जारी करेंगे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इनकी लालबत्ती हटाएंगे, बंद करेंगे ?

श्री सभापति: बिराजिए। रामनारायणजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): लालबत्ती आज तक नहीं हटी 60 साल में और हटा भी नहीं पाओगे।

श्री सभापति: बिराजिए बिराजिए। (व्यवधान) बहुत ज्यादा मोह भी मत रखो बत्तियों का।

चम्बल नहर से सिंचाई विषयक

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): किसान को आखरी पानी की बात है,मेरा आपसे अनुरोध है, सिंचाई मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, चम्बल सिंचित नहर जो है, गांधी सागर बांध में पूरा पानी है लेकिन दुर्भाग्य है कि एक पानी की खातिर गेहूं की फसल बरबाद हो रही है1 मैं मानता हूं बूंदी ब्रांच कैनाल में दो पानी गेहूं को मिला है लेकिन आखिरी पानी नहीं मिलेगा तो उपज उसकी 30 प्रतिशत, 35 प्रतिशत रह जाएगी। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो राजस्थान सरकार की मुखिया कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, मंत्री जी हमें आपके डिविजनल कमिश्नर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है विधायक अपने कोष से पैसा दे। पहले भी कहा गया है, 2006 में भी और आज भी यह स्थिति पैदा हो रही है। मैं आपको पत्र क्रमांक बताऊं, 2138/50/17.11.2006 को भी हमें चिट्ठी मिली है, जो भी स्थिति है माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आपके हर नहर में टेल कलस्टर बने हुए हैं। टेल कलस्टर का नाप आता था आज की तारीख में न संसाधन है न फील्ड मशीनरी डिविजन है जिसको खतम किया जा चुका है। चम्बल में पहले बारहमासी बेलदार हुआ करता था कोई मजदूर भी नहीं है। कोटा बेराज से पानी छोड़ने के बाद इनके पास मजदूर नहीं है, पैसा नहीं है। हर समय फसल को पानी दिया जाता है उस समय मजदूरी के पैसे मंजूर किये जाते हैं, मशीनों के पैसे मंजूर किये जाते हैं। माननीय सिंचाई मंत्रीजी इसी कारण से टेल एरिया में आज वहां से 70 किलोमीटर दूर एक छापडा गांव, हनोथियां गांव, जखाना

(श्री रामनारायण मीणा)

ऐसे गांवों में आज फसल सूख रही है। पानी इसलिए नहीं पहुंचा पा रहा क्योंकि संसाधन नहीं है जबकि नहर में पूरा पानी है। जब तक नहर बंद नहीं करेंगे, पानी नहीं पहुंच सकता। सभापति महोदय आप बूंदी ब्रांच कैनाल जिसको बीबीसी कहते हो कन्ट्रोल कैनाल है उसमें चैन नम्बर 49 पर पुराने जमाने में लाल गेट बना हुआ था पीलर है पानी के बीच में आता था, पानी के बीच में होने से पानी का अवरोध आता है।

(समय : 14.00 बजे)

और 49 चैन का पिलर हटा दो तो पानी का बहाव बढ़ेगा। इसी प्रकार से बूंदी ब्रांच कैनाल, जिसको बी.बी.सी. कहते हैं, उसका चैन नम्बर 894 है, उसमें एक्विडेट की दीवार की ऊंचाई कम है। जब तक यह ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, पानी आगे नहीं बढ़ सकता है। पानी का वेस्टेज होता है। यही हाल आपके माटूंडा एस्केप का है, जो चैन संख्या 1423 पर है, और एक एस्केप चैन संख्या 1664 है, इनका पुनर्निर्माण हो जाएगा। तो एक बूंदी ब्रांच कैनाल, आपक कुछ लाख रुपये लगाने से ठीक हो जाएगी और पानी टेल पर पहुंच पाएगा। इसी प्रकार से माटूंडा से बलदेवपुरा तक, बूंदी तहसील में है, उसमें जब तक उसका सेक्शन नहीं बढ़ेगा नहर का, पानी नहीं पहुंच पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई मंत्रीजी किसान के बारे में बात करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसान पानी के समय आपस में लड़ते हैं। आपके यहां 17 बृहद सिंचाई योजनाए हैं। माननीय सभापति महोदय, एक सिंचाई योजना में केवल बाड़ाबंदी है। बाड़ाबंदी के नाम करोड़ों रुपये अधिकारियों ने खर्च कर दिये। यदि बाड़ाबंदी चम्बल की नहरों में लागू हो जाए और यह डेढ़ सौ क्यूसेक से कम में बाड़ाबंदी करेंगे, टेल एरिये से लागू करें, हेड तक ले जाएं और बाड़ाबंदी लागू हो गयी तो समयानुसार उस तक आयेगा। इसलिये मंत्री महोदय, मेरा आपसे अर्ज करना है कि बूंदी ब्रांच कैनाल की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और इस समय जो नहरों में, आखिरी पानी है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आखिरी पानी कैसे मिले, उस बारे में करें और कुछ जो मैंने 3-4 सेक्शन बताये हैं...

श्री सभापति: विराजिये, आप। माननीय जीतमलजी खांट।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप कृपा करके, यहां काम करवा दीजिये तो निश्चित तौर से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री सभापति: माननीय जीतमलजी खांट।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री सभापति: कहना चाहें तो मैं उनको रोक थोड़े ही रहा हूं, कहें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की है निश्चित रूप से किसान चाहे हेड पर हो, चाहे टेल पर हो, उनको उनके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। हमने लगातार 4 साल में कोशिश की है। फिर भी कुछ जगहें हो सकती हैं कि जहां पर नहीं पहुंचा हो। बाकी इन चार सालों में हमने काफी हद तक किसानों की समस्या दूर करने का प्रयास किया है। माननीय सदस्य की चिन्ता है कि हम कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है और आपसे पैसा एम.एल.ए. फण्ड का मांगते हैं तो आपकी चिन्ता मैं दूर कर देता हूं। आपने यह जो बातें बताई हैं, इसकी मैं टेक्निकल जानकारी कराने के बाद में, जहां-जहां आपने सुझाव दिया कि काम कराने से व्यवस्था ठीक हो सकती है, पानी टेल पर पहुंच सकता है, तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि गर्मी तक हम यह प्रस्ताव तैयार करके पूरा कराने की व्यवस्था कराएंगे। बाड़ाबंदी का जहां तक आपने सवाल किया है, अब चम्बल के लिये हमने 104 करोड़ की विश्व बैंक से योजना बनाई जिसमें राइट मैन कैनाल में एम.पी. और इनका हिस्सा है। आपकी यह जो कैनाल है, इसमें केवल राजस्थान का ही है तो यह पक्की होने के बाद में हमारी भी यह कोशिश है कि बाड़ाबंदी हो जाएगी तो किसानों को समुचित रूप से अपने हिस्से का पानी मिलेगा और आये दिन जो झगड़े आपस में पानी को लेकर होते हैं, वह अपने आप स्वतः ही खतम हो जाएंगे। तो यह भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। निश्चित रूप से इस दिशा में भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय जीतमलजी।

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध जांच करने बाबत

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, चूंकि बांसवाड़ा जिला जनजाति क्षेत्र है और हमारा बांसवाड़ा जिला शैक्षिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान सरकार ने कई अभिनव ऐसे प्रयोग किये जिसकी वजह से आज यह हमें बड़े गर्व के साथ में कहने का अधिकार है कि बांसवाड़ा जिला, चाहे हम प्राथमिक विद्यालय से लगाकर कॉलेज स्तर के सारे

(श्री जीतमल खांट)

शैक्षणिक संस्थानों में जाकर हम खड़े होते हैं, जितना अनुपात हमारे छात्रों का है, उतना ही अनुपात हमारी छात्राओं का भी है। यह हमारे लिये बहुत बड़े गर्व का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिला, कुल आठ ब्लाकों में शैक्षिक दृष्टि से बंटा हुआ है जिसमें पंचायत समिति बांसवाड़ा, पंचायत समिति तलवाड़ा और गढ़ी, ये तीन भाग तो ऐसे हैं जहां पर आधुनिक सुविधाओं से, सड़कों से, सभी दृष्टि से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जहां पर घाटोल, पीपल खूंट, हमारी पंचायत समिति कुशलगढ़, बागीडोरा, ये ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र हैं जहां पर लगभग यह कहना चाहिए कि अब प्रधान मंत्री सड़क योजना की वजह से निश्चित रूप से सड़कों से जुड़े हैं। लेकिन जहां पर हमारी जो छात्र-छात्राओं का, आज वर्तमान सरकार ने जिस आर.पी.एस.सी. के माध्यम से उस ट्राइबल सब प्लान के उन विद्यालयों में शिक्षकों को पहुंचाने की जो जिस ढंग से एक त्वरित कार्यवाही करके उस बालक और बालिका के लिये जो शिक्षा अभिशाप थी, उस शिक्षा को वरदान में बदलने का काम किया है इस सरकार ने। इसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े गिनकर रखना चाहूंगा। चूंकि पंचायत समिति बांसवाड़ा और तलवाड़ा, जहां पर आज की तारीख में 160 और 122 अध्यापक अधिशेष हैं, वहां दूसरी ओर पंचायत समिति पीपल खूंट में 287, कुशलगढ़ में 250, घाटोल में 171, सज्जनगढ़ में 160, बागीडोरा में 175, इतने पद रिक्त हैं।

मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि जब कभी भी हमारे बांसवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी, जिनका, जब इतनी सारी बातें हुई हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमारे डी.ई.ओ. का पद रिक्त है और रणछोड़ गर्ग, जो एडिशनल जिला शिक्षा अधिकारी हैं, पिछले 6 वर्षों, 22.6.2003 से वहां पर कार्यरत हैं, 22.6.2003 से, लगातार 6 वर्षों से वहां पर कार्यरत हैं। और पिछला जो आर.पी.एस.सी. का जिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों को आपने नियुक्ति देने का काम किया, अभी अभ्यर्थियों को चूंकि मार्क शीट का सत्यापन करना शेष रह गया था, सत्यापन हो गया है, अभी नियुक्तियां हो रही हैं। पिछले समय भी उनके पद स्थापन के समय गड़बड़ियां हुई और इस बार भी उस अधिकारी के रहते हुए, आज इस तारीख में जो

(श्री जीतमल खांट)

हालत बनी हुई है कि एक-एक तृतीय वेतन शृंखला अध्यापक से 15-20 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह पूरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। और यह आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी, सभी ऐसे लोगों ने जिस तरीके के जो हालात बने हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, विभिन्न संगठनों ने मुख्य मंत्री का वहां प्रवास हुआ। दो बार मुख्य मंत्री महोदया वहां पर ए.पी.ओ. कर चुकी हैं और उसके बावजूद भी, क्या स्थिति बनती है कि 3.11.2007 से पहले मुख्य मंत्री महोदया ने एक आदेश जारी किया, जिस ढंग से सभी संगठनों ने जो शिकायतें दर्ज कराईं, उसके मुताबिक मुख्य मंत्री महोदया ने आदेश जारी करवाया, 2.11.2007 को ए.पी.ओ. करके उसको मुख्यालय उदयपुर में लगाया गया। और वहां पर डी.डी. ने उसकी अनुपालना के आधार पर तत्काल वहां पर पुष्पेन्द्र कुमार पण्डया को अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लाक तलवाड़ा को तुरन्त प्रभाव से चार्ज देने के लिये उसने आदेश जारी किया उदयपुर से। होता क्या है कि उक्त अधिकारी 3.11.2007 को उपस्थिति पंजिका में सिग्नेचर करता है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, 5.11.2007 से 13.11.2007 तक आकस्मिक अवकाश पर चला जाता है और वहां पर जिला शिक्षा कार्यालय की उस उपस्थिति पंजिका का सी.एल. लगातार एक तारीख से 14 तारीख तक वह अपनी सी.एल. भरता है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी आज अगर हमारे शिक्षा मंत्रीजी बांसवाड़ा का दौरा कर लें और अखबारों के माध्यम से अगर पता लग गया कि शिक्षा मंत्रीजी आ रहे हैं तो पूरे बांसवाड़ा जिले के 14 हजार शिक्षकों में किसी बात को लेकर कोई इनकी फरमाइश नहीं होगी। एक ही बात होगी कि बांसवाड़ा जिले के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी है, उसकी जांच करके उसको बर्खास्त किया जाएगा। इस तरीके की मांग करेंगे। तो मेरा माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि सम्पूर्ण रूप से सरकार ने इतना बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। क्या एक आदमी से ही पूरा जिला चलता है? स्वयं हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी प्रखर वक्ता भी हैं। ईमानदार भी हैं। काफी अच्छे जिन्होंने मतलब पूरे बांसवाड़ा जिले की हर बात को समझा है तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से कम से कम ऐसे जो 14 हजार लोगों को जो प्रभावित करता है। आम शिक्षकों में आक्रोश है तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कम से कम, मैं किसी भी आदमी को लगाने की कोई इस तरीके की सिफारिश नहीं करता हूं। आपकी मर्जी हो जिसको लगा दो

(श्री जीतमल खांट)

लेकिन कम से कम पूरे बांसवाड़ा जिले के शिक्षकों को हम एक इस तरीके से अन्दोलित कर खड़ा कर दें और इस तरीके से भारी भ्रष्टाचार में लगा हुआ और मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी की जांच कराएं कि इस आदमी ने इन छह साल के दरम्यान में कितने लोगों को लूटा है, इसकी जांच होनी चाहिए और तुरन्त प्रभाव से उसको बर्खास्त किया जाए, यही मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, यह इतना बड़ा क्या अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हो गये? पहले उसकी जांच करायी जाए, उसके बाद में ही कोई कार्यवाही की जाए। हम +++ के भाई हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपस में अगर जिला शिक्षा अधिकारी के लिए लड़ते रहे तो ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह +++ का मामला नहीं है, यह पूरा ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): एक आपका अधिकारी है। आप और हम +++ वाले भाई-भाई हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह +++ की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): और छत्तीस कौम हमारे साथ है। हम सभी जाति और धर्मों के वोट लेकर आते हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): जो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार करने वाला कोई +++ नहीं होता है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इस तरीके से एक आदमी को ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): भ्रष्टाचार करने वाला कोई +++ नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: राकेशजी मेघवाल, विराजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, आप इस

(श्री राकेश मेघवाल)

तरह एक आदमी को, माननीय सभापति महोदय, मेरा घोर विरोध है। माननीय जिला शिक्षा अधिकारी की आप, माननीय मंत्री महोदय, उसकी जांच कराने के बाद ही कोई उचित कार्यवाही करें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, एडिशनल कलक्टर ने जांच की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये तो सही।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अगर वह दोषी है तो कार्यवाही करें, अगर निर्दोष है तो किसी भी तरह के दबाव में आकर सदन की कार्यवाही नहीं करें। वह अगर निर्दोष है तो कोई भी कार्यवाही नहीं करें। आप जांच तो करायें पहले। ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): एडिशनल कलक्टर की जांच रिपोर्ट भी है मेरे साथ में ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ... (व्यवधान) तो किया जाए अगर वापस ए.पी.ओ. करके लगाया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ए.पी.ओ. किया और ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये आप।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): और अगर वापस लगाया है तो जांच में वह बरी हुआ है जब ही तो वापस लगाया है, नहीं तो ए.पी.ओ. को वापस कहां कैसे लगाते वहां... (व्यवधान) +++ का एक अधिकारी है।

श्री सभापति: माननीय विराजिये आप। राकेशजी।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): एक आप +++ वाले अपने आप में एक मानते हैं और उसके आप विरोध में हैं। आज आप माननीय विधायक हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, यह सारी चीज +++ की नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप मिल बैठकर यह बात कर सकते थे। आप उसको बुलाकर भी बात कर सकते थे। यह मिल बैठकर बात करने वाली है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह कोई बात नहीं हुई, माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जो आप +++ के बीच में यह दरार डालकर यह इस अधिकारी को सस्पैंड कराना चाहते हैं, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, कोई गलती करने वाला हो, सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वह +++ का हो, चाहे कोई भी हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: यहां आप यह जातिवाद की बात नहीं करें, आप। एक्सपंज इट। एक्सपंज इट।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, सिर्फ एक बात ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आप कहां से आ गये बीच में? ... (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई जातिवाद की बात नहीं होगी यहां पर।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, हम सब भाई हैं बस लेकिन गलती करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। यह एडिशनल कलक्टर की यह रिपोर्ट है, मैं टेबल करता हूं अगर माननीय सभापति महोदय, आप आदेश करें तो ... (व्यवधान)

श्री सभापति: चलिये आगे चलिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मैं भी केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि एक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी से हम शिक्षा अधिकारी का काम ले रहे हैं। उसकी क्षमता से अधिक का काम ले रहे हैं और भूलचूक मान लो, उससे हुई है तो माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, बहुत गम्भीर आरोप हैं।

श्री सभापति: माननीय विधायक महोदय, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, इस तरीके से पैरवी करना।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): लेकिन इनकी जांच के बिना कार्यवाही नहीं हो, इतना सा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: हम किसी भी व्यक्ति की यहां पैरवी करने के लिए नहीं हैं, जिस पर चार्ज लग रहा हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें यहां पर कही हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह बात सही है कि वह पिछले चार साल से बांसवाड़ा में ही लगे हुए हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया बांसवाड़ा यात्रा के दौरान जब गयी थीं तो जन-प्रतिनिधियों की सीधे शिकायत के कारण राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 29.4.2006 द्वारा श्री रणछोड़दास को निलम्बित किया था। प्रारम्भिक जांच में दोषी नहीं पाये जाने पर सरकार ने 26.2.2007 को उनको बहाल कर दिया और उनका पदस्थापन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बांसवाड़ा में करने के आदेश जारी हो गये। इसके बाद 1 मई, 2006 से 15.3.2007 तक निलम्बन काल में वह बीकानेर आयुक्त कार्यालय में रहे। फिर जिला कलक्टर के पास शिकायतें हुईं तो उनको 2 नवम्बर, 2007 को पुनः ए.पी.ओ. कर दिया और उनका हैडक्वार्टर बीकानेर आयुक्त कार्यालय में कर दिया। इसके बाद श्री गर्ग राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 27150/07 में पारित आदेश दिनांक 8.11.2007 द्वारा जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के आदेश दिनांक 2.11.2007 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के कारण पुनः अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन हो गये 15.11.2007 को। अब मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि क्योंकि अभी ट्रिब्यूनल से स्टे है इसलिए हम स्टे वेकेट कराने की कोशिश करेंगे और इस बीच में उनको कोई चार्ज नहीं दे रखा है। उनका चार्ज जो है हमने जिला शिक्षा अधिकारी, सैकेण्डरी को दे रखा है और दो स्तर पर हम इसकी जांच करवा रहे हैं । एक तो डिप्टी डाइरेक्टर, उदयपुर के माध्यम से और एक डिप्टी डाइरेक्टर, स्टेट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग से। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सरकार का किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाने का कोई इरादा न था, न है और न आगे रहेगा परन्तु क्योंकि ट्रिब्यूनल का स्टे है इसलिए हम उसको हटा नहीं पा रहे हैं। स्टे वेकेट कराने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही स्टे वेकेट हुआ तो वह ए.पी.ओ. हो जाएगा और उसका बीकानेर का आदेश है परन्तु अभी स्टे है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह मैं कहना चाहूंगा।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): 400 लोगों को जिनको नियुक्ति देनी है, इसमें भारी घोटाला है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): क्या?

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): कम से कम एक दूसरा आदमी लगाया जाए और वहां पर कम से कम इतना तो किया जाए कि जांच जो है, जांच आप उदयपुर, डी.डी. से करा कर क्या करोगे? आप यहां के किसी सीनियर अधिकारी को लगाकर जांच कराओ आप।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): देखिये, यदि आप यह चाहते हैं कि डी.डी., उदयपुर से जांच नहीं करा कर किसी और अधिकारी से जांच करायें तो आप मेरे पास आ जाना। आप बता देना कि इससे यह जांच कराओ, उससे जांच करवा देंगे और बोलिए। और क्या करें? क्यों साहब, ठीक है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री जालम सिंह रावलोत । जालम सिंहजी।

बाड़मेर जिले की तहसीलों के बार्डर स्थित गांवों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने बाबत

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय सभापति महोदय, भारत की आजादी के बाद हमारा राज्य अस्तित्व में आया। उस समय राजस्थान के नेतृत्व के सामने एक सबसे बड़ा यह पहलू था कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें सुरक्षा का भाव पैदा करना है और यहां पेयजल का भारी संकट है उसे दूर करना है। इसलिए नहर निर्माण का काम जो 1958 में चालू हुआ, उसी समय से यह कल्पना थी कि गंगानगर से चालू होकर मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे जो अंतिम बिन्दु है, बार्डर से दो किलोमीर पर स्थित है, गडरारोड, वहां तक राजस्थान नहर को ले जाने की बात थी। प्रतिपक्ष के माननीय नेता यहां पर विराजमान हैं। बाड़मेर से बिलांग करते हैं। इनकी पार्टी का राज रहा। 1958 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने बाड़मेर जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुंचे और बाड़मेर जिले में पेयजल का पानी पहुंचे, इस नाते इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। बाद में एक कठिन पहलू यह जुड़ गया, 1981 में एक दु:खद पहलू उस क्षेत्र के लिए यह हुआ कि माननीय सभापति महोदय, डेजर्ट नेशनल पार्क का गठन हुआ। 1981 में डेजर्ट नेशनल पार्क के गठन के बाद में जो इंदिरा गांधी नहर को गडरारोड और गडरारोड के माध्यम से बाड़मेर जिले के अधिकांश भाग तक पहुंचने का रास्ता था, डेजर्ट नेशनल पार्क, वन विभाग का यह पार्क एक बाधा बना। अभी लम्बे आन्दोलन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में सितम्बर, 2007 में

(डा. जालम सिंह रावलोत)

एक सुखद पहलू यह हुआ कि कोई भी जो वन विभाग है, चाहे डेजर्ट नेशनल पार्क है, वह पीने के पानी की कोई योजना को रोक नहीं सकते। बिजली की लाइनों को रोक नहीं सकते। टेलीफोन की लाइनों को रोक नहीं सकते। स्कूल बिल्डिंग और आंगनबाड़ी के भवन को रोक नहीं सकते। इसी क्रम में एक जो रास्ता रुका था वह पुनः चालू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फलस्वरूप। मैं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके का हमारा सवा चार साल का सरकार का काम रहा है, पानी को लेकर, बाड़मेर जिले को लगभग चार हजार करोड की योजनाएं बाड़मेर के लिए स्वीकृत हुई हैं। सबसे पहले नर्मदा के जो बकाया थे 435 करोड़ रुपये वह हमने चुकाये। तो नर्मदा चालू हुई और हमारा जो चोहटण और धोरीमना का क्षेत्र है, वह सिंचित होने लगा है। लगने की सम्भावना बनी है। पानी की योजनाएं पहुंचने पर पेयजल की दिक्कत भी दूर होने वाली है। उसके बाद बाड़मेर लिफ्ट केनाल पर 1400 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। टेंडर हो चुके हैं और काम चालू होने की स्थिति में है। हमारे गृह राज्य मंत्रीजी का भी क्षेत्र है, जो फलसून से होकर बालोतरा-सिवाना है, उसकी योजना भी अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है और भी कई योजनाएं पीने के पानी की पहुंचाई है, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे जल संसाधन मंत्रीजी ने। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यह जो तीन तहसीलें हैं, शिव की गडरारोड उप तहसील के समस्त गांव, बाड़मेर की रामासर तहसील पूरी और चोहटण का विजयारायसर, ऐसे लगभग 200 गांव जो पूरे बॉर्डर के ऊपर हैं उनको पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। वहां पर वर्षा बहुत कम होती है। सतही जल बहुत कम है और भूजल का स्तर बहुत नीचे है और वह तेजी से कम होता जा रहा है। लावण्यता ज्यादा है और खासकर बात, जैसा कि मैंने पूर्व में जिक्र किया यह इंदिरा गांधी नहर मोटे तौर पर सिक्योरिटी के हिसाब से सुरक्षा की प्रथम प्राथमिकता के रूप में बनाई गई थी और सैकण्ड इसकी प्राथमिकता थी ड्रिंकिंग वाटर और थर्ड प्राथमिकता थी इर्रिगेशन। आज इर्रिगेशन को महत्व मिला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि देश की सीमाएं माता के वस्त्र के समान होती हैं। सीमाओं की सुरक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है, ऐसा भीष्म पितामहजी ने कहा है। उसी के फलस्वरूप यदि बोर्डर को सुरक्षित रखना है और हमें इस बात का गर्व है चाहे युद्ध 1965 का हुआ हो, युद्ध 1971 का हुआ हो, हमारी सेना ने इस क्षेत्र से, हमारा जो बाड़मेर, जैसलमेर का क्षेत्र है, शानदार सफलताएं हासिल करके पाकिस्तान को हमेशा पराजित होना पड़ा

(डा. जालम सिंह रावलोत)

है इस क्षेत्र से। इसलिए इस क्षेत्र के राष्ट्र भक्त, वहां की जो जनता है, वहां लगभग 200 गांव हैं और 01 लाख 30 हजार की पापुलेशन है। यदि वहां पीने का पानी नहीं पहुंच पायेगा तो निश्चित रूप से बहुत भारी संकट हो जायेगा, बहुत दिक्कत आयेगी। मैं हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को कि हमारे बाड़मेर के समस्त विधायकों की बात को उन्होंने सुना और माननीय जल संसाधन मंत्रीजी उस फाइल को अप्रूव करते हुए एक पत्र प्रमुख शासन सचिव, जलदाय विभाग को प्रेषित करके यह आग्रह किया है कि इन 200 गांवों में पानी पहुंचना चाहिये और इसके लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जायेगी। आप जल्दी से जल्दी योजना बनायें। ऐसा अधिकारियों को निर्देश दिया है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं जो काम उन्होंने हाथ में लिया है, वह हमारी सरकार वैसे तो पुनः पांच साल के लिये चुनकर आने वाली है, लेकिन हम चाहते हैं जब हमें इलेक्शन में जाना पड़े उससे पहले पानी पहुंच जाये उस क्षेत्र में। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दें, ऐसी योजना बनायें ताकि रामसर तहसील, चौहटन तहसील और गडरारोड तहसील पर पानी पहुंचे। इसी क्रम में माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र की फतेहगढ़ तहसील है, वह ऐसी तहसील है, एक बसिया क्षेत्र है वहां पर पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट की जरूरत है। वैसे भी माननीय जल संसाधन मंत्री यदि निवेदन करें तो वह भी बहुत उपयोगी रहेगा। सुरक्षा और पेयजल यह प्राथमिकता है बोर्डर के पाइंट से। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी के फलस्वरूप यह काम जल्दी पूरा होगा।

श्री सभापति: बिराजिये। कुछ कह रहे हैं आप।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): हुक्म होगा तो।

श्री सभापति: कुछ कह रहे हैं। अच्छा है जल्दी-जल्दी हो।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो वस्तुस्थिति बताई है, निश्चित रूप से हम सब के लिए यह चिन्ता की बात है और 200 गांव जो इन्होंने बताये हैं, बोर्डर के विलेजेज हैं। बड़ा हार्ड एरिया है। इन लोगों की लाइफ भी बड़ी कठिन है। पीने का पानी पहली आवश्यकता है और पानी उस क्षेत्र में अण्डर ग्राउण्ड वाटर की प्राब्लम है। ऐसी अब सारी फैक्चुअल पोजीशन इन्होंने बताई कि डेजर्ट नेशनल

(श्री सांवर लाल)

पार्क आने के बाद जो गडरा रोड ब्रांच जाने वाली थी, उसके ऊपर रोक लग गयी। हमने कोई रास्ता निकालने की कोशिश की है कि कम से कम पीने का पानी वहां पर पहुंचाये। इसके लिए हमने माननीय सदस्य सलाहकार समिति में भी यह बात रखी, उसके बाद में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेट्री ने भी सैक्रेट्री पीएचईडी को लिख दिया है। यह लगभग 270 किलोमीटर की पाइप लाइन होगी और 800 एम.एम. की पाइप लाइन है जिसकी अनुमानित लागत 246 करोड़ रुपये है। सरकार का यह प्रयास है कि उस क्षेत्र में रहने वाले बोर्डर के हैं, मजबूत लोग हैं, पीने का पानी उनको मिलना चाहिये तो यह योजना हमने बनाई है और आने वाले समय में इसको जल्दी स्वीकृत करके एक्जीक्यूट करने के संबंध में सरकार का दृढ़ निश्चय है। और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं।

अनुदान की मांगों की प्रस्तुति

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य

श्री सभापतिः अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2008-09, श्रीमान् राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अनुदान की मांग संख्या 19- लोक निर्माण कार्य एवं अनुदान की मांग संख्या 21- सड़कें एवं पुल विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-19- लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 अरब 45 करोड़ 24 लाख 93 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-21- सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13 अरब 60 करोड़ 27 लाख 67 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या-19, कटौती प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(मांग संख्या-21, कटौती प्रस्तावों में लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री सभापतिः माननीय महीपालजी मदेरणा। मैं सभी माननीय

(श्री सभापति)

विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज काफी नाम आपने दिये हैं। आप सब चर्चा में भाग लें, पर विषय तक ही सीमित रखें तो बहुत अच्छा रहेगा और पहले वक्ता दोनों तरफ से 15-20 मिनट में बात समाप्त करने का कष्ट करें और बाद में 7-8 मिनट से ज्यादा हम नहीं दे पायेंगे। टू दी पाइंट बात करें। माननीय मदेरणा साहब।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): सभापति महोदय, आज इतिहास बना देते निर्दलियों से ही शुरू कर लेते।

श्री सभापति: मैं अभी करूंगा। आपको भी बुलवायेंगे अभी। बिराजें।

मांग संख्या-19 एवं 21 पर विचार

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-21 पर विचार-विमर्श हो रहा है। किसी राज्य की क्या स्थिति है, उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और उसका प्रमुख कार्य कौनसा विभाग करता है, जहां देखो राज्य की सड़कों की स्थिति की दुर्दशा हो, कैसे कह सकते हैं कि आधारभूत ढांचा सड़कों का जो बनाया और दिखाया, इस प्रगति प्रतिवेदन में वैसा नहीं है। अभी कई गांव, ढाणियों और मगरों में कोई सड़क सम्पर्क नहीं किया है। 124 तहसील हैड क्वार्टर हैं जो अभी तक आपकी सड़क से नहीं जुड़े हैं। आपने दिया है कि गांवों में 80 प्रतिशत आबादी है। यह आपके इसके आंकड़े बता रहा हूं। 1949 में 13,500 कि.मी. सड़कें थीं। मानो राजस्थान की मुख्य सड़कों का विस्तार मैं समझता हूं जब से लोकतांत्रिक सरकार बनी है मुख्य मंत्री आदरणीय सुखाड़ियाजी के काल में, गांव की सड़कों का विस्तार स्वयं के बलबूते पर किया। उस समय कोई सी.आर.एफ. का फण्ड नहीं मिलता था, कोई केन्द्र निधि का फण्ड नहीं था, कोई आर.यू.आई.डी.पी. का फण्ड नहीं था। फिर भी बहुत प्रयास किये गये और उस समय क्षेत्र में उल्लेखनीय सड़कों के कार्य हुए। सड़कों के जाल बिछे, जो आपके इस प्रगति प्रतिवेदन के पहले पृष्ठ पर लिखा है कि 32 जिले हैं। यह करेक्ट नहीं किया, राजस्थान में 33 जिले हैं। यह बात यहां पर कैसे उल्लेख नहीं हुई। आपके आंकड़े हैं उन पर तो बाद में जाऊंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है सभापति महोदय, कि इतना महत्वपूर्ण विभाग और इतना बदनाम विभाग हो गया है। इसमें भ्रष्टाचार, घटिया काम करना और अनक्वालिटी स्टेण्डर्ड वर्क करना, इस विभाग का दायित्व बन गया है। मुख्यतया काम इनका सड़क निर्माण, रख-

(श्री महीपाल मदेरणा)

रखाव, दूसरा भवन निर्माण, रख-रखाव, इस राजस्थान में निजी क्षेत्र का चलन बढ़ा है बी.ओ.टी रोड्स का। पी.डब्ल्यू.डी. से उसकी तुलना करें तो विभाग एकदम एक्सपोज हो जायेगा। पी.डब्ल्यू.डी. की खुद की लागत खर्च ज्यादा आना, काम घटिया होना, नई तकनीकी और निर्माण की विधियों में पिछड़ा रहना, यह सब इन विभाग की मुख्यता, कैसे फंक्शन कर रहा है, इसकी ओर परिलक्षित करता है। मैं मानता हूं कि सड़कों का महत्व 20-30 साल बाद पहले से काफी बढ़ा है। विकास की दृष्टि से भी सड़क होनी चाहिये, दूसरा इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी, केन्द्र सरकार और राज्य की परियोजनाओं की यह सड़कें विभाग में निजी भागीदारी के कारण पूर्ण हो रही हैं। विभाग के काम, उनके लक्ष्य प्राप्ति में राजस्थान का पी.डब्ल्यू.डी. विभाग इतना पिछड़ा है, इनके अधिकारी, जिनका कोई काम नहीं, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं। इतने अक्षम, इतने अयोग्य, अपेक्षित योग्यता और क्षमतावान नहीं हैं। इस विभाग की यह कार्य शैली है। पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का मूल्यांकन करना एक बड़ी कसौटी है। सबसे पहले इस विभाग में मैं जाऊं उससे पहले मैं मीनाक्षीजी ने इस आर.यू.आई.डी.एफ. का एक आकलन प्रस्तुत किया था, उसकी मैं कोटेड लाइन सुनाता हूं।

"Use of rural infrastructure development and linkage of villages in the State of Rajasthan not in the least that a number of aspects needs to be improved to ensure a proper utilization to reduce an intra-ruler disparity in Rajasthan. In spite of the fact that the most developing countries, specially reference to the Rajasthan, the Ruler gap is increasing in the State of Rajasthan. Not enough attention has been paid to the rural infrastructure development in Rajasthan, paid in a crucial road linkages infrastructures with economic growth and poverty alleviation and human development."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): काहे का है यह?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यह मीनाक्षी बैंगलोर ने आर.यू.डी.एफ. का अपने एनेलेटिकल स्टैडी किया था और आप मांगेंगे तो आपके पास भी भेज दूंगा।

सभापति महोदय, सबसे पहले इस विभाग को देख कर मंत्री की ओर मेरा ध्यान जाता है। इनकी वेशभूषा देखिये कितनी कड़क वाली है बल्कि सड़कें ऐसी कड़क वाली नहीं हैं। सड़कों की हालत आप देखेंगे, अभी हाल ही में मैंने एक अख़बार में देखा ...

एक माननीय सदस्य: वेशभूषा और सड़क की क्या बात हुई?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सड़क होनी चाहिए।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): मंत्रीजी के बाल कितने कड़क हैं, काले हैं ...(व्यवधान) कड़क और काले हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): अभी बता दूंगा कितने कड़क हैं, मंत्रीजी इतने कड़क हैं ...

एक माननीय सदस्य: बेधड़क हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बेधड़क तो हैं ही। देखिये, किसी विभाग को देखने के लिए उनकी इन्जीनियर्स की क्या भावना है, एक कोई एक विभाग में नहीं देखा जाता है। अगर कोई भी इन्जीनियर इनका कोई आदर्श प्रस्तुत कर दे एक चीफ इन्जीनियर के अलावा, उसका तो मैं कह नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: No. This is not asked.

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): इस देश के इन्जीनियर विश्वेश्वरिया हैं और वो सिविल इन्जीनियरिंग से थे, उनको भारत रत्न का सम्मान मिला है। मेरे सामने केन्द्र में रहे सड़क मंत्री खण्डूरी का भी एग्जाम्पल रहा है, उन्होंने रोड्स के अन्दर बहुत उल्लेखनीय काम किया और मैट्रो रेल के निर्माण और सड़क निर्माण में श्रीधर का भी नाम रहा है। बल्कि इस राजस्थान के राज्य में इस विभाग का उल्टा नाम रहा है क्योंकि मैं अंधा नहीं हूं, जैसे आपकी इस प्रगति रिपोर्ट में लिखा है वैसा और मैं ना विरोध करना चाहूंगा और ना ही अपनी पार्टी के लिए मैं कोई अंधा समर्थन करना चाहूंगा। (व्यवधान) करनी पड़ेगी, नहीं की है तो आप नहीं आओगे।

एक माननीय सदस्य: नहीं, करेंगे साहब।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मैं जो भी अपनी बात कह रहा हूं बड़ी गम्भीरता और सच्चाईपूर्ण कह रहा हूं।

श्री सभापति: बस, बस, टोकाटाकी नहीं, इससे ज्यादा नहीं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): इस विभाग में जैसे काम होने चाहिए निचले स्तर पर वैसे काम नहीं हो रहे हैं इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। शायद सभी को आभास होगा, मैं बोलूंगा तो बल्कि वाल्मीकि के रामायण में, सभापति महोदय, कहा गया है कि यदि बात अप्रिय और हितकर हो तो कही जानी चाहिए और हमारी बात आज मंत्री महोदय को सुनी जानी चाहिए और विचार-विमर्श करके निर्णय लिये जाने चाहिए।

इस विभाग की हालत सब कुछ एक मंत्री की आंख पर निर्भर करता

(श्री महीपाल मदेरणा)

है। आंख इधर चलती है तो विभाग चलता है, आंख नहीं चलती है तो विभाग, अक्सर इस विभाग के बारे में एक बात कही और सुनी जाती है कि निर्माण कार्य और निर्णय के कार्यों में नीचे की क्षमता नहीं है। कोई आप अगर किसी को कहो कि इस सड़क के लिए हमें आपको एप्लीकेशन देनी है या आपकी वार्षिक योजनाओं में हमको सम्मिलित करना पड़ता है। इतना आतंक है इस विभाग में कि कोई भी अधिकारी कोई भी उचित मांग की एप्लीकेशन लेने में डरता है और मंत्री की मनमानी बहुत ही हावी है इस विभाग पर। इस विभाग के अधिकारी इतने डरे-डरे से हैं, इतने डरे-डरे से हैं ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपसे कौन-कौन मिले?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मेरे से मिला, मैं बता दूंगा, मेरे से मिला वो भी बताऊंगा।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): क्यों? आप उनके पीछे पड़ना चाह रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): और मंत्रीजी के रोब से यह पूरा विभाग दबा-दबा सा काम कर रहा है, कोई भी फ्रीली ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): परसरामजी मदेरणा भी बहुत वर्ष रहे हैं, यह मत भूलना आप।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप उनसे कहां तुलना कर रहे हैं, आप तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से करें, अभी वो पीठ थपथपाती हैं इसका मतलब आप बैस्ट मिनिस्टर हो गये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, मैं बैस्ट नहीं हूं पर ...

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): नहीं, आप थपथपाना, मैं आपकी थपथपाऊंगा I have got some…. अब मेरी बात सुन लीजिए आप।

दूसरी ओर मंत्रीजी के खास लोगों का पता नहीं कौन-कौन हैं, मेरे जोधुपर के एक प्रोफेसर हैं ही, उनका इतना आतंक, दबाव, तनाव उसके सिनेरियो के अन्दर वहां के चीफ इन्जीनियर को काम करना पड़ता है। ऐसे आपके चहेतों को कि वो इतना आतंक और इतना दबाव नहीं बनाए ... (व्यवधान) अब यह कह रहे हैं न सड़क पर क्या हुआ, पहले तो मंत्रीजी की

(श्री महीपाल मदेरणा)

विभाग की क्या रूपरेखा है, यह प्रस्तावना लिखते हैं कि इतने हमारे चीफ इन्जीनियर्स के आफिस हैं ...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): इसमें तो आतंक हो सकता है सड़क में के आतंक होगा?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): कौनसा?

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): सड़क में क्या आतंक आयेगा? सड़क बढ़िया बन जाए घटिया बन जाए।

श्री सभापति: बिराजें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): वो भी बता दूंगा आपको। वो भी बताऊंगा। पहले चलता है विभाग मंत्री के स्तर से फिर सैक्रेटरी के स्तर पर। आपने डाईग्राम दिया है इतने हमारे चीफ इन्जीनियर्स हैं, इतने हमारे एडीशनल चीफ इन्जीनियर्स हैं, इतने हमारे अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय हैं, इतने हमारे ए.ईएन. कार्यालय हैं, अगर यह पूरा स्ट्रैक्चर पर बात नहीं करेंगे, पहले तो मंत्रीजी से बात को शुरू करना चाहता हूं, आप कहो तो नीचे से शुरू कर दूं?

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कहीं से करो आप तो।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां, तो क्यों बीच में आप कहते हैं बहुत सड़क बन रही है। मेरे पास के क्षेत्र में तो करीब 250-300 किलोमीटर सड़क बनती है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आपके भी बनी है, साहब।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मेरे नहीं बनी है इसीलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भोपालगढ़ को सड़क के मामले में नैग्लेक्ट किया गया This what I want to…

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य, मुझे रोकना नहीं चाहिए, अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं भोपालगढ़ का कम्पेरीजन पिछले पांच साल में सड़क बनी और इन चार साल में बनी ...

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यस, यस, मेरी पूर्ववर्ती सरकार ने आठ किलोमीटर नहीं दी, उससे तो आपने ज्यादा दी बल्कि इतनी ही नहीं दी। इतनी बात जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं सही बात का विश्लेषण बताऊंगा, मुझे उन पांच सालों में भोपालगढ़ में आठ किलोमीटर सड़क नहीं मिली।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): शेम।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): Not shame. Please don't comment like this.

श्री सभापति: माननीय सदस्य, नहीं, टोकें नहीं, ज्यादा समय जाया होगा।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यह नहीं है। हमें मिली, नहीं मिली, नहीं दी, नहीं दी, उनकी मर्जी थी, उस सरकार की मर्जी थी। इन्होंने दी कुछ रिपेयर्स में दी, डब्ल्यू.बी.एम. में दी बल्कि इतनी तगड़ी हमको सीमेंट, कंक्रीट सड़कें, आपने कहा कि हमने मुख्य मंत्री सड़क योजना में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री परियोजना की एक भी सड़क नहीं है।

सभापति महोदय, देखिये अब इस विभाग का चलन तो मंत्रीजी के इशारे पर चलता है, चलन भी वैसा ही है। सब इनकी तरफ देखते हैं। मंत्रीजी, हो सकता है मुझे नहीं लगा पक्षपात करते हैं ...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा। एक मिनट।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपके गांव के अन्दर तो ऐसी बढ़िया सड़क बनायी कंक्रीट सीमेंट की, मेरे यहां एक किलोमीटर नहीं दी।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): एक सेकण्ड। आप नाराज नहीं हों, इन्दिरा चौराहे से आपके जाखड़ों की गली तक जो नाथसर चौराहा जाता है सी.सी. रोड, आपका फिर तहसील की तरफ जाते हैं तो सी.सी. रोड ... (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप जो बात कह रहे हो वो भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हो। आप यह मानते हो कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी सक्षम नहीं हैं रिप्लाई देने में?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, नहीं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बैठे हैं वो, सुन रहे हैं। आपने बात कही वो किया बल्कि आपके गांव में कितने किलोमीटर हुई, उसका कितना पैसा लगा, मैं भोपालगढ़ के उस द्वार के अन्दर घुसते हैं तो वहां पर सड़क के इतने-इतने खड्डे पड़े हैं। मैं कह-कह कर, रिक्वैस्ट करके आया कि इस अगले प्रोग्राम में वार्षिक योजना में हमारे यहां तो कोई कंक्रीट की सड़क, सी.सी. सड़क जिसके लिए आप बहुत ज्यादा करते हैं, कहते हैं कि हमने इतने काम,

(श्री महीपाल मदेरणा)

इतना हमने सी.सी. सड़कों का निर्माण कर दिया है। यहां पर सिर्फ छोटा सा और जाखड़ों में कराया है तो वो रिश्तेदारी भी तो आप ही की है। बहू वहां से आपके घर ही आती है, उसको देख कर आपने करवायी होगी।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, साहब।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपने अपने-अपने रिश्तेदारों के सामने करवा दी।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नहीं, नहीं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मुख्य सड़क वहां से वो जो स्कूल है, आपको मालूम है ...(व्यवधान) नहीं की है, जो थोड़ी बहुत भी की थी उसमें मैंने कहा था कि कुछ फेरबदल करो, पैसा बच गया, उसमें पैसे की बचत थी। चीफ इंजीनियर को मैंने कहा कि पांच लाख आपके इसके अन्दर सेविंग हो रही है, क्यों नहीं इसको जोधपुर भोपालगढ़ पर लगा दिया जाय। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि सारा कुछ मंत्री की नजर से चलता है, उनके दवाब में चलता है I have to go and speak to the Minister. (Interruption) Very good. So you are unnecessarily sitting on this post. (interruption) This is not good. They are the people who are getting 2000/- सैलेरीज बताई है और उनको आइडल बैठाने के लिए वहां रख रखा है क्या? जब वह जनता की, जन प्रतिनिधियों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, इतने हेवीली पेड़ लोग हैं, वह अपने आफिस की जवाबदारी नहीं, अकाउन्टेबिलिटी नहीं पेश कर सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने मुझे एक पत्र नहीं लिखा।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मैंने पत्र लिखा और आपका जवाब नहीं आया, एस एन गुप्ता का जवाब आया। मैंने भी लिखा, मैं बता दूंगा आपको, मैं गलत नहीं कहूंगा। आपका सबसे पहला पत्र यह जब आप मंत्री बने, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, मुझे अच्छा लगा आपका पत्र आया, आपने कहा कि बीस किलोमीटर रिपेयर्स रोड्स का, बीस रोड्स का सलैक्शन करो और प्राथमिकता दो। वह पहला पत्र आपका आया था उसके बाद तो फिर आपकी नजरें कहीं अपनी ओर चल रही थीं ...(व्यवधान) लिंक रोड का तो बहुत बाद में आया, यह लिंक रोड में तो है ही नहीं, हमारे तो कृषि उपज मण्डियों को दी

(श्री महीपाल मदेरणा)

हुई हैं। हमारे यहां तो जिला ही इन्होंने कह दिया कि बाहर करो इसको। वसुन्धराजी की भी नजर नहीं पड़ती है और आपकी भी नजर नहीं पड़ रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): अब आप बता दो, अब बना देंगे।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बना देंगे तो कौनसी बात करेंगे। मैं बताऊंगा कम्पेरेटिवली जब मांगों पर आ रही है और मांगों की स्थिति में थोड़ी बहुत मंत्रीजी को भी, मैंने बाल्मीकी की बात कही, मैं हितकारी के लिए कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं नहीं कहना तो मैं बैठ सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): राजस्थान देश के क्षेत्रफल की दृष्टि का आपने बहुत बड़ा उल्लेख किया है, उसमें राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी आपके पहले पृष्ठ पर है हमारा जोधपुर जिला, आधा मेरा क्षेत्र है, कहीं मगरे हैं, कहीं ढाणियां हैं वहां पर ज्यादा पैसे के रखरखाव की, निर्माण की आवश्यकता है और इसकी जरुरत है कार्य पूर्ति के लिए। हो सकता है कि यहां पर ज्यादा खर्चीली सड़कें बंद हैं। आपकी नजर जोधपुर जिले पर होनी चाहिए। बल्कि उपलब्धियां आपने बहुत सारी गिना दीं, मैं गिनाऊंगा, आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मुझे तो यह उपलब्धियां जब मैंने देखा कि 124 तहसील हैड क्वार्टर्स आपके नहीं हैं। केन्द्रीय सड़क निधि का आपका उपयोग कम है। अन्य योजना, आर यू डी पी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अन्य योजनाओं के बारे में भी आपसे बात करूंगा कि किस तरह से जो भी पैसा आपके यहां पी एम, सी एम सड़क कार्यक्रम की तुलना करें तो राज्य के अनुपात में भी विभाग ने ठीक-ठीक काम किया है, 79 रोड्स का इस बार की वार्षिक योजना में 79 वर्क्स लिये हैं आपने।

इस मंत्रालय की, मैं समझता हूं कि जो मैंने पहले बात कही निष्क्रियता, प्लानिंग आयोजना के बारे में दूरदृष्टि नहीं और क्यों ये डिपार्टमैंट डरा-डरा, सहमा-सहमा इसलिए है ...(व्यवधान) मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपको तो कह रहा हूं आपने तो बड़ी कड़काई से राज किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब मेरी विवेचना कम करो, अब सड़कों पर करो।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): तीन साल के बाद, मैं सड़कों पर आ जाता हूं ...(व्यवधान) सड़कों की बात करेंगे। मैं उलझना नहीं चाहता, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मुझे दया आती है, तरस आता है इस विभाग के कार्य करने के तौर तरीके के ऊपर, सब अधिकारी इतने दुःखी, इनकी चलती नहीं, आपके सामने बोल नहीं सकते, मुंह खोल नहीं सकते और खुली छूट और जो आप कहोगे लूट का तो नहीं कहूंगा, मेरे पास उदाहरण नहीं है, यह गलत बात मैं कभी भी आरोपित नहीं करता हूं ...(व्यवधान) चल रहा है और विभाग पूर्णतया बिलकुल असहाय स्थिति में काम कर रहा है।

नीचे की स्थिति आपको बता रहा हूं, मैं बताऊंगा उदाहरण देकर आपको, आप चाहोगे तो उदाहरण भी दे दूंगा। और इसमें काम करने वाले छोटे कान्ट्रेक्टर भी बहुत दुःखी हैं, वह कान्ट्रेक्टर भी त्रस्त हैं क्योंकि पता नहीं कितने बिचौलिये काम पाने के लिए, कितनी-कितनी मेहनत इन कान्ट्रेक्टरों को करनी पड़ती है। आज कान्ट्रेक्टर की जो स्थिति है वह तो कहते ही रहते हैं, हम तो साहब भेंट पूजा करके काम लेते हैं। मैंने कहा कि इतने कड़क मंत्री के राज में भी भेंट पूजा का चल रहा है, इस राज में तो होना ही नहीं चाहिए, इस विभाग में होना ही नहीं चाहिए। जो विभाग इतनी सख्ताई से कंट्रोल हुआ जा रहा है ।

अब आपकी सड़कें, कहने को तो आप कहते हो हमने इतने किलोमीटर अचीवमैंट्स, इतने विलेज अचीवमैंट्स, यह आंकड़े दे रहे हैं आपके बिलकुल जब सड़क बनती है तो उसके साथ ही टूट जाती है। इतनी जल्दी टूटती है कि पता नहीं क्या कारण है। और इस सड़क का रखरखाव भी ऐसा लगता है कि एकदम तो पहले-पहले दिखती है डामर और ऊपरी काली परत ही बिछाई जाती है। I don't know what layer you call it. They are very expert. फर्स्ट लेयर इतनी तगड़ी है कि दो-तीन महीने लगता है कि सड़क वाकई यह नेशनल हाइवे या जैसी भी आपकी जो है उस मापदण्ड से, परन्तु वैसी यह ठेकेदार नहीं बना रहे हैं। बी ओ टी रोड्स का चलन बढ़ गया है उस पर जनता को पैसा चुकाना पड़ता है। और देखो, उनकी दरें इतनी हैवी प्राइसेस, खुल्ले पैसे देना तो उनका धरम ही नहीं और विधायक की गाड़ी वहां खड़ी हो जाय और कार्ड दिखाये जब तक वह दस बार देखता है। वहां नाके के अन्दर, चुंगी के अन्दर बैठा हुआ आदमी, आपको इससे अच्छा तो कहीं रेल में भी स्थिति बेहतर है। वहां पर उन नाकों पर उन बी ओ टी के वहां पर उनको जन प्रतिनिधियों को शर्मिंदा होना पड़ता है। वह बदमाशी भी करते हैं। कोई भी ऐसी बी ओ टी रोड नहीं है

(श्री महीपाल मदेरणा)

जहां दादागिरी नहीं हुई। कोई भी ऐसी रोड नहीं है जहां पर उन्होंने बदमाशी नहीं की।

इसके लिए भी कोई रेग्युलेटरी सिस्टम करो, कोई आपका आदमी देखे इसको और इसके अन्दर इम्प्रूवमैंट होना चाहिए। नाके जो लगाये हैं छोटे-छोटे नाकों पर बैठे हुए हैं, जनता से जबर्दस्ती वसूली करते हैं और कोई उनकी तकलीफ सुनने वाला नहीं। कहने को तो कहें कि राजस्थान के अन्दर अपग्रेडेशन आफ रोड्स फोर लेन टू सिक्स लेन्स, सिक्स लेन फ्राम जयपुर टू किशनगढ़, मैं एक दिन रुक गया, जो तेज गति वाले वाहन हैं, आप लोगों के पास टाटा सफारी है वह दौड़ने में अच्छी लगती है। वाहन वालों को तो बहुत सुविधा हुई है, निश्चित सुविधा हुई है और जहां से यह सड़क गुजर रही है उसके आसपास के क्षेत्र के उन गांव वालों को बहुत मुसीबत हुई है। उनके सामने कई समस्याएं पैदा हुई हैं। घर इधर तो खेत उधर, मुख्य गांव इधर तो ढाणियां उधर। गांव वालों के विकास के लिए सड़कें जो बनाई जाएंगी बल्कि उनका आपने नहीं देखा, उनको क्या मुसीबत हो रही है, विकास का जो समस्या आपको देखने का समय नहीं मिला, गांव की स्कूलें इधर तो उनके खेत उधर। नीचे से कोई आप जैसे दिल्ली के अन्दर होता है अण्डर ग्राउण्ड पैसेज कराओ जिससे वह जा सके, अपने चरागाह में निकाल सके, कर सके। इसके बी ओ टीज पर जो टोल वगैरह हैं उनके ऊपर ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जल्दी कनक्लूड हो सकता है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): वेरी क्विकली, क्यों आप मंत्रीजी को सुनने दो, यह तो सबको सुनाते हैं, इस हाउस में यह पार्लियामैंट्री अफेयर सैक्रेटरी भी रहे हैं।

श्री सभापति: काफी माननीय सदस्यों को अपने विचार एक्सप्रेस करने हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): एक बात बता दूं आपको आपने जब यह बात कह दी कनक्लूड करने की। आपने 20 मिनट का माननीय सभापति महोदय, बहुत कुछ ... (व्यवधान)

श्री सभापति: इसीलिये व्यवधान तो किसी ने नहीं किया क्योंकि मैंने तो टाइमिंग नोट कर रखी है। 2.25 पर आपने प्रारम्भ किया है। खैर कोई ... (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): देखिये यह चर्चा आम है राजनीतिक क्षेत्र में कि मुख्य मंत्रीजी आपकी पीठ थपथपाती हैं। और किसी मंत्री को हड़काती हैं तब आप वहां खड़े रहते हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आपको किसने बताया। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गुप्त बात थी, आपको किसने बतायी।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मैं अभी बताता हूं। पूरा राजस्थान जानता है। उन्होंने अपनी बजट स्पीच के अन्दर एक रोड्स के बारे में कहा और रोड्स के बारे में उन्होंने एक पेपर पढ़ा A very good documents about the roads. Thereafter she has only praised the PWD Minister, none else and that is only.....कहा किसने है। इसी सदन में हुआ है। उसकी बात मैंने कही है। मैंने जो अनुभव किया है। सारे मंत्री सी एम से डरे हुए हैं। राजस्थान का पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर पीठ थपथपवाता है और इन मंत्रियों को सबको डांट और हड़कवाता है। जितने भी हडकाहट हुई है वह कान में आपकी ही बात कही हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्यों मेरी नौकरी ... (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपने मुझे कहा कि कैसे हुई बात पीठ थपथपाने की तब मुझे इतना कहना पड़ा। अन्यथा मैं इतनी बात पर आता नहीं। पर्सनल बात पर नहीं आता।

फिर आपके कहने पर कई मंत्रियों के विभाग बदलते हैं। आपके कहने से कई मंत्री इनक्लूड होते हैं यह बात भी सही है ...(व्यवधान) बल्कि कुछ भी हो राजस्थान में कई विभाग बदले गये हैं। मंत्रीजी के विभाग को सी एम ने हाथ लगाने की जिद्दत नहीं की ...(व्यवधान) बल्कि क्या, मैं तो यह देखता हूं कि वाकई वह इतना रिव्यू करती हैं। छह-छह मिनट में रिव्यू करती हैं। पी डब्ल्यू डी के काम पर मुख्य मंत्री की नजर क्यों नहीं पड़ी और इस विभाग पर क्यों नहीं पड़ी ? वह सबको कहती हैं कि आज इस विभाग को लिया गया। इस विभाग के मंत्री को लिया गया। राजस्थान के सैक्रेटेरिएट में रिव्यू मीटिंग्स होती हैं। बल्कि पी डब्ल्यू डी के विभाग को उन्होंने स्वतन्त्र छोड़ दिया है। इनकी सक्षमता पर छोड़ दिया ... (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी का ही जोर नहीं चलता इन पर। अभी आपको और खड़का देंगे यह ध्यान रखना। एक मिनट में गाड़ी मंगाकर खिंचवा देंगे यह आपको। बहुत मुश्किल से दिलवाया है

(श्री महीपाल मदेरणा)

इन्होंने ... (व्यवधान) यह आपके दोस्त हैं। बताओ दोस्त हैं कि नहीं हैं ? पहली असेम्बली में पहले राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ उतरते थे और उसके पीछे वाली सीट से आप उतरते थे। यह तो गाड़ी में बैठ गये और आप बिना गाड़ी के रह गये और अब आपको गाड़ी में बिठा दिया है और गाड़ी से उतारना भी इनको आता है।

माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ की राजधानी चूरू नहीं है। आप हमारे यहां पधारे थे। आप ठहरे थे और हमारे विरोधी तो बात करके चले गये। हमारी सड़कों को ही नहीं देखा। हम तो आपसे अपेक्षा करते थे कि आप हमारे लिये कुछ समर्थन करेंगे। मारवाड़ की जनता आपसे अपेक्षा चाहती है सड़क के मामले में। आपने सिर्फ बाबू सिंहजी को मेगा हाइवे दिया है। वह हैं नहीं, बहुत अच्छा काम दिया आपने ... (व्यवधान) वह 4 मेगा हाइवे ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सबसे बड़ा मेगा हाइवे है वह परबतसर से किशनगढ़ ... (व्यवधान) नावां ... (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आज तो वसुन्धराजी सुन ही नहीं रही हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): राजस्थान में कोई सबसे बड़ा मेगा हाइवे है तो वह किशनगढ़, रूपनगढ़, परबतसर, कुचामन, डीड़वाना, हनुमानगढ़ लाड़नूं 415 किलोमीटर का पहला मेगा हाइवे है।

श्री सभापति: बिराजें आप। कृपया बोलने दें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यह इतनी तगड़ी सुविधा आपके लिये बनायी है। अब की बार परबतसर आपको नहीं बनायेगा। मैं जाकर आया हूं वहां। जनरल नहीं यह बिना जनरल के खड़ा करते हैं। आर के मार्बल का बड़ा नाम है ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप अगर उस समय मुझे कहते तो मैं आपका स्वागत बार्डर पर ही करता। आपने मुझे कहा ही नहीं। उस कालेज का उद्घाटन मैंने किया था और अभी आप पधारे हैं। मेरे को आप कह देते मैं आपका हार्दिक स्वागत करता। आप हमारे अच्छे मारवाड़ के बड़े नेताओं में से हैं इसलिये मैं आपको हमेशा, कभी भी पधारो, मारवाड़ की पावन धरती पर परबतसर में आपका हार्दिक स्वागत है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मेरे पास समय कम था नहीं तो निश्चित रूप से आपको कहता विधायक महोदय। मैं ऐसा नहीं हूं कि आपको इन्फोर्म नहीं करता क्योंकि उनका प्रोग्राम 10.30 बजे था और मैं सुबह 6.00 बजे जोधपुर से चला। निश्चित समय कालेज के कार्यक्रम में एक विधायक को समय पर पहुंचना चाहिये और मेरे पास टेलीफोन कोई खटारा सा दिया हुआ है। किसी ने प्रजेंट किया है। यह कभी तो बजता है और कभी यह आउट ऑफ रेंज हो जाता है। परबतसर में तो यह आउट आफ रेंज था।

जोधपुर के एडिशनल चीफ इंजीनियर का आफिस बहुत सुस्त, शांत, कोई बात नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई काम नहीं धेला का ही, उनको सुझाव नहीं दे सकते। पता नहीं अधिकारी क्यों किसके निर्देश पर वहां काम करते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं जो कर रहे हैं कहीं और ही उनका आफिस चलता है।

देखिये इस विभाग के एक बात की मैं तारीफ करूंगा आपके राठौड़ी व्यवहार की। खेतसिंहजी राठौड़ के व्यवहार को आपने किया पस्त। आपको पस्त किया हमारे राजेन्द्रजी चौधरी ने और अब आप सब राठौड़ों को पस्त कर देंगे। एक छत्र राज में कमी नहीं है आपके और छत्र हैं आपके ऊपर। छत्र राज जिसे कहते हैं ना ऐसा छत्र राज भा.ज.पा. राज में आपको पहली बार मिला है। आपने जो भी किया है। आपने कई आफिस बदले। ए ईएन हैड क्वार्टर इधर कर दिया, उधर कर दिया। आपको भौगोलिक जानकारी नहीं। आपने एक ए ईएन हैड क्वार्टर टिवरी में लिया। मुझे बताइये भोपालगढ़ की बावड़ी का जो ए ईएन हैड क्वार्टर था उसका स्थानान्तरण आपने वहां कर दिया और बड़े मजे की बात है मेरा एक्स ईएन पता नहीं कहां बैठता है। पहले तो हमारा एक्स ईएन था, बिलाड़ा के साथ था। उन्होंने देखा क्या करो ? कांग्रेस वालों के साथ एक्स ईएन को आदेश नहीं दे सके। करो इसके टुकड़े। टुकड़े किये। ना हम इधर के रहे, ना उधर के रहे और वह एक्स ईएन कहां ओसियां में बैठता है। मुझे आज तक उसकी शक्ल दिखी नहीं ... (व्यवधान) जोधपुर में बैठता है। वापस ले आये होंगे आप। आपके खासमखास दिखता है। जरूरी है, आवश्यक है, जहां जरूरी है, जहां काम ज्यादा है, जहां नेशनल हाइवे है, जहां रोड का घनत्व ज्यादा है वहां पर आपका आफिस होना चाहिये और आजकल आफिस के तो यह हाल हैं मैंने तो आपका कोई ए ईएन किसी आफिस में देखा नहीं। जे ईएन की तो शक्ल देखना दुर्लभ है। यह ए ईएन आफिस के हैड क्वार्टर और तीन बजे से पहले वह किसी दफ्तर में नहीं आते हैं। उनके काम को

(श्री महीपाल मदेरणा)

रिव्यू करने वाला अधिकारी भी सुस्त हो गया है और कई ए ईएन हैड क्वार्टर तो ऐसे हैं जिनके दरवाजे भी नहीं खुलते हैं पांच-पांच, छह-छह दिन तक।

जोधपुर जिले में भोपालगढ़ क्षेत्र जो मेरा क्षेत्र है जहां कोई राज नहीं चले, जहां कोई अधिकारी नहीं बैठे उस क्षेत्र को खालसा क्षेत्र कहते हैं। आपने भोपालगढ़ को खालसा क्षेत्र बना दिया। आपने ए ईएन हैड क्वार्टर चेंज कर दिया। एक्स ईएन हैड क्वार्टर चेंज कर दिया। उसके अलावा मेरे वहां पर आपके कुछ नियम होने चाहिये। किसी नियम में आपको रोड्स की कितनी रोड्स हैं, कितनी रिक्वायर आफ रोड्स हैं उसके हिसाब से और व्यवहारिक रूप से आपको देखना चाहिये था। इसीलिये मैंने कहा कि जिस चीज को छोड़ दिया जाता है, जहां राज समझता है यह चीज किसी काम की नहीं है। उपजाऊ नहीं, कुछ नहीं, कोई रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, सड़क का आवागमन होगा नहीं। भोपालगढ़ जैसे क्षेत्र को आपके विभाग ने खालसा कर दिया, यह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसी को दो जिम्मेदारी, जवाबदारी की सड़कों के रख-रखाव, ध्यान देने की। सारे काम रामभरोसे मत छोड़ो आप।

डब्ल्यू बी एम से कारपेटिंग बहुत सारी सड़कें हैं जहां पर डब्ल्यू बी एम हमारे क्षेत्र में अकाल के समय हुई। उसकी कई स्वीकृतियां, कई बार हुआ है। मुझे खुशी है आपका इस ओर ध्यान गया। आपने रुचि लेकर इन सड़कों को कराने में सभी फेजेज में लिया है।

(समय : 15.00 बजे)

जो थोड़ा-बहुत देख सके और यह आपको निर्णय और जो आपका काम है, मैं इसके अंदर सच्चाई बताना चाहता हूं कि यह जो डब्ल्यूबीएम बनाने वाले लोग थे ना, आपके ऑफिस में यह बात नहीं लिखवायी कि यह डब्ल्यूबीएम करने वाले किसके गुर्गे, ठेकेदार थे। और उन्होंने चार-चार लेयर बिछवा दी, बिछी की नहीं बिछी, उखड़ गयी कि नहीं उखड़ गयी, यह सारे के सारे गुर्गे पूर्व मुख्य मंत्री के ठेकेदार थे जिसकी एक भी जांच आपने चार साल में क्यों नहीं करायी, नहीं करा देंगे। अकाल के अंदर कब-कब यह डब्ल्यूबीएम हुआ, चार-चार लेयर सड़क की हुई, डाली की नहीं डाली, चार-चार बार उनके ऊपर डब्ल्यूबीएम करने के बाद, आपका निर्णय, मैं कह रहा हूं कि इस सरकार का निर्णय बिलकुल सही है। हां, यह भी बात थी कि पहले कांट्रेक्टर का राज था, आपकी थोड़ी सख्ती से यह तो हुआ है कि वह अपनी मनमर्जी से काम नहीं करेगा, तो पैसा मिलेगा, पूर्व की मनमर्जी से काम नहीं चलेगा। वह हांकता था

(श्री महीपाल मदेरणा)

इन आफिसर्स को, वह चलाता था इन आफिसेज को, ठेकेदारों की मनमर्जी पर वहां ए.ईएन. और जे.ईएन. लगते थे, एक्स.ईएन. लगते थे। आपके आने से यह तो हुआ है, जो काम सही हुए हैं वह सही-सही कहूंगा। तगड़ी लीपापोती हो गयी आपने लिया तो निर्णय, यह घोटाले वाली सड़कें थी, इनकी पहले जांच होनी चाहिए थी। जिस-जिस ठेकेदार ने चार-चार बीएमडब्ल्यू किया उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिये थी और फिर इनके डामरीकरण का फैसला आपको लेना था। आपने लिया होगा ही, अब उनकी तो सारी करामात नीचे छिप गयी। इन कांट्रेक्टर्स की मनमर्जी, जिस तरह से हांका-हांकी चलती थी। बीएमडब्ल्यू सड़कें और भी हैं मैं चाहूंगा इस तरफ आपको...

श्री सभापति: माननीय सदस्य कम्प्लीट करें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यस सर, मुख्य मंत्रीजी ने बजट स्पीच में कहा था कि मुख्य मंत्री योजना के अंदर बजट भाषण में गांव के जगह-जगह सर्वे कराकर सी.सी. रोड निर्मित करेंगे. I am quoting what is in the Budget. सब विधायकों को आपने दे दी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुझे आपने क्यों नहीं दी? ऐसी मुझसे क्या नाराजगी थी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके जिले से पहले मुख्य मंत्री रहे हैं अशोकजी और आपकी दोस्ती जग जाहिर थी। मैंने सोचा कि आपकी कांस्टिटवेंसी में उन्होंने करा दी होगी।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): पीछे से तो आपकी दोस्ती है। मेरी तो खुल्लम खुल्ला है, पीछे से आपकी दोस्ती है और आप कहो तो और बताऊं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, रहने दें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप इतने माहिर हैं कि अपने विरोधी को पटाने में आपको एक सेकण्ड लगता है। आपको एक सेकण्ड लगता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चन्द्रशेखरजी नहीं पट पाये हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): चन्द्रशेखरजी तो चूरू के हैं, देखिये कैसे, आपके कहते ही आंखें नीची कर ली उन्होंने। इनको आपने निरूत्तर कर दिया। आपमें कला है सी. पी. जोशी को भी निरूत्तर करने की।

एक माननीय सदस्य: आजकल हैं ही नहीं सी. पी. जोशीजी।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां तो मना कर दिया इन्होंने मिलीभगत से कि मत आना।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): इसी वजह से नहीं आये हैं, इसी वजह से नहीं आये हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मैं यह चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मुख्य सड़क है जोधपुर-भोपालगढ़ रोड, उस सी.सी. सड़क को आप स्वीकृत करने की कोशिश करें और बात बताता हूं आपको। अब मैं नाम ले दूंगा तो पूर्व विधायक यहां से रह चुके हैं, उस्तरा गांव के अंदर, हमारे गांव के लिए तो आप सड़क दें नहीं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव पहाड़ी क्षेत्र में आया हुआ है, वन क्षेत्र में है, उस्तरा, उसके अंदर विभाग का एक भव्य मंदिर बन रहा है, वन विभाग की भूमि में और सात करोड़ रूपया लग गया, वह मंदिर बन गया। अच्छी चीज है, मैंने कहा कि भगवान में अब आस्था करेंगे भोपालगढ़ वाले, पहले लठ्ठ चलाते थे अब मंदिर आस्था में चले जायेंगे तो ठीक होगा। उसकी एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी की बैठक ही नहीं हुई, बिना स्वीकृति के, बिना अनुमति के सात करोड़ का मंदिर बन गया, चलो, बन गया तो कोई बात नहीं, बल्कि मंदिर जोड़ने के नाम से वन क्षेत्र में आपने पांच किलोमीटर सड़क बनवा दी। बिना नियमों के, पर्यटन स्थल का नाम लिया या मंदिर स्थल का नाम दिया। मेरा गांव जुड़ता नहीं, मेरे गांव की लिंक रोड जुड़ती नहीं, मिसिंग लिंक जुड़ती नहीं, ऐसा कौनसा मंदिर में है कि वन क्षेत्र में आया हुआ, पहाड़ी क्षेत्र में आया हुआ है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): वह फोरेस्ट में नहीं है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): नहीं होगा, पहाड़ी तो है, पर्यावरण की दृष्टि से लाभ तो करेगा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सड़क बन गयी आपके?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां, सड़क बन गयी। मेरा यह कहने का अभिप्राय नहीं है। सड़क बनी है, अच्छी बनी है। उसका नहीं है, मैंने कहा कि मेरा गांव नहीं दिख रहा है, मेरी ढाणियां नहीं दिख रही हैं।

श्री सभापति: आपको एतराज उससे नहीं है, आपको एतराज है कि आप वहां भी बनवायें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां, मेरा यह है। वह मंदिर सात करोड़ का है, उसमें आपने बना दी, बल्कि मेरा गांव जिसमें आपने पहली

(श्री महीपाल मदेरणा)

लाइन में लिखा है कि इतने किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्र है, 80 प्रतिशत गांव में निवास करते हैं और 60 साल बाद अगर बुनियादी रूप से आप नहीं सोचेंगे तो जनता आपको सोच लेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अब तो आपको ही बनानी हैं, 6 महीने के लिए काहे को कहते हो इनसे।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): कह तो दें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय मदेरणा साहब, प्लीज बिराजें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बिलकुल सर, वैरी, वैरी सून। देखिये, अब मैं आपको कहता हूं सड़कों में आपने बड़ी-बड़ी एक-एक वार्षिक योजना 2002-2007 और 2007-2012 एवरी ईयर वहां फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, आरयूडीपी, आरयूएमयूपीटी, याद करने में भी समय लगता है। इनको कहो कि सरल करें। कहीं फर्स्ट फेज, सैकण्ड फेज, थर्ड फेज, खैर, कोई बात नहीं फेज हैं, काम हुआ है।

सभापति महोदय, कितना असंतुलित विकास हुआ है, पूर्व में भी हुआ, अब भोपालगढ़ में असंतुलित सड़क विकास के लिए कह रहा हूं। वह चले गये आपके दोस्त जो कह रहे थे कि सड़क पर बोलें, सड़क पर बोलें। असंतुलित विकास हुआ, मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंदर नागौर को 350 करोड़ पूर्व सरकार में मिले। जोधपुर जिले को एक पैसा नहीं मिला। आपकी भी नजर हम पर नहीं गयी। आपकी नजर तो नागौर के ऊपर वाले क्षेत्र में गजब, पहले वालों ने तो दी जो दी और आपने और दी। वह जो बर्गर होता है ना, उसके अंदर मसाला ठूंसकर के आपने खूब ठूंस दिया। कोई बात नहीं आपने नागौर को इतनी दी या तो डन, अनडन करने के लिए दी होंगी।

सभापति महोदय, मेरे पास में राजस्व मंत्री का क्षेत्र है। पहले भी सड़कें होती थी और वह राजस्व मंत्री हैं तो यहां सड़कों का जाल बिछ रहा है। उसके नीचे आ जायें, जहां से जोगारामजी पटेल हैं, लूणी से वह तो रामसिंहजी दादागिरी से ले जाते थे और अब ढ़ाई सौ किलोमीटर सड़क आपने इनके यहां कर दी और बाबूसिंहजी को तो निहाल कर दिया, दो-दो हैडक्वार्टर खोल दिये, मेगा हाइवे दे दिया और यह करके आप सबसे ज्यादा टूर वहीं करना चाहते हैं। पहले की सरकार भी असंतुलित आयोजना और नियोजन करती थी और यह सरकार भी इन तीन क्षेत्रों में करती है। एक गरीब आदमी है ओसियां वाले वह

(श्री महीपाल मदेरणा)

महरूम है और सबसे ज्यादा भोपालगढ़। इसलिए मैंने कहा कि क्या भोपालगढ़ को आपने खालसा कर दिया है. While comparing all these constituencies around Bhopalgarh, much work has been done there और हमारे नजर नहीं आयी है। और अधिकारियों में तो यह सारे निकम्मे हैं, निष्क्रिय हैं। काम चोर अफसरों को हटा दो, आप इस विभाग को संतुलित कर दें। इसमें एक आदमी ईमानदार है वह आप भी जानते हैं और यह मि. राजन लगे हुए हैं, he is very fond of him. जिस-जिस ने राजन को रखा ना, समझ गये, वह वह नहीं रहा है। ऐसा आपके साथ नहीं हो, मेरा यह कहना है। विभाग के अंदर एक एक्सलेरेशन आना चाहिए, विभाग में एक अपग्रेडेशन आना चाहिए। मैंने आपको पहले जो कहा है और सारा का सारा वरदहस्त मुख्य मंत्री का आपके कंधों पर है तो अपग्रेडेशन इस विभाग में परिलक्षित नहीं होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य बिराजें, पौन घंटे से ऊपर हो गया है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सर, वैरी, वैरी फ्यु, सर, इतनी बात कोई कहेगा ही नहीं, आप भी डरते हो इनको कहते हुए। Anyway, I am concluding. I am concluding. दूसरा मैं आपको कह रहा था कि प्रधान मंत्री सड़क योजना में आपने तामड़िया से बंदड़ा सड़क बनाई, सड़क बहुत अच्छी बनी, उसके अंदर इतने डिप थे और पता नहीं किस तरीके से बनाई कि उसके ऊपर गाड़ी चलती है तो कूदती ही रहती है। इसका तो हमने इलाज कर दिया पर आप भी इनका थोड़ा इलाज करो। हमने कहा कि हम आपके भ्रष्टाचार की कम्पलेंट करने एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट जाएंगे तो उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। उस सड़क को आपको भी तकनीकी रूप से दिखवाना चाहिए। उसके अंदर जो सी सी रोड और नाले बने हैं वह बहुत घटिया बने हैं, उनमें सुधार होना चाहिए।

एक बात और है, आज तो मांग संख्या 19 ही है पर कई मांगों में आपका पैसा लगा हुआ है, कई विभागों में आपका पैसा लगा हुआ है। देयर आर 24 डिपार्टमेंट्स, उनकी मांग में आपका होता है प्रगति प्रतिवेदन में सब मांगों का रखते हैं आप। मैंने आपके पिछले कई प्रगति प्रतिवेदनों को पढ़ा है। कृषि उपज मण्डी की जो सड़कें हैं वह उनकी अपनी आय से बनती हैं और वह सड़कें 'ए' श्रेणी की होती हैं। उन सड़कों का सारा पैसा आपके यहां डाइरेक्टोरेट में मंगवाकर अपनी मनमर्जी से आप उन सड़कों का देते हैं। मेहनत करते हैं वहां के कृषि उपज मण्डी वाले लोग, वहां के किसान, उनके खाद्यान लाने से

(श्री महीपाल मदेरणा)

जो आय होती है लेकिन आप कहते हैं कि फाइनेंशल वाइबल बनाओ। वह कोशिश करते हैं। कोई नई चुनी हुई संस्था है, कई जगह आपके आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, चुनाव कराए उसके लिए तो आपको धन्यवाद, आपकी सरकार को धन्यवाद। अपनी गाढ़ी मेहनत से वह जो पैसा अर्जित करते हैं वह सारा का सारा पैसा अपने डाइरेक्टोरेट में मंगवाकर क्योंकि जो पैसा वहां से आया है उस पैसे को उसी क्षेत्र के किसानों को जो वहां खाद्यान्न और अनाज लेकर आते हैं उन पर लगना चाहिए, यह सबसे बड़ा आप उनके साथ ...(व्यवधान) करते हैं, उन पर लगाना चाहिए।

श्री सभापतिः अब माननीय मदेरणा साहब, मोर दैन पौन घण्टा हो गया है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): नहीं, नहीं सर, आपसे तो मैं कम ही बोलता हूं। इस हाउस में सबसे ज्यादा आप बोले होंगे इस कुर्सी के ऊपर से। मैं कहता हूं कि हमें तो जाते-जाते बोल लेने दो।

एक आपने घोषणा की थी, कनिष्ट अभियंताओं को सहायक अभियंता पदों पर प्रमोशन देने की। पिछले बजट में 31 मार्च, 2008 में, एक्स ईएन, एस ई जैसे दूसरे पदों पर तो आपने पदोन्नति कर दी, लेकिन 600 कनिष्ट अभियंताओं को आपने अभी तक पदोन्नति नहीं दी है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह भी अच्छा सुझाव है, करना चाहिए।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): करना चाहिए। एक और है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय मंत्रीजी, इस पर गौर करना चाहिए। कनिष्ट अभियंताओं को सहायक अभियंता पद पर पदोन्नति की घोषणा कर ही देना, राठौड़ी घोषणा कर ही देना आज।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): देखो, मैंने जो कहा वह बात सही निकली कि नहीं निकली। परबतसर से आने माने माननीय सदस्य ने मेरी बात की ताइद की है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हां, हां, आपकी बात का समर्थन करते हैं। पूरे के पूरे राजस्थान के कनिष्ट अभियंताओं ने माननीय मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन दिए हैं। हाई कोर्ट से भी फैसला हो गया, वह फैसला होने के बाद में सिर्फ माननीय मंत्रीजी की आज जवाब में घोषणा हो जाए बस।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): राठौड़ी नहीं वास्तविक घोषणा हो जाए।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापतिजी, एक साल पहले मंत्रीजी ने वादा भी किया था, अब वादा करके निभाना चाहिए यह वादा।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आज सदन में घोषणा करेंगे न इसीलिए रखा है, राठौड़ के मुंह से राठौड़ी होगी और सदन में आज घोषणा करेंगे न वह कानून ही होगी, अब राठौड़ी राठौड़ ही करेंगे न।

श्री सभापति: यादव साहब, प्लीज। इनको कम्पलीट करने दें। माननीय मदनजी।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): यह सुझाव आप मंत्री महोदय को दे सकते थे पार्टी मीटिंग में।

श्री सभापति: माननीय मदनजी राठौड़ साहब।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सिर्फ एक मिनट।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इनकी बात का समर्थन करना पड़ेगा।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां, करें, अच्छा है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री सड़क योजना में एक छोटी सी बात मैं कहना भूल गया था। प्रधान मंत्री सड़क योजना की तर्ज पर हम पीछे कैसे रह जाएं, इसको साकार किया वर्तमान पी डब्ल्यू डी मंत्री ने, मुख्य मंत्री सड़क योजना दी, पैसा दिया, फण्डिंग किया, अच्छी बात है, महिला के नाम से सड़क योजना आपने बहुत क्षेत्रों में की, अच्छे-अच्छे क्षेत्रों में की पर आपके जो खास विधायक हैं उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखा, मेरे क्षेत्र में एक भी वापस again repeating, though I should not repeat, हमें भी कुछ दिया होता तो हम भी महिला मुख्य मंत्रीजी को और आपको धन्यवाद देते।

माननीय सभापति महोदय, एक आपके पैकेजों में बहुत तगड़ा घोटाला है, बड़े-बड़े पैकेज करते हैं, बड़े-बड़े पैकेज लेते हैं और मैं आपको बताऊं कि वहां पर सबलेटिंग है और वही छोटे ठेकेदार काम करते हैं और उनके साथ ज्यादती होती है, आप इसको भी कुछ व्यावहारिक रूप से दिखवा कर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग ...(व्यवधान) मैं समझता हूं, समर्थन नहीं करूंगा, मैंने मांग पर अपने विचार, मेरा विश्लेषण आपके सामने रखा।

श्री सभापति: मांग का समर्थन नहीं होगा तो बजट कैसे पास होगा?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): वह तो यह करा लेंगे, रोज कराते

(श्री महीपाल मदेरणा)

हैं, आपको पता है, इनको स्टाइल आती है, सारी की सारी, एक मिनट में करा दें। इनकी मर्जी से हाउस चलेगा, इनकी मर्जी से हाउस नहीं चलेगा।

श्री सभापति: फिर भोपालगढ़ में पैसा कहां से लगेगा? माननीय मदनजी।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): नहीं लगाएंगे, अब तो धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मदनजी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने विकास के बहुत काम किए हैं और यह विकास के काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी की इच्छा शक्ति के आधार पर सारी व्यवस्था की जिसके कारण से यह विकास के काम हुए हैं। सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग में बहुत अच्छा काम किया लेकिन सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने तो समां ही बांध दिया। यह विपक्ष भी मानता है और विपक्ष के माननीय सदस्य जब कभी हम बाहर मिलते हैं आपस में तब भी वह खुले मन से प्रशंसा करते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में विकास के बहुत काम हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं शुरू करूं तो सचिवालय में जाने का सबको अवसर मिलता है। (व्यवधान) और नहीं देखा है तो आप मेरे साथ चलकर देख लेना।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप मंत्री बनेंगे तभी देखेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सचिवालय में जब जाते हैं, पहले पार्किंग की बहुत भारी भीड़ रहती थी और अभी देखा, मेरे साथ बंगलुरू के विधायक थे, वह भी वहां गए थे, उन्होंने भी देखा कि इतनी अच्छी पार्किंग, ऊपर तो गार्डन व नीचे डबल, दो मंजिला पार्किंग, बहुत अच्छी व्यवस्था। यही नहीं वहां सी एम ओ भी मेरे साथ गए थे। कहते हैं बंगलुरू का सी एम ओ पहले कभी बहुत अच्छा माना जाता था लेकिन उन्होंने भी इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की कि यहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, इतना अच्छा और सुन्दर निर्माण करवाया है कि पूरे देश में निश्चित रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा की जानी चाहिए।

यही नहीं, मेरे माननीय साथी अभी कह रहे थे कि सचिवालय में तो हम नहीं गए। वह हाई कोर्ट में तो गए होंगे, यह मुझे मालूम है कि हाई कोर्ट

(श्री मदन राठौड़)

में जाने का उनको कई बार मौका मिला है। हाई कोर्ट में भी इसी प्रकार की व्यवस्था, इसी प्रकार अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग वहां भी बनाई है। यही नहीं वहां की लाइब्रेरी देखी, वहां लाइब्रेरी भी अनुकरणीय निर्मित की गई, यह भी एक प्रशंसनीय काम है। यही नहीं कई और न्यायालयों में भी, जैसे नाथद्वारा के माननीय सदस्य आज यहां नहीं है...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, माननीय राठौड़ साहब को एक जानकारी दे दूं कि माननीय हरिशंकरजी भाभड़ा ने कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई और दुर्भाग्य से वह भी जीत कर नहीं आ पाए। इसलिए यह मत समझो कि आप आ जाओगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, उन्होंने तो शिलान्यास ही किया था, और वह बनाई तो मैंने ही है पूरी और आई एम हियर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सदस्य ने इस विधान सभा के भवन की बात की तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा कि विभाग ने कितनी निष्क्रियता की है। राजस्थान विधान सभा का यह भवन बनाने के लिए, यह बात सही है कि 77.02 करोड़ रुपए 1996 में स्वीकृत हुए लेकिन उस योजना के साथ में 31 स्टाफ क्वाटर भी इनको बनाने चाहिए थे जो इन्होंने नहीं बनाए और इसके लिए विभाग को 1 करोड़ 37 लाख रुपए का घाटा उठाना पडा, यह जानकारी मैं इनको देना चाहूंगा। वह नहीं बनाए और 2001-2003 में जो अपूर्ण रहे इसके कारण हर्जाना विभाग को भरना पड़ा यह आपने विषय ले ली लिया तो मैं इसकी जानकारी भी आपको देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, यही नहीं कई और न्यायालयों के भवन बनाये। नाथद्वारा में बनाया, बीकानेर में बनाया, हनुमानगढ़ में बनाया, धौलपुर में बनाया, नाथद्वारा में न्यायिक अधिकारियों के आवास भी बनाये, पिण्डवाड़ा (सिरोही) में बनाया, गढ़ी (बांसवाड़ा) में बनाया, खानपुर में, बेंगू में, पिड़ावा में और कई एसडीओ ऑफिसेस बनाये। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो काम प्रशंसनीय रहे जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। हमारे सोजत में भी खान विभाग का कार्यालय बनाया, वह भी अनुकरणीय काम था। आज कितने फ्लाईओवर ब्रिजेज, ऐसे-ऐसे ब्रिजेज हैं हांगकांग स्टाइल में फ्लाई ओवर, ब्रिजेज हैं जो देखने योग्य हैं। इस प्रकार का निर्माण कार्य हुआ है। निश्चित रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रशंसा की जानी चाहिए। देश आजाद होने के

(श्री मदन राठौड़)

बाद में राजस्थान में जितने भी आरओबी बने हैं उसमें से आधे से अधिक इस वर्तमान सरकार ने चार साल में बना दिये। कहां तो 55 वर्ष की तुलना इन चार वर्षों की तुलना करेंगे, इतने निर्माण कार्य राजस्थान सरकार ने किये हैं।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सड़क के बारे में कहना चाहूंगा। अभी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रशंसा की, अब किस स्टाइल में प्रशंसा की यह तो वे ही जानें, लेकिन हमारे मंत्रीजी की बहुत अच्छी भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मंत्रीजी बहुत कड़क हैं, विभाग के अधिकारी भी इनसे घबराते हैं। ये काम लेना जानते हैं, अधिकारियों को किस तरह से लाड़ करना चाहिए, कब आंख दिखानी चाहिए, यह इनको आता है और यही कारण है कि एक आंख में प्यार, एक आंख में क्रोध ये रख पाते हैं तब जाकर अधिकारी सही ढंग से काम करते हैं। यह काम हमारे मंत्रीजी ने बखूबी किया है, इसके लिए मंत्रीजी की प्रशंसा की जानी चाहिए।

यह बात बिलकुल सही है कि उनके साथ में पूर्व सरकार ने सौतेला व्यवहार किया भोपालगढ़ के माननीय सदस्य के साथ, निश्चित रूप से पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने सौतेला व्यवहार किया और दुःखी मन से उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया, लेकिन मैं उनको यह बताना चाहूंगा कांग्रेस के राज में उनके विधान सभा क्षेत्र में केवल एक गांव जुड़ा था, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार ने 23 गांव उनके विधान सभा क्षेत्र में जोड़े हैं। यदि वे कहीं टीवी पर देख रहे हों तो वे भी निश्चित रूप से खुश होंगे कि वर्तमान सरकार ने इतने काम किये हैं।

पीएमजीएसवाई में 93.95 किलोमीटर, 8 करोड़ 54 लाख रुपया खर्च किया है। मैं केवल भोपालगढ़ की बता रहा हूं। सीआरएफ में 68 किलोमीटर, 3.63 करोड़ खर्च किये हैं और आरयूएमपी फर्स्ट फेज में 2.97 करोड़ खर्च किया है। ठीक इसी प्रकार से ट्वेल्वथ फाइनेंस कमीशन में किया है। कुल मिलाकर 51.52 करोड़ रुपये इन चार वर्षों में केवल भोपालगढ़ में खर्च हुआ है। इसलिए किसी भी प्रकार से सौतेला व्यवहार करने की बात वे कर ही नहीं सकते। यह बात सही है कि पूर्व सरकार ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया, हालांकि उन्होंने यह बात भी स्वीकार की और सड़क पर आने की बात उन्होंने कही। मैं फिर से विपक्षी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि यदि उनको

(श्री मदन राठौड़)

इसी प्रकार से तंग किया तो निश्चित रूप से वे आप सबको सड़कों पर ले आएंगे, इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। निश्चित रूप से आपको आना पड़ सकता है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1998-99 में इन्होंने केवल 233 करोड़ रुपये खर्च किये, 1999-2000 में इन्होंने 128 करोड़ खर्च किया। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): महीपालजी, किसके कितने दिन हैं यह ऊपर वाला ही जानता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 2000-2001 में केवल 85 करोड़ खर्च किया।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): हमारे ऊपर तो सभापतिजी बैठे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो पण्डित होकर भी अपना खुद का भविष्य भी ठीक प्रकार से नहीं देख पाये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अगली बार 33 पर ही निपट जाओगे। 33-35 से आगे संख्या नहीं बढ़ेगी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था 2000-2001 में केवल 85 करोड़ इन्होंने खर्च किया और 2001-02 में केवल 99 करोड़ रुपये खर्च किये। अब हमारी सरकार की बात करें। यानी पहले की सरकार ने 5 वर्षों में केवल 1905 करोड़ खर्च किया, वर्तमान सरकार ने 7527 करोड़ रुपया खर्च किया। कहां ये तुलना करना चाहेंगे? कितने गुना, 5 गुना से भी अधिक। यही नहीं, इनका औसत आता है 380 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष। हमारा औसत आता है 1806 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष। इन्होंने कुल सड़क का निर्माण किया केवल 6413 किलोमीटर और वर्तमान सरकार ने 26932 किलोमीटर। क्या तुलना करना चाहेंगे?

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में इन्होंने केवल 25 प्रतिशत काम किया, यानी 25 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर सके और हमारे समय में 73 प्रतिशत। ये कहां तुलना करना चाहेंगे? इन्होंने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 3936 किलोमीटर और हमारी सरकार ने किया 25011 किलोमीटर। सभापति महोदय, कोई तुलना नहीं हो सकती।

(श्री मदन राठौड़)

गांवों की बात करें तो इन्होंने पूरे पांच वर्ष में 1537 गांव जोड़े और हमारी सरकार ने केवल चार वर्षों में 8420 गांव सड़क मार्ग से जोड़े हैं।

पीएमजीएसवाई में भी इन्होंने केवल 918 गांव जोड़े, हमारी सरकार ने 7894, कोई तुलना नहीं हो सकती। मिसिंग लिंक में इन्होंने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार ने 222 काम किये। यही नहीं, प्रतिदिन इन्होंने कांग्रेस के राज में केवल चार किलोमीटर सड़क बनाई और वर्तमान सरकार ने और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 18 किलोमीटर सड़क निर्माण कराया। प्रतिदिन एवरेज आता है 18 किलोमीटर। यही नहीं, गांवों को जोड़ने में, पूर्व सरकार ने एक गांव जोड़ा प्रतिदिन, जो एवरेज आया और हमारी सरकार ने प्रतिदिन 6 गांव जोड़े। कोई तुलना ही नहीं हो सकती। मिसिंग लिंक दिया।

सभापति महोदय, यही नहीं, जो कोस्ट आयी, कोस्टवाइज भी देखें तो पूरे देश में सबसे कम कोस्ट राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रति किलोमीटर देता है। केवल 15 लाख रुपया प्रति किलोमीटर। यह हिन्दुस्तान में सबसे कम खर्चा राजस्थान सरकार दे रही है और गुणवत्ता के मामले में मैं कहना चाहूंगा, पहले गुणवत्ता नहीं थी ..(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने भोपालगढ़ के कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया है। वे आंकड़े भोपालगढ़ क्षेत्र में ज्यादा राजस्थान के राजस्व मंत्रीजी के क्षेत्र में हैं।

श्री सभापति: कोई बात नहीं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मैं यह कह रहा हूं मुझे दिये हैं.. (व्यवधान) आपके पास इतनी द्रुत गति से आंकड़े कैसे आ गये, यह बताइए मुझे। या तो ये आंकड़े मुझे देते, आप छुपकर कहां से लेकर आये? यह बताओ आप तो। ये आंकड़े आप एकदम तुरंत कहां से ले आये?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): ये आंकड़े कांस्टीट्युएंसीवाइज इस बुक में हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप यहां से गये ही नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने मेरे पास पहुंचाये थे।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): वह तो मैंने कल कोई बताये होंगे।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आप तो हनुमान चालीसा हो मंत्रीजी के, करो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, जब आपने मेरा नाम लिया है ..(व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि रामनारायणजी के क्षेत्र में हमारी पंचायत समिति के 15 गांव हैं जो भोपालगढ़ में आते हैं। भोपालगढ़ इनकी कांस्टीट्युएंसी है। मेरे क्षेत्र में अलग रोड है और 2022 के फेमिन के अंदर ..(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मैं मानता हूं वहां मोर देन प्रपोशनेट दिया।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): पीपाड़ रोड से अलटिया हमारे चार साल में बनी, जो कभी कितनी लम्बित रोड थी। आपके भूतेती से भोपालगढ़ किसने बनायी? 24 किलोमीटर रोड जो आप कह रहे थे पुलिया वाला ...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): वह तो केन्द्रीय पैसा था, हर जगह उल्टी बना दी सड़कें, यह मैंने कहा भी है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): कम से कम जो भोपालगढ़ और बिलाड़ा कांस्टीट्युएंसी है और भोपालगढ़ से लगती हुई कम से कम 100 किलोमीटर रोड आपके क्षेत्र के अंदर रिपेयर हुई है और बनी है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): 100 किलोमीटर तो नहीं है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): बिलकुल मेरे पास आंकड़े हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपको नीचे से गलत आंकड़े दिये हैं। मैंने कहा कि नाकारा लोग हैं, इनको हटाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलें।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अपन जब बात करते हैं तो बात हकीकत है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सभापति महोदय, मैं आपको बताता हूं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): भोजपुर से विण्डोली, ओसपुरा से तोदियाना, ओसपुरा से नागलवास, ओसपुरा से भैरववाला ...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मंत्रीजी, ये बातें नहीं कह सकते और आप कहेंगे?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): मैं नहीं कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप यह सब कान में कह देते। (व्यवधान) मंत्रीजी, आप इन छुटभैयों से कहलवा रहे हो। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वरिष्ठ सदस्य हैं और आपको ज्यादा मिलती है तो इसमें मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि प्रपोशनेटली भोपालगढ़ के जो आंकड़े दिये हैं आपको तो वहां खट तहसील के निकाल दिये, मैं उनको बायफरकेट कर दूंगा। मैं जानता हूं कितनी हुई हैं, यह मैंने बायफरकेट किये हैं, क्योंकि आप इतने कड़प में रहते हो, मैं ज्यादा आपकी कड़प आज उतारना नहीं चाहता। मेरे पास सारा है। (व्यवधान) नहीं नहीं। बिलकुल, प्रोफाइल में सारा है। यदि मिली हैं तो मुझे इसमें दुःख नहीं है, मिलनी चाहिए, आप इतने सीनियर विधायक रहे हैं। और वहां के मंत्री मंडल के सदस्य आप हैं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): और बता दूं, आपको ज्यादा मिली है, मेरे को तो केवल एक 5 किलोमीटर का जो पहले से टुकड़ा था वह हमने पूरा करवाया । मतलब आपको ज्यादा मिली हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): नहीं, करवाया है, निश्चित रूप से करवाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को, दोनों को, जो मिली हैं वह एक आदमी की कृपा से मिली हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां, यह बिलकुल, आपकी भी कृपा रहनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): नहीं-नहीं, आप दोनों को जो कुछ मिला है वह एक ही आदमी की कृपा से मिला है, जिनका मैं आदर करता हूं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): अच्छा है, हम आपका करते हैं। मैं तो महावीरजी जैन का भी आदर करता हूं।

श्री सभापति: माननीय मदनजी राठौड़ साहब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, भोपालगढ़ के माननीय सदस्य को आश्चर्य हुआ कि मैंने भोपालगढ़ की जानकारी क्यों ली। मैं आपको अपने से दूर नहीं मानता क्योंकि अब पाली लोक सभा क्षेत्र में भोपालगढ़ भी आ गया है। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप लड़ रहे हैं क्या लोक सभा का चुनाव?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): भाई, इसका तो अभिप्राय इसी से है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो जहां हूं, वहां ठीक हूं। आपका जरूर सुना था।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सुमेरपुर मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, मैं 5 साल सुमेरपुर रहा हूं वहां पर, अभी भी मेरा खेत है और वहां पर काम करता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके खेत को पूरा पानी पिलाया है, आपके खेत को पानी से वंचित नहीं रहने दिया है, पूरा पानी पिलाया है। तो मैं तो खैर, जहां हूं, वहां ठीक हूं लेकिन आपका वक्तव्य मैंने जरूर पढ़ा है। यह अंदर की बात है। खैर, शंकरसिंहजी ने मना कर दिया कि मत बताओ लेकिन आपको मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि यह तो आपका साथ देने वाले नहीं हैं, यह आपका साथ देने वाले नहीं हैं क्योंकि जैसा सौतेला व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार का व्यवहार रहा तो निश्चित रूप से आपको इधर उधर होना पड़ सकता है तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो गुणवत्ता की बात है। अब गुणवत्ता के बारे में मैं यह तो नहीं कह सकता कि हमारी सड़कों की किससे तुलना की जाए। अब वह लालूजी क्या बोलते थे लेकिन यहां तो अब इधर नजर मारूं तो कोई नजर आ नहीं रहा, यहां तो ...(व्यवधान) नहीं मैं कल्ला साहब का जरूर कह सकता हूं कि उनके गालों से तुलना की जा सकती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रद्युम्न सिंहजी नहीं दिख रहे हैं क्या आपको ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इतने बड़े लोगों की तुलना मैं कैसे करूं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बता दो आपसे है कि नहीं ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मुझे कल्ला साहब ठीक लगे।

श्री सभापति: क्या कल्ला साहब इतने काले हैं कि सड़क जितने ? क्या तुलना कर रहे हैं ? चलिए आगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गुणवत्ता के बारे में ...(व्यवधान) नहीं, आप भी ठीक हो।

श्री सभापति: चलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि गुणवत्ता के मामले में पहले कहा करते थे, जब गुजरात से आते थे और ज्यों ही राजस्थान की सीमा शुरू होती थी। गुजरात से आते हुए कार में कोई व्यक्ति यदि ऊंघ जाता था, सो जाता था तो राजस्थान की सीमा आते ही उसकी नींद जग जाती थी, खड़-खड़ के कारण से और उसको पता चल जाता था कि अब राजस्थान आ गया है लेकिन आज स्थिति बिलकुल विपरीत है। आज तो पेवर रोड हैं, बहुत अच्छी, यानी पहले उसको नींद नहीं आए तो अब आराम से नींद भी आती है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप मध्य प्रदेश गये कि नहीं गये ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं गया साहब, मध्य प्रदेश।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): तो वहां जाकर देखो आप, उससे राजस्थान बहुत बेहतर है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): राजस्थान बहुत बेहतर है, यह बात आप ठीक कह रहे हैं तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान की प्रशंसा आज विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, इसका कारण है। इसका कारण है कि मंत्रीजी ने एक नीति बना ली और वह यह निर्देश दिये कि जो नई सड़कें बनती हैं उसका गांरटी पीरियड पांच वर्ष है। पांच वर्ष में यदि वह टूट जाती है तो ठेकेदार उसकी मरम्मत करेगा, उसको रिपेयर करेगा और रि-कारपेट किया है तो उसका गारंटी पीरियड भी है, उसका है तीन वर्ष और यह गारंटी पीरियड के अन्तर्गत यदि उसकी सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, उसका पैसा रोका जाता है। यह जो निर्देश दिये हैं और यही कारण है कि गुणवत्ता मिली और यही कारण है कि आज इतनी बढ़िया सड़कें राजस्थान में देखने को मिली हैं।

सभापति महोदय, मेगा हाइवे की बात कर रहे थे अभी। मेगा हाइवे का अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़कों से मुकाबले किया जा सकता है। उन सड़कों पर जो माननीय सदस्य नहीं गये वह जाकर के देखें कि कितनी अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर से जो गुणवत्ता यानी आज कहीं आप विदेश

(श्री मदन राठौड़)

में जाकर आएं और मेगा हाइवे पर जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेगा हाइवे की सड़कें उनसे सुंदर हैं और एक इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है। सभापति महोदय, 1500 करोड़ रुपये खर्च किया है मेगा हाइवे पर। पूर्व सरकार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए और 1053 किलो मीटर सड़क बनी है, पहले बन नहीं पाई थी, कभी कल्पना भी नहीं की आपने। यही नहीं, धार्मिक स्थलों के बारे में कभी इन्होंने नहीं सोचा। इन्होंने तो रोक लगाई, पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए व्यय करने की व्यवस्था थी लेकिन पूर्व सरकार ने और इस पर प्रतिबंध लगा दिया, पता नहीं इनको धर्म से क्या एलर्जी है, कुछ समझ में नहीं आया लेकिन वर्तमान सरकार ने काम किया है और एक हजार किलो मीटर धार्मिक और पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए एक हजार किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया है। इतनी सड़कों का निर्माण करने का जो तय किया है और 122 करोड़ रुपये इस पर खर्च करने का जो निर्णय लिया है, यह बहुत अनुकरणीय काम है। यही नहीं, कई ऐसे काम हुए, राज्य सड़क निधि में भी कुछ काम हुए और उसके लिए भी पूर्व सरकार ने कोई कल्पना नहीं की, हमारी सरकार ने 2625 किलो मीटर सड़क बनाई और 298 करोड़ रुपये इस पर खर्च किया है। यह वास्तव में कोई कम बात नहीं है। सभापति महोदय, आज यदि राष्ट्रीय औसत देखें तो राष्ट्रीय औसत है 325 किलोमीटर सड़क निर्माण का और हमारी सरकार ने 319 किलो मीटर उस औसत से राष्ट्रीय औसत से लगभग बराबर आ गये हैं जब कि पहले केवल 270 किलोमीटर ही आपका एवरेज था, जब कांग्रेस का राज था तो, केवल 270 किलोमीटर ही एवरेज था और हमारी सरकार ने 319 किलोमीटर का यह एवरेज अब बढ़ा कर के दिया है। यही नहीं, रूरल कनेक्टिविटी में भी यह बहुत पीछे थे। ये केवल दो प्रतिशत ही वृद्धि कर पाये लेकिन हमारी सरकार ने 73 प्रतिशत किया है जब कि राष्ट्रीय केवल 65 प्रतिशत है, उससे भी अधिक 73 प्रतिशत, यह कोई कम बात नहीं है। यह आप भले ही इनको कड़क कहें या कुछ भी कह दो लेकिन इसमें विशेषता है, काम लेना आता है, अधिकारी वही हैं, निश्चित रूप से अधिकारी वही होंगे लेकिन उनको सही तरीके से ठीक ढंग से जन सेवा के लिए काम करने के लिए किस प्रकार से प्रेरित किया जाना चाहिए, किस प्रकार से उत्साह उनका बढ़ाना चाहिए और यही कारण है कि आज राष्ट्रीय एवरेज से भी अधिक राजस्थान की सरकार गई है, निश्चित रूप से इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए। आप कह रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनको मदन लालजी, साहब, काम करना ही नहीं आता है, किस-किस विधायक को कैसे ओब्लाइज किया जाता है उसमें भी एक्सपर्ट हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप भले ही कुछ भी कह दें कि यह हनुमान हैं लेकिन मैं एक बात कहूं, आलोचना करना मैं चाहता हूं लेकिन आलोचना के लिए शब्द मिल नहीं रहे, आलोचना के लिए मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मुझे नजर नहीं आया जहां पर कोई आलोचना की जा सके, नहीं तो जैसे वह भोपालगढ़ के माननीय सदस्य बोले थे मैं भी थोड़ा बहुत बोल सकता था लेकिन मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिला, प्रशंसा के सिवाय कुछ भी नहीं मिला, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यही नहीं, सभापति महोदय, यह मुख्य मंत्री सड़क योजना शुरू की।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि बहुत कड़क हैं, यह हमारे साथी जनता दल में रहे हैं इसलिए सब को दबा रखा है आरएसएस वालों को, असली बात तो यह है। आप सब का इलाज कर रखा है। हमारे साथी रहे हैं बहुत पुराने।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके तो साथी रहे हैं, आप दबे क्यों नहीं, आप उधर क्यों चले गये ? या तो फिर ऐसा है कि इनकी योजना से उधर हो। यह भी हो सकता है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): पर मिल कर ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह होशियार हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): हम इधर रहें या उधर रहें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप प्रशंसा करते रहो, फायदे में रहोगे और आलोचना ढूंढी नहीं और गये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आज काफी माननीय सदस्यों को बोलना है, कम से कम 40 नाम हैं पूरे।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आपने माननीय सभापतिजी की बड़ाई नहीं की कि इतना सुंदर भवन बनाया था ? मुझे पता है रात को एक- एक बजे तक यह खड़े रहते थे यहां इंजिनियर काम करते थे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं, आपने नहीं की।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं बोल ही तो रहा था।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इतना सुंदर भवन बनाया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बहुत बढ़िया बनाया है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): पूरे हिन्दुस्तान में पहले नम्बर है या दूसरे नम्बर का मान लो। आपने एक भी तारीफ की ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अभी मैं बोला ही था, अभी मैंने रखा है आपके सामने, आपका ध्यान शायद उस समय कहीं और रहा होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह उपयोगी नहीं है अब इनके लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आज आप टोपी बदल कर आ गये, कल वाली पगड़ी पहन कर आओ, इस टोपी में अच्छे नहीं लगते हो आप, यह टोपी है न इससे कहीं ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह तो आरएसएस वाले पहनते हैं, इसका मतलब आप इनसे भी नाराज हैं क्या ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, आप कहां की बात ला रहे हो, मैं आपकी टोपी बदलने की बात कर रहा हूं, अच्छा सुझाव है, इससे गर्मी आती है और यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, अब गर्मी बढ़ गई है, सर्दी के समय पहन लेना आप।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्री सड़क योजना, यह राजस्थान की वर्तमान सरकार ने चालू की है और 2300 करोड़ रुपये आर ओ बी में खर्च किये हैं। यही नहीं, डब्ल्यू बी एम सड़कों का डामरीकरण किया, सी.सी. सड़कों का निर्माण किया। जो शहरी क्षेत्रों में आती थीं वहां पर सी.सी. सड़कों का निर्माण किया क्योंकि वहां पर पानी की अधिकता रहे तो डामर की सड़कें टूट जाती हैं, इसके लिए सी.सी. सड़कों का वहां पर निर्माण किया। सभापति महोदय, यही नहीं, 19 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो उल्लेखनीय उपलब्धि बताई गई है, यानि राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी प्रशंसा की गई है ऐसी सड़कों का निर्माण किया। इन्होंने पांच वर्ष में केवल 1904 करोड़ रुपया खर्च किया और वर्तमान सरकार ने 7527 करोड़ रुपये खर्च किये यह तो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, यही नहीं, मैं यह निवेदन करूंगा कि निर्धारित आबंटन भी ये प्राप्त नहीं कर सके। जो निर्धारित आबंटन प्राप्त करना चाहिए था वो ये नहीं कर पाये और उससे अधिक वर्तमान सरकार ने प्राप्त किया है। वर्तमान सरकार को केवल 1051 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी थी लेकिन मैं वर्तमान सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने 3884 करोड़ रुपया प्राप्त किया और निर्धारित आबंटन से भी अधिक प्राप्त किया तथा अधिक प्राप्त करके राजस्थान की जनता को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। इसके लिए इनकी निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, गुणवत्ता की जांच के लिए इन्होंने निर्देश जारी किये हैं। हम सब के पास में निर्देश आये होंगे कि एम एल एज सड़कों का निरीक्षण करें, जिला प्रमुख सड़कों का निरीक्षण करें, सारे जन-प्रतिनिधि सड़कों का निरीक्षण करें। और जो अधिकारी हैं वो अधिकारी उनसे दस्तखत करवाकर के लायें कि हमारी सड़क बहुत अच्छी बनी है तब जाकर के उसको इन्होंने सही माना है। केवल इसीलिए नहीं मान लिया कि कोई भी अधिकारी कह दे कि सड़क का निर्माण हो गया है। मैं आपके सामने यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे अभी भोपालगढ़ के माननीय सदस्य ने बहुत जोरदार बात कही टोल की। सभापति महोदय, किशनगढ़ आप भी जाते होंगे, कई माननीय सदस्य जाते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि कुछ वर्षों पहले राजस्थान सरकार ने वहां पर निर्देश दे दिये, केन्द्र सरकार को लिखकर के भी दे दिया कि वहां पर टोल टैक्स की वसूली बन्द करो लेकिन अभी भी की जा रही है। यह बहुत गलत बात है। यह केन्द्र सरकार क्यों ऐसी अनुमति दे रही है जब उसकी अवधि समाप्त हो गई। दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर-दिल्ली सड़क मार्ग पर भी, जयपुर-कोटा सड़क मार्ग पर भी और कोटा बनास नदी पुल पर भी यह टोल वसूली अभी भी हो रही है। यह गैर कानूनी हो रही है। केन्द्र सरकार की और निश्चित रूप से लापरवाही कहें, लापरवाही भी इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, निश्चित रूप से केन्द्र के कई अधिकारी और कई नेता भी इसमें भ्रष्ट होंगे और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से इसमें हो रहा है। इसमें मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक मिनट मैं आपको करेक्ट कर दूं कि बनास नदी के पुल पर जो टोल की वसूली हो रही है वह स्टेट गवर्नमेंट का पी डब्ल्यू डी कर रहा है आप अपने ऑफिसर से चैक करवा लें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप थोड़ा सुधार लो। माननीय सदस्य, थोड़ा सुधार लें, मैं जो बोल रहा हूं वह आप सुनें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह नया पुल बना है उसकी बात मत करो आप, वह सी आर एफ में बना है। पहले वाला स्टेट फण्ड से बना हुआ है और उसका पी डब्ल्यू डी टोल टैक्स वसूल रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने गलत सुना है। मैंने कहा टोंक बनास की, आपने कौनसा सुन लिया पता नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बनास नदी पुल का, बनास नदी तो हमारे यहां भी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने टोंक बनास बोला। अब आप गलत सुनें उसका तो मैं कोई दोषी नहीं हूं।

श्री सभापति: हां बोलें। माननीय मदनजी, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, आज कई माननीय सदस्यों को बोलना है, आप 2-4 मिनट में कनक्लूड करें क्योंकि आप पहले वक्ता हैं और उसके बाद 7 मिनट से ज्यादा नहीं होगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ठीक है, साहब। सभापति महोदय, मेरा अधिकांश समय तो इन्होंने लिया है और इन्होंने सोचा कि मेरा नाम नहीं लिया। अब मैं वैसे कभी-कभी लाड़ से इनके बारे में बोल देता हूं लेकिन इनको लगा कि इसको टोकना जरूरी है इसलिए ये माननीय सदस्य टोकने के लिए खड़े हो गये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): टोका नहीं है, मैंने करेक्ट किया है आपको।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही से जो बैकलाग मिला राजस्थान सरकार को 20 हजार किलोमीटर का वह भी राजस्थान सरकार पूरा कर रही है। 19 हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का जो बैक-लाग है वह यह राजस्थान की वर्तमान सरकार पूरा कर रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। यह देखिये, आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने कांग्रेस राज में ऊंची दरों पर जो निविदाएं स्वीकार कीं 2001 में, और जिन पर इन्होंने राजस्थान सरकार को 73.81 लाख का बोझ, फालतू फिजूलखर्ची से नुकसान पहुंचाया चित्तौड़गढ़ में। यही नहीं, नसीराबाद-मांगलियावास, वहां पर इन्होंने 28.17 लाख

(श्री मदन राठौड़)

की फिजूलखर्ची की है और यह राजस्थान सरकार को नुकसान पहुंचाया है केन्द्रीय सड़क निधि के दिशा-निर्देशों के विपरीत सड़कों के सुदृढ़ीकरण में लापरवाही करने के कारण से। सभापति महोदय, यही नहीं, जून, 2000 में अनावश्यक अधिग्रहण करने के कारण से, यानि गलत जगह अधिग्रहण कर दिया चंदवाजी-चौमूं-रेनवाल मार्ग पर और 38 लाख 19 हजार का इन्होंने राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग को नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं, रामथला और बाजटा अजमेर मार्ग पर जो खारी नदी पुल है वहां पर इन्होंने बार-बार परिवर्तन किया जिसके कारण से 28 लाख रुपये का नुकसान राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग को इन्होंने पहुंचाया है।

सभापति महोदय, यह देखिये कि कोटा में 2002 में उचित आयोजना निर्माण कार्यों में पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के कारण से अपूर्ण पड़े काम के कारण से एक करोड़ का नुकसान हुआ। यही नहीं, मार्च, 2003 में यह चंदलाई से करेड़ा मार्ग पर 2 करोड़ 77 लाख का इन्होंने विभाग को नुकसान पहुंचाया है। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, बूंदी में अनुपयोगी भवन निर्माण कर दिया जिसके कारण से 59 लाख रुपये का निष्फल व्यय इन्होंने करवाया है। यही नहीं, संवेदनशील क्षेत्र में भी इन्होंने लापरवाही की है। सभापति महोदय, जोखिमग्रस्त प्रजाति सेंक्चुरी के बाई-पास निर्माण में नेशनल हाइवे 76 में इन्होंने 53 लाख का उतावलेपन के कारण से नुकसान विभाग को पहुंचाया है। यही नहीं, पीएमजीएसवाई में ये केवल 25 प्रतिशत ही लाभ अर्जित कर पाये, यह इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। गैर जरूरी परिवहन मिट्टी का, इसमें 5 करोड़ 88 लाख का जनवरी, 2003 में नुकसान पहुंचाया। कितना विभाग को खा गये, यह लापरवाही की हद हो गई। सभापति महोदय, हनुमानगढ़ में सितम्बर, 2002 में प्रतिस्पर्धात्मक बीडिंग के बिना व निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने के कारण से 3 करोड़ 8 लाख का अतिरिक्त खर्चा इन्होंने राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग को पहुंचाया। यही नहीं, निर्धारित अवधि में भवनों को पूर्ण नहीं करने के कारण से 32 लाख रुपये का धौलपुर में नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, आर ए सी कर्मचारियों के मकान किराये का इनको भुगतान करना पड़ा 7 लाख 99 हजार का। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कहीं चले गये, वहां पर विभाग की निष्क्रियता के कारण से कार्यशाला स्टाफ के वेतन और भत्तों पर 3 करोड़ 11 लाख का नुकसान पहुंचाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): राठौड़ साहब, एक मिनट। अधिकारी यहीं हैं कोई रिटायर नहीं हुआ है, आपकी सरकार है, कार्यवाही क्यों नहीं करवाते हो? Take action against them. करो न कार्यवाही।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह मैंने आपने के सामने अभी रखा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप कह रहे हैं कि लापरवाही बरती है, अधिकारी वो के वो ही बैठे हुए हैं. Why don't you take action against them? आप करिये न कार्यवाही। कहां आपको रोक रहे हैं? अब आप करो, राज आपका है। Why don't you take action against them? आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ए.जी. के पैराज को पढ़ रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, अब इतने वरिष्ठ लोग मुझे टोकेंगे...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको रोक रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं रोक नहीं रहा हूं। इसकी एक सीमा होती है हर चीज की, चाटुकारिता की एक सीमा है, अगर उसको लाघेंगे तो फिर उसके परिणाम आप जानते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह बोल रहे हैं यह आपको अच्छा नहीं लगता।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं कि उसके परिणाम आप जानते हैं कि क्या परिणाम होते हैं। एक सीमा तक ही आदमी सुन सकता है। जब आप अनर्गल बातें कहोगे तो खड़ा होकर के कहना ही पड़ेगा इन बातों को।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): चाटुकारिता तो पुराना काम है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ सदस्य हैं कि मैं इनकी बात को काटना नहीं चाहता। मैं बहुत इज्जत करता हूं लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि इनकी पार्टी इनकी इज्जत नहीं कर रही है। निश्चित रूप से इनको योग्यता के आधार पर उचित स्थान मिलना चाहिए था यह नहीं मिला है। अब ये 'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे' इसका तो अब मैं क्या कर सकता हूं। सभापति महोदय, इतने वरिष्ठ लोग हैं, ये मेरे बीच में खड़े हो जाएं, अब इनकी तो पता नहीं क्या-क्या, कहां-कहां रह गई...

श्री सभापति: अब जल्दी करें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब मैं एक निवेदन करूंगा कि पाली डाक बंगला जिसका खसरा नम्बर 1484 है और जिसका 45 बीघा 4 बिस्वा क्षेत्रफल है, इसमें कोई अतिक्रमण है तो निश्चित रूप से इसकी जांच करवानी चाहिए। बहुत पुराने जमाने का है, आपके राज का ही है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, पहले के ही हैं। एक ढोला आपके राज में डाक बंगला आपने बनवाया है।

श्री सभापति: माननीय विराजें आप। आपका नम्बर आ जाएगा बोलने का तब आप बोल देना। अब आप कम्पलीट करें। मदनजी, कम्पलीट करें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। ढोला में जो डाक बंगला बना हुआ है, वह बिलकुल अनुपयोगी है। पता नहीं, इन्होंने बनाया, क्यों बनाया? बना दिया, अब उसका कैसे उपयोग लिया जा सकता है। यदि उपयोग लिया जा सके तो निश्चित रूप से इसका लाभ सब को मिलने वाला है।

मैं एक निवेदन करूंगा, नेशनल हाइवे नम्बर-14 पर वाहन दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं और यह फोर लेन बनना चाहिए था। यह राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधीन है लेकिन वहां लापरवाही हो रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर भी, केन्द्र सरकार पर भी थोड़ा दबाव बनायें ताकि यह भी फोर लेन में जल्दी से जल्दी तब्दील हो सके ताकि यह जो नियमित रूप से वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें ब्यावर वगैरह यह सब आते हैं, इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बिराजिये। अब मेरा सभी से अनुरोध है कि दोनों तरफ से एक-एक माननीय सदस्य काफी लेंथ तक बोल चुके हैं, आंकड़ेबाजी काफी हो गई है। अब अपनी to the point बात कहें और अपने-अपने क्षेत्र की कोई बात कहें। माननीय श्री कासनियाजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): राइडर मेरे ऊपर लग गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राठौड़ साहब, आपने तारीफ की, वह तो बहुत बढ़िया है। सुमेरपुर और शिवगंज, दोनों शहरों के लोग काम्बेश्वर महादेव

(श्री संयम लोढ़ा)

सड़क पर जाते हैं। साढ़े पांच किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर डेढ़-डेढ़ फुट के खड्डे पड़े हुए हैं। तीन अस्पताल उस रोड पर हैं और उन खड्डों के अन्दर कितने गर्भपात हो गये। आप यह बात इन मंत्रीजी को नहीं कह सकते थे कि आप साढ़े पांच किलोमीटर सड़क को ठीक करवायें। काम्बेश्वर महादेव जो साढ़े पाँच किलोमीटर की सड़क है, आपके यहां से सब लोग मेरे यहां होकर आते हैं, उस रोड पर खड्डे पड़े हुए हैं डेढ़-डेढ़ फुट के उसके अन्दर, क्या तारीफ कर रहे हो आप? नहीं-नहीं, क्या यह तारीफ का काम है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, यह आपके विधान सभा क्षेत्र में है। मैं अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। यह आपके विधान सभा क्षेत्र में है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इस सरकार ने यह तारीफ का काम किया है? मैंने हाइएस्ट लेवल पर विभाग के नोटिस में ला दिया, उसके बाद आपकी सरकार, दो अतिवृष्टि हो गई, उन खड्डों को नहीं भर सकी।

श्री सभापति: बिराजिये, वह खड्डे भर देगी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह इनके विधान सभा क्षेत्र का मामला था।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, गर्भपात तो नहीं होना चाहिए सदन में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बिलकुल पुख्ता जानकारी दे रहा हूं। चार अस्पताल उस रोड के ऊपर हैं।

श्री सभापति: माननीय संयमजी, बिराजिये। माननीय लोढ़ा साहब, बिराजिये। बिराजिये बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...और बाली तक के लोग उस इलाके के उस सड़क का उपयोग करते हैं और आज तक, till today, 9-9 इंच, 12-12 इंच के खड्डे पड़े हुए हैं। कालेज के बाहर उस सड़क पर खड्डे पड़े हुए हैं और हाइएस्ट लेवल पर आपके विभाग के नोटिस में लाया।

श्री सभापति: माननीय संयमजी, बिराजिये। माननीय मदनजी, बिराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...बड़े शर्म की बात है, आज तक वह खड्डे नहीं भरे गये, बड़े शर्म की बात है।

श्री सभापति: अब यह माननीय मंत्रीजी जवाब दे देंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं एक निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य ने जो कहा है...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप क्या सरकार की बात करते हो? जालौर-पाली-सिरोही, तीनों जिलों में सबसे बड़ी राज्य सड़क है और आपकी सरकार ने क्या हालत कर रखी है उसकी?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आप मेरे ऊपर मेहरबानी करिये। कल भी आपकी गाज गिर गई मेरे ऊपर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, यह कटमोशन पर माननीय मंत्रीजी का जवाब आ गया है और उसका निर्माण करवाने का इन्होंने भी लिखकर भेजा है और वह कृषि मण्डी की सड़क है आधी, जो आप बता रहे हैं।

श्री सभापति: बिराजिये बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये। आज 40 माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): साढ़े पांच किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़क है और साढ़े पांच किलोमीटर मण्डी की है। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए मंत्रीजी से घोषणा करवाओ और पूरी 13 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण सरकार करवाये।

श्री सभापति: बिराजिये आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वह कटमोशन पर इनका जवाब आ गया है और उस जवाब में...

श्री सभापति: आप बिराजिये ना। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया शान्ति बनाये रखें। मंत्रीजी जवाब दे देंगे और खड्डे-वड्डे भरने हैं, वह तो रोज का काम है, आपने नोटिस में ला दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिये आगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मांग संख्या-21 सड़क एवं पुल निर्माण, सड़कों और पुलों के बारे में, आपने वैसे तो राइडर लगा दिया कि अपनी जो मूल बात है, वह कहें...

श्री सभापति: जी हां, बिलकुल।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): पर सभापति महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं, जो अच्छाई की हैं, वह तो कहनी पड़ेगी।

श्री सभापति: कह दो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के आने के बाद में ग्रामीण सड़क निर्माण के अन्दर जितनी गति आई है, जितनी सड़कें बनी हैं, अपने आप में एक इतिहास कायम किया है। यह कोई एक क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात है। और सभापति महोदय, हमारे जीडीसी एक नहर है, पिछले 25-30 वर्षों से लोग मांग करते थे कि तीन पुल क्षतिग्रस्त हैं, आये दिन वहां एक्सीडेंट्स होते थे, लोगों के आवागमन का रास्ता रुक गया था। जीडीसी नहर के ऊपर तीन पुल बनाने का काम सरकार ने किया है, मंत्री महोदय, मैं इसके लिए आपको और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह एक ऐतिहासिक काम उस क्षेत्र के लिए आपने जो किया है, बहुत ही सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, विधायकों को माननीय मंत्री महोदय ने पत्र लिखे कि आप अपने क्षेत्र की जो रोड्स हैं, उसका संबंधित एक्स.ईएन. या एस.ई. के साथ जाकर निरीक्षण करें तो मैं तो मेरे क्षेत्र की बात ही निवेदन कर सकता हूं कि काम बहुत हुए, बहुत-बहुत धन्यवाद। पर मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य कह रहे थे कि विधायकों के हस्ताक्षर करवाये हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। खैर पर ठीक है, सख्ताई है। मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैंने एस.ई. और एक्स.ईएन. को क्वालिटी के बारे में कई बार टेलीफोन कर दिया। मैं मौके पर भी गया हूं, सारी बातें मैं यहां बखान नहीं करूंगा पर कुल मिलाकर अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें, पहले से तो 100 गुना अच्छी स्थिति है, यह तो कहने में कोई संकोच नहीं है। सभापति महोदय, जो सही है, वह कहूंगा, कोई रहम किसी पर नहीं करता, यह और आप देख लेना। (व्यवधान) मैं अभी आऊंगा अपनी बात पर, आप देख लेना कि मैं रहम कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं?

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करें। इधर-उधर बात नहीं करें। आप इसलिए इधर ध्यान दो। उधर देखते ही क्यों हो आप, आप इधर देखा करो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): साहब, मेरे को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच-बीच में, मैं आपकी तरफ ही ध्यान कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं पते की बात ही कहूंगा। ज्यादा अगर तारीफ करूंगा तो मेरे दायीं साइड के लोगों के पच नहीं रही है इसलिए मोटी-मोटी एक

(श्री रामप्रताप कासनिया)

ही बात कह दूं कि तुलनात्मक दृष्टि से निर्माण हो चाहे गुणवत्ता हो, हर मामले में ठीक है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सूरतगढ़-हनुमानगढ़ रोड से लखवाली गांव तक कृषि उपज मण्डी की रोड है, एक लिंक सड़क है, जिसमें 29 एसटीजी नाम से वह सड़क जुड़ी हुई है, लखवाली से 29 एसटीजी, इस पर कम से कम 15-20 गांवों का आवागमन है। सभापति महोदय, यह रोड तो बनी हुई है, बीच में छह पाइंट बनी नहीं हुई है, उसका कारण है घग्घर नदी तो घग्घर नदी पर पुल बना हुआ नहीं होने के कारण से 15-20 गांवों को कम से कम 15 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। अगर यह पुल सरकार बना दे तो कम से कम 15-20 गांवों के लोगों को आवागमन में 15-20 किलोमीटर तक दूरी कम हो जायेगी और लोगों को फायदा होगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा सभापति महोदय, नेशनल हाइवे नम्बर-15 सूरतगढ़ से भोजेवाला तक...

(समय : 15.58 बजे)

(श्री बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

यह तो गड़बड़ हो गई। खैर, यह भी एक दिनमान की बात है। संयोग है और संयोग किसी के बस की बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल हाइवे नम्बर-15 से भोजेवाला तक, 12 किलोमीटर रोड का निर्माण होता है तो 15-16 गांवों का लाभ मिल सकता है। इसमें भी बीच में घग्घर डिप्रेशन है, वहां पर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और इन गांवों को भी 20 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है क्योंकि बीच में घग्घर डिप्रेशन है तो मैं इस बात को समझता हूं कि मांग करना तो बहुत आसान है पर पैसों का प्रबन्ध कहां से होगा? इतनी बुद्धि तो मेरे नहीं है, मेरे से बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे सुझाव देंगे पर मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि पुल नहीं बनाकर काजवे टाइप का पुल बनायें, उसकी लागत बहुत ही कम होती है। थोड़ा पानी हो तो नीचे से निकल जाता है और ज्यादा पानी हो तो ऊपर से बह जाता है। यह दोनों ही जगह 29 एसटीजी और लखवाली के बीच में नाड़ी का बैल्ट है, मैं उसकी बात कर रहा

(श्री रामप्रताप कासनिया)

हूं। और सूरतगढ़ तहसील में जो मैंने भोजेवाला गांव तक रोड बनाने की बात कही है, बीच में घग्घर डिप्रेशन की बात कही है, वहां पर भी काजवे टाइप पुल बनाकर लोगों को लाभ दिया जा सकता है।

(समय : 16.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सूरतगढ़ थर्मल पावर जो है उससे गांव गुसाईसर तक, नेशनल हाइवे नम्बर 15 से गुसाईसर तक रोड बनी हुई है और उधर से पल्लू से लेकर के बन्नासर या धांधू तक पक्की रोड बनी हुई है, बीच में सात-आठ किलोमीटर का टुकड़ा है जो वर्षों से नहीं बन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण रोड है, थर्मल की दृष्टि से भी देखें तो भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस रोड के बनने से आठ-नौ तो शहरों को जयपुर आने के लिए कम से कम तीस किलोमीटर, चालीस किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। दूसरे, थर्मल की जयपुर आने-जाने की एप्रोच है, वहां कोई सामान ले जाने की आवश्यकता पड़े तो भी बहुत फायदा होगा और ईंधन की भी बचत होगी। बहुत महत्वपूर्ण रोड है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा इस रोड के लिए कि सूरतगढ़ थर्मल जो है उसको इस रोड की निहायत आवश्यकता है, तो आप पीडब्लूडी की तरफ नहीं देख करके थर्मल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें करोड़ों-अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं, अगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ऊर्जा विभाग इस रोड को बनाता है अपनी जरूरत के मुताबिक तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मुझे कहना भी नहीं चाहिए, पर मैं रह भी नहीं सकता। सभापति महोदय, शुक्रवार, 23 मार्च, 2007 को मैंने मेरे क्षेत्र के कनठेठा और सरदारपुरा-खरता के बीच में घग्घर डिप्रेशन पर पुल बनाने के लिए सरकार से परची के माध्यम से आग्रह किया था, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में जो बात कही, वह मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं। और सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैंने सुना है कि राजपूत लोग जबान के पक्के होते हैं, वह झुक नहीं सकते, कट सकते हैं, पर मुझे यह कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको पीड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे हाथ में ही है, एनआईटी उसकी हो गई है, यह आप चाहें तो आप देख लो, इसके टेंडर कर दिये गये हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): तो मैं इसको नहीं पढ़ूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, कोई आवश्यकता ही नहीं। यह ले जाओ आप मेरे से।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): पर मंत्री महोदय, आपका इसमें दोष नहीं है, देखो, मैं बारीकी से, यह विभाग की गलती समझो, आपके आश्वासन देने के बावजूद यह आपका वक्तव्य है, इसकी कापी लेकर के मैं आपके पास गया, उसके बाद में इस पुल को आपने परश्यू करना शुरू किया और अधिकारियों को डांट भी पिलाई है, मुझे पता है इस बात का। पर मैं डर रहा हूं कि समय बहुत कम है और मुख्य मंत्रीजी को और आपको अख़बार में धन्यवाद दे दिया इसलिए मैं पूरा, बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) सभापति महोदय, मुख्य रूप से मैं सरकार के कार्य के बारे में पूर्व में भी कह चुका हूं और अब भी कहना चाहता हूं कि यह एक छोटी सी कमी तो नहीं थी, मोटी थी और इसकी पूर्ति कर दी इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उस दिन भी जब यहां बहस चली थी तो मैंने धन्यवाद दे दिया था, धन्यवाद पर ही काफी लम्बी चौड़ी कहानी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, तो मैं आज पुनः निवेदन कर रहा हूं कि मैंने आपको धन्यवाद दे दिया है। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि यह जो मैंने दो पुल और एक साइड भोजेवाला में जो रोड बताई है और एक पल्लू, थर्मल के बीच में जो आठ किलोमीटर रोड है, यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है, अगर यह रोड, तीनों कार्य हो जाते हैं तो मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और वहां की जनता की तरफ से सरकार का आभार प्रकट करूंगा और आपने मेरे जो यह पुल की एनआईटी लगाने की बात कही है इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की ओर से आपको पुनः बधाई देना चाहता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य नवरतनजी राजोरिया।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए तो मैं आपको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। आज मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 पर इस सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा की जा रही है। किसी भी राज्य के विकास के लिए सड़कें आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण हैं और सड़कों के विकास के लिए माननीय वसुंधराजी राजे की सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किये हैं। माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री को मैं अपनी ओर से इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता

(श्री नवरतन राजोरिया)

हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने पिछले चार वर्षों में सड़कों के विकास के लिए रिकार्ड बनाया है, महत्वपूर्ण विकास किया है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कुछ भी बोलें, लेकिन उनके मन में भी, जब अपने-अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार उनके क्षेत्र में भी अनेक ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें इस कार्यकाल में बनी हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाते हुए कहना चाहूंगा कि गत वर्षों में, चार वर्षों में पिछली कांग्रेस की सरकार की तुलना में, उनके पांच वर्षों के कार्यकाल की तुलना में दस हजार करोड़ रुपये की लागत की सड़कें इस राजस्थान राज्य में बनी हैं। सड़क की मांग करना और बात है, कार्य करना और बात हैं। आज मैं इस सदन में पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी का इस बात के लिए नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने अपने शासनकाल में एक ऐसी नीति बनाई, गांव को जोड़ने के लिए, प्रधान मंत्री सड़क योजना और नीतिगत निर्णय बनाये, वह चाहते तो अपना नाम जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी सड़क योजना नाम दे सकते थे लेकिन गांव की सड़कें जोड़ने के लिए पहले प्रधान मंत्री थे जिन्होंने हर गांव को जोड़ने के लिए पहले हजार से दो हजार, फिर हजार तक, फिर पांच सौ की आबादी तक सड़क जोड़ने की नीति बनाई, नीति ही नहीं बनाई, उसकी क्रियान्विति के लिए बजट में प्रावधान भी किया और पैसा भी उपलब्ध करवाया। आज पीएमजीएसवाई रोड में 2003-04 से लेकर आज तक निर्धारित आबंटन के अनुसार 1051 करोड़ रुपए की राशि बजट में आबंटन होनी चाहिए थी परंतु हमारे योग्य कुशल प्रबंधक जिन्होंने इनको प्रतिपक्ष के नेता के बाद में भी कोई उनका जवाब नहीं, ऐसे सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने 3884 करोड़ रुपए प्राप्त करके पीएमजीएसवाई रोडें बनाई हैं। लगभग 2800 करोड़ रुपए अतिरिक्त आबंटित राशि 1051 की तुलना में 3884 करोड़ रुपए आबंटित राशि प्राप्त की है जो कि एक उपलब्धि है। आज मैं समझता हूं हर क्षेत्र में सड़कों का जाल किसी-न-किसी मद में बनाया जा रहा है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करुं, मेरा एक ऐसा क्षेत्र है फुलेरा विधान सभा क्षेत्र जयपुर ज़िले का बाकी विधान सभा क्षेत्र तो किसी-न-किसी नेशनल हाइवे से जुडे हुए हैं लेकिन मेरा क्षेत्र किसी भी नेशनल हाइवे से नहीं जुड़ा हुआ है। परंतु पहली बार विधायक बनने के बाद जब हम वहां जाते थे तो सड़कें ऐसी जर्जर अवस्था में थी कि पेट का पानी हिल जाता था परंतु आज लगभग 50-60 करोड़ रुपए पिछले 3-4 वर्षों में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय के सहयोग से फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया है।

(श्री नवरतन राजोरिया)

आज 500 की आबादी का गांव पीएमजीएसवाई रोडों में एक ऐसा कोई गांव नहीं है, लक्ष्य से पहले ही हमें 31 मार्च, 2008 तक यह लक्ष्य प्राप्त करना था पीएमजीएसवाई रोड का लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस सदन को 2007 दिसम्बर में ही हमारी सभी पीएमजीएसवाई रोड बन कर तैयार हो गई हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा वैसे तो केन्द्रीय सरकार को भी विस्तार करना चाहिए था पीएमजीएसवाई रोड को, लेकिन संकुचित विचारधारा के कारण वह 250 की आबादी के गांवों को नहीं जोड़ना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी को इस सदन के माध्यम से मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने बजट भाषण में 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया है और 400 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया है। आज फुलेरा के सब डिवीजन को आपने डिवीजन बनाकर जो एक्सईएन आफिस दिया है उसके लिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य डिवीजन की तुलना में जो एक सब डिवीजन उसमें कम है, आपने मुझे आश्वस्त भी किया था उसको भी जोड़ा जाए। पीडब्लूडी के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, मैं उन सड़कों का नाम नहीं गिनाना चाहूंगा लेकिन अच्छी क्वालिटी उन्होंने तो हमको बार-बार पत्र लिखे कि गुणवत्ता में कोई कमी हो तो आप हमें अवगत कराएं, तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही की जाए। अभी हमारे माननीय सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र से आने वाले सदस्य बता रहे थे कि आज टेंडर प्रकिया में इतनी व्यवस्था कर दी गई है अगर उसमें क्वालिटी में कोई कमी आती है, सड़क टूट जाती है तो नई सड़क के लिए पांच वर्ष का उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उस ठेकेदार के ऊपर है। डामरीकरण किया जाता है तो उसके लिए रखरखाव के लिए भी ठेकेदार की जिम्मेदारी है तीन वर्ष के लिए। कुल मिलाकर हम समझते हैं कि अच्छा विकास हो रहा है परंतु जो पिछले वर्ष हमको मिसलिंग रोड के रूप में दस-दस किलोमीटर रोड़े दी गई थी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावना है इस मिसलिंक रोड का प्रावधान इस वर्ष भी प्रत्येक सदस्यों को लगभग बीस-बीस किलोमीटर सड़क का प्रावधान किया जाए। हम समझते हैं कि सारे सदन की भावना है मिसलिंक रोड के लिए हम

(श्री नवरतन राजोरिया)

सब आपसे आग्रह करते हैं कि बीस-बीस कि.मी. क्योंकि आपने गांवों से जोड़ने का प्रावधान कर दिया है, सीआरएफ में रोड दे दी, आपने डब्लूबीएमसी से बीटी रोड दे दी परंतु वह सड़क जो दो टुकड़ों के बीच एक टुकड़ा पड़ा हुआ है एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर का टुकड़ा, उसके कारण वह सड़क उपयोगी नहीं रह जाती है। जब गाड़ी चलती है 60-70-80 की स्पीड से और जब बीच का टुकड़ा आता है वह सारी रफ्तार खतम हो जाती है।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि आप जब जवाब दें तो मिसलिंक रोड के लिए जो आपने यह छूट गई, वह आप अति कृपा करेंगे रोड का प्रावधान करके। साथ ही मैंने कई बार मिलकर भी और साथ में मैंने क्वेश्चन जो लगाया था उसके जवाब में भी कुछ रोडों का मैंने आपसे आग्रह किया था, उसके जवाब में आपने आश्वस्त तो किया है, निर्देश भी दिया है परंतु दो-तीन रोड महत्वपूर्ण है। जयपुर से जोबनेर जाने के लिए आज रोड तो सीआरएफ में बना दी गई लेकिन उस पर साधनों का दबाव इतना है कि उसकी चौड़ाई मुश्किल से 40-50 फिट की ही है यहां हाथोज तक तो उसकी चौड़ाई का काम हो रहा है। मेरा निवेदन है कि यह रूट डीडवाना और जोधपुर तक जोड़ता है जितने-जितने फेज में मेगा हाइवे के रूप में भी ले रखा है लेकिन उसमें समय लगेगा। आपसे आग्रह है कि जोबनेर तक आप इसको दो लेन से चार लेन बनाने की आप घोषणा करें। मेगा हाइवे मेरे परबतसर के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेगा हाइवे की स्वीकृति प्रदान करें और लाडनूं, डीडवाना और जोधपुर जो रूट है उसको भी मंजूरी देवें। साथ ही दो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड जोबनेर से फुलेरा वह दस फिट ओनली, फुलेरा जाते हैं तो सिंगल रोड भी वह बन नहीं पाती, आवागमन में दिक़्क़तें होती हैं, उसकी आप चौड़ाई बढ़ाकर तीन से सात मीटर किया जाए। साथ ही लालपुरा, कालवाड़ रोड से हिंगोनिया, करणसर, रेनवाल रोड इसकी भी चौड़ाई बढ़ाकर तीन मीटर से चार मीटर किया जाए ताकि हम रेनवाल सीकर इस रोड रूट से जाया जा सके। इसी प्रकार हमारे पांच सात यह रोड है जो मिसलिंक रोड में हैं हिंगोनिया से चिनोटिया वाया आला का बास, रामपुरा से पचार, किशनगढ़ रेनवाल से मिंडा वाया डोडारामजीपुरा, किशनगढ़ रेनवाल से करड वाया मूंडली रंजीतपुरा, आप करड पधारे थे, आपकी घोषणा भी है आप इसकी स्वीकृति प्रदान करके करड वाली रोड की मंजूरी देवें। गुढामान से बेसावा, काजीपुरा से सिनोदिया, बेणियों

(श्री नवरतन राजोरिया)

का बास से बेसावा वाया छोटा मद और सिनोडिया से खंडेल, बाधवा से देवली ये जिलों को जोड़ती हैं और महत्वपूर्ण रोडें हैं। मिसिंग लिंक में या अन्य कोई प्रावधान करके इन रोडों को बनवाने की कृपा करें। आज लोक निर्माण के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में नयी जेल का निर्माण किया वह बन कर तैयार हो गयी, उद्घाटन की प्रतीक्षा में है। नये थाने निर्माण करवाये, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में वार्ड एवं डाक्टर्स के क्वाटर्स आदि निर्माण करवाये, अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण किये हैं। फुलेरा और सांभर में पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले हैं लेकिन जोबनेर, किशनगढ़ और रेनवाल में डाक बंगला नहीं है अधिकारियों को रुकने की भी जगह नहीं मिलती। हम जब भी जाते हैं तो कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। जोबनेर में मैंने विधायक कोष से पांच लाख रुपये देकर डाक बंगले बनवाने की व्यवस्था की है। आपसे मेरा निवेदन है कि किशनगढ़, रेनवाल 70-75 हजार की आबादी का बड़ा कस्बा है वहां पर उप तहसील कार्यालय, नगरपालिका अधिकारी, डाक्टर्स और अधिकारी भी जाते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़, रेनवाल के बाइपास निर्माण के लिए व्यवस्था करें, अनुमति प्रदान करें, स्वीकृति प्रदान करें।

मैं अंत में दो बातें और कहना चाहूंगा जोबनेर एक बीच सेन्टर है। एक रास्ता जाता है फुलेरा के लिए जयपुर-जोबनेर से और एक रास्ता जाता है किशनगढ़-रेनवाल के लिए जोबनेर बाजार में ट्रक, बसें वगैरह जाते हैं तो रास्ता जाम हो जाता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि इसके लिए बाइपास बनाने की व्यवस्था करें, स्वीकृति प्रदान करें। साथ ही फुलेरा में ही ऐसे ही मुख्य बाजार से साधन निकलते हैं तो आवागमन में असुविधा होती है । मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि फुलेरा में भी एक बाइपास का निर्माण हो जाए। आपने किशनगढ़-रेनवाल का जो बाइपास बनवाया है बहुत ही अच्छा बाइपास बनवाया है उसके लिए तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन यह दो बाइपास भी निर्माण करा दें तो आवागमन में सुविधा हो जाएगी। आपने बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री सी. डी. देवल।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर मैं माननीय मंत्रीजी का मेरे विधान सभा क्षेत्र और कुछ अन्य बातों पर

(श्री सी.डी. देवल)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब माननीय राठौड़ साहब सार्वजनिक निर्माण मंत्री बने थे तब मैं इनसे मिला था और इनसे एक निवेदन किया था कि ठेकेदारी प्रथा में जो इस प्रजातंत्र में ...(व्यवधान) जहां एक ओर सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो रहा है वहां इस सार्वजनिक निर्माण विभाग में सत्ता का केन्द्रीयकरण हो रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था को हटा करके समाजवाद लाने की बात सरकार और प्रतिनिधि सोचते हैं। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस ठेकेदारी प्रथा के जो बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं, ठेकेदार पूंजीपति हैं, उनको एकाधिकार दिया जा रहा है और वो लोग नीचे सबलेटिंग करते हैं। पूरा विभाग जानता है माननीय मंत्री महोदय, कि वो बड़े-बड़े ठेकेदार भाग ले लेते हैं और छोटा ठेकेदार उनके कम्पीटिशन में आ नहीं सकता और उन ठेकों की बाद में सबलेटिंग होती है तो जो उसकी सिक्योरिटी राशि होती है उसको वो ठेकेदार खा जाता है। एक तरफ विभाग में जो कमीशनबाजी चलती है उसमें वो छोटा ठेकेदार मारा जाता है दूसरी तरफ 5-10 प्रतिशत जो सिक्योरिटी होती है वो भी बड़ा ठेकेदार खा जाता है। तो जब इतने पैसों का फर्क वहां पर पड़ जाता है तो बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा? और निश्चित तौर से जो आपकी सड़कों की गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। आपने उस समय ये आश्वासन भी दिया था लेकिन पता नहीं इन अधिकारी वर्ग के चंगुल में आप कैसे आ गये कि आपने भी वो परम्परा जारी रख दी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस मामले पर पुनर्विचार करें । छोटे ठेकेदारों का पूरे राजस्थान में शोषण हो रहा है उसको आप रोकें। चाहे आप पेवर से सड़क बनायें और किसी साधन से बनायें लेकिन इस एकाधिकार को तोड़ें।

दूसरा निवेदन मैं आपसे यह कर रहा था कि माननीय मंत्रीजी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 14 से झाला की चौकी जाने वाली सड़क पर से जो कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवरोध पैदा कर दिया था उसको आपने बिना दबाव के चाहे समय लगाया, लेकिन तुड़वा दिया। इसके लिए मैं रायपुर विधान सभा क्षेत्र की सब जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन माननीय मंत्रीजी मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें जिन्होंने इस चबूतरे को बनने दिया क्योंकि चबूतरा एक दिन में नहीं बना। आखिर आपके विभाग के अधिकारी आंख मीच कर क्यों सोते रहे, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकारी हो और चाहे और कोई हो ये तो आप

(श्री सी.डी. देवल)

मानते हो कि क्योंकि नियम विरुद्ध कार्य था इसलिए आपने तुड़वाया। तो कृपया आप उनके विरुद्ध भी कोई न कोई कार्यवाही करें, ताकि भविष्य में कोई प्रभावशाली व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य सड़क मार्ग पर समुचित आदेश के बिना कोई निर्माण नहीं करे। साथ ही माननीय सभापति महोदय, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया था कि 21 मार्च, 2007 को आपने विधान सभा के अन्दर ये घोषणा की थी कि जो विभाग के कर्मचारी/अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति का रास्ता साफ किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके जो एक्सईएन, एईएन, एसई और चीफ इंजीनियर हैं इन्होंने तो अपने पद बढ़ा लिये इनकी डीपीसी करवा ली, इन्होंने अपनी पदोन्नति करवा ली लेकिन बेचारे जो सबसे छोटे तबके के जेइएन हैं वो अभी भी पदोन्नति से महरूम हैं और आखिर आपके आखिरी काम करने वाला व्यक्ति कौन है ये लोग जो एयरकंडीशन में बैठ कर हुक्म चलाते हैं और काम आपका जेइएन और एईएन करता है। इसलिए आप उनकी समस्या का निराकरण करें, ताकि आने वाले समय में वो द्रुतगति से काम कर सकें और जो आप काम कर रहे हो इसमें आपको अच्छा सहयोग मिल सके। इसके साथ ही आपने पूरे राजस्थान के अन्दर, शहरों के अन्दर सीसी रोड बनाने की कार्यवाही की है लेकिन माननीय मंत्रीजी आपका ध्यान गांवों की तरफ नहीं गया है। मैं इस बात के लिए तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो सुदृढ़ीकरण का कार्यक्रम किया है उसमें गांवों के अन्दर आपने सीसी रोड का प्रावधान किया है लेकिन मेरा निवेदन है कि राजस्थान की अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है यहां जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनमें से अधिकांश गांवों के हैं इसलिए आप कोई बजट में स्पेशल प्रावधान करके जो-जो गांव हैं उन गांवों के पोरशन में सीसी रोड की व्यवस्था करें ताकि आने वाले समय में गांव के लोग परेशान नहीं हों। नहीं तो आपके डामर की सड़क आप बनाते हो और दस दिन में वो पानी से टूट जाती है क्योंकि डामर और पानी के वैर है। इसलिए आप कृपा करके ...(व्यवधान) इसके अतिरिक्त माननीय मंत्रीजी, कुछ सड़क वन क्षेत्र की है जिसमें रायपुर विधान सभा क्षेत्र में लाखा के खेत की सड़क, खेजड़ी के बाड़ा की सड़क और सांडमगरा की सड़क अधूरी पड़ी हुई है। तो आप जो भी प्रक्रिया इसमें अपनानी है चाहे भारत सरकार से बात करें किसी से बात करें लेकिन उन सड़कों का काम पूरा करवायें ताकि जो रावत समाज के लोग उस जंगल और जंगली क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में

(श्री सी.डी. देवल)

रहते हैं उन लोगों को इसका फायदा मिल सके क्योंकि सड़क वहां निकली हुई है पीडब्ल्यूडी की सड़क पूर्व में कच्ची भी बनी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि पांच साल में जो अकाल राहत के काम चले थे उसके अन्दर पूरे राजस्थान के अन्दर कच्ची सड़कों का जाल बिछ गया था और इतनी डब्ल्यूबीएम सड़कें बनी हैं कि आपने उनका डामरीकरण करा दिया इसलिए चारों तरफ से आपकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि बेस जो था उसका बेसिक काम जो था डब्ल्यूबीएम बनाने का वो तो हमारी गहलोत साहब की सरकार ने किया था और यश आपको मिलना था इसलिए आपने अच्छा काम किया इसलिए उसके लिए भी आपका धन्यवाद। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वो गेहूं भी दिल्ली ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वो गेहूं तो घर-घर में चला गया और इस बार जब चुनाव होगा तो वो गेहूं बाहर निकलेगा।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हम आपको धन्यवाद देते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मकराना से आने वाले माननीय सदस्य। एक मिनट माननीय सदस्य। मैं आपको पहले ही आग्रह कर चुका हूं कि चुनाव पास आने वाले हैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए। अगर दो चार एक्स्ट्रा सड़कें बन जाएंगी तो आपके वोट भी बढ़ जाएंगे इसलिए बीच में टोका-टाकी नहीं करें। मेरा आपसे आग्रह है। बोलिये माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसके साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान रायपुर विधान सभा क्षेत्र के कुछ अधूरे कामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रायपुर क्षेत्र का कुशालपुरा बहुत बड़ा गांव है जहां आप स्वयं भी पधारे हैं और वहां पर कर्मावास मालियान तक सड़क तो आपने बना दी लेकिन नदी पर काजवे नहीं बनाया तो वह सड़क काश्तकारों के लिये बेकार हो गई । इसी प्रकार गुडावीजा से चन्दावल से होडिया की सड़क आपने बना दी लेकिन गुडावीजा और रायराकला के बीच में आपने ब्रिज या काजवे नहीं बनाया उस वजह से बरसात में उन लोगों को आने जाने की बहुत भयंकर समस्या रहती है इसलिए उन दोनों को बनाने की आप व्यवस्था करावें। पीएमजीएसवाई में जो आपकी सडकें बनती हैं उसमें भी कई गांव नहीं जुडे हैं । गत दिनों में आपसे लोग मिले थे और

(श्री सी. डी. देवल)

आकोदिया से बाकास की एक सड़क स्वीकृत हुई थी लेकिन आपके इंजीनियर ने जो एस्टीमेट बनाया उसमें 300 मीटर कम बना दिया । जब गांव ही नहीं जुड़ा है तो यह प्रधान मंत्री सड़क योजना के पैसे का क्या उपयोग है । इसलिए आप यह व्यवस्था करें कि जिस इंजीनियर ने कम एस्टीमेट बनाया है उसके खिलाफ कार्यवाही करें और उस बाकास गांव को जोड़े ताकि इसकी कोई व्यवस्था हो सके।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपको निवेदन किया है कि इस बार आपने मिसिंग लिंक नहीं दी है, अब की बार आपका यह आखरी बजट है अगली बार पता नहीं कौन आयेगा कौन जायेगा। इसलिए कृपा करके हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 20 किलोमीटर सड़क आप मिसिंग लिंक में दें क्योंकि बहुत से विधान सभा क्षेत्र टूट गये हैं, बहुत से लोकसभा के क्षेत्र टूट गये हैं । इसलिए कृपा करके आप इन विधायकों का ध्यान रखते हुए सब को मिसिंग लिंक देने की व्यवस्था करें। रायपुर तहसील मुख्यालय है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हाल ही में वहां सहायक कलक्टर का कार्यालय भी खोल दिया है लेकिन वहां पर डाक बंगले की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि रायपुर तहसील हैड क्वार्टर है और बहुत पुराना है उसमें आप एक डाक बंगले की स्वीकृति प्रदान करें। चूंकि रायपुर गांव सड़क से 2 किलोमीटर दूर पडता है वहां पर लोगों को जाने में परेशानी होती है और बरसात में रास्ता बंद हो जाता है, नदी के ऊपर एक किलोमीटर का बाइपास है उस बाइपास को बना दें ताकि लोगों को आने जाने में रायपुर जो कि मुख्यालय है, पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है और तहसील हैडक्वार्टर है और अब एसीएम हैड क्वार्टर है तो उन लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं हो इसलिए आप इस बाइपास की भी व्यवस्था करायें। इसके साथ ही नील कंठ महादेव का एक बहुत बड़ा मंदिर है जो ब्यावर और रायपुर की सीमा पर आया हुआ है । रामगढ़ सेडातान से उस जगह पर जाने के लिये करीब एक किलो मीटर की सड़क है क्योंकि आप धार्मिक स्थलों को जोड़ रहे हैं जैसा कि सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपकी बहुत तारीफ की है। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि उस नील कंठ महादेव की एक किलोमीटर की सड़क रामगढ़ सेडातान से करा दें । एक धारेश्वर महादेव की सड़क है वह है तो माननीय दवे साहब के विधान सभा क्षेत्र में लेकिन चार साल से मेरी भी वहां

(श्री सी. डी. देवल)

आस्था है। इसलिए आपको निवेदन करता रहा हूं लेकिन अभी तक मंत्री महोदय वह धारेश्वर की सड़क नहीं बनी है। आपने झाला की चौकी में पोकरण के बाद रामदेवरा का जो मंदिर है, पोकरण के बाद बिराठिया खुर्द का मंदिर सबसे बड़ा रामदेवजी का मंदिर है और आपने झाला की चौकी पर यह आश्वासन भी लोगों को दिया था कि यह जो दो किलो मीटर की मिसिंग लिंक है इसको मैं जोड़ दूंगा लेकिन आज तक स्वीकृत नहीं हुई । जैसा कि माननीय कासनियाजी ने कहा था कि राठौड़ों की बात रहती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाये पर वचन ना जाय । आपने कुशालपुरा में माननीय सुरेन्द्र गोयलजी के निवेदन पर कुशालपुरा से आगोवा सड़क जोड़ने की पांच हजार आदमियों की प्रजेंस में, एक लोकमान्य संत की प्रजेंस में घोषणा की थी लेकिन उसका आज तक माननीय मंत्रीजी कहीं अता पता नहीं है । मैं तो उसको ढूंढता ही रहता हूं कि वह सड़क कहां मिलेगी । इसलिए आप उसको भी बनाइए ।

इसके साथ ही माननीय मंत्रीजी नेशनल हाइवे नम्बर 8 से एक आसन जिलेलाव की सड़क बनी थी क्योंकि आसन में जो नाथ सम्प्रदाय के लोग रहते थे 1985 में उनके घर जला दिये गये थे तो तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने वह सड़क बनाई थी । अब वह काफी टूट फूट गई है तो मेरा निवेदन है कि जो 3.75 मीटर की चौड़ाई की जो सड़क आप बना रहे हैं उसमें नेशनल हाइवे नंबर 8 से कलारिया, तानूजा, बिराटिया खुर्द, रेलडा, ब्यावर सीमा तक इस सड़क को चौड़ा कर दें ताकि लोगों को आने जाने का रास्ता मिल सके ।

इसके साथ ही माननीय मंत्रीजी (व्यवधान) लिख कर दे दूं, लिख कर तो रोज ही देते रहते हैं और मंत्रीजी काम करते ही रहते हैं इसीलिए इनको धन्यवाद देता हूं, नहीं करते तो यह भी नहीं देता मैं । इसके अलावा मंत्रीजी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम हो रहे हैं एईएन का जो हैड क्वार्टर है वह बर में कर रखा है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस एईएन के हैड क्वार्टर को आप रायपुर में करें जो तहसील मुख्यालय है । इसके साथ ही मंत्रीजी पाली जिले के जो लोग हैं उनके सामाजिक रिश्ते मेवाड़ में है। चंडावास से लाखा के खेत तक सड़क जा रही है सुतरंगिया तक उसको गाफा तक मिला दे तो वहां के क्षेत्र के हजारों लोगों को फायदा होगा । यह तीन-चार किलोमीटर का टुकड़ा है जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है । उधर माननीय हरिसिंह

(श्री सी.डी. देवल)

जी का और भूतडाजी का क्षेत्र आता है तो यह तीन जिले मिल जायेंगे । आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सभापति: माननीय सुभाष चन्द्रजी शर्मा, पांच मिनट में आपको अपना विषय रखना है ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर बोलते हुए मैं सर्वप्रथम सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये की लागत से सडकें बनाई हैं उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । एक धन्यवाद सबसे ज्यादा इस बात का दूंगा कि एक पुलिया बनाडी बांध के नीचे थी जो पिछले 25 साल से नहीं बनी थी वह पुलिया आपने 48 लाख की लागत से बना कर वहां का आवागमन सुचारु किया उसके लिये बहुत-बहुत बधाई । दूसरा पावटा से नारेडा रोड जो 30 किलोमीटर की लम्बाई में है और पोने सात करोड़ रुपये की लागत से जिसका आप उद्घाटन भी करके आये थे और उसको आपने हमारी जनता को समर्पित किया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । 25 करोड़ की सड़कें मेरे क्षेत्र में बनाई हैं इसके लिये आपका आभार। मेरे कोटपूतली क्षेत्र के चारों तरफ जहां मैं देखता हूं बहुत सारी नई सड़कें बन गई हैं और पुनर्निर्मित हो गई हैं। कुछ सड़कें और कुछ स्थितियां हैं जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं । एक तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समितियों द्वारा बनाई गई डब्ल्युबीएम की 11 सड़कें ऐसी हैं जो पता नहीं विभाग से किस प्रकार से वंचित रह गई, सूचना के अभाव मं रह गई वह डब्ल्युबीएम सड़कें अभी तक डामरीकरण बीटी में नहीं हो पाई जबकि आपने पूरे राजस्थान में डब्ल्युबीएम सड़कों को बीटी में कर दिया । मेरा आपसे आग्रह है कि उन 11 सड़कों को डब्ल्युबीएम से बीटी में करने की आप कृपा करें । एक जयपुर की सीमा से सीकर की सीमा को जोड़ने के लिये बुचारा से जुगलपुरा के लिये सड़क है जो साढ़े तीन किलोमीटर जयपुर जिले में और 4 किलोमीटर सीकर जिले में है । यह टुकडा जुड जाता है तो कम से कम डेढ़ लाख लोगों के दिल्ली जाने का रास्ता सुचारू हो सकता है । इसलिए आप इसको प्राथमिकता पर करने की कृपा करेंगे । नारायणपुरा में आप पधारे थे और परागपुरा से नारायणपुरा जो सड़क जा रही है यह दोनों अंतर जिला सड़क है उसको एमडीआर योजना में

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

लेने की आपने घोषणा की थी । मैं निवेदन करूंगा कि आज आप उस बात को भी इसमें शामिल कर लें और एमडीआर में उस रोड को ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी कम से कम 50 पंचायतों का आवागमन सुचारू हो जायेगा । पावटा से भैसलाना वाया ललाना, परागपुरा, भरीभडाज व धालेडा यह कम से कम पांच पंचायतें ऐसी हैं जिनके बीच साढ़े सात किलोमीटर का टुकड़ा है, यह साढ़े सात किलोमीटर का टुकडा आप जोड़ देंगे तो कम से कम एक लाख की आबादी इससे लाभान्वित हो जायेगी। सीआईडीएस योजना में पाछोडाला से रघुनाथपुरा सड़क प्रस्तावित थी, पाछोडाला कोटपूतली से विराटनगर रघुनाथपुरा के लिये यह सीआईडीएस में प्रस्तावित है वाया टोडा ब्राह्मणान होकर, यह सड़क पांच किलो मीटर की है आपकी कृपा हो जाये, दोनों पंचायत समितियों को जोड़ने के लिये यह सड़क मिल जाये क्योंकि माइन्स डिपार्टमेंट से आपको पैसा लेना है और माइन्स डिपार्टमेंट से पैसा लेकर इस सड़क को शीघ्र बनाने की कृपा करेंगे ।

इसके अलावा ढ़ाई सौ से पांच सौ की आबादी तक के राजस्व गांवों को जोड़ने के लिये इस वर्ष राजस्थान की सरकार ने प्राथमिकता में लिया है । मैंने ढाई सौ से पांच सौ की आबादी के राजस्व गांवों का एक लैटर बना दिया है और वह प्रस्ताव भी आपके पास भेजे गये हैं उनको आप प्राथमिकता में लेने की कृपा करेंगे । मेरे दो गांव ऐसे हैं एक तो बखराना जिसमें 1656 की आबादी है और एक पंचपहाड़ी जिसमें 1754 की आबादी है। यह पीएमजीएसवाई में इसलिए नहीं आ सके क्योंकि यह एक किलोमीटर से नीचे की सडकें थीं, पांच सौ मीटर से नीचे की होने की वजह से यह दोनों गांव बड़ी आबादी होने के बावजूद भी सड़क से नहीं जुड पाये हैं इसलिए इन दोनों गांवों को भी आप प्राथमिकता पर जोड़ने की कृपा करेंगे ।

गोवर्धनपुरा से अलवर सीमा वाया राजनोता होकर एक सड़क है जो नारायणपुर को ही जाकर जोड़ती है, इसको भी आप एमडीआर योजना में अगर ले लेंगे तो आपकी कृपा से यह रोड हो जाएगी। इसके साथ नदी में एक काजुए का है, वह काजुआ आज तक नहीं बन पाया, उस काजूए को अगर बना देंगे तो मैं समझता हूं कि कम से कम 15 ग्राम पंचायतों का रास्ता, आवागमन इससे सुचारू हो जाएगा। एक आपने घोषणा की थी पावटा से विराटनगर के रोड को डबल रोड करने के लिए चौड़ाईकरण करने के लिए, तो मैं उम्मीद करूं कि पावटा से विराटनगर वाले रोड को भी आप चौड़ाईकरण के उसमें ले लें।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

इसके साथ-साथ एक दो सुझाव मेरे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र की कुछ सड़कें जब हम बनाते हैं तो उस रास्ते पर से गुजरने वाले माल वाहनों का आंकलन नहीं किया जाता है, वहां पर भारी वाहन गुजरते हैं। भारी वाहनों के आंकलन के अभाव में उन सड़कों का एस्टीमेट बन जाता है बाद में खनन क्षेत्र से निकलने वाली बजरी और पत्थर उन सड़कों से जाता है जिससे वह सड़कें हर साल छह महीने के अंदर ही टूट जाती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि भारी लोडिंग को देखते हुए जिन-जिन क्षेत्रों से भारी वाहन गुजरते हैं, उन क्षेत्रों की सड़कों का एस्टीमेट उसी ढंग से बनवाया जाए, मजबूती की सड़कें बनवाई जाएं तो जनता का भला हो पाएगा और सरकार का जो पैसा लगता है वह बेकार नहीं हो पाएगा।

एक मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले समय आपने बजट के अंदर 621 कनिष्ट अभियंताओं को पदोन्नति दिये जाने का आश्वासन दिया था और मैं उम्मीद करूंगा कि यह 621 कनिष्ट अभियंता पदोन्नति के इंतजार में हैं, आप कृपया करके इनको पदोन्नति देने की कृपा करेंगे। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी में कनिष्ट अभियंताओं के पद समाप्त किये जाने की कुछ योजना सरकार के पास चल रही है, मेरा आपसे आग्रह है कि कनिष्ट अभियंताओं के पद के बिना विभाग का कोई काम करना बड़ा मुकिश्ल हो जाता है, जब काम करने वाला व्यक्ति ही मौजूद नहीं होगा तो चीफ इंजीनियर और सब लोग वहां पर काम नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है और सरकार को सुझाव है कि कनिष्ट अभियंताओं के पद किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किये जाएं और नये जेईएन्स की भर्ती वहां पर की जानी चाहिए। आपसे निवेदन इस बात का कि सरकार ने बहुत सारे काम इसके अंदर किए हैं, इन कामों के लिए तो सरकार बधाई की पात्र है। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं मेरे यहां चीफ इंजिनियर से लेकर सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एईएन, जेईएन तक के अधिकारियों ने इतने सही तरीके से काम करके दिखाया और क्षेत्र की सड़कों को इतने बड़े तरीके से मेंटेन करके दिखाया उसके लिए आपका विभाग और आप बधाई के पात्र हैं।

आपने इसमें राजस्व गांव के बारे में, जो मैंने निवेदन किया इसमें पांच नये राजस्व गांव भी घोषित हुए हैं, गांधीनगर, चाचा नेहरू नगर, केरोडी और शिवनगर, यह गांव भी राजस्व गांव जोड़ने की श्रेणी में, 250, 500 की आबादी में जोड़ने के लिए आप प्रस्ताव में लेंगे तो आपकी कृपा रहेगी। मैं

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे कुछ सुझाव और कुछ सड़कों के पुनर्निर्माण की सूची है वह मैं आपको व्यक्तिश: पत्र द्वारा अभी आपके सम्मुख पेश करता हूं। आपको बधाई, धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र में इनती सारी सड़कें बनाई और यह डब्ल्यूबीएम से बीटी की सड़कें होनी हैं 11 सड़कों की स्वीकृति के लिए आप आदेश प्रसारित करेंगे। धन्यवाद, जयहिंद, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री चुन्नीलालजी धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड (बेगूं): माननीय सभापतिजी, आज मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा हो रही है,उसमें मुझे आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब से राजस्थान की बागडोर माननीय वसुन्धरा जी ने सम्भाली है, उसमें हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने सड़कों की ओर जितना ध्यान दिया है उतना आज दिन तक कभी नहीं दिया गया। जब 2003 में सड़कों का औसत था 270 किलोमीटर एक लाख की जनसंख्या के ऊपर औसत था, जो बढ़कर आज हमारे समय में यह 319 किलोमीटर एक लाख की जनसंख्या पर औसत हो गया जो कि राष्ट्रीय औसत 325 के करीब-करीब बराबर है। 2003 में प्रदेश में मात्र 52 प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़े हुए थे जो अब हमारी सरकार के काम करने के बाद अब यह 73 प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़ गए हैं जो राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत से भी अधिक है, यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की, सड़क योजना में सड़कों का डामरीकरण, गांवों में सीसी रोड, शहरों में सीसी रोड, आरओबीज का निर्माण आदि कार्यों के लिए 2508 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हो चुकी है और अभी 2008-09 में सड़कों के तंत्र पर 2800 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। मेरे से पूर्व माननीय सुमेरपुर से आने वाले विधायक महोदय द्वारा कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कार्य हुए उसकी तुलना की जा चुकी है मैं उसको दोहरना नहीं चाहता लेकिन कांग्रेस के जमाने में सड़कों के ऊपर मैं समझता हूं मेरे क्षेत्र में तो पांच किलोमीटर की भी सड़क कभी नहीं बनी थी। पांच साल के अंदर पांच किलोमीटर भी नई सड़क नहीं बनी, जो आज एक रिकार्ड है और मेरे क्षेत्र में गांव के नाम मैं गिनाऊं सुवानिया, नाल, चरछा, रोडीबांडी, बरखेडा, मेघनिवास, गिंदिया, दुगार, चाउण्डिया, हरिपुरा, राजगढ, श्योगढ, कोटडा, धादड़ी, सादि, जोगेनिमाता रोड,

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

बानोडा, सोनेगार, जालमपुरा, पालावास, बागपुरा, धनोरा, बामनेडा, उछेण, सादी, मांडना, माधोपुर, देवलच, धारला, चन्दाखेडी, कुलाटिया, बस्सी, खरगई, कोलपुरा, रावतभाटा बाजार आदि इतनी सड़कें, रिकार्ड तोड सड़कें बनी हैं जिसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है और इस सरकार के प्रति हमारी जनता बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित कर रही है।

मैं इस अवसर पर माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे यहां एक रोड थी पेराफेरी रोड, जो आज से करीब 38 वर्ष पहले बनी थी, रावतभाटा से लेकर मंडसेरा, जावदा नीमडी होकर और जवाहरनगर तक जो 90 किलोमीटर की रोड है और 38 साल में, हमारी जो पहले की सरकार रही है उसने वह रोड बनाने में कभी कुछ नहीं किया और उसमें एक-एक फीट गढ्ढे हो रहे थे, आज हमारी सरकार ने उसमें 14 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी करके, उसके टेंडर काल कर लिए गए हैं, यह उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान है। इस पेराफेरी रोड में बसने वाले गांव हैं जो राणा प्रताप सागर की डूब में आये हुए थे और उसके किनारे-किनारे बसाये गये थे। उस वक्त यह सड़क सिंचाई विभाग के द्वारा बनी थी लेकिन उसके बाद उसमें कोई काम भी नहीं होने से वह लोग बहुत दुःखी थे, आज वह हृदय से आर्शिवाद दे रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बेगूं में एक्सईएन आफिस खुला है और रावतभाटा में एईएन आफिस खुला है जिससे करीब डेढ़ सौ किलोमीटर लम्बे मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्य करने में सुविधा होगी। मेरे क्षेत्र में 500 की आबादी तक के गांव सब जुड़ चुके हैं और एक ऐसी नदी बेडच जिसके एक ओर बेंगू है और दसूरी ओर गंगरार है। उस नदी पर पुलिया बनना बहुत आवश्यक था और उसकी स्वीकृति होकर आज वह घोडीघाट की पुलिया बन चुकी है जिससे लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी आसानी हो रही है। मैं अपने क्षेत्र में कुछ आवश्यक कार्य कुछ और रह गए हैं मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उनकी ओर भी आप ध्यान देकर उन्हें पूरा करा दे तो क्षेत्र का बड़ा भला होगा।

एक है लोटियाना से मंडेसरा सड़क है, जो आदिवासी क्षेत्र है और उनके गांवों को जोड़ती है। एक है, कई बार एकलिंगपुरा जो रावतभाटा से रामगंज मंडी के बीच रास्ते में पड़ता है और उसमें गांव के अन्दर सिरसी रोड के लिये वैसे मंत्रीजी ने भरोसा दिलाया हुआ है। मैं समझता हूं वह काम जरुर हो

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

जाएगा। एक है बीछोर से सिंगोली, चारभुजा के बीच में, गये साल में एक बस उस नदी में गिर गई थी, रुपारेल में, और 6 जनों की वहां डेथ हो गई थी। उस पर पुलिया बनाने के लिये मैं अनुरोध करता हूं ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। कुछ रोड ऐसे हैं जो वन विभाग की वजह से रुके हुए हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि उनकी भी शीघ्र मंजूरी लेकर उन्हें बनाया जाए। वह स्वीकृत हैं। भूजर-श्रीपुरा, राजपुरा पंचायत हैड-क्वार्टर, उमरतूना-आमन्दा, महेसरा-नंदवई, लुहारिया पंचायत मुख्यालय और रावतभाटा से गांधीसागर तक। मरम्मत, एक बेगूं और कनेरा, इसके बीच में भी रोड नहीं है। मेहरबानी करके अगर इसको भी बनवा दें तो यह हमारा कनेरा क्षेत्र जुड़ जाएगा।

इसके साथ ही एक मांग और है कि बेगूं में अभी तक डाक-बंगला, जो चित्तौड़ से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहां कभी कोई रुकने का काम पड़े तो ऐसा कोई सुविधाजनक स्थान नहीं है।

इन्हीं बातों के साथ में, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 और 21 की मांग पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

माननीय चुन्नीलालजी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने एक्जेक्ट 7 मिनट में अपनी पूरी बात बता दी। बहुत-बहुत बधाई आपको। माननीय श्री शांतिलालजी चपलोत।

मांग संख्या-19 एवं 21 पर विचार

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माननीय सभापति महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने जो मांग पेश की है, उनका तो समर्थन करता ही हूं, पर इन्होंने जो काम किया है इस राजस्थान में, वह चिर स्मरणीय रहेगा।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

और आज की तारीख में हिन्दुस्तान में प्रथम राज्य में आया है जब कि सबसे ज्यादा 17वें नम्बर पर, 17वां नम्बर राजस्थान का लगता था। आज मुख्य मंत्रीजी के और इनके प्रयासों से पी.डबल्यू.डी. में जो काम हुए हैं वह बेशुमार काम हुए हैं। और जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तो 1948-49 में कुल मिलाकर के जो रोड थी, वह थी, मुश्किल से 13553 किलोमीटर। उसमें 794 किलोमीटर केवल मात्र डामरीकरण थीं और 4350 मेटल रोड थी, यानी कुल मिलाकर एक लाख आबादी पर बढ़िया सी 0.24 किलोमीटर सड़क भी नहीं थी, जिसमें सारी सड़कें आ जाती हैं। मैं इसमें अब नहीं जाऊंगा। काफी लिटरेचर ले करके आया हूं और पूरा बोझ उठाना पड़ा। पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जिस प्रकार का काम किया है, आज हमारे इस राजस्थान में एक लाख 80 हजार 854 किलोमीटर सड़क 31 मार्च, 2008 तक हो जाएंगी, इसके लिये इनको बहुत-बहुत बधाई। पी.एम.जी.एस.वाई. में केन्द्र सरकार ने हमारी सरकार की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में सड़कों का निर्माण बहुत अच्छे, उम्दा किस्म से हुआ है। कुल मिलाकर राज्य में 39753 आबाद गांव हैं, उसमें से 2007 तक 26581 गांवों को सड़क से जोड़ दिया। मार्च 2008 तक...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय चपलोत साहब, कैसा समय आया है कि जिन मंत्रीजी को आपकी तारीफ करनी पड़ती उसके बजाय आपको उनकी करनी पड़ रही है। यह तो समय का अन्तर है, आप भी क्या कर सकते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): कोई बात नहीं, माननीय सदस्य, समय-समय सुन्दर सबै, रुप-कुरूप न कोई।

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, मैं तो कई बार आपसे प्रेरणा प्राप्त करता हूं और आप ही बीच-बीच में टोकते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): 28953 होना सम्भावित है। इतने अधिक गांव हमारे जुड़ जाएंगे, दिसम्बर, 2007 तक 9096 पंचायत मुख्यालयों को बी.टी. सड़क से जोड़ा जा चुका है। मैं इनमें अब नहीं पड़ करके मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गांवों में ढाणियां हैं, उनकी आबादी बड़े गांवों में आई है, उनको अलग से रेवेन्यु विलेज नहीं बनाया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन ढाणियों को भी आप कैसे न कैसे लेकर 350-400 तक की आबादी

(श्री शांतिलाल चपलोत)

की ढाणियां हैं, उनको भी आप इनमें लेने का कष्ट करें, जिससे ये रोड्स बन सकें।

अब मैं मेरे क्षेत्र की ही बात करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में रेलमगरा भी आता है, राजसमन्द जिले में। जैसा कि बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, वहां पर भी डाक-बंगला नहीं है, ऐसे ही रेलमगरा में भी कोई डाक-बंगला नहीं है। किसी प्रकार का और ठहरने का स्थान नहीं है। बेगूं में तो विशाल महल भी हो सकते हैं, लेकिन यह स्थिति रेलमगरा की नहीं है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इन कामों को भी आप करने का कष्ट करें। मेरा एक अनुरोध यह है कि आप पधारे थे, नवम्बर में वहां पर, आपने फरमाया था कि अतिशीघ्र यहां पर रोड बना दी जाएगी। मैंने आपको उनके सारे प्रस्ताव भी भेजे हुए हैं, कटमोशन भी लगाये हैं। माणक्यावास से देलवाड़ा, माननीय गृह मंत्रीजी के गांव तक, और भूतपूर्व पी.डबल्यू.डी. मिनिस्टर भी हैं वे, इसलिये मेरा अनुरोध है कि माणक्यावास से देलवाड़ा जोड़ा जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बनी हुई है सड़क।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): नहीं, माणक्यावास से नहीं है। माणक्यावास से देलवाड़ा नहीं है। दूसरा धांसा से खाम की मादड़ी। आपने धांसा में जिस दिन उद्‌घाटन किया था, वहां पर कहा था कि धांसा से खाम की मादड़ी, (व्यवधान) माननीय घनश्यामजी, चूक जाएंगे, ये इधर-उधर ध्यान दे देंगे। धांसा से खाम की मादड़ी रोड के लिये भी आप उस दिन कहकर गये थे, जिस दिन धांसा में अपन ने उद्‌घाटन किया था। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माकड़ी?

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): माकड़ी नहीं मादड़ी। अब आपको तो मकड़े ही नजर आते हैं सब।

माननीय मंत्रीजी, दूसरा एक रोड जो बिलकुल राजपूतों की आबादी है, पाड़ाबावड़ी, जावड़ से भानसोल। उसके लिये मेरा आपसे अनुरोध है। (व्यवधान) ये चूक जाएंगे, मैं तो नहीं चूकूंगा। ये ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा रेलमगरा से एक रास्ता जाता है पीपावास। पीपावास तक तो रोड हो गई है। पीपावास से यदि मोरठ मिल जाए..

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): महावीरजी जानबूझकर बीच में आ रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली): मोरठ मिल जाए और मोरठ से फतेहनगर मिल जाए तो बहुत, यानी 40 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा, केवल 6 किलोमीटर से। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है। एक मातृकुंडिया तीर्थस्थान है वहां से जवालिया जाने के लिये एक रोड प्रस्तावित है और उसको भी आप करने का कष्ट करें। माननीय, खण्डेल चौराहा जो भीलवाड़ा से राजसमन्द जिले के बीच में आता है, वहां से सीधा का सीधा रेलमगरा रास्ता जाता है। यह रोड बनी हुई है। इसको आपने अभी खण्डेल चौराहा से फतेह नगर तक 5-6 जगह सी.सी. रोड बनाने के लिये पैसा दिया, उसके लिये तो हम आपका आभार व्यक्त करते ही हैं, इसको डबल किया जाए या डेढ़ी किया जाए तो जाकर के वहां पर हिन्दुस्तान जिंक, दरीबा आता है रास्ते में और उसके बाद इस राजस्थान की प्रसिद्ध फतेहनगर मण्डी आती है जिसमें करोड़ों रुपये का टर्न-ओवर और करोड़ों रुपये का माल प्रतिदिन काश्तकार लेकर के आते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। यदि आप उसको स्ट्रेंथन करेंगे और डेढ़ी कर देंगे तो शायद इसका काम और अधिक अच्छा हो पायेगा।

मैं इस खण्डेल चौराहा से फतेहनगर की रोड के लिए, मैं हमारे जो कई माननीय सदस्यों ने जे.ईएन्स. के लिए कहा है। अब यह जे.ईएन्स. के पद, काम तो वही करते हैं। आपके यहां 621 जे.ईएन. हैं, जबकि 841 ए.ईएन. है। ए.ईएन. तो ज्यादा और नीचे काम करने वाले 621 और उसके ऊपर इंजीनियर साहब 500 एक्स.ईएन., 50-60 एस.ई., यह इतना ऊपर अमला है जबकि नीचे काम करने वाले बहुत कम हैं। उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जाए और उनकी जो मांग है इनको भी ए.ईएन. का पद कह दें आप। क्या फर्क पड़ता है? और आप वैसा यह कह भी चुके हैं इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है और सभी माननीय सदस्यों की भी राय है कि इस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करके आज ही इसकी घोषणा करें। काम तो फील्ड में वही करते हैं। एक नाम का ही तो फर्क है। पैसा तो वह का वही मिल रहा है। पैसे में कोई अन्तर आने वाला नहीं है। कोई उनका इजाफा होने वाला नहीं है। केवल नाम पद से उनकी भी महत्ता बढ़ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको भी बहुत-बहुत बधाई, छह मिनट में आपने अपना पूरा विषय रख दिया। माननीय श्री जुबेर खान।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सर्वसम्मति से जे.ईएन. को ए.ईएन. बना दिया जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 19- लोक निर्माण कार्य और मांग संख्या 21- सड़कें और पुल के ऊपर कुछ मिनटों में अपनी बात कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण में भी और सत्ता पक्ष की तरफ से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह बढ़-चढ़ कर बहुत बात कही है कि राजस्थान प्रधान मंत्री सड़क योजना में हिन्दुस्तान में प्रथम नम्बर पर है। मैं आपके माध्यम से यह अवगत करना चाहूंगा कि जब 2000 में, 25 दिसम्बर, 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी ने यह योजना लागू की थी, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार के समय में यह योजना राजस्थान में शुरू हुई तब भी राजस्थान प्रथम नम्बर पर पूरे देश में था। और उसका श्रेय हमारे उच्चाधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को एवं अनेकों स्तर के इंजीनियर्स को जाता है कि जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में ऐसी ठोस नींव प्रधानमंत्री सड़क योजना की रखी कि आज हिन्दुस्तान में राजस्थान प्रथम नम्बर पर चला आ रहा है। अगर नींव मजबूत नहीं होती तो आज जो मंत्रीजी वाहवाही लेते हैं, यह सम्भव नहीं था।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा ... (व्यवधान) आप बता दो नहीं था क्या नम्बर-वन?

एक माननीय सदस्य: नम्बर वन तो आपके मुख्य मंत्रीजी भी थे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो इन्हीं कारणों से नम्बर वन बने कि शिक्षा में नम्बर वन, अकाल के प्रबंधन में नम्बर वन, प्रधानमंत्री सड़क योजना में नम्बर वन, तब ही तो नम्बर वन बने। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हारने में भी नम्बर वन। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई भी माननीय सदस्य टोका-टोकी नहीं करें और जो ... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हारने में भी यह नम्बर वन। (व्यवधान)

श्री सभापति: और जो माननीय सदस्य टोका-टोकी करेंगे, मेरे पास सूची है, मुझे नाम बोलने में दिक्कत आएगी। आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को 2000-2001 से लेकर 2003-04, चार वर्ष के अन्दर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 721.99 करोड़ रुपये सिर्फ मिले और उसकी तुलना में यह आज की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको 2004-05 से लेकर 2007-08 तक, चार साल में 3515.20 करोड़ रुपये मिले। 3515.20 करोड़ रुपया मिल चुका है चार साल में और 2008-09 में, यह जो बजट है, इसमें आना बाकी है तो इससे हम तुलना कर सकते हैं कि जितना पैसा आएगा, उतनी ही किलोमीटर सड़क बनेगी। उतने ही अधिक गांव जुड़ेंगे। 1500, वह पहले जुड़ते थे। उसके बाद पंचायत मुख्यालय जुड़ा है। एक हजार के जुड़ने लगे, साढ़े सात सौ के जुड़ने लगे, पांच सौ के जुड़ने लगे और अब ढाई सौ के तो अब जुड़ने, यह तो स्वाभाविक है कि ज्यादा संख्या गांव की भी होगी और लम्बाई भी होगी। इसमें आप अपनी तरफ से झूठी वाहवाही मत लीजिए क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, मैनिफेस्टो में कि यह प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए केन्द्र, राजस्थान सरकार का कोई श्रेय नहीं है, सारा श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी को है तो जो अगर उनको 721.99 करोड़ के लिए धन्यवाद देते हो तो आदरणीय डाक्टर मनमोहन सिंहजी को भी 3515 करोड़ रुपये के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसके लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): वह योजना ही चालू नहीं करते तो क्या होता?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपको 2793.21 करोड़ रुपये ज्यादा मिला है कांग्रेस से इन चार साल में और पांचवां साल बाकी है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आपने तो योजना बंद करने को कहा था।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य बैठिये आप। मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, अभी पार्टी का क्या दायित्व है आपके पास?

श्री अमराराम (धोद): यही है जो कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छा। बोलिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): दूसरा, एक बात यह भी माननीय सभापति महोदय, यहां पर यह बढ़ चढ़ कर की गयी थी कि हमने ठेकेदारों को यह कह दिया कि रखरखाव प्रधान मंत्री सड़क योजना में तो केन्द्र सरकार ने पहले ही कर रखा है और कांग्रेस की सरकार में भी यह प्रावधान था। यह जरूर है कि तब दो साल का था और आपने पांच साल का कर दिया। यह नहीं कह सकते कि उस टाइम ठेकेदारों के ऊपर लायबिलिटी नहीं थी। उस टाइम भी लायबिलिटी थी।

एक निवेदन और करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, अब सी.आर.एफ. है, सेण्ट्रल रोड फण्ड। इसमें जो कांग्रेस की गवर्नमैंट के लिए केन्द्र सरकार से पैसा अलाट हुआ 2001-02, 2003-04, चार साल में 299.39 करोड़ रुपया अलाटमैंट हुआ और प्राप्त, मिला कितना वास्तव में 222.38 करोड़ रुपये। 77 करोड़ रुपया कम मिला। जब इनकी वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एन.डी.ए. सरकार वहां थी और उसकी तुलना में यह चार साल देखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि गोल्डन टोकन आपने चालू किया। ओवर लोड की खुली छूट दे दी इसलिए रोका।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह तो आपकी किताब बोल रही है। मैं तो नहीं बोल रहा। आपने जो हमको किताब दी है, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अब नियंत्रित योजनाएं। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2007-08, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान ने दिये हैं। इन्हीं से कोट कर रहे हैं। मैं अपने पास से तो आंकड़ा लाया नहीं हूं।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 299 के पेटे 222 करोड़ दिये यह सी.आर.एफ. के अन्दर और जहां यहां बी.जे.पी. की सरकार अब है और वहां सरदार मनमोहन सिंहजी की सरकार है, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, चार साल में 428.66 करोड़ रुपये अलाट किये और दिये कितने? 447.12 करोड़। आपको इतना पैसा बल्कि जितना अलाट हुआ क्योंकि पिछला पैसा भी आपको मिला। जो कांग्रेस की सरकार को मिलना चाहिए था राजस्थान में, वह पैसा भी उस टाइम की केन्द्र सरकार के भेदभावपूर्ण तरीके

(श्री जुबेर खान)

के कारण इस आपके राज में आने के बाद आपको दिया। यह 77 करोड़ रुपया, तो आपको 447 करोड़ रुपया मिला जबकि आपको 428.66 करोड़ ही आबंटन था।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अब बी.ओ.टी., आपने कहा कि हम इतनी सड़क बना रहे हैं। उसमें प्रधान मंत्री सड़क योजना भी है। उसमें सी.आर.एफ. भी है। जिसमें यह गांव-गांव में स्टेट हाईवेज पर गांवों में सीमेंट सड़क बन रही है और आपके, मेरे कहने का मतलब है कि जितना भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं, सड़कों को बनाने पर या तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में या सी.आर.एफ. के अन्तर्गत या नाबार्ड से लोन लेकर या फिर बी.ओ.टी. में, आप देखिये, बी.ओ.टी. में भी आपने 462.67 करोड़ रुपये की लागत से बी.ओ.टी. में बी.ओ.टी. में आपकी राज्य सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, बी.ओ.टी. में। बी.ओ.टी. तो बिल्ट, आपरेट एण्ड ट्रांसफर, आपके वह बना रहे हैं प्राइवेट लोग। लोगों से अंधाधुंध राठौड़ी करके कलेक्शन कर रहे हैं। लट्ठ लेकर खड़े रहते हैं। न यह देखते हैं कि कोई स्वतंत्रता सेनानी जा रहा है या जन-प्रतिनिधि जा रहा है। लट्ठ से चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह व्यवस्था आपकी है। आप यह श्रेय मत लीजिए कि आप राजस्थान सरकार के, केन्द्र से आप लोन लेकर नाबार्ड में लीजिए, वर्ल्ड बैंक से ले लीजिए। लोन लेकर आप यह सारी सड़कें बना रहे हैं। मैं यह कहना चाहता था।

दूसरा निवेदन यह था कि आपकी एक तरफ सेंटर स्पांसर्ड स्कीम्स हैं, आप यह देखिये, माननीय सभापति महोदय, कि आप तुलना कीजिए कि कितना जबरदस्त पैसा सेंटर स्पांसर्ड स्कीम्स के अन्दर मिल रहा है आपको। मैं उदाहरण देना चाहूंगा छोटा सा कि जहां 1990-91 में 3220.65 लाख रुपये मिलते थे, उसकी तुलना में 2000-2001 में 9403, यानी कि 94 करोड़ रुपये मिलते थे और आपको 2006-07 में सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, अकेले वर्ष में, यह इस साल में आपको 14 लाख 4 हजार 851.83, यानी इसका मतलब, 144, यह 1448 करोड़ 51 लाख और 83 हजार रुपये आपको मिले हैं।

आप इसकी तुलना कर लीजिये कि सेंट्रल से कितना जबरदस्त पैसा आपके पास आ रहा है और आप वाहवाही थोथी लूटे जा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी से बजट में कहलवा दिया प्रदेश के 500 तक की आबादी के समस्त गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य मार्च, 2008 तक पूरा कर लिया जायेगा। कहीं

(श्री जुबेर खान)

हवाला नहीं है प्रधानमंत्री सड़क का। जनजाति एवं रेगिस्तानी इलाके में 250 तक की आबादी के सभी गांवों को दिसम्बर, 2008 तक पूरा कर लिया जायेगा। इससे कम आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए केन्द्र की कोई योजना नहीं है परन्तु राज्य सरकार ने अपने स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया है कि सामान्य क्षेत्रों में 250 से 499 तक की आबादी के एवं रेगिस्तानी एवं जनजाति क्षेत्रों के समस्त गांवों को सड़कों से जोड़े जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। कब लिया जायेगा? कब तक लोगे? कब तक पूरा करोगे? कितने पैसे का प्रावधान है? वाहवाही लूट ली। लिखा है, लिया जायेगा। इसमें समय सीमा नहीं है। आप अपने जवाब में बताइये कब तक लिया जायेगा और आगे लिखा है डी.डी.पी. जिले में सीमेंट वाली ग्रेवल सड़कें व शेष क्षेत्रों में डामर की सड़कें बनाई जायेंगी। इस हेतु सीमेंट और डामरीकरण 3,276 करोड़ रुपये की व्यवस्था बाहरी ऋण के माध्यम से की जायेगी। यह बोझ डालकर जाओगे राजस्थान पर। आप क्या कर रहे हो इसमें? यह आपके बजट में खाली घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, अभी आपको बड़ी शाबाशी दे रहे थे कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री बड़े सक्षम हैं, बड़े चतुर हैं, बहुत योग्य हैं, यह बात तो सही है। यह जो आर.एस.एस. माइंड मंत्रियों को फुल पेंट पहुंचाने में तो आपको पूरा श्रेय दिया जाता है, मुख्य मंत्रीजी पर तो आपने अच्छा कब्जा कर लिया, लेकिन आप यह देखिये ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की सड़कों का निर्माण, जो पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से होयेगा। आपको उदाहरण के तौर बताऊंगा।

मेवात विकास क्षेत्र में योजना में 401.50 लाख के विरुद्ध आपने 66.12 लाख रुपये व्यय किये हैं। आपके 355.38 लाख रुपये अभी बचे हैं। यह 2006-07 के आंकड़े हैं। इसी तरह सांसद कोटा 2006-07 का 838.95 लाख रुपये की स्वीकृति के विरुद्ध आपने 2006-07 में 581.29 लाख खर्च किये। विधायक कोष के अन्तर्गत आपने 659.53 की स्वीकृति के विरुद्ध 451.22 लाख रुपये खर्च किये और बी.डी.ए.पी. योजना में तो आपकी हालत खराब है।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

आप यह देखिये कि आप क्या करना चाहते हैं? आप जो मेवात विकास बोर्ड और अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जो सड़कें बननी चाहिये थी,

(श्री जुबेर खान)

तरह-तरह की योजनाएं हैं। एम एल ए लैड है, एम.पी. लैड है, वह पी.डब्ल्यू.डी. की, क्योंकि प्रोरेटा चार्ज उसमें ले नहीं सकते, माल कमाई का है नहीं, उसमें काम करेंगे नहीं, क्योंकि अथाह पैसा आ रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना में। सी.आर.एफ. में धड़ाधड़ कराये जायेंगे। यह न्यायसंगत बात नहीं है। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा यह केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का जो व्यय है यह 2006-07 में 01 लाख 44 हजार 851.83 यह 2006-07 में पैसा मिल रहा है। 1 करोड़ 44,851.83 लाख रुपये इसका मतलब हुआ कि 1448.51 करोड़ रुपये और यह जब राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार थी 2000-01 में मिलता था सिर्फ 94 करोड़ रुपये। यह अलग-अलग योजनाएं हैं। अन्तरराष्ट्रीय सड़कों पर, केन्द्रीय सड़क निधि, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, सीमावर्ती सड़कें, विशेष समस्याग्रस्त सड़कें, आर्थिक महत्व की सड़कें, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, यह सब वह आंकड़े हैं जो यह दर्शाते हैं कि आप जितने भी पैसे से सड़कें बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, आप केन्द्र सरकार के पैसे से कर रहे हैं। आपने घण्टी बजा दी, मैं लम्बा समय नहीं लूंगा। मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ना पक्ष लॉबी में लाइट बंद कर रखी है आधे घण्टे से। (व्यवधान) ना पक्ष लॉबी में आधे घण्टे से लाइट बंद है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में लाइट कहां से मिलेगी, यहां विधान सभा में लाइट काट रखी है।

श्री सभापति: हां, आपने सूचना दे दी, अभी व्यवस्था हो जायेगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेवात क्षेत्र के लिए और यहां से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी ..(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो अभी माननीय सदस्य ने सूचना दी है, लाइट ऑफ करके प्रतिपक्ष के सारे सदस्य महानुभाव सो रहे हैं आराम से।

श्री सभापति: आप सब को भ्रम हो रहा है, वह मानसिक चिन्तन कर रहे हैं। मान्यवर, कोई नहीं सो रहा है, सब मानसिक चिन्तन कर रहे हैं। चिन्ता मत करिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मेडिटेशन कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मेवात क्षेत्र को मुख्य मंत्रीजी ने पिछड़ा हुआ माना है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़ा होने के नाते वहां की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिससे हमारे प्रशासन और पुलिस को अपराधों पर भी नियन्त्रण करने में परेशानी आती है। आप उनकी भावनाओं के अनुरूप मेवात क्षेत्र में जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे एक गांव है जलालपुर, भरतपुर का और अलवर का है चमरवाड़ा, जो दो कस्बों के बीच में है सीकरी और गोविन्दगढ़। वहां रूपारेल पर एक पुल का निर्माण हो जाये तो 10-20 गांवों को आने-जाने में आसानी हो जायेगी। वहां पर पुल का निर्माण हो। रूपारेल पुल पर चमरवाड़ा और जलालपुरा के बीच में। इसी तरह लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ तहसील को जोड़ने के लिए एक छोटी-सी घाटी है जिसको बूटोली की घाटी कहते हैं। वहां साइकिलों से पैदल आदमी जाते हैं, अगर वह कट जाये तो लक्ष्मणगढ़ और रामगढ़ तहसील की जो दूरी है, वह काफी कम हो जायेगी। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण सड़कें हैं, छोटी-छोटी सम्पर्क सड़कें, जिनके मेवात क्षेत्र में बच्चे-बच्चियों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी, क्योंकि गांव छोटे हैं, जनसंख्या से वह आ नहीं सकते, ढाणियां बड़ी हैं, राजस्व रिकार्ड में नहीं हैं । वैसे जनसंख्या वहां काफी है जैसे सम्पर्क सड़क साहडोली से मन्दरू का बास 1.5 कि.मी. के करीब है, नीकचरोड से खोला का बास 2.00 कि.मी. के करीब है, रामगढ़ से बालोतकी 1.5 कि.मी., दोगड़ी से बास दोगड़ी 1.00 कि.मी., हरसौली-मुण्डपुरी से नसवारी रोड 2.00 कि.मी., यह ऐसी सड़कें हैं जो मिसिंग लिंक हैं। एक आदरणीय माननीय सदस्य कह रहे थे आपने जैसे पिछली बार दी थी विधायक महोदय को मिसिंग लिंक, आपका धन्यवाद। इस बार भी आपको कुछ न कुछ मिसिंग लिंक के नाम देनी चाहिये।

अंत में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, आप भी इस चीज से भली-भांति परिचित हैं अलवर में जो भी कार्य किया जाता है भृतहरि बाबा की जय बोलकर किया जाता है। और जब यह संवत् शुरू हुए थे तिवाड़ी जी, यह जो संवत् शुरू हुए थे तब उन्होंने वहां उज्जैन का राज-पाट छोड़कर वहां आकर धूनी लगाई थी। तपोवन भूमि है, तपस्या वहां की थी और उसी के नाम से बाबा भृतहरिजी के नाम से जानते हैं। वहां की स्थिति यह है कि लोग पैदल चलकर पदयात्रा करते हैं। जब मेला भरता है लोग लेटकर दण्डवत करके जाते हैं। आज उन सड़कों की स्थिति ऐसी खराब है, इतने बड़े-बड़े खड्ढे हैं, कंकर निकल रहे हैं और यह फोरेस्ट के नाम से या जब फोरेस्ट नहीं बना था, टाइगर सैंक्चुरी नहीं बनी थी, जब विक्रम संवत् बोलते हैं जो पहला शुरू हुआ

(श्री जुबेर खान)

था तब से वह मंदिर स्थित है और जहां महाभारत की कथाएं गाते हैं, पाण्डवों ने अज्ञातवास काटा। पाण्डुपोल में प्राचीन एतिहासिक हनुमानजी का मंदिर है। और लोग कहते हैं, हमको तो पता नहीं तिवाड़ीजी, कि लेटे हुए हनुमानजी की बहुत कम जगह प्रतिमा है, वहां लेटे हुए हनुमानजी की मूर्ति है। आप दो-चार बार गये होंगे। लोग वहां अपनी सवामणी करने जाते हैं। अगर आप वहां की सड़कें भी नहीं बनायें तो भगवान के लिए अगली बार राम का नाम मत लेना चुनावों में। आप, भांकरोटा से लेकर हैवी ट्रेफिक निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, क्या मुख्य मंत्री निवास और राजभवन के सामने से आप ट्रक निकालने देते हैं? वहां क्या सड़क नहीं बन रही? आप भांकरोटा मोड़ से कुशालगढ़ तक सड़क क्यों नहीं बनाते? क्या सड़क बनाने से वहां हैवी ट्रक को नहीं रोक सकते? आप यह अन्याय मत करिये। वहां सड़क पर बड़े-बड़े खड्ढे हो रहे हैं। मण्डावर से आने वाले आदरणीय सदस्य यहां बिराजे हुए हैं, थानागाजी से आने वाले आदरणीय सदस्य यहां बिराजे हुए हैं, खैरथल से आने वाले आदरणीय सदस्य यहां बिराजे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बिराजे हुए हैं। इसलिए सभापति महोदय, यह स्थिति है कि आधा घण्टा लगता है पांच किलोमीटर के अंदर और टूटी-फूटी सड़क है। माननीय मंत्री महोदय, केन्द्र सरकार का कोई रोल नहीं है। जब आपका 1947 से पहले रास्ते बने हुए हैं तो किसी को अधिकार नहीं है रास्तों पर सड़क की मरम्मत रोकने का। आपसे निवेदन है कि वहां बार-बार आन्दोलन होते हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भृतहरि और पाण्डुपोल की सड़कों की मरम्मत कराइये, नवीनीकरण कराइये, नहीं तो बहुत बड़ा जन आन्दोलन खड़ा हो सकता है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

नवीनीकरण करिये नहीं तो वहां एक बहुत बड़ा जन आन्दोलन खड़ा हो सकता है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। अंत में आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप मेवात क्षेत्र के लिए खास तौर से कोई विशेष पैकेज की घोषणा करिये कि आप कभी भी यह पूछ लीजियेगा प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि जिस तरह की तस्करी, तरह-तरह के क्राइम, वहां से दौड़ कर, उनके पास तो मोटर साइकलें होती हैं, कच्चे रास्ते से दौड़ करके चले गये पुलिस की गाड़ियां नहीं चल पातीं, जो बार्डर के सटते गांव हैं वहां सड़क का संचालन ठीक हो, इसकी आप कार्यवाही करवाएं।

सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री अमरारामजी धोद।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा हो रही है, मैं इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। जहां हमारे राजस्थान में मैं धन्यवाद दूंगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जो ग्राम सड़क योजना शुरू की और इसके लिए मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता पर जो शासन किया इससे पहले ग्रामीण जनता को सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने की कभी चिंता नहीं की और सबसे पीछे राजस्थान है पूरे देश में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पंचायत हैड क्वार्टर जोड़ने का फैसला भी भैरोंसिंहजी के समय लिया।

श्री अमराराम (धोद): आज तक नहीं जुड़े पंचायत हैड क्वार्टर, आज की तारीख में भी 9000 कितने हैं, उनमें से आज भी बाकी हैं जो पंचायत हैड क्वार्टर डामर सड़क से नहीं जुड़े।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कब बाकी हैं?

श्री अमराराम (धोद): आज की तारीख में। आपने यह प्रगति प्रतिवेदन दिया है इसमें आज की तारीख में भी बाकी हैं। अब कब बन जायेंगे?

सभापति महोदय, राजस्थान के ग्रामीण इलाके को सड़क से जोड़ने की चाहे कोई भी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, गांवों को सड़क से नहीं जोड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब देश में लागू हुई इस समय सबसे ज्यादा अनकनैक्टेड विलेज थे तो वो राजस्थान में थे। और उनको समयबद्ध तरीके से, मैं समझता हूं, पहले जो भी कोई सरकारें रही हैं उन्होंने 4000 की आबादी का गांव कनैक्टेड नहीं है, 500 की आबादी को जोड़ दिया, राजनीतिक आधार पर जिस तरह से मैं समझता हूं 50 साल तक ...(व्यवधान) मैं समझता हूं जिन्होंने बनायी, लागू की और आज भी लागू हो रही है उसके कारण लोगों के गांव को सड़क से जोड़ने में भेदभाव आप नहीं कर पाये। अगर आपके हाथ में होता तो मैं समझता हूं कि आज भी नहीं जुडती। राजस्थान में जो भी सरकार रही, गांव के साथ सौतेला व्यवहार करती रही। मैं धन्यवाद दूंगा, उसके लिए कोई आप सक्षम नहीं हैं, उस कैटेगिरी के 1000 से ऊपर की आबादी फिर 700 की आबादी, 800 की आबादी, 500 की आबादी और 250 की आबादी इस तरह से निश्चित रूप से एक योजना बनायी और जिसमें कोई भी, न मंत्री उसमें कांट

(श्री अमराराम)

छांट कर सकता था, इस गांव को यहां से यहां नहीं जोड़ सकता था। इसलिए उसका श्रेय मैं समझता हूं जो योजना केन्द्र सरकार ने बनायी, आज केन्द्र सरकार जिसके लिए पैसा दे रही है और उस योजना अनुसार राजस्थान में काम हुआ। लेकिन उसके लिए श्रेय लेने की विशेष आवश्यकता नहीं, उसके लिए आप निन्दा के भागीदार हैं, आप भी सरकार में रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निन्दा किस बात की?

श्री अमराराम (धोद): इसलिए कि गांवों को आपने उपेक्षित रखा पचास साल तक, इस बात के लिए। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह गांव के लिए जब 1994 में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे उन्होंने सड़क नीति बनायी उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयीजी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू करी। सड़क नीति तो भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी, यह सौतेला व्यवहार तो कांग्रेस ने किया।

श्री अमराराम (धोद): 1994 में सड़क नीति बनी इसलिए आप परबतसर में रह गये, यहां नहीं आये वापस।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): मैं तो हमेशा ही परबतसर में ही रहूं, आपको तो न घुसने दिया और न आगे घुसने दूंगा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य से शिकायत है मेरी इनसे कि यह इधर तो प्रहार करते हैं पर आपको पता है कि गांव की सबसे ज्यादा जो दुर्दशा करी वो प्रतिपक्ष ने करी तो थोड़ा सा मेहरबानी करें आप, उनको भी तो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): 40 साल इन्होंने की तो अब 13 साल आपने भी की दुर्दशा, आपने कभी नहीं जोड़ा।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): नहीं, हमने तो कायाकल्प कर दी, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और 13 साल में 40 साल से ज्यादा दुर्दशा करी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आपसे तो यह उम्मीद नहीं करते।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): नन्दीग्राम का क्या हुआ? नन्दीग्राम का क्या हुआ? आपने पश्चिम बंगाल की कितने साल तक की है?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, माननीय सदस्य से यह उम्मीद नहीं है, आप उनके बारे में तो बोलें। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): नन्दीग्राम।

श्री अमराराम (धोद): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गांव की दुर्दशा देखो ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): देश पर 40 साल तक शासन किया, कुछ नहीं किया, गांव और गरीब की इन्होंने तो दुर्दशा कर दी, किसान की इन्होंने दुर्दशा कर दी इसलिए आप तो कहो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सबसे खराब स्थिति सड़कों की नन्दीग्राम में।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सबसे खराब स्थिति है वेस्ट बंगाल में।

श्री अमराराम (धोद): आप तो गये हो। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): नन्दीग्राम का क्या हुआ, वो भी तो गांव है? नन्दीग्राम में क्या किया आपने?

श्री अमराराम (धोद): वो भी बता दूंगा।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप तो नन्दीग्राम की बात करो।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, जिस तरह मैंने पिछली बार भी रखा था, जिस तरह से यह जो सड़क योजनाएं हैं, पैकेज बना कर बड़े-बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। मैं नहीं समझता कि आपने यह समझ के शायद किया होगा कि बड़े ठेकेदार काम करेंगे, पेवर से सभी सड़कें होनी हैं, लेकिन आपने जितने भी ठेके दिये हैं मैं समझता हूं छोटे ठेकेदार भी पेवर से ही करते हैं। सभापति महोदय, आज भी जितने आपने ठेके दिये हैं पैकेज बना करके, मैं समझता हूं 90 प्रतिशत वो तमाम सड़कें सबलेट कर के बनाते हैं। जब कि प्रोविजन यह है कि कोई भी ठेकेदार अपने पैकेज से कोई सड़क को सबलेट करता है तो विभाग के माध्यम से मन्जूरी लेकर देगा। लेकिन शायद एक भी, मंत्रीजी उत्तर दें जब बता दें, राजस्थान में आपके मंत्री बनने के बाद चार साल में एक भी ठेकेदार ने किसी पैकेज में कोई सड़क को सबलेट करने के लिए मन्जूरी ली हो जब कि 90 प्रतिशत और मेरा तो आरोप

(श्री अमराराम)

है शायद शत प्रतिशत सड़कों को सबलेट करके बनाया है, एक पर भी कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हैं। तमाम अधिकारियों के सामने हो रहा है और जिस तरह से मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह जो भेदभाव आप कर रहे हैं, जो आपके हाथ में है। सी.आर.एफ. में जो प्रस्ताव भेजे हैं, चूरू में आपने 6 प्रस्ताव भेजे और सीकर में एक प्रस्ताव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तीन।

श्री अमराराम (धोद): एक। यह आपका ही उत्तर है, मेरा नहीं है। तीन भेजे हैं तो आपने एक का ही उत्तर क्यों दिया है? चूरू में जो प्रस्ताव भेजे गये और 2007-08 में जो काम हो रहे हैं, मंत्रीजी बता दें कि क्या आपके वाहन की संख्या का जो पी.एच.क्यू. है, क्या सीकर में स्टेट हाइवे नम्बर आठ, सीकर से खूड़ तक उनसे तीन गुना वाहन संख्या का दबाव है लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। इस राजनीतिक आधार पर सी.आर.एफ. के मापदंडों को जिस तरह से भेजना चाहिए था, चूरू में जितने भी आपने दिये हैं उनसे मैं समझता हूं तीन गुना पी.एच.क्यू. इसके अन्दर है इसलिए आज केवल जो सी.आर.एफ. के मापदंड के आधार पर भेज रहे हैं मैं नहीं समझता कि उस अनुसार आप सही सलामत लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं। ट्रैफिक के अनुसार सड़कों की चौड़ाई होनी चाहिए। आज भी जो 8 ए नम्बर स्टेट हाइवे है जिसकी चौड़ाई आज भी तीन मीटर है, आज भी सात मीटर नहीं है। इनका तो ननिहाल है लेकिन इसके साथ भेदभाव और न-केवल इसमें भेदभाव है राजनीतिक, आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, मैं समझता हूं जहां तक आपने स्टेट हाइवे घोषित कर दिया कुचामन लोसल नेछवा होकर सालासर...

एक माननीय सदस्य: मेगा हाइवे।

श्री अमराराम (धोद): स्टेट हाइवे, मेगा हाई-वे डीडवाना होकर है। स्टेट हाइवे आपने घोषित कर रखा है, पिछले दो साल से घोषित है लेकिन मोरडुंगा से लेकर शाहपुरा को आज भी 6 किलोमीटर सड़क ग्रेवल जो आज से तीन साल पहले बनी थी आज डामर सड़क नहीं है। सभापति महोदय, स्टेट हाइवे घोषित कर दिया, घोषित किये हुए दो साल हो गये बार-बार मैंने लिख करके दिया और मैं समझता हूं मैं पहली बार एक काम के लिए आपको लिख कर देकर आया था और आपने कहा, हो गया, आज तक तो नहीं हुआ और मैं समझता हूं इस आठ महीने में होना मुश्किल है। स्टेट हाइवे घोषित आपने किया, मैंने नहीं किया। आपकी सरकार आने के बाद घोषित हुआ और जिस

(श्री अमराराम)

स्टेट हाइवे पर आज भी, ग्रेवल बनी थी आज से तीन साल पहले और आज तक वो डामर नहीं बनी। इसलिए न-केवल इसमें किया जा रहा है, सभापति महोदय, मैं समझता हूं जो डब्ल्यू.बी.एम. है, मतलब इस स्टेट हाइवे में नहीं बनायेंगे लेकिन एक गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक आधार पर बना देंगे। जहां तक डब्ल्यू.बी.एम. को, यह जो पी.डब्ल्यू.डी. का आपने प्रगति प्रतिवेदन दिया है, सभापति महोदय, जितनी भी डब्ल्यू.बी.एम. सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनायी हैं, अकाल राहत में बनायी हैं उनको हमने सब डब्ल्यू.बी.एम. को बी.टी. में कन्वर्ट कर दिया तो फिर यह धोद में बनाते हुए तो मैं समझता हूं यह आपका इससे बड़ा भेदभाव और क्या होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बच गयी।

श्री अमराराम (धोद): बच गयी नहीं, दसों सड़क होंगी, मैं दो चार का तो नाम आपको बता दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बाद में बनी होंगी।

श्री अमराराम (धोद): बाद में नहीं, बाद में कब?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ग्रेवल होगी।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, नहीं डब्ल्यू बी एम सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग से बनी है, अकाल राहत में बनी है। काथली से माजीपुरा, करणपुरा से धुणकाबास, जिगरछोटी से जिगरबडी, कोरडातगेलान से चोकटा, बोसराणा से पाहवा, गुणाटु से फतेहपुरा, आतरी से माण्डोली, जीण माता, सब आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग से या अकाल राहत के तहत डब्ल्यू बी एम बनी और एक नहीं मैं दस सड़क गिना सकता हूं अकेले धोद विधान सभा क्षेत्र में जो डब्ल्यू बी एम बनी हुई हैं। आपके रिकार्ड में हैं लेकिन वह सड़क बन जाएगी तो राजनीतिक आधार पर है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सभापति महोदय, कि यह जो हालत, राजनीतिक भेदभाव, मैं समझता हूं पी एम जी ए सवाई में जिस तरह से है, राजस्थान की सरकार भी मुख्य मंत्री सड़क योजना हो, कोई भी सड़क का पैसा हो, जनता को उसका सबसे ज्यादा उपयोग हो उसके लिए बनाया जाय।

जिस तरह की आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, सी आर एफ में खूंट से लेकर रेनवाल, पलसाणा से लेकर खण्डेला ढाई से तीन करोड़ रुपया खर्च

(श्री अमराराम)

किया। एक बरसात के अन्दर पूरी टूट गयी। मैंने पिछली बार, दो महीने बाद में ही टूट गयी थी, फिर कहा था आपने क्या किया उन ठेकेदारों के खिलाफ? क्या ब्लैक लिस्टेड किया? जो ढाई से तीन करोड़ अभी तो आप खुद जाकर आये हैं एक सड़क पर जिस सीमेंटेड सड़क पर डामर सड़क हो रही थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दुबारा बनाई है।

श्री अमराराम (धोद): दुबारा बनायी है एक साल बाद में। पूरे पैसे डकार गये। क्या उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए तैयार हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिल्कुल करेंगे।

श्री अमराराम (धोद): कर ही नहीं सकते, मेरा दावा है। जिस सड़क पर आप खुद जाकर आये हैं सीमेंट सड़क पर डामर का लेप, सभापति महोदय, मैंने नहीं देखा, इनके अधिकारियों से पूछा तो साहब कभी-कभी करते ही हैं, सीमेंट की सड़क पर डामर लगाते हैं। (व्यवधान) खड्डे नहीं, सीमेंट सड़क पर डामर नहीं लगाते तो चार दिन में सीमेंट सड़क मिलती ही नहीं क्योंकि वह बड़े नेताजी के सम्बन्धी हैं। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि सड़क का पैसा अगर बड़े नेताओं को बांटना है तो चैक सीधा दीजिए, कम से कम खड्डों में तो नहीं पड़ना पड़े।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभापति महोदय, निवेदन है कि इस तरह का भेदभाव करेंगे तो मैं समझता हूं कोई बहुत लम्बा चौड़ा यश प्राप्त नहीं कर पायेंगे। मेरा धोद विधान सभा क्षेत्र सीकर के तीन तरफ है और आपने एक्स ई एन लगा दिया फतेहपुर, सीकर होकर फतेहपुर जाते हैं। सीकर में एक्स ई एन है, एस ई आफिस है तीन की जगह चार सम्भलाएं। मैंने लिखकर भी दिया लेकिन मैं समझता हूं आज तक धोद का एक आदमी भी फतेहपुर किस बात के लिए जाएगा, जयपुर तो कोई आ सकता है लेकिन धोद का एक्स ई एन दूसरा सीकर हैड क्वार्टर पर है। मैंने रिक्वेस्ट किया एक आदमी भी कोई धोद का फतेहपुर नहीं जाता। कहां परेशानी है, तीन को देख रहे हैं वहां चार को देख लेंगे1 कोई बराबरी करने की जरुरत नहीं है। लोगों को अगर परेशान करना है और इसी का नतीजा है कि यह जो हालत बनाई है।

मैं निश्चित रूप से सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो सड़कों की जो क्वालिटी मेन्टेन करनी चाहिए, जितना पैसा चौदह लाख रुपया पर किलोमीटर है, आपने मेगा हाइवे बनाये हैं 28

(श्री अमराराम)

फरवरी से किशनगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ का मेगा हाइवे जिस पर एक किलोमीटर पर एक करोड़ रुपया, अभी डीड़वाना का बाईपास नहीं बना, मकराना की पुलिया नहीं बनी और आपने 28 तारीख से टोल टैक्स लेना जनता से शुरु कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में, डीड़वाना के बाइपास को दो दफे चैंज कर दिया, एक दफा चैंज करना, बात समझ में आती है, केवल भू माफियाओं से मिलकर आपके विभाग ने मेगा हाईवे डीडवाना के बाई पास को चैंज कर दिया। धारा-4 में जब आपने नोटिस दे दिया, सर्वे करके दे दिया तो फिर दो-दो दफे चैंज करने का क्या कारण है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मुझे टोकना नहीं चाहिए पर माननीय सदस्य को या तो जानकारी नहीं या जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं। डीडवाना के बाइपास के लिए वहां के जितने जनप्रतिनिधि थे उनकी समिति बनायी गयी, रिड कौर के अधिकारी वहां गये और वहां उनकी सुविधा के अनुसार पहले कोई कब्रिस्तान बीच में आ रहा था इसलिए तो एक बार अलाइनमैंट बदलना पडा, इसमें क्या हो गया?

श्री अमराराम (धोद): एक बार ही बदला?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह फैसला न तो यहां हुआ है जयपुर में, डीडवाना में वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि जो थे उन्होंने बैठकर किया।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, एक दफे आपने बदल दिया कब्रिस्तान आया, दुबारा क्यों बदल दिया? दुबारा फिर बदल दिया, एक दफा आपने धारा-4 का नोटिस देने के बाद कब्रिस्तान का लेकर आपने (व्यवधान) बदला, बात समझ में आती है, कब्रिस्तान को टाल करके ले जा सकते थे पूरे के पूरे। सभापति महोदय, मेरा आरोप है कि रिड कौर की इस योजना के माध्यम से जिस तरह से एक करोड़ रुपये जो सड़क बनी हुई थी, एक करोड़ रुपये सौ-सौ के नोट बिछाओ तो मैं समझता हूं एक किलोमीटर से आगे निकल जाय। सड़क बनी हुई थी केवल बाइपास बने, चौड़ाई की, चार सौ किलोमीटर, वह पांच सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है, पांच सौ करोड़ की लागत बताकर के आपने प्रोजेक्ट दिया है। उसका ब्याज, उसका मुनाफा राजस्थान की जनता से वसूल करेंगे। इस तरह से भू माफियाओं से मिलकर के किया जाता है, आपके खुद

(श्री अमराराम)

हनुमानगढ़ में जिस तरह से लोगों ने प्रयास किया क्या आज बदल गये?

इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस जनता के विकास के पैसे को जनता के बीच में ले जाया जाय। इस तरह से आप इसका दुरूपयोग नहीं करें। आपने समय दिया इसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस तरह से जनता के पैसे का दुरूपयोग हो रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य रामलालजी शर्मा।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): डीडवाना का विषय है मैं आपको ...

श्री अमराराम (धोद): क्या हो गया, आप भी उसमें हो क्या मिले हुए?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): डीडवाना के हर मामले के अन्दर मेरा रोल है क्योंकि मैं वहां का विधायक हूं। मेरा है हर मामले में।

श्री अमराराम (धोद): हां बोलो तो।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): अभी मैं टी वी पर देख रहा था माननीय सभापति महोदय, यह अलाइनमेंट चैंज हुआ है उस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं, यह मामला हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट के निर्देश पर इसका अलाइनमेंट चैंज हुआ है। एक भी भू माफिया अगर हो, इन्होंने भू माफिया को सम्बोधित किया है उसमें जरुर भू माफिया हैं मैं कह रहा हूं और इस सदन में लाकर के रख दूंगा कि भू माफिया क्या है। एक ही रात के अन्दर जहां से पहले रोड निकल रही थी, एक ही रात में 28 लोगों ने जमीन खरीदी, उसके छोटे-छोटे टुकड़े किये और उसकी 90 बी करवाई, उसके पट्टे लिये और उन्होंने बाकायदा उसी रोड पर तो भू माफिया तो जहां पहले प्रस्तावित था उसमें जरुर हो सकते हैं लेकिन यहां नहीं हैं और यह अगर एक भी कोई इस तरह की ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह किसने किया? यह पट्टे और 90 बी किसने किया?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): एक भी कोई बात इस तरीके से यह साबित कर दें तो मैं चैलेंज करता हूं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह पट्टे और 90 बी किसने किया, आपकी सरकार ने किया, पट्टे और 90 बी किसने किया, तहसीलदार ने

किया।

श्री अमराराम (धोद): जब आपके रिड कौर के अधिकारी चैक करने गये उनको कब्रिस्तान और मस्जिद दिखाई नहीं दी? (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी सूचना दे दी है।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उसकी भी जांच हमारी सरकार कर रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भू माफियाओं से आपकी सरकार के अधिकारी मिले हुए हैं, आप यह कहना चाहते हो कि आपके अधिकारियों ने 90 बी किया। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उसमें कब्रिस्तान आ गया तो रिड कौर के अधिकारी वहां देखने के लिए गये तो कब्रिस्तान दिखाई नहीं दिया?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप खुद मान रहे हो कि आपके सरकारी अधिकारियों ने भू माफियाओं से मिलकर 90 बी कर दिया। एक मंत्री का सरकार पर यह आरोप ...(व्यवधान) मंत्रीजी ने अधिकारियों पर जो आरोप लगाया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: चलो, विषय समझ में आ गया, बैठिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मतलब कोई भी नीचे गड़बड़ हो जाए तो वह सरकार करवाती है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार के मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विषय समझ में आ गया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार के मंत्री कह रहे हैं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): इसकी जांच हो रही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने खुद ने कहा कि 90 बी की कार्यवाही रातों रात करवा ली, दो दिन में करवा ली भू माफिया ने, वह किसने की और आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उसकी जांच हो रही है।

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय, यह बताएं कि आपके रिड कौर के अधिकारी वहां अलाइनमेंट तय करने गये तब

उनको कब्रिस्तान दिखाई नहीं दिया।

श्री सभापति: यह विषय तो आप बता चुके हो, एक ही बात को बार-बार रिपीट क्यों करते हो?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्व रिकार्ड में जो कब्रिस्तान की जितनी बाउण्ड्री थी वह राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं थी और उन्होंने ...(व्यवधान) एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लें, मैं कोई असत्य थोड़े ही बोलूंगा कब्रिस्तान के लिए, मुझे कब्र में ही जाना है इसलिए मैं असत्य नहीं बोलूंगा। आप पूरी बात सुनें प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका मतलब यह है कि श्मसान में जाने वाले असत्य बोलते हैं ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): मेरा निवेदन सुन लें सभापति महोदय, कब्रिस्तान अंकित नहीं था और बाउण्ड्री नहीं बनी हुई थी। जब उन्होंने प्रस्तावित किया तो यह बात नोटिस में आयी। उन्होंने कब्रिस्तान को छोड़ते हुए अलाइनमैंट कर दिया, इसमें क्या भू माफिया करेंगे और क्या करेंगे।

श्री अमराराम (धोद): तो फिर चैंज क्यों कर दिया?

श्री सभापति: ठीक है, विषय समझ में आ गया है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बहुत हो गया है। धोद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद): मंत्री का तो सच्चा होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रामलालजी शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21 में अपने आपको सम्मिलित करते हुए सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां सामाजिक परम्पराओं का निर्वहन करने में हम सब इस चीज को जानते हैं कि आज भी हिन्दू रीति नीति के अन्दर गोत्र का मिलान होता है। आज 21वीं सदी के अन्दर प्रवेश हम सब कर रहे हैं उसमें शिक्षा और सड़क यह दो ऐसे गोत्र हैं जहां शिक्षा का अभाव होगा वहां सम्बन्ध नहीं हो सकता और जहां सड़क का अभाव होगा वहां पर भी सम्बन्ध नहीं हो सकता। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इन दोनों की सम्बन्धों के अन्दर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरे प्रदेश के अन्दर जहां लोगों को सुविधाएं नहीं थीं वहां सड़क पहुंचाने का काम किया है।

(श्री रामलाल शर्मा)

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा। जहां पिछले वर्ष माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर सड़क देने की घोषणा की थी और उन 10 किलोमीटर की मिसिंग सड़कों और जो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर छोटे-छोटे टुकड़े रह जाते थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसी तर्ज के ऊपर विधान सभा के चुनावों को देखते हुए और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए यदि मिसिंग सड़कें 10 किलोमीटर प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को मिलती है ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अब 20 किलोमीटर।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 10 की मैं घोषणा करा लेता हूं, 10 की आप करवा लेना। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अन्दर सभी जन प्रतिनिधियों को और जनता को लाभ इस बात का मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिये माननीय सदस्य बातचीत तो करें लेकिन आसन तक आवाज नहीं आनी चाहिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कुछ सड़कों का निर्माण विधायक कोष से और कुछ सड़कों का निर्माण सांसद कोष से हुआ है और इन दोनों का ही जो सामाजिक निर्माण विभाग है उस विभाग के अन्दर यह रिकार्ड के अन्दर अंकित नहीं है और उसकी वजह से आज भी कई सड़कें ऐसी हैं जिन सड़कों की रिपेयरिंग नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अनेकों विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर जिन सड़कों का रिकार्ड के अन्दर दर्ज नहीं है और वह सड़कें आज 15-15, 20-20 साल हो गये उनको बने हुए और आज दिन तक उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी दो सड़कें एक डोडसर से लेकर देवंदो की ढाणी और एक चारणवास से लेकर नांगलवाड़ा, इन दो सड़कों की रिपेयरिंग आज दिन तक नहीं हुई। जब कृषि विपणन बोर्ड से बात करते हैं उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण तो हमने किया था लेकिन इनका सिर्फ पैसा हमारे पास आया था। निर्माण करने की जिम्मेदारी थी। बाकी इनका रख-रखाव पी डब्ल्यू डी करेगी। एक ऐसी ही डोडसर से लेकर देवंदो की ढाणी इस सड़क का निर्माण भी सांसद

(श्री रामलाल शर्मा)

कोष से हुआ था और आज दिन तक इस सड़क को भी बने हुए 10-12 साल हो गये, रिपेयरिंग नहीं हो पायी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन दोनों सड़कों की रिपेयरिंग की जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज भी हम सब की आस्था इस बात के अन्दर है कि आदमी खुद के घर के अन्दर कष्ट पाकर भी रह लेगा, किसी भी तरीके से वह सब चीजों को सह लेगा लेकिन अतिथि देवो भवः । जब अतिथि कोई आता है तो भगवान का दर्जा उसको दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं चौमूं में रहता हूं, मुझे ट्रैफिक यदि जाम मिलता है तो मैं उतर भी सकता हूं। अधिक समय लगे तो भी मैं उसको पार कर सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि मैं वहां का स्थानीय रहने वाला हूं लेकिन जब मंत्री महोदय उस क्षेत्र से अपने निर्वाचन क्षेत्र में गुजरते हैं और जब मंत्री महोदय को आधा घण्टे का समय क्रास करने में लगता है चौमूं को तब मुझे बहुत पीड़ा होती है इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय, आज चौमूं का बाइपास जिसकी भूमि की अवाप्त‍ि हो चुकी है। किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है तो मैं समझता हूं कि जब नेशनल हाइवे ने उस भूमि को अपने अधिग्रहण में ले भी लिया है। किसान वहां कोई फसल भी नहीं कर रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज ही कम से कम चौमूं बाइपास की समस्या को देखते हुए आज इसकी घोषणा माननीय मंत्री महोदय निश्च‍ित रूप से करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक और मैं आपके माध्यम से बात रखना चाहूंगा। उदयपुरिया मोड़ से लेकर खेजरोली, यह एक ऐसी महत्वपूर्ण सड़क है और यह सड़क आगे झुंझुंनूं डिस्ट्रिक्ट तक जाती है। उदयपुरिया मोड़ से लेकर इटावा भोपजी तक 5 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई 3 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर कर दी गयी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इटावा भोपजी से लेकर खेजरोली तक या चौमूं विधान सभा की सीमा तक इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का श्रम करें।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा कि विधान सभा के अन्दर भी मैं और राव साहब जो कि विराटनगर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां भी हमारे इतनी ही दूरी की एक सड़क बाकी बची है तिगरिया से लेकर जगतपुरा। जितनी दूरी

(श्री रामलाल शर्मा)

हमारी विधान सभा के अन्दर है उतनी ही दूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जगतपुरा से लेकर तिगरिया यह सड़क 2 किलोमीटर की है, यदि यह बना दी जाती है तो दो विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा खाटू श्यामजी का मेला, पूरे प्रदेश से लाखों यात्री खाटू श्यामजी की पद यात्रा करते हुए जाते हैं। डोड़सर से लेकर किशनपुरा मानपुरा तक सड़क बनी हुई है और माननीय घनश्याम तिवाड़ीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अन्दर इस सड़क का निर्माण करवाया था। अगर किशनपुरा मानपुरा से लेकर खाटू श्यामजी जो 5 किलोमीटर की सड़क है, यदि इस सड़क का निर्माण होता है तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर का जो चक्कर लगाकर पद यात्रियों को आना पड़ता है वह इस सड़क बनने से सीधी एक सुविधा रहेगी।

अभी गोविन्दगढ़ से लेकर आष्टी मोड़ तक जो पहले सड़क बनी हुई थी उस सड़क की चौड़ाई का काम चल रहा है। उसकी 3 मीटर से चौड़ाई बढ़ाकर साढ़े पांच मीटर की जा रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अब आष्टी मोड़ से लेकर और जूनस्या सीमा तक, जूनस्या की जो गांव की सीमा है वहां तक सड़क कुछ कृषि उपज मंडी ने और कुछ पी डब्ल्यू डी, दोनों ने मिलकर बना दी है। यदि गोविन्दगढ़ से आष्टी मोड़ तक जो सड़क बन रही है जिसकी चौड़ाई बढ़ रही है यदि उस सड़क को रिवाइज करके जूनस्या तक उसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाती है तो काफी गांव के लोगों को उससे राहत मिलेगी। चौमूं कृषि उपज मंडी के अन्दर जो लोग जिंस लेकर आते हैं उनको भी काफी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक छोटा सा निवेदन करके अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। हमारे आस-पास के विधान सभा क्षेत्रों को भी मिलाकर कोई एक क्षेत्र बनता है और यदि एक्स ईएन आफिस वहां चौमूं में खुलता है, जगह वहां उपलब्ध है, भवन बना हुआ है तो मेरे ख्याल से आस-पास के गांवों के अन्दर, अधिकारी यदि वहां बैठेंगे तो उनकी मानीटरिंग ठीक तरीके से हो सकती है।

(श्री रामलाल शर्मा)

इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कांग्रेस कार्यकाल की तो मैं नहीं कहता और कांग्रेस कार्यकाल में जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों की गुणवत्ता की बात मैं नहीं करता कि वह किस तरीके से बनी लेकिन इतना मैं निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अन्दर जो सड़कें बनी हैं चाहे वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हो, चाहे मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हो और चाहे कृषि विपणन बोर्ड के अन्दर सड़क बनी हो, उन सड़कों की गुणवत्ता निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकाल में बनी सड़कों से उत्तम है। इस बात का प्रमाण यह इस बात से करते हैं कि आज भी गांवों के अन्दर जब जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि अब की बार सड़क बहुत मजबूत बनी है, बहुत ठीक बनी है। माननीय सभापति महोदय, आपने बिना टोके मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द। वन्दे मातरम्।

श्री सभापतिः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। 7 मिनट में आपने अपना पूरा विषय रख दिया। माननीय सदस्य राकेशजी मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मांग संख्या 19 और 21 पर मैं समर्थन करता हूं। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे और राजस्थान के यशस्वी माननीय मंत्री राजेन्द्रजी राठौड़ के नेतृत्व में ... (व्यवधान) सत्यमेव जयते। मेघवाल कभी असत्य नहीं बोलता है, राकेश मेघवाल। हां।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): कैलाशजी मेघवाल असत्य बोलते हैं ?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अब कैलाश मेघवाल आपके यहां से एम.पी. हैं। वहां दिल्ली जाकर बात कर लेना।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): वह भी असत्य नहीं बोलते हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जाकर दिल्ली बात कर लेना आप। आपको तो सपोर्ट ही किया है जब ही एम.एल.ए. बने ना। नहीं तो इस सदन में नहीं पहुंचते। इस सदन में आप नहीं पहुंचते। यह मुझे पता है और या आपको पता है।

श्री सभापतिः चलिये आप तो अपना मूल विषय बोलिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): राजस्थान के यशस्वी माननीय मंत्री

(श्री राकेश मेघवाल)

आदरणीय राजेन्द्रजी राठौड़ के सार्वजनिक निर्माण मंत्री बनते ही पूरे देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है सड़कों के मामले में। यह एक विकास का द्योतक है जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मजरे-मजरे तक जाने वाले लोग आज यह कहते हैं कि राजस्थान के इस राज्य को और माननीय राठौड़ साहब के इस राज में ऐसी सड़कें बनी हैं जो पहले कभी नहीं बनती थी।

मैं 1993 में भी एम.एल.ए. था। उस समय माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने एक सड़क नीति बनायी थी। आप नीति की बात जब करते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग की नीति उन्होंने बनायी थी। पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने का काम और एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया। नहीं तो 40 साल तक कांग्रेस के जितने भी माननीय सदस्य हैं, इनके राज में हमेशा सौतेला व्यवहार करते थे। चार हजार की आबादी वाले गांव में सड़क नहीं बनाते और हजार की आबादी वाले गांव में सड़क बना देते थे जहां उनको वोट मिलता इसलिये इनकी बात पर, इनकी तर्ज पर यह सौतेला व्यवहार जो 40 साल तक कांग्रेस ने किया, माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी ने सड़क नीति बनायी और इनकी दुकान बंद कर दी।

आदरणीय अटल बिहारीजी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना चालू करके पूरे देश में और राजस्थान में विशेषकर सबसे ज्यादा बजट मिला जिसका जीता-जागता सबूत है कि आज 250 की आबादी के गांवों में सड़क बन गयी। आप यह कहेंगे कि 250 की आबादी की घोषणा तो अभी की है, राकेश मेघवाल माननीय राठौड़ साहब का चेला है, 250 की आबादी के गांव भी परबतसर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों से जोड़ दिये।

सभापति महोदय, दूसरी और जो मिसिंग लिंक की बात करते हैं, मैं माननीय मंत्री जी को खुडास रामदेवजी के मंदिर ले गया और वहां जहां ढाई लाख श्रद्वालु आये हुए थे, उनसे घोषणा करवायी कि एक करोड़ की यह सड़क है जो 15 किलोमीटर की है, यहां लोग पैदल आते हैं, एक करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर मिसिंग लिक स्पेशल योजना में स्पेशल पैकेज देकर बनवायी।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): पत्थर तो आपने सारे लगा दिये ना।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): लग गये, उसका उदघाटन माननीय

(श्री राकेश मेघवाल)

राठौड़ साहब ने भी किया और मैंने भी किया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर उदघाटन किये हैं, आपने वह पढ़ी होगी इंडिया टूडे उसमें राकेश मेघवाल का और पंचायत राज के कालूलालजी मंत्रीजी का भी फोटो छपा है। राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया टूडे आती है उसमें सम्राट राकेश का नाम अंकित है और यह कहा गया, सभापति महोदय, आपको गर्व होगा, आप उसी विधान सभा क्षेत्र परबतसर के किंगसरिया के रहने वाले हैं। आपको गर्व होगा कि माताजी की सड़क, केवल पूज्य माताजी की सड़क ही नहीं माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद से पहली बार डामर की सड़क बनी। दोनों मंदिर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हर पांच किलोमीटर पर आपका नाम लिखा हुआ है। मैं भी आपका मतदाता हूं वहां गांव का।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप वहां के मेरे मतदाता हैं इसलिए वहां भी सड़क बनायी ...(व्यवधान) सम्राट अशोक, और यह भी लिखा उसमें कि जब कभी भी यहां मोहनजोदड़ो की तरह खुदाई होगी तो यह याद किया जायेगा कि राकेश मेघवाल यहां से कोई लोकप्रिय, प्रिय विधायक, जनता का लाड़ला विधायक, आप भी गये थे वहां बागौट में धरने पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आज की डिमांड राकेशजी मेघवाल पर है या सड़क पर है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: राकेशजी मेघवाल पर है।

श्री सभापति: अच्छा, अच्छा।

श्री अमराराम (धोद): 6 साल पहले बने हुए पर इन्होंने पत्थर लगाया है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ऐसा है, यह काम आपने किया है तभी तो आपकी सड़कें बनी नहीं। आपने वहां परबतसर में ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मैंने तो 15 साल में एक भी पत्थर नहीं लगाया ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सभापति महोदय, परबतसर में यह धरने पर ज्यादा जाते हैं।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, मैंने तो एक भी पत्थर नहीं लगाया।

श्री सभापति: इनको बोलने दें, आप इनको बोलने दें ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जिधर भी जाते हैं वहां डामर की सड़क मिलती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: और भी काफी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह सोचते हैं कि परबतसर जनरल हो गया तो वहां से चुनाव लड़ेंगे, मैं इनको घुसने नहीं दूंगा, वहां से चुनाव राकेश मेघवाल ही लड़ेगा, इनको घुसने नहीं दूंगा।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, एक स्कूल पर तीन-तीन पत्थर राकेश मेघवाल जी ने लगा रखे हैं।

श्री सभापति: इनका नाम राकेश मेघवाल नहीं है, इनका नाम कर्मयोगी है इसलिए पत्थर तो लगेंगे ही।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): एक-एक स्कूल में चार-चार बनाये हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: काम करवाये हैं तो पत्थर तो लगेगा ही ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इसका एक दूसरा कारण भी है कि पत्थर इनके खुद के पास हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप वह काम है, आप चंदा करके लगाते हैं, हम खुद बहुत बड़े उद्योगपति हैं मार्बल के, जो इंडिया में नम्बर एक पर आता है। और तीन-तीन की बात करते हो, यह माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, 106 स्कूलें प्राइमरी की खोली हैं जो आपके किसी विधान सभा क्षेत्र में नहीं होंगी और 107 स्कूलें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत की हैं। जो किसी ने नहीं की हैं और अभी आपको दो-दो स्कूलें मिली होंगी मुझे 6 स्कूलें सीनियर हायर सैकण्डरी मिली हैं। अब आप बतायें वहां पत्थर तो लगेंगे ही लगेंगे ना। अब आपको एक स्कूल नहीं मिली तो क्या करें। जब 106 स्कूलें नयी बनी, बिल्डिंग नयी बनी तो पत्थर भी लगे, उदघाटन भी हो गया। राकेश मेघवाल इसी तरह से करता रहेगा, आपको जलन क्यों हो रही है। आप यूं ही जलते रहेंगे।

श्री अमराराम (धोद): एक पत्थर भी नहीं लगेगा अब आपका वहां।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह जो किशनगढ़ में बड़े-बड़े एड हैं, जो दिल्ली से ही शुरू हो जाते हैं, आर.के. मार्बल यह आपका है क्या?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ऐसा है आप अपनी सोचो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं तो जानकारी के लिए पूछ रहा हूं कि दिल्ली से जो बड़े-बड़े एड हैं, आर.के. मार्बल आपका ही है क्या?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): मैं तो जनरल सीट पर भी जीतकर आ जाऊंगा नहीं तो मेड़ता से जीतकर आ जाऊंगा, आप अपना सोचो और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी का राज बना है आप जीतकर आये हैं, कांग्रेस का राज बना तो आप घर चले गये, हारकर के आये हैं, हम पुराने साथी हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक-दो सड़क हमें भी दिला दो मंत्रीजी से, ताकि दुबारा जीतकर के आ जायें ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप यह कह दें कि भारतीय जनता पार्टी का राज दुबारा बनेगा तो आप वापस जीतकर के आ जायेंगे, नहीं तो हारना पड़ेगा।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं जीतोगे ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सभापति महोदय, इतनी देर मेरा समय इन लोगों ने ले लिया, अब मैं शुरूआत करता हूं। सभापति महोदय, मेगा हाइवे 415 किलोमीटर किशनगढ़, परबतसर, कुचामन सिटी, डीडवाना, लाडनूं, हनुमानगढ़ तक 415 किलोमीटर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपका समय 5.55 लिख लिया है, ठीक है ना।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इन्होंने लिया है।

श्री सभापति: हां तो एक्सट्रा दे दिया ना आपको, आपने कहा कि मैं अभी चालू कर रहा हूं। अभी मैंने टाइम लिख लिया है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप मेरे ऊपर तो मेहरबानी रखो। माताजी का मंदिर भी वहां है, हमें और सड़क बनानी हैं और मेगा हाइवे 415 किलोमीटर पहली बार बना है और यह जब कहते हैं कि अभी मंगलाना का पुलिया नहीं बना, मैं वहां का विधायक हूं, पड़ोसी हरीशजी कुमावत हैं, पुलिया बनकर के तैयार हो गया है, कल आप चलो, ऊपर से गुजरोगे, झूंठ बोलना बुरी बात है। पत्थर अब लगेगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी से उदघाटन करायेंगे मेगा हाइवे का और माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ से करायेंगे। आपके लिये जेल भी

(श्री राकेश मेघवाल)

बनायी है परबतसर में, 2 करोड़ 29 लाख की जो राजस्थान की सबसे प्रथम जेल है। 2 करोड़ 29 लाख की जेल भी बनायी है और सबसे शानदार बनायी है। अरावली पहाड़ियों के नीचे ऐसी जेल राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगी। उदघाटन हुआ तो आप तो देखकर के भी आ गये, जाकर के भी आ गये, गुर्जर आंदोलन में गुर्जरों से मिलकर भी आ गये। माननीय राठौड़ साहब ने जब उदघाटन किया तो उस पर उप कारागृह लिखा हुआ था ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः धोद से आने वाले माननीय सदस्य, मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब बराबर के साथी हैं, सब को बराबर बोलने का मौका मिलना चाहिए, अभी कम से कम 22 सदस्यों को और बोलना है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सभापति महोदय, 2 करोड़ 29 लाख का उप कारागृह बनाया गया जो राजस्थान में सबसे बढ़िया है।

श्री सभापतिः देखो मैं जितनी देर बैठा हूं, एक-एक माननीय सदस्य को आधे-आधे घंटे का समय दूंगा, तय कर लो, अब रात के एक बजेंगे, तय कर लो आप लोग।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उदघाटन किया उस समय कहा कि इस उप कारागृह का नाम मानव गृह रखें ...(व्यवधान) सबसे पहले मानव गृह में गुर्जर भाइयों को जाना पड़ा और वह मानव गृह हो गया।

सभापति महोदय, परबतसर से हंसौर 35 किलोमीटर रोड एक साथ बनाया, आज तक इन्होंने 35 किलोमीटर एक साथ रोड नहीं बनाया और जब मैं 2003 में आया और 1998 में डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें, यह पांच साल कांग्रेस के राज में खड्डे ही नहीं भरे इन्होंने, जो 1998 में डब्ल्यू.बी.एम करके हम लोग छोड़ गये थे उन सड़कों को 2003-04 में वापिस डामर की बनानी पड़ी। पांच साल के इस कांग्रेस के राज में डब्ल्यू.बी.एम. को बी.टी. में नहीं बनाया, क्या करेंगे।

सभापति महोदय, परबतसर से बागौट अभी दो करोड़ रुपये दिये हैं, दुबारा नहीं बोल रहा हूं, बहुत काम करवाये हैं इसलिए एक-एक सड़क का दो दो बार नाम आयेगा। पहला जो रिनिवल हुआ और चौड़ाई कम थी, दो करोड़ रुपये परबतसर हसौर रोड रिनिवल की थी, उसकी चौड़ाई कम पड़ गयी थी, दो करोड़ रुपये अभी और दिये हैं, मैं उसके लिए माननीय मंत्री महोदय को

(श्री राकेश मेघवाल)

धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जगह-जगह बाइपास बनाये और जेल का चौराहा बनाया और दो बाइपास बनाये, आपने कभी आपके राज में देखा होगा कि बना हुआ कोई ढाबा भी हटाया है क्या। बनी हुई कोई एक दुकान भी टूटती है क्या। परबतसर में बना हुआ एक पुराना पुलिया मंत्री महोदय के आदेश से उसको 90 डिग्री डाउन बना दिया था, उसको एकदम से सीधा दुबारा परबतसर में बना दिया। मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद दूंगा कि वह पुलिया बनकर के तैयार हो गया है और शानदार बना है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): एडजेस्टमेंट किया है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नया बना है, एडजेस्टमेंट तो आपके होता है। सभापति महोदय, यह मिसिंग लिंक की बात आयी। पहली बार 10-10 किलोमीटर सभी विधायकों को मिसिंग लिंक सड़क दी गयी और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि वह मिसिंग लिंक का काम नागौर जिले का कृषि उपज मंडी में दे दिया और कृषि उपज मंडी द्वारा 4 करोड़ 50 लाख में 30 किलोमीटर परबतसर, मकराना और नावां में काम चालू है। मैं यह चाहूंगा कि यह सड़कें माननीय मंत्री महोदय 10 किलोमीटर की जगह प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 किलोमीटर की दें।

सभापति महोदय, यह आपका अभी जे.ईएन. का मामला है, आपने उदारतापूर्वक घोषणा भी की थी और चूंकि पिछले साल घोषणा कर दी थी और मुद्दा हाई-कोर्ट में चला गया। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और वित्त विभाग से फाइल सैंक्शन होकर के आ गयी है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि इन जे.ईएन. को ए.ईएन. बनाने की घोषणा करें, जो 631 कनिष्ठ अभियंता हैं उनको ए.ईएन. बनाने की आज ही सदन में घोषणा करें। यह सभी दो सौ विधान सभा क्षेत्र के एम.एल.एज. ने लिखकर के दिया है। सभी जे.ईएन. एक-एक विधान सभा क्षेत्र के हैं, खाली अमरारामजी ने नहीं लिखा

(समय : 18.00 बजे)

क्योंकि वह सरकार में नहीं हैं। इन्होंने कहा लिखाओ पर क्या पता हुआ या नहीं है। 42-42 लाख रुपये के दो समाज कल्याण छात्रावास भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा बने हैं बड़ू और गच्छीपुरा में, उसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री राकेश मेघवाल)

मानतीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विश्व विख्यात मीरा बाईजी का मंदिर है, जब माननीय मंत्री महोदय, आपने हरसोर चौराहे पर सड़क का उद्‌घाटन किया था तब आपने घोषणा की थी कि हरसोर चौराहे से मीरा बाईजी के मंदिर मेड़ता तक सड़क और अच्छी क्वालिटी की बनाई जाएगी। साथ-साथ उप कारागृह के उद्‌घाटन समारोह में भी आपने घोषणा की थी कि विश्व विख्यात पुष्कर राज और अजमेर शरीफ मकराना से जब जाते हैं, मकराना की 21बी जो रोड है और घाटी चौराहे से परबतसर बिदियाद होते हरसोर कालेरड़ा, बस्सी के लिए आपने एम.डी.आर. में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी उसको भी आप पूरा करावें। एक त्रिमूर्ति बालाजी का मन्दिर है। और राजस्थान में एकमात्र रानाबाईजी का मन्दिर है वह भी 5 किलोमीटर सड़क है, उसकी भी आपने घोषणा की थी, आप वह सड़क भी बनाने का काम करें। इसके अलावा एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल में ही खेड़ी खींवसी गांव है, शहीद अमरारामजी अभी शहीद हुए हैं, वहां भी माननीय बाजोर साहब भी घोषणा करके आये हैं और माननीय रामनारायणजी डूडी भी घोषणा करके आये हैं तो खेड़ी खींवसी से जावला 5 किलोमीटर सड़क भी बनावें। मकराना से सीधी कुचामन कृषि उपज मण्डी के लिए वाया झूसरी होकर एक सड़क जाती है उसको एम.डी.आर. में क्रमोन्नत कराने की मेहरबानी करावें। इसके अलावा ततारपुरा, हरनावां, गिंगालिया होते हुए इटावालाखा 15 किलोमीटर सड़क का प्रपोजल भी आपके विभाग में लम्बित है, रानाबाई मंदिर है, हरनावां से 5 किलोमीटर सड़क का प्रपोजल भी आपके यहां लम्बित है। एक मेगा हाइवे से विश्व विख्यात मार्बल मण्डी जो बिदियाद और मकराना की है, सीधी मेगा हाईवे से मकराना को जोड़ने के लिए 9 किलोमीटर की सड़क है, गिंगालिया से इटावालाखा 7 किलोमीटर सड़क भी बहुत पुरानी सड़क है जो कृषि उपज मण्डी की और डेगाना और दूसरी तहसील से जोड़ती है तो वह भी गिंगालिया से इटावलाखा 7 किलोमीटर सड़क बनावें। परबतसर से मालास गुसाई 4 किलोमीटर सड़क, कालेसड़ा मंडोवरी एक गांव बहुत बड़ा है, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की सीमा पर बसा हुआ है वहां भी एक सड़क बनाने की मेहरबानी करें। डाक बंगले में आपने एक्स.ईएन. कार्यालय खोलकर के बिल्डिंग बनाने का पैसा दिया उसके लिए भी आपको तहेदिल से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक अभी आपने एस.डी.ओ. कोर्ट का उद्‌घाटन किया था, वहां एस.डी.ओ.

(श्री राकेश मेघवाल)

कोर्ट है, तहसील कार्यालय है तो एक वहां सर्किट हाउस या किसानों के लिए विश्राम गृह बनाने की कृपा करें। इसी आशा के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य बाबूलालजी नागर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय बाबूलालजी, टेलीफोन बंद करो।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): बंद ही है। मेरे पास नहीं है, मोबाइल आपके पास ही रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21 के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने सड़क की गुणवत्ता के बारे में चर्चा की। मंत्री महोदय, यह सड़क की जो आपकी टी.पी. राशि है, टेंडर प्रीमियम है, टेंडर प्रीमियम से 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बिलो में ठेका होता है और अधिकतर सड़कें सबलेट पर जाती हैं। टी.पी. की जो राशि है वह आपके विभाग के अधिकारी सारे खर्च जोड़कर, सामग्री और तमाम चीजें जोड़कर के तय करते हैं। तो मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप खुद आत्मचिंतन करें कि 15 से 30 प्रतिशत बिलो का आपके टेंडर जाते हैं और सबलेट करते हैं, जो छोटे ठेकेदार सबलेट पर बनाते हैं मैं समझता हूं कि वो भी अपना व्यवसाय करते हैं तो 10 प्रतिशत राशि अगर वो कमाते हैं तो जो आपकी टी.पी. की प्रीमियम राशि है वह 40 प्रतिशत कम से वह सड़क बनाई जा रही है तो आप खुद ही आंकलन कर लें कि हमारी सड़क की गुणवत्ता क्या होगी? मैं चाहूंगा कि आपके विभाग का जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसको इतना दुरुस्त करें कि जो सड़क बनती है चाहे गिट्टी है, ग्रेवल हो, डब्ल्यू.बी.एम. हो, डामर हो, हर स्टेज पर लेबोरेट्री द्वारा जांच करने का प्रोविजन रखा गया है। लेकिन आप खुद ही आंकलन करें कि जो राशि आपने तय की उससे 40 प्रतिशत बिलो पर काम होगा तो कैसे गुणवत्ता की सड़क बनाई जा सकती है। मेरा तो यहां तक मानना है कि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल को दुरुस्त नहीं करते हैं तो यह टेंडर प्रक्रिया ही आपको खतम कर देनी चाहिए। टेंडर प्रक्रिया आप खतम कर देंगे, आपके निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ऐसे लोगों को आप सड़क बनाने का काम दें, एक फिक्स राशि कर दें उसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं करें, उसमें आप

(श्री बाबूलाल नागर)

बढ़िया तरीके की सड़क बनवायें तो मैं समझता हूं कि आपकी अच्छी सड़क तैयार हो सकती है और अच्छी सड़कें तैयार होंगी तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, दूसरा, प्रधानमंत्री सड़क योजना थ्रू-रूट में हम विलेज स्तर के गांवों की सड़कों की साढ़े पाँच मीटर चौड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्टेट हाईवे हैं। एक तरफ तो आप विलेज की सड़क को साढ़े पांच मीटर चौड़ी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है लोगों को लाभ मिलेगा लेकिन दूसरी तरफ स्टेट हाइवे हैं वो 3-3 मीटर के बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय ये जो सी.आर.एफ. भारत सरकार की केन्द्रीय सड़क निधि योजना है इसमें राजनीति भेदभाव से दूर हटते हुए इसको तो कम से कम ईमानदारी से आम लोगों के लाभ के लिए जो विभाग के गुणावगुण के आधार पर आपकी प्रायोरिटी के आधार पर इसमें आपके विभाग को प्रस्ताव बनाकर के भारत सरकार को भेजना चाहिए। मेरे यहां दूदू-मालपुरा स्टेट हाइवे 37ए है जो तीन मीटर चौड़ा बना हुआ है। ऐसे ही दूदू-फागी स्टेट हाइवे 12 है वह भी 3 मीटर बना हुआ है। इसी तरह से मोखमपुरा-आकोदा-फुलेरा स्टेट हाइवे 57 है जो भी 3 मीटर बना हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप राजस्थान सरकार के पास अगर कोई योजनामद नहीं है तो कम से कम केन्द्रीय सड़क निधि योजना में यह इतना उपयोगी स्टेट हाइवे है, उपयोगी है जब ही तो ये कई वर्षों से स्टेट हाइवे के रूप में है, आप उनको प्रथम प्राथमिकता दें। इस बार सी.आर.एफ. में आपको इनको लेना चाहिए जिससे कि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, इसी तरह केन्द्र सरकार की रोजगार गारंटी योजना में इस बार राजस्थान में सामान्य क्षेत्रों में 500 तक की आबादी के गावों को सड़क से जोड़ रहे हैं और जनजाति एवं मरू विकास क्षेत्रों में 250 तक की आबादी के गांवों को जोड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि पी.डब्ल्यू.डी. ने जहां सामान्य क्षेत्र में 500 तक जोड़ रहे हैं वहां पर 250 से 500 तक की ग्रेवल सड़क का विभाग ने इस रोजगार गारंटी योजना में काम हाथ में लिया है। इसी तरह मरू विकास क्षेत्र में और जनजाति क्षेत्रों में जीरो से 250 तक के गांवों को हाथ में लिया है लेकिन राजस्थान तो छोटी-छोटी ढाणियों में बसा हुआ है और ऐसी-ऐसी भी ढाणियां हैं जहां पर 100 से 250 तक की आबादी निवास कर रही है। जब आपको पूरा का पूरा पैसा ग्रेवल सड़क का भारत सरकार का

(श्री बाबूलाल नागर)

इस रोजगार गांरटी योजना में मिल रहा है तो आप जो ढाणियां चाहे आप कोई भी निर्धारित कर लें, चाहे 50 से 100 तक की आबादी का कर लें या 50 से 200 तक की आबादी का कर लें, जो राजस्व गांव नहीं हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस रोजगार गारंटी योजना में चिह्नित करके जो सरकार ने कम से कम ढाणियां तय कर रखी हैं उन ढाणियों में आप रोजगार गारंटी योजना में ग्रेवल सड़क बना दें। जब वहां बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं तो उनको आने-जाने का रास्ता मिलेगा, यह मेरा आपसे एक इसमें निवेदन है।

(समय : 18.09 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आप सड़क बनाते हैं बहुत से सड़कों में रास्ता कटा हुआ होता नहीं है, एग्रीकल्चर जमीन से सड़कें निकलती हैं और इस मद में काश्तकार को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत सी सड़कें स्वीकृत होने के बाद भी काश्तकार लोग जब सड़कें जाती हैं तो बहुत से लोग तो हाथ-पैर जोड़ने से ही मान जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सड़क को आगे नहीं बनने देते हैं, स्टे ले लेते हैं। मैं चाहूंगा आप जब ऐसा एस्टीमेट बनाएं पीएमजीएसवाई में तो कम से कम जिन काश्तकारों की जमीन जाती है इसमें उनको मुआवजे का भी आपको प्रावधान रखना चाहिए जिससे सड़क भी बनेगी और उस किसान को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा।

सभापति महोदय, इसी तरह एक निवेदन करना चाह रहा हूं। अकाल राहत में ग्रेवल सड़कें राजस्थान में पहले भी बनायी गयी, इस बार तो अकाल राहत के काम चालू नहीं हुए, लेकिन लाखों सड़कें बनी हैं। मेरे अकेले के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के दौरान करीब 550 ग्रेवल सड़क बनायी और पीडब्ल्यूडी ने बनायी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पीडब्ल्यूडी एजेंसी है, पीडब्ल्यूडी ने वो ग्रेवल सड़कें बनायी, लेकिन ग्रेवल सड़क बनाने के बाद ग्रेवल सड़कों से बहुत फायदा होता है आने-जाने वालों को। उस ढाणी में और गांव में जाने वालों को रास्ता मिलता है, लेकिन उन ग्रेवल सड़कों के लिए डिपार्टमेंट में मेंटिनेंस का कोई प्रावधान रखना चाहिए। जब भी कोई पानी आ गया, कटाव लग गया, पंचायतों की प्राथमिकताएं अलग होती हैं काम करने की, वे समझते हैं यह ग्रेवल सड़क पहले बन गई, इसमें हमें किसी तरह का कोई नया श्रेय नहीं

(श्री बाबूलाल नागर)

जाएगा। तो उसमें मेंटिनेंस में भी पंचायत समिति या जिला परिषद उसमें राशि खर्च नहीं करती है। मैं चाहूंगा मेंटिनेंस के संबंध में कोई न कोई ऐसा प्रावधान आपके विभाग को रखना चाहिए जिससे ग्रेवल सड़कों की मेंटिनेंस हो सके।

इसी तरह मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा गांवों में सड़क बन गई, कांग्रेस के राज में भी बनी, आज भी बन रही है। पीएमजीएसवाई में तो सीसी रोड का प्रावधान है, लेकिन अन्य जगह गांव में दूर से जाते हैं तो बढ़िया सड़क होती है। लेकिन जैसे ही गांव में घुसते हैं तो कीचड़ होता है, सड़क क्षतिग्रस्त होती है। उस गांव में तरह-तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। आपने सीसी रोड बनाने की बात की। मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी तक इसमें ज्यादा कहीं बनायी भी हो, लेकिन इसमें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें गांवों में घुसने से पहले कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। पूरे गांव में मच्छरों से बीमारियां हो जाती हैं, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, पूर्व में केन्द्रीय भूतल मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने उस दौरान एक सर्वे कराया राष्ट्रीय राजमार्ग को महला-जोबनेर कालाडेरा होते हुए दिल्ली रोड तक। जयपुर-अजमेर नेशनल हाइवे इसको टच करता है, उधर सीकर-बीकानेर कालाडेरा से चौमूं होते जाएगा तो जयपुर से बीकानेर रोड को टच करता है और चौमूं से दिल्ली रोड नेशनल हाइवे पर आ जाता है। एक इस तरह का सर्वे हुआ था। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा, हो सकता है यह भारत सरकार का मामला है, राजस्थान सरकार इसमें कर सकती है या नहीं कर सकती है। दो नेशनल हाइवे जयपुर-अजमेर-दिल्ली व जयपुर बीकानेर आते हैं। यह अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है तो इतनी बड़ी लोगों को सुविधा मिलेगी और आम लोगों को दो-दो नेशनल हाइवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसके लिए आपको भारत सरकार को भी लिखना चाहिए और यह राजस्थान सरकार के हाथ में है तो राजस्थान सरकार को इसको अपने हाथ में लेना चाहिए।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। नेशनल हाइवे पर जब चलते हैं अधिकतर नेशनल हाइवे में आबादी पोर्शन नहीं होता, गांव के लोग गांव में अंदर रहते हैं। लेकिन एक-एक किलोमीटर, आधा-आधा किलोमीटर पर शराब की दुकानें हैं। मेरा निवेदन है एक तरफ हम एक्सीडेंट को रोकने की बात करते

(श्री बाबूलाल नागर)

हैं वहां जब कोई आबादी पोर्शन नहीं है और नेशनल हाइवे पर एक-एक किलोमीटर पर शराब की दुकान है तो मैं चाहूंगा कम से कम आपका विभाग नेशनल हाइवे है या स्टेट हाइवे है उसमें 200 मीटर तक ऐसी कोई दुकान, यदि आपसे जिला प्रशासन स्वीकृति लेता है तो 200 मीटर तक स्वीकृति नहीं देनी चाहिए और स्वीकृति नहीं भी लेता है तो इस दुर्घटना को रोकने के लिए नेशनल हाइवे पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। शराब पीएंगे तो उल्टी सुलटी गाड़ियां चलाएंगे, एक्सीडेंट करेंगे, जान-माल का खतरा होगा। मैं चाहूंगा इन नेशनल हाइवे पर शराब का मामला है इसको रोकने की बात करनी चाहिए।

इसी तरह जो पुरानी सड़कों के नवीनीकरण का काम किया जाता है उसमें कई बार नवीनीकरण का काम नहीं करके मरम्मत का काम किया जाता है। लेकिन अधिकतर देखने में आता है जो पटरी रिपेयर है इसका काम कम हाथ में लिया जाता है। मैं चाहूंगा विभाग पटरी रिपेयर का काम हाथ में ले। लम्बी आयु तक सड़क रहे इसमें पटरी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर आपकी पटरी सही है तो वाहन पटरी पर भी चलते हैं और सड़क को मजबूती मिलेगी।

सभापति महोदय, इसी तरह नेशनल हाइवे पर जहां-जहां गांवों का पोर्शन होता है अधिकतर गांवों के पोर्शन में जो क्रासिंग होता है वहां जबर्दस्त तेजी से नेशनल हाइवे पर वाहन चलते हैं, गांवों के पोर्शन में दुर्घटनाएं होती हैं। तरह-तरह के जानवर उधर से निकलते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि गांवों की सड़कें आती हैं, गांवों का रास्ता आता है, कई बार 90 डिग्री एंगल का रास्ता आता है जहां पशुओं का एक्सीडेंट होता है, आदमियों का एक्सीडेंट होता है तो कम से कम नेशनल हाइवे का जहां भी क्रोसिंग हो। मेरा निवेदन है कि वहां आप ब्रिज जरूर बनाएं या गांव से आने-जाने वालों को अलग से रास्ता निकालें, मवेशियों का अलग से निकालें तो एक बहुत बड़ा इसमें लाभ मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सुझाव दे रहा हूं। मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, मैं इतना सा निवेदन करना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: 15 मिनट हो गये हैं। इसमें काफी लोग-बाग हैं, आप दूसरों का भी ध्यान रखें।

(श्री बाबूलाल नागर)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। दूदू में हमारा डाक बंगला है। आधे राजस्थान को इसकी आवश्यकता पड़ती है। अजमेर, जोधपुर, उदयपुर जाने वाले तमाम वीआईपी को उधर से निकलना पड़ता है और आधा राजस्थान इस रोड से गुजरता है। मैं चाहूंगा विभाग इसको सुविधाजनक बनाए, इसका विस्तार करे। कई बार ऐसा महसूस हुआ है राज्य के मुख्य मंत्रीजी को भी कई बार वहां रुकना पड़ा है। मैंने दो-तीन राज्यपाल देखे हैं, महामहिम महोदय भी उसमें रुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कई बार वहां 5-10 मिनट रुकते हैं। आम लोगों को जरूरत पड़ती है। आप इस डाक बंगले का विस्तार करें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपने सांभर में एक्सईएन का डिवीजन आफिस खोला। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन फागी, फुलेरा और बीच में है दूदू, नेशनल हाइवे है। दूदू जयपुर जिले में ऐसा ब्लाक है जो मरू विकास का ब्लाक है। आज करीब 70-80 करोड़ के आसपास भारत सरकार के सड़क के काम चल रहे हैं, 250 की आबादी के भी काम चल रहे हैं, रोड के भी काम चलेंगे। मैं कोई फुलेरा के बारे में आपसे आपत्ति नहीं कर रहा हूं, आप फुलेरा में और खोलिए, लेकिन यह जो निर्णय किया है इस निर्णय में दूदू में अलग से उपखण्ड खोलना चाहिए। सेंटर में पड़ता है, दूदू में अलग एक्सईएन आफिस खोलना चाहिए। फागी के लोगों के भी बीच में पड़ता है, फुलेरा के लोगों के भी बीच में पड़ता है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अंत में एक निवेदन और करना चाहता हूं। आज 250 तक की आबादी के गांवों को मेरे ब्लाक में सड़क से जोड़ना शुरू हो गया। मंत्री महोदय, माल्यावास गांव के लोग दो-तीन बार जीपें भर-भरकर आपके पास आये और आप भी वहां गये हैं, उस माल्यावास गांव में भी गये हैं। उसकी आबादी 500 से ज्यादा है। इसी तरह माजीपुरा गांव है। उसकी आबादी 2001 से पहले 500 से ज्यादा है। कई बार अपने स्तर पर जहां मैं इस बात को कह सकता था मैंने कहने का प्रयास किया है। अब एक बार विभाग से गलती हो गई, माजीपुरा के लिए मैंने जिला सतर्कता समिति में चर्चा की, पीडब्ल्यूडी ने उसकी दूरी बतायी स्कूल की जो गांव से बाहर है। वह सात सौ, साढ़े सात सौ मीटर दूरी पर है। उसके बाद में गांव है और एक घर स्कूल के पास में है, पूरा गांव एक किलोमीटर के आगे बसा हुआ है। और

(श्री बाबूलाल नागर)

आपके नार्म्स के अनुसार, भारत सरकार के नार्म्स के अनुसार पांच सौ मीटर पर जो गांव होगा उसमें आप सड़क नहीं बना सकते, उसको आप जुड़ा हुआ मानते हैं। लेकिन जब आप स्कूल को भी अगर जोड़ते हैं तो आप सात सौ और आठ सौ मीटर से बाहर है, इस गलती का आपको सुधार करना चाहिए और आपको माल्यावास को अगर आपका वह आबादी का क्राइटेरिया निकल गया तो कोई बात नहीं, आपको सम्मिलित करते हुए दुबारा पीएमजीएसवाई में कैसे न कैसे उसको भेजना चाहिए। इसी तरह, माजीपुरा का मामला है। माल्यावास में आज से 20 साल पहले स्कूल क्रमोन्नत हुआ, स्कूल बनी उस दूरी को तो मानते नहीं हैं और यह कहते हैं एक घर पांच सौ मीटर के आसपास है और पूरा गांव अंदर है तो आप उसको इस तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसको आप प्राथमिकता से रखें और इसी तरह, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, अंत में, कि सीआरएफ के लिए जो मैंने निवेदन किया है। मंत्री महोदय, मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूं और वैसे भी आप तो जानते हैं, आपने विधान सभा की यात्रा शुरू की थी तो उसके पहले की आपकी यात्रा में मैं आपका बहुत सहयोगी रूप से रहा हूं। और आपको इस विधान सभा का दरवाजा हम जैसों के खून पसीने से, मेहनत से ही आपको विधान सभा का दरवाजा मिला है तो मैं आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि मेरा क्षेत्र वैसे भी गरीब क्षेत्र है, आपका अथाह स्नेह भी होना चाहिए। मेरे आपके बीच भाईचारा भी है फिर उसके बाद भी यह मेरा जो स्टेट हाइवे है, यह आपने सीआरएफ में शामिल नहीं करके आपने उस क्षेत्र के साथ ही अन्याय नहीं किया, उस भाईचारे में भी आपने थोड़ी सी गड़बड़ की है। अभी मैं चाहूंगा कि आप इसमें सुधार करें।

एक यह जे.ईएन. और ए.ईएन. का मामला भी कई सदस्यों ने कहा है। सभापति महोदय, इतना सा कहना चाहता हूं बहुत 20-20 साल से जे.ईएन. हैं उनके प्रमोशन करिए लेकिन आपने अगर जे.ईएन. केडर खत्म कर दिया।

श्री सभापति: श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, अंत में, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं। आपको एक अंत में, सभापति महोदय, बाण गंगा आप जानते हैं, आपके क्षेत्र में है, सभापति महोदय, ...(व्यवधान) बहिनजी, बस

आधे मिनट में खतम कर रहा हूं। बाण गंगा एक ऐसा स्थल है ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप बैठ जाओ, मेरा टाइम खतम कर रहे हो।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आधे मिनट में मैं अपनी बात खतम कर रहा हूं। बाण गंगा एक ऐसी जगह है जो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक स्थल है। अर्जुन के बाण से बाण गंगा नदी निकली है और वहां पांडवों का गुप्त वास भी रहा है और बैराठ और बाण गंगा के उस क्षेत्र में पांडवों ने निवास किया है।

श्री सभापति: आप नोट कर लें, बाण गंगा का आप नोट कर लें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): उस सड़क को, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है।

श्री सभापति: It's a point well noted. I think, ...

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं चाहूंगा तेवड़ी से बाण गंगा वह जो रोड है, उसको आप जोड़िए, वह एक हमारा ऐतिहासिक स्थल भी जुड़ेगा और मेरा सभापति महोदय, ...(व्यवधान) मेरा वह बहुत धार्मिक स्थल है।

श्री सभापति: अब आप बिराज जाएं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एक बात की बधाई देता हूं। मैं कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा, आपको इतना बड़ा सहयोग मिला है, आपके उच्च लेवल के, नीचे के लेवल के अधिकारियों का, सौभाग्यशाली हो कि पीडब्ल्यूडी आज आपके राजस्थान लेवल पर ऐसे डायनेमिक अधिकारी हैं जो आज सब की भलाई की बात करते हैं। यह मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बाबूलालजी, एक यह आप राकेश मेघवाल जी के साथ बैठो, तरकीब बताएंगे कैसे काम लेना है इन मंत्रियों से।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ऐसा है, राकेश मेघवाल को बेस्ट सिटीजन आफ इंडिया का एवार्ड मिला है, आप कहो तो इसको टेबल कर दूं नहीं तो ले जाकर पढ़ लो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसीलिए तो कहता हूं बाबूलालजी से कि एक घंटा आपकी शिक्षा लें।

(श्री राकेश मेघवाल)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हां, अभी क्या है कि हमारी और बाबूलालजी की जोड़ी आमने सामने भी भिड़ने वाली है, हो सकता है कि दूदू से भी चुनाव लड़ लूं।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने आपको मांग संख्या 19 और 21 में शामिल करते हुए मैं माननीय दूदू से आने वाले जो सदस्य हैं, जैसे उनकी ट्रेन चूक रही थी, वह सारा फटाफट आप घंटी बजाते जा रहे थे और फटाफट कहते जा रहे थे, इनका पांच साल का पिछला कार्यकाल था तब यह कहां गये थे? जब इन्होंने कुछ भी काम नहीं कराए। मैं धन्यवाद देती हूं इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जिन्होंने पूरे हिन्दुस्तान में गांवों की सोची और हमारी मुख्य मंत्री साहिबा वसुंधराजी राजे को और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को राजेन्द्रजी राठौड़ को जिन्होंने गांव में रहने वाले प्रत्येक ग्रामीण की भी सोची। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आती हूं, मैं आपको बताना चाहती हूं, चार साल पहले वहां पर एक भी सड़क बनी हुई नहीं थी। जो सड़कें थी वह बड़ी जर्जर अवस्था में थी, आज मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र में सब तरफ सड़कों का जबरदस्त और सुंदर जाल बिछ गया है। सुनेमाजी से मेरा देसूरी विधान सभा क्षेत्र शुरू होता है और लास्ट का गांव रूंगड़ी गांव है वहां तक ऐसी जोरदार सड़कें बनी कि पेट का पानी भी नहीं हिलता और इनके टाइम में सड़कों की ऐसी स्थिति खराब थी कि हम क्षेत्र में जाते थे तो सब को यह समस्या रहती थी, मुझे भी समस्या थी, मेरे बुजुर्ग जो थे उनको भी समस्या थी, सब के पेट की नाभि टल जाया करती थी, बड़ी परेशानी हुआ करती थी मगर आज यह स्थिति नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास को अगर आंका जाता है तो सड़कों से आंका जाता है, जिस गांव में सुंदर सड़कें बनी होती हैं तो वहां नेता, अभिनेता, कलक्टर, एसपी सभी अधिकारी पहुंच जाते हैं। वहां पर परिवहन की सुविधाएं भी रहती हैं, सब चीजों से वह गांव सुख सुविधा से सम्पन्न हो जाता है मगर जिन गांवों में सड़कें नहीं होती हैं वास्तव में उन गांवों की हालत बड़ी दयनीय होती है। पिछली सरकार के द्वारा अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में सड़कों के विकास पर कुल 1900 करोड़ रुपये खर्च किये गये जब कि वर्तमान सरकार ने अपने चार वर्षों के कार्यकाल में 7527 करोड़ रुपये का व्यय किया, प्रतिवर्ष चार गुना से भी अधिक और इस वर्ष 2008-09 में

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

भी 2800 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आज राजस्थान में प्रथम चरण से पंचम चरण तक के कार्य सम्पूर्ण हो चुके हैं और सप्तम् चरण का काम चल रहा है जब कि पिछली सरकार थी इन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सड़कों के मामले में देश के आंकड़ों को भी उठा कर देखा जाए तो देश के जो अन्य राज्य हैं वह भी राजस्थान से इस मामले में पीछे हैं। उन अन्य राज्यों में भी प्रथम चरण से द्वितीय चरण के कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं और इसके लिए हमारी विश्व बैंक और भारत सरकार ने भी प्रशंसा की है। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में दिसम्बर, 2000 से नवम्बर, 2003 तक मात्र 918 गांवों को सड़कों से जोड़ा था और हमारी सरकार ने अब तक 7643 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया है। यह है हमारे कामकाज करने का तरीका। पिछली सरकार के समय में प्रतिदिन औसतन 4 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके औसतन एक गांव को जोड़ा जाता था और हमारी सरकार के, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रतिदिन औसतन 18 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके प्रतिदिन 6 गांवों को जोड़ा जा रहा है। यह रही हमारे कार्य करने की रफ्तार। हमारे कार्य करने की रफ्तार ही नहीं, हमने गुणवत्ता का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा है। इसके लिए जो नव निर्मित सड़कें हैं उसमें पांच साल तक ठेकेदार उनकी मेंटीनेंस करेगा, इसकी शर्त सामान्यतया इसमें जोड़ी गई है और जो नवीनीकृत सड़कें हैं जो क्रमोन्नत की जाने वाली सड़कें हैं उनमें तीन वर्ष तक ठेकेदार को उनका रखरखाव करने के लिए इस शर्त को जोड़ा गया है, इससे सड़कों की गुणवत्ता आज की तारीख में मेंटेन हुई है और उसके साथ में जो प्रधान, जिला परिषद्, सांसद विधायक उनको भी इसमें शामिल किया गया है।

जनप्रतिनिधियों ने जनवरी 2008 तक कुल 617 दौरे किये और 1530 सड़कों का निरीक्षण किया और मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सभी सड़कें गुणवत्ता में संतोषजनक पाई गई।

माननीय सभापति महोदय, 183 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में आबादी क्षेत्र से गुजरने वाली जो सड़कें हैं और जो स्टेट हाइवे हैं जो आबादी क्षेत्र में पड़ती है वहां सीमेंट-कंकरीट की 395 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 286 करोड़ रुपए स्वीकृत कर 158 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर 220

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

किलोमीटर लम्बी सीमेंट-कंकरीट की सड़कों का निर्माण पूर्ण करवाया गया है। मुझे यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र के सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम 5 करोड़ के काम इस योजना के तहत हुए हैं और रानी नगर पालिका क्षेत्र में भी इस योजना के तहत काम हुए हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चलो आज यह तो पता चला कि मंत्रीजी के खास-खास कौन से विधायक हैं।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आपके अशोकजी के तो पता नहीं कौन खास थे, आप सबसे उनकी क्या दुश्मनी थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। मगर मैं धन्यवाद देना चाहती हूं वसुन्धराराजेजी को और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को, आज सुबह मुझे पता नहीं लगा कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उनकी प्रशंसा किसी न किसी रूप से कर दी। यहां पर अब तक जितने भी सदस्य बोले हैं उन्होंने भी किसी न किसी रूप में उनकी प्रशंसा की है, काम करने के मामले में, गुणवत्ता के मामले में उनकी कार्य कुशलता के मामले में। पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने जब अपने क्षेत्र की बात उठाई तो उन्होंने हाथोंहाथ उनको सैंक्शन दी, यह है हमारे कामकाज का तरीका, इसको आप कुछ भी समझो, हमारी प्रतिबद्धता है तो राजस्थान की जनता के प्रति है, उसको हम निभाएंगे, उसका आप कुछ भी अर्थ निकालो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): पर्चा देते हैं हाथोंहाथ, पर्चा दे दिया हाथोंहाथ, पर्चा दे दिया सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र में नाडौल कस्बे का ले लें, चाहे देसूरी उप खण्ड कस्बा ले लें, चाहे सोनाईमाझी ले लें, चाहे बूसी ले लें, चाहे खारड़ा ले लें। किधर भी आप चले जाएं उन गांवों में मेन जिसको कहते हैं गांव की नाक, वहां पर पानी की वजह से सड़कें जो टूट जाया करती थी। जब गांव की नाक सुन्दर नहीं हुआ करती है तो उस गांव के प्रति मन में एक भावना होती है कि यह गांव कैसा है, यहां का जनप्रतिनिधि कैसा है, यहां का एम एल ए कैसा है, यहां का एम पी कैसा है, यहां की सरकार कैसी है, ऐसी सोच पूर्ववर्ती सरकार के लिए थी। मगर वर्तमान सरकार के लिए मेरे

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

देसूरी विधान सभा क्षेत्र में बहुत अच्छी भावना है क्योंकि यह सरकार कस्बे का, गांव का नाक जो कहा जाता है, वहां पर सीमेंट की सड़कें बन चुकी हैं। आज मुझे बताते हुए फख्र होता है कि मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत यह हुआ है और इसमें मुख्य मंत्रीजी ने अपना नाम वसुन्धराराजे सड़क योजना नहीं रखा, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री जो थे उन्होंने अपने नाम से कई योजनाएं चलाईं, उद्यान बनवाए, ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने जनता की सेवा का बीड़ा उठाया है, वह कर रहे हैं।

राज्य का सड़क तंत्र कई हिस्सों में बीच में छूट गया था, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी तथा वाहनों के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती थी। सरकार ने इन छूटे हुए टुकड़ों को भी पूरा करने के लिए पहली बार वृहद कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसके तहत अब तक 243.66 करोड़ रुपये के व्यय से 2598 किलोमीटर मिसिंग डामर की सड़कों का निर्माण किया जाकर 222 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं, वास्तव में बहुत सराहनीय काम हुए हैं। मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र में विगत चार वर्षों में पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत 17 गांव और मिसिंग लिंक के तहत 2 गांव, डब्ल्यू.बी.एम.टू.बी.टी. के तहत 11, कुल 30 गांव जोड़े गए हैं और रिन्यूअल सड़क के तहत 119 किलोमीटर सड़कें बनी हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। साथ ही स्टेट हाइवे 67 और 62 जो घोषित हुए हैं और पुलिए और सी डी वर्क जो हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि गत दिनों जो बाढ़ आई पाली जिले में इन पुलियाओं की कमी की वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंदली, कोटड़ी, उधर जाते हैं कम से कम दो महीनों तक मैं जा नहीं सकी। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन किया और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वह सी डी वर्क और पुलियाओं का काम वहां बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। 157.50 लाख रुपये के सी डी वर्क के काम वहां चल रहे हैं। बिल्डिंग वर्क में मेरे यहां 24 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को जिन्होंने मैनें तीन साल तक लगातार इस चीज

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

को उठाया कि मेरे रानी में एईएन आफिस होना चाहिए तो उन्होंने एईएन आफिस भी स्वीकृत किया इसके लिए मैं भाई साहब, माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूं।

मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें जो बाकी रह गई हैं, मेरे यहां कोई समस्या नहीं है, मेरे यहां की सभी सड़कें बन चुकी हैं, सिर्फ बाकी हैं तो 250 की आबादी वाले 3 गांव हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने अब के बजट में घोषणा की है कि 250 की आबादी वाले गांवों को भी सड़क से जोडेंगे। इसमें मेरे गुढा बिछू, कल्याणपुरा, गुढा गागाणा करके 3 गांव हैं, वह भी सड़क से जुड़ जाएंगे, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय सदस्य, नवरतनजी राजोरिया सहित सभी माननीय सदस्यों ने अपनी डिमाण्ड रखी कि बीस किलोमीटर सड़क मिसिंग लिंक के लिए हमें दी जाए ताकि हमारी कुछ और सड़कें बन जाएं। मेरे क्षेत्र की कुछ और सड़कें हैं जिनमें सिंदली से मुण्डाया तक डामरीकरण की है जो लिखकर दी है, 8 किलोमीटर है उसमें मिसिंग लिंक और सी.डी. वर्क है, कृपा करके वह दी जाए। सादड़ी से मादा तक की सड़क, सादड़ी की मैन हाइवे की सड़क बनी हुई है मगर मादा गांव को जोड़ा हुआ माना गया है। इसलिए दो किलोमीटर गांव वह अंदर पड़ता है, कृपा करके उसको भी जुडवाने का मैं आग्रह करती हूं। ढारिया से सालरिया तक सड़क साढ़े तीन किलोमीटर, इसको भी जोड़ा जाए। हरोकड़ा से चाचोड़ी तक सड़क चार किलोमीटर की रिकारपेट की जाए। मुख्य सड़क से मोरका गांव की सड़क एक किलोमीटर की सड़क है इसको भी जोड़ा जाए। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि जब वह अपना वक्तव्य दें तो उसमें जरूर मेरा निवेदन स्वीकार करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि देसूरी और चार भुजा रोड पर आए दिन जो बहुत एक्सीडेंट होते हैं, अभी गत दिनों रामदेवरा के यात्री उस समय जो ट्रोला भरा हुआ था उसमें 170 लोगों की उसमें देसूरी की नाल में मृत्यु हो गई थी तो मेरा आपके माध्यम से माननीय

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

मुख्य मंत्रीजी से और माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि पांच किलोमीटर की यह जो सड़क है, नागदेवता का मंदिर है, यह राजसमंद में आता है और यह पांच किलोमीटर की जो घुमावदार सड़क है उसको चौड़ा करवाया जाए ताकि यहां पर आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे हमें निजात मिल सके। जहां यह दुर्घटना हुई वहां पर कुछ काम चल रहा है मगर उस पांच किलोमीटर की सड़क को चौड़ा कराया जाए ताकि दो गाड़ियां आर पार हो सके, यह मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है।

जब आप अपना मंत्रीजी, वक्तव्य दें तो निश्चित रूप से इसके लिए जरूर कहें क्योंकि देसूरी विधान सभा क्षेत्र ने मुझे पहचान दी है, वह मेरी कर्मभूमि है और इस कर्मभूमि के लिए मैं एक और प्रयास करूं, इसके लिए मेरा निवेदन है। आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 19 और 21 पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी जिनको वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी भीष्म पितामह की संज्ञा दी है, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी और हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री आदरणीय राठौड़ साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि वह भाजपा के हैं या किसी एक पार्टी के हैं बल्कि इसलिए कि गांवों तक सड़क पहुंचाने का काम हमारे कार्यकाल में जितना हुआ है, उतना पिछले 60 सालों में कभी नहीं हुआ। अटलजी ने बहुत पहले एक कविता लिखी थी।

"भरी दुपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा,
अंतरमन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाये,
आओ फिर से दीया जलायें।"

उस समय जो भारत की स्थिति थी, उसमें उन्होंने लिखा था। लेकिन जब वे शासन में आये तो सचमुच में घर-घर दीया जलाने की उन्होंने मन में ठानी और उसी का परिणाम है कि इतनी सारी योजनाएं उन्होंने चालू कीं लेकिन क्योंकि आज सड़क पर ही बोलना है। इसलिए मैं उनकी इसी बात पर अपनी बात रखूंगा कि सड़क के लिए उन्होंने पहली बार सोचा कि ग्रामीण क्षेत्र

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

की जनता को भी डामर की सड़क पर चलने का हक है और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की। योजना चालू ही नहीं की बल्कि उसका पैसा कहां से आएगा, उसके लिए प्रोविजन भी रखा। आज की यू.पी.ए. की सरकार की तरह नहीं कि 60,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया और उसका प्रोविजन बजट में है ही नहीं लेकिन उन्होंने प्रोविजन रखा और मुझे खुशी है कि राजस्थान उसमें, पी.एम.जी.एस.वाई. में प्रथम आया है। लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारा उदयपुर जिला राजस्थान में प्रथम आया है और एक तरह से पूरे हिन्दुस्तान में उदयपुर जिला पी.एम.जी.एस.वाई. में प्रथम आया है और हमारे क्षेत्र में सड़कों की आप गुणवत्ता देखिये, सचमुच में सराहनीय है। इसके लिए मैं मंत्रीजी से लेकर उन सभी अधिकारियों और जे.ईएन. तक को, सब को धन्यवाद और हार्दिक शुभकामना देता हूं कि इनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा। इस कार्यकाल में माननीय राठौड़ साहब ने मेरे क्षेत्र में जितनी भी डब्ल्यू.बी.एम. की सड़कें थी, उनको बी.टी. में बना दी। आज कोई भी डब्ल्यू.बी.एम. सड़क ऐसी नहीं है जिसके लिए मैं मांग कर सकूं कि आप डब्ल्यू.बी.एम. सड़क को बी.टी. में कर दो। सब सड़क इसमें बन चुकी हैं।

पिछले वर्ष मिसिंग लिंक योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र की करीब तीन मुख्य सड़क शामिल हुई और मात्र एक-दो सड़क अब ऐसी बची हैं जिस पर डामरीकरण होना है।

अटलजी ने जब योजना बनाई थी तो उस समय कोई सामान्य या जनजाति का मुद्दा उसमें बीच में नहीं रखा था लेकिन वर्तमान यू.पी.ए. की सरकार ने जनजाति क्षेत्र में तो 250 तक की आबादी की सड़क बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन सामान्य श्रेणी में ऐसा नहीं किया। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और राठौड़ साहब को भी कि इन्होंने बजट में घोषणा की है कि 250 से 499 तक की आबादी की जो सड़कें हैं, वे सामान्य क्षेत्र में भी बनायेंगे। इसमें मेरे क्षेत्र की 139 सड़कें आने वाली हैं। इसी तरह से पंचायत हैडक्वार्टर को भी जोड़ने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। उसमें भी मेरे विधान सभा क्षेत्र की काफी सड़कें आने वाली हैं।

मैं आपको बताऊं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गत सरकार के कार्यकाल में मात्र 649 लाख रुपये सड़क निर्माण पर खर्च हुए जब कि भाजपा के चार साल में 8,409 लाख रुपये खर्च हुए यानी कि 12 गुना ज्यादा खर्च

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

हुए।

पिछले वर्ष मंत्रीजी के सहयोग से कीर की चौकी से भीण्डर-सलूम्बर होते हुए ऋषभदेव तक की सड़क को राजमार्ग घोषित किया, इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन सड़कों की रिपेयर के लिए 334 लाख रुपये भी आपने स्वीकृत किये लेकिन उस सड़क को अब चौड़ा करने की जरूरत है। इसके लिए आपके पास हमने एस्टीमेट बनाकर भिजवा रखा है, उसको आप स्वीकृत करायेंगे।

वर्तमान में मावली से बटेवर, बटेवर से बानसी होकर प्रतापगढ़ तक की जो रोड है, वह आपने उसके लिए 1,331 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं, उसके टेण्डर भी लग गये हैं और मुझे खुशी है कि यह पूरी सड़क एक तरह से नाथद्वारा से प्रतापगढ़ के बीच में मुख्य रोड का काम करेगी।

एक बड़ी घोषणा पिछले वर्ष मंत्रीजी ने की थी जिसमें 621 जे.ईएन. को ए.ईएन. बनाने की घोषणा की थी और जे.ईएन. पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की वह धुरी है जिसने दिन-रात मेहनत करके राज्य को पी.एम.जी.एस.वाई. में प्रथम लाने में योगदान दिया है। ऐसे में इनके पद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें से बहुत से ए.ईएन. के बराबर वेतन ले रहे हैं, सरकार पर कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ रहा है। कुछ लोगों ने डिप्लोमा इंजीनियर्स की बात उठाई है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि रोजगार गारंटी योजना में इतने पद जे.ईएन. के खाली पड़े हैं, जिनमें कोई आने वाला नहीं है इसलिए यह काफी नौकरियां तो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए मिलेंगी। प्राइवेट सैक्टर में आजकल सब जाना चाहते हैं क्योंकि 20,000 तो स्टार्टिंग पे मिलती है। अब जब कि एक्स.ईएन. से लेकर, ए.ईएन. से लेकर, एडिशनल चीफ इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक सभी पदोन्नत हो गये हैं तो इन जे.ईएन. को इसमें वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इससे प्रति व्यक्ति का कार्य भार भी कम होगा और वह कार्य भी अतिरिक्त क्षमता से हो सकेगा।

मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मावली-डांगीयान ऐसा गांव है जो 912 की आबादी का गांव है लेकिन पिछली सरकार के दौरान इसको जान बूझकर पी.एम.जी.एस.वाई. में नहीं जोड़ा गया क्योंकि वह एक पार्टी, हमारी पार्टी के समर्थित लोग हैं। इसमें 280 मीटर की सड़क बताते हुए इसमें उस सड़क को नहीं लिया जब कि एक चौथाई आबादी वहां रहती है तथा तीन

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

चौथाई आबादी वहां से दो-ढाई किलोमीटर दूर है, उसको पी.एम.जी.एस.वाई. में शामिल करने का कष्ट करायें।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेवाड़ शासन के दौरान जो बड़ी लड़ाई हुई थी हरावल में रहने के लिए चूंडावतों और शक्तावतों में, उसमें उस क्षेत्र में एक छतरी बनी हुई है। उस छतरी के चारों तरफ लोगों ने कब्जा करके दूकानें बना ली हैं। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि वहां पी.डब्ल्यू.डी. की हट बनी हुई है, वह अगर उन दुकानदारों को दे दी जाये तो वहां पर उन दूकानों को शिफ्ट करके हम उस छतरी को मुक्त कराना चाहते हैं क्योंकि आज की तारीख में उस छतरी को लोग-बाग़ यूरिनल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें आप पूरा सहयोग करेंगे।

दूसरा, आपने जो एम.आर.यू.पी. में जो सड़क हमको दी पिछले साल, इसमें कई ठेकेदार ठेका लेने के बाद में काम नहीं करते हैं। दस महीने हो गये उन सब सड़कों को, वापस री-पेयर करना था, उनको रिपेयर करना था, लेकिन बार-बार ठेकेदार को नोटिस देने के बावजूद काम नहीं करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे ठेकेदार जो ठेका लेकर काम नहीं करते हैं, उनको ब्लेकलिस्ट किया जाये और वह आगे कोई निविदा नहीं भर सके, ऐसी व्यवस्था विभाग इसके लिए करे।

इसी तरह से मंत्री महोदय, एक पालिसी जो हम लोग करते हैं, वह यह है कि आबादी के हिसाब से हम सड़कें बनाते हैं और सभी काम आबादी के हिसाब से करते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को कहते हैं कि परिवार नियोजन अपनाओ और बच्चे ज्यादा पैदा मत करो तो यह ड्यूल पालिसी है, हमको किसी तरह से इस ड्यूल पालिसी से अपने को हटना पड़ेगा क्योंकि यह जरूरी है कि ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहित करें, ऐसे ग्रामों को प्रोत्साहित करें जिनकी पापुलेशन पर्सेन्टेजवाइज कई सालों से कम रही हो। उन गांवों को हम कुछ न कुछ प्रोत्साहन दें, इनके लिए आपको कुछ न कुछ घोषणा करनी चाहिए और अभी नया जिला प्रतापगढ़ बना है, उसमें से धरियावद और लसाडिया तहसील अलग-अलग हो गई। लसाडिया तहसील में ए.ईएन. पी.डब्ल्यू.डी. बैठता है, जिसको आप सलूम्बर में देना चाहते हो लेकिन लसाडिया भीण्डर के बहुत पास में है इसलिए उसको हमारे एक्स.ईएन. वल्लभनगर को दे दो तो बड़ी सुविधा होगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

श्री सभापति: श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर जो चर्चा सदन में अभी हो रही है, माननीय सदस्य के विचार सुने। कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पूर्व सरकार में छह किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार थी, हमारी सरकार में 18 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार है। कई माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 500 की आबादी तक के गांव दिसम्बर, 2007 तक हमारी सरकार ने डामर से जोड़ दिये। कई माननीय सदस्य अलग-अलग तरह की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान चाहूंगा कि मंत्री महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है अपने बजट भाषण में कि 500 तक के गांव मार्च, 2008 तक हम डामर से जोड़ देंगे और विभाग के अधिकारियों ने दूसरी तरफ जो यह निष्पादन आय-व्यय का ब्यौरा दिया है इसमें एक हजार से अधिक की जनसंख्या वाले 99 गांव तो अभी तक नहीं जुड़े और पांच सौ से हजार की संख्या वाले 885 गांव अभी नहीं जुड़े हैं। तो यह दोहरा कथन जो सदन में हो रहा है, इस निष्पादन आय-व्यय को भी पढ़ लें और भौतिक स्थिति को भी देख लें। भौतिक स्थिति में मेरा एक निवेदन है कि मेरे इलाके में पीएमजीएसवाई का पैकेज जो सेंक्शन हुआ उसमें अरनिया से बिकराई सड़क, भरक से तिरोली सड़क, खांखला से रूपपुरा सड़क, इनके कार्य प्रारम्भ, स्वीकृति होने के बाद 20.9.2006 को इनका कार्य प्रारम्भ हुआ। गांव के लोगों में खुशी हुई, गांव के लोगों ने देखा कि हमारी सड़क बन रही है। ठेकेदार आया, मशीन लगाई और छठे महीने से उसने मिट्टी का काम मशीन से चालू किया, काश्तकारों के खेतों की बाड़ हटा दी। आज जो वह मिट्टी का काम उन तीनों सड़कों का हुआ है, उसका कम्पीलीशन पीरियड जो वहां बोर्ड लगा हुआ है उसमें 19.6.2007 लिखा हुआ है यानि नौ महीने उसके कम्पीलीशन के हो गये लेकिन वह जो ग्रेवल सड़क थी उसको मिट्टी में जरूर तब्दील कर दिया लेकिन गति इतनी है इस सरकार की जो उन सड़कों से मेरे को महसूस हुआ। अभी मैंने सोचा कि मुख्य मंत्रीजी ने जो अपनी घोषणा की, कहीं डामर हो तो नहीं गई, मैं देखकर आया, अभी भी उनके वही हालात हैं और आज अठारह महीने हो गये, अठारह महीने में एक पांच-सात किलोमीटर की सड़क नहीं बनी, इसको अगर आप उपलब्धि मानते हैं तो मैं, मंत्रीजी, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब शायद, आपके विभाग को भी मैंने निवेदन किया, आपको भी लिखा, विभाग ने अब अठारह महीने बाद जाकर

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

उस कार्य को विदड्रा किया और अब 17 तारीख को जो टेण्डर लेंगे, तो मैं चाहता हूं कि इस सरकार के कार्यकाल में तो वह सड़क बन जाय और उन काश्तकारों के जो खेतों की जो बाड़ हटी है उनको जो नुकसान हो रहा है, कम से कम उनके नुकसान को तो बचाया जा सके, क्योंकि मार्च तक यह कम्पलीट नहीं हो सकती, आपके डब्लूबीएम को करने में भी काफी समय लगेगा, डब्लूबीएम के पहले ग्रेवलिंग करनी पड़ेगी, फिर डब्लूबीएम करेंगे आप, फिर बीटी करेंगे, तो इसमें पांच-छह महीने तो आपको लगेंगे। तो आप अतिशीघ्र इनको कम्पलीट करायें। इसके साथ ही दूसरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डब्लूबीएम से बीटी सड़क का पैकेज आपने सैंक्शन किया, उसमें 4.10.2005 को वर्क स्टार्ट हुआ और 3.6.2006 को, माननीय सभापति महोदय, कार्य समाप्ति की तारीख लिखी हुई है और आज मार्च, 2008 चल रहा है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, आज तक यह वर्क कम्पलीट नहीं हुआ, आज तक कोशीथल से आमड़ी रोड कम्पलीट नहीं हुई, आज तक सोनियाना से जबर किया रोड कम्पलीट नहीं हुई और डिस्प्युट यह बता रहे हैं कि एस्टीमेट में सिर्फ 150 मीटर सीमेंट सड़क ले रखी है और मौके के हालात जबर किया गांव के ऐसे हैं कि वहां 500 मीटर की सड़क सीमेंट की हो तब गांव के अंदर सड़क की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। उस वजह से यह टेक्नीकल डिफेक्ट से रूका हुआ है। तो माननीय मंत्री महोदय, अगर 150 की जगह 500 की करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाकर के यह पैकेज जो दो साल पुराना है इसको कम से कम समय से कम्पलीट करवा लें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इसमें डामर का जो पोर्शन था, वह ठेकेदार ने कम्पलीट कर दिया है।

इसी तरह आपने जो भींडर-रामगढ़ सड़क सैंक्शन की थी, एमडीआर 33, माननीय मंत्री महोदय, इसी सदन में आपने आश्वस्त किया था, मैं धन्यवाद दूंगा कि उसको आपने स्वीकृत की, लेकिन उस एमडीआर की जो कार्य प्रारम्भ करने की तिथि थी 9.9.2006 और समापन की तिथि थी 8.3.2007 और आज तक वह रोड कम्पलीट नहीं हुई है, आज तक वह रोड अधूरी पड़ी हुई है और जो रोड पर काम हुआ है वह जगह-जगह लहरें वापिस बन गई हैं जब कि इसमें स्ट्रेन्थन का काम भी किया गया था, करोड़ों रुपये इस पर लगे हैं लेकिन कम्पलीट होने से पहले ही रोड आपकी पूरी डेमेज हो रही है, आप इसको जरा अधिकारियों से दिखायें और जो पटरी साइड की भरनी

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

है, वह ग्रेवल से भरनी है, मोरम से भरनी है, कहीं तो मरडे से भर दी, कहीं मिट्टी से भर दी, तो यह सारा थोड़ा आप इसको दिखवायेंगे तो इसके पैसे का सदुपयोग हो सकेगा और इस रोड को भी आप अतिशीघ्र कम्पलीट करायें, यही मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही डब्लूबीएम बीटी में मेरे इलाके की सारी रोड हुई लेकिन एक पोर्शन जो रूपपुरा से लापस्या का टुकड़ा है, दो-ढाई किलोमीटर का, दो-ढाई किलोमीटर डब्लूबीएम से बीटी रूपपुरा से लापस्या छूट गई थी, वह आपके विभाग ने अकाल राहत में की थी, वह डामर होने से लोगों को उदयपुर के हाइवे पर जाने के लिए एक अच्छी सुविधा मिलेगी और मामूली काम है, आप इसको करवायें। इसके साथ ही मेरा एक निवेदन है, मैंने कई बार आपको धार्मिक स्थलों की रोड्स के लिए क्वेश्चन भी लगाये। आपने अपने बजट में एक हजार किलोमीटर धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल के लिए सड़क का प्रावधान भी कर रखा है। मेरा आपसे यह निवेदन है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक तो खजूरे भैंरूजी है जहां पर दो-ढाई किलोमीटर की सड़क का कार्य है, इसको अगर आप करवा देंगे तो वहां करीब-करीब पच्चीस-तीस हजार आदमी हर महीने आते हैं दर्शनार्थी और कम से कम चालीस गांव की आस्था का केन्द्र है और दूसरा एक चरावण माता है जो रायपुर क्षेत्र में है वहां भी दो-ढाई किलोमीटर ग्रेवलिंग की सड़क बनी हुई है, इसमें भी काफी ग्रेवलिंग का काम हुआ है, तो यह दो-ढाई किलोमीटर, पांच किलोमीटर अगर आप सड़क दोनों धार्मिक स्थलों को देंगे तो इन दोनों धार्मिक स्थलों पर लोगों की आस्था है, वह बढ़ेंगे।

एक जो पीएमजीएसवाई में सड़क बनी, लाखोला से भरक, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह जो पीएमजीएसवाई में सड़क बनी है इस पर तीन दुर्घटनाएं हो गई हैं और आदमी तीन खतम हो गये हैं इसी वर्ष में और इस रोड के अंदर जो डिफेक्ट है, आप यहां से अपने इंजीनियर को भेजें, 70 से 90 डिग्री के ऊपर एक मोड़ बना रखा है, उस मोड़ पर न तो इधर वाले को दिखता है, न उधर वाले को दिखता है, एक्सीडेंट होते हैं और डेथ होती है। तो मेरा यह निवेदन है, चाहे तो उसका कर्व सही किया जाय, रोड का मुडाव जो है उसको कम्पलीट करवाया जाय और उस रोड को सही करवाया जाय। यह अभी शायद आपके गारंटी पीरियड में भी होगी, तो इसको जैसे भी हो, कोई तकनीकी व्यक्ति को भेजकर आप ठीक ढंग से ठीक करवायें ताकि लोगों को जान नहीं खोनी पड़े। इसके साथ ही भीलवाड़ा

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

कांकरोली जो मार्ग है गंगापुर होते हुए, उस मार्ग की जो स्थिति है माननीय मंत्री महोदय, सभापति महोदय, ऐसी स्थिति है कि वह पूरा टूटकर बिखर चुका है और पूरा बिखरने के बाद उसकी यह स्थिति हो गई है कि जगह-जगह आपने पेच का वर्क किया है, पेच वर्क करने के बाद, माननीय मंत्री महोदय, आपके अधिकारियों ने सील कोट किया है, सील कोट कोई उस समस्या का समाधान नहीं है। उस रोड की जब तक स्ट्रेन्थनिंग नहीं होगी और स्ट्रेन्थनिंग होकर जब तक नवीनीकरण के लिए पेवर नहीं होगा, उस रोड के ऊपर ट्रैफिक कभी नहीं चल सकता और कम से कम दो सौ एक्सीडेंट भीलवाड़ा से कांकरोली के बीच हुए हैं। आप मानवीयता के आधार पर जो मुख्य आपका के.के. रोड है, जो आपकी राज्य सरकार की रोड है, इस रोड को अधिकारी लोगों को ध्यान देना चाहिए, इसके तखमीने बनाने चाहिए, उस रोड पर एक्सीडेंट होना एक राज्य सरकार के खाते में जाता है कि इस रोड की वजह से इतने एक्सीडेंट हुए हैं जो भविष्य में पहले कभी नहीं हुए हैं और अभी आप सिर्फ उसको सील कोट करके उसको कर रहे हैं। दो मिनट।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि मिसिंग लिंक आपने मुझे दी, मेरे क्षेत्र को दी, सभी विधायकों को दी, धन्यवाद। लेकिन मिसिंग लिंक जो बन रही है, सुराज से रायपुर और गल्यावडी की तरफ, तो सुरास से रायपुर मिसिंग लिंक बन रही है, वह तालाब के पाल के साथ करीब पांच सौ मीटर का टुकड़ा है, उस पांच सौ मीटर में इतना सीपेज है पानी का उस तालाब का कि वहां पर आपने एस्टीमेट में डामर ले रखा है और एस्टीमेट में डामर ले रखा है तो मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस जगह जैसे ही आपने डामर किया, उस सीपेज से और एक ही बारिश में वह पांच सौ मीटर का टुकड़ा आपका नष्ट हो जायेगा, सरकार का पैसा बर्बाद हो जायेगा। इसलिए अधिकारी मौके की और साइड की सिचुएशन देखकर उसका टेक्नीकल एस्टीमेट सही करें और उसमें सीमेंट सड़क जोड़ें। अगर सीमेंट सड़क जोड़ेंगे तो वह सड़क बचेगी।

श्री सभापति: श्री बंशीलालजी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): दो मिनट, सर। दो मिनट मेरे सुझाव दे दूं। सभी माननीय सदस्यों ने आपसे कई सुझाव दिये। मेरा आपसे यह निवेदन है, राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आज तक जितनी भी सड़कें बनाई हैं,

(समय : 19.00 बजे)

उन सड़कों में 50 प्रतिशत सड़कें रेवेन्यू के रिकार्ड में पीडब्ल्यू के पास

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

नहीं है। कई रोड़ों के डिस्पुट ऐसे पड़े हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में चाहे पीएमजीएसवाई की रोड हो, चाहे और किसी योजना की रोड हो, चाहे मुख्य मंत्री सड़क योजना की रोड हो, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को निर्देश दें और अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इसको रेवेन्यू के नक्शे में सब सड़कों को फिट किया जाए और पीडब्ल्यू के खाते में सारी सड़कें दर्ज हो। इसके साथ ही आपने जो सड़कों के निरीक्षण के लिए विधायकों को और सांसदों को और प्रधान को पत्र लिखे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे यह कहना चाहता हूं कि अधिकारी आपको रिपोर्टिंग करते हैं, आप उस निरीक्षण रिपोर्ट पर विधायक से आप उसकी रिपोर्ट लीजिए कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा है? मेरे टुंगच में जो पीएमजीएसवाई की रोड बनाई उसका जो सीडी वर्क है बाद में किया गया है और काफी रोड हैं, आप करेड़ा रोड पर पधारे। करेडा रोड के सारे सीडी वर्क पहले पे वर्क करने के बाद के किए गए, सारे सीडी वर्क बैठ गए और टुंगच में जो सीडी वर्क बैठा उससे मोटर साइकिल पर एक महिला चलती गाड़ी में खड्डा होने से गिरने से वहीं डैथ हुई तो यह जो नेग्लीजेंसी है, यह जो साइट में काम करने का तरीका है इसको आपको बदलना होगा, सीडी वर्क आप अगर पहले नहीं करेंगे और पे वर्क पहले करके सीडी वर्क बाद में करेंगे, एक तो उसमें पेच दिखेगा, पेच के साथ ही वह पुलिया आपका जो है स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा और वह बैठेगा और बैठने से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। गंगापुर में जो डाक बंगला है....

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड कर लें।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): बस दो मिनट। माननीय मंत्री महोदय, गंगापुर में जो डाक बंगला है उसमें एक ही कमरा है और एक कमरे में कभी तो विधायकजी ठहरते हैं, कभी हमारे बीज निगम के अध्यक्ष ठहरते हैं, कभी आप आ जाएं तो आप बैठते हैं, उस एक पजामे को कितने नेता पहनेंगे और कितने अधिकारी पहनेंगे? मेरा यह आपको निवेदन है कि कम से कम एक अतिरिक्त रूम वहां बना दिया जाए ताकि अधिकारी भी आये, चाहे नेता भी, चाहे मंत्री महोदय भी आये तो वह रूम काम आ सके। उसके अलावा कोई साधन नहीं है...

श्री सभापति: श्री बंशीलालजी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आपने सभापति महोदय मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय,

(श्री बंशीलाल खटीक)

राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सड़क के मामले में जो ऐतिहासिक जो काम हुआ है वह इस प्रदेश की जनता के समक्ष है और प्रदेश की जनता ने अपने आप में माना है कि वास्तव में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सड़कों के मामले में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, वास्तव में सराहनीय है। जब कभी किसी सड़क से निकलते थे, कई बड़े-बड़े खड्डे हुआ करते थे और निकलना बहुत दूभर हो जाता था। आज इधर उधर से ढूंढ-ढूंढ कर देखना पड़ता है कहां कच्चा मार्ग है और पहले तो ऐसा हर सड़क पर निकलो, वह सड़कें कच्ची ही मिलती थी और अब ढूंढने से भी मुश्किल से कोई कच्ची सड़क मिलती है। ऐसा काम माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के आशीर्वाद से किया है।

माननीय सभापति महोदय मेरे क्षेत्र राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक के जो काम दिए हैं आपने चार सड़कों के जो मुख्य चार सड़कें थी, आजादी के 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भी वह सड़कें किसी ने नहीं बनाई और उन सड़कों की बहुत ही आवश्यकता थी और आपने इन सड़कों की जो स्वीकृति दी है राजसमंद विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मोही राजियावास रोड माननीय मंत्री महोदय मेरी बात पर गौर करें कि मोही राजियावास जो रोड है वह आपने मिसिंग लिंक में दिया है पर बीच में बनास नदी गुज़रती है और उसमें पुल निर्माण करना बहुत आवश्यक है। कई गांवों के लोग, 20-25 गांव के लोगों का आना जाना होता है यदि उस मार्ग के ऊपर पुलिया निर्माण हो जाता है तो आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी होगी। उस रोड को तो आपने मिसिंग लिंक पर दे दिया पर उसमें यह पुलिया निर्माण है, आप पुलिया निर्माण कराने की कृपा करावें। आपने चार जो सड़कें हमें दी हैं मोही राजियावास रोड, कारोलिया पुकिया, जूणघाट कपरिया खेडी, पीपलांतरी से उडिवाड़ा रोड ये काम जो चल रहा है, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला चल रहा है और सराहनीय काम आपने किया है। इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। साथ ही माननीय सभापति महोदय माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कुवारियां फायरिंग रेंज से साकरोदा रोड पांच किलोमीटर का रोड है, यदि वह बन जाए तो दस किलोमीटर का चक्कर समाप्त होता है। बामन टुकड़ा से नवामंड, सरदारगढ़ से कुवारियां बाइपास, ऐमडी बाइपास, बडारडा से नमाणा रोड और मादडी चौराहा

(श्री बंशीलाल खटीक)

से पांडोलाई मोही, शनि महाराज रोड, ये यदि आप रोड की स्वीकृति दे दें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई रोड ऐसी कच्ची नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने कांकरोली रेलवे स्टेशन से ऐमडी राजियावास, रेल मगरा, गिलुंडा सूरजपुरा तक यह भी एक बहुत लम्बा रोड है, इस रोड की भी स्वीकृति प्रदान करवाएं। कुवारियां से पीपली अहिरामपुरा, जवास्यां, पणोत्या रोड है, उसका भी निर्माण करना आवश्यक है, रेल मगरा से पाखण नाथद्वारा रोड यह भी बहुत आवश्यक है और नगरपालिका राजसमंद में जो पीडब्ल्यू की जो रोड़े हैं, उनको भी आप ठीक करवाएं तो अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में माननीय देसूरी से आने वाली सदस्या ने कहा है कि इस देसूरी मार्ग यह जो घाटा है बहुत ही दर्दनाक घाटा है और मेरे क्षेत्र के लोग ही बाबा रामदेवजी के दर्शन करने जा रहे थे और उस घाटे में कई मौतें हुई, वास्तव में बहुत दर्दनाक जो हादसा था, सिंगल सड़क हादसा यह विश्व का पहला हादसा था। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां मोड़ है, जहां-जहां संकरें रोड है, उनको आप ठीक करवाएं ताकि हमारा यह रोड अच्छा हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, लोडियाणा वाया काली मंगरी से सिमाल रोड, कुवारियां से काबरी महादेव रोड इन रोड की भी आप यदि स्वीकृति देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: आप यह सारी सड़कें लिखकर दे दें, मेरे ख्याल से मंत्री महोदय इस चीज को करें। इसके अलावा अगर कोई विशेष आपको कोई बात कहनी है..

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): वैसे सड़कों के मामले में आपका बड़ा आशीर्वाद रहा है और यह आशीर्वाद बना रहेगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री देवीशंकरजी।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, अभी जब....

श्री सभापति: मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो आपके कटमोशन के विषय हैं अगर आप उसी पर केन्द्रित रहें तो सब को मौका मिल जाएगा और डिस्टर्ब भी नहीं होगा।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): मैं जल्दी खतम कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य की ओर से इस डिमाण्ड पर चर्चा

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

करते हुए जब हमारे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जब सरकार की उपलब्धियां बताई और जब विस्तार से उसके लिए धन्यवाद दिया और आंकड़ों से जब बात की तो हमारे माननीय सदस्यों को उस वक्त बहुत तकलीफ हुई। मैं उसी बात को बढ़ाते हुए...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): भूतड़ाजी एक रह गया है..

श्री सभापति: आप लिखकर दे दें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय मंत्री महोदय ब्यावर से उदयपुर जो चार लेन बन रही है उसमें हमारा जो मार्बल एरिया है, ऐसा न हो हमारा जो यह मार्बल एरिया कहीं इस चार लेन से कहीं उजड़ न जाए, इसके लिए जो साइड की जो रोड हैं उसकी भी चिंता करनी है ताकि वो मुख्य हमारा व्यवसाय ही मार्बल है इस ओर आप ध्यान दें।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): तो उस समय क्योंकि वास्तव में 2003 का वह वर्ष याद आ गया जब वह सत्तापक्ष में थे और हमने उस समय संपूर्ण राजस्थान में जो सत्तापक्ष में बैठे हुए विधायक हैं, उन्होंने जब हमारे नम्बर वन उस समय यह कहने वाले मुख्य मंत्रीजी के राज का नजारा देखा।

और मैं समझता हूं कि उस समय परिवर्तन यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो बहुत लंबा अनुभव देखा, पूरे राजस्थान में घूमे। लेकिन हम जो विधायक बैठे हुए हैं उनमें से अधिकांश अपने-अपने क्षेत्र में उनके साथ घूमे और माननीय मंत्री महोदय तो मैं समझता हूं कि पूरी परिवर्तन यात्रा में साथ थे जो उस वक्त का जो नजारा देखा जो एक बहुत बड़ा कटु अनुभव हुआ उस कटु अनुभव के बाद ऐसा लगने लगा कि जिस राजस्थान के मुख्य मंत्री को जो अपने आप में नंबर वन कहते हैं और जिस राजस्थान को विकास की ओर लेजाने की बात करते हैं क्या इन सड़कों के माध्यम से राजस्थान को विकास की ओर ले जा सकते हैं? उस समय जो टूटी-फूटी सड़कें थी, गिट्टी की जो सड़कें थीं वो भी उजड़ी हुई थी और उस समय की सरकार की जो कहानी कह रही थी कि ये सड़कों की कैसी दुर्दशा है यह नंबर-1 के हमारे इस माननीय मुख्य मंत्रीजी की और मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य में जब सड़कों की यह हालत है तो वह राज्य विकास की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है! और उस विकास के लिए बढ़ने के लिए सड़कें अच्छी होना अति आवश्यक है। इस बात को यदि बहुत गहराई से, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

कहा है और मैं भी उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जिसको समझा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटलबिहारी वाजपेयीजी ने समझा है। और उसके बाद उन्होंने प्रधान मंत्री सड़क योजना की परिपाटी पर चलते हुए इन खस्ताहालत सड़कों को देखते हुए हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बाकी सब सड़कों की योजनाओं पर तो काम किया। लेकिन एक मुख्य मंत्री सड़क योजना का कार्य भी शुरू कर कर एक आदर्श काम किया जिसके कारण अच्छे रिजल्ट्स सामने आने लगे और इसी कारण माननीय सदस्य तारीफ कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में इस महत्व को समझ कर जो सड़क योजना शुरू हुई है और उसका जो कायापलट हो रहा है उससे मैं समझता हूं कि यातायात सुगम हुआ, समय की भी बचत हुई है। गांव और खेत और खलिहान सड़कों से जुड़े हैं और गांव और शहरों की जो दूरी है वो कम हुई है और इस काम को करने का दायित्व जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भार सौंपा था वो आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब को सौंपा था जो इस सदन में मैं समझता हूं कि मैंने ही नहीं, हम तो चलो सत्तापक्ष के हैं, आपके आने वाले माननीय सदस्यों ने चाहे वरिष्ठ सदस्य हो, भोपालगढ़ से हो, चाहे दूदू से हो और चाहे अभी रायपुर से आये हुए माननीय सदस्य सबने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। अब आपके सदस्य भी प्रशंसा कर रहे हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आये यह एक अलग बात है। मैं इसके लिए आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। हम आज चार साल बाद कह सकते हैं कि हमें फख्र है कि ऐसे मंत्री महोदय के नेतृत्व में यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने काम सौंपा और राजस्थान ने मैं समझता हूं कि केवल इस राजस्थान में ही नहीं मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर सड़कों के विकास में एक ऐसी ऊंची छलांग लगायी है और भारतवर्ष में भी अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले कार्यकाल के अन्दर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन छोटा सा एक आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूं। हमने किन-किन योजनाओं में किया उस पर तो बहुत डिटेल से सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, केन्द्रीय सड़क निधि, मिसिंग लिंक प्रथम और द्वितीय फेज, मेगा हाइवे बीओटी के आधार पर राज्य की सड़कों का विकास हुआ। और

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

उसके साथ-साथ राजस्थान के अन्दर जो सबसे बड़ा विकास का काम हुआ अभी हमारे माननीय प्रतिपक्ष के कई सदस्य कह रहे थे कि केन्द्र से पैसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन मैं यह आंकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण भारत का एक चित्रण आपके सामने पेश कर रहा हूं । माननीय सभापति महोदय, सम्पूर्ण भारतवर्ष में जो सड़कें बनी हैं वो केवल 102.92 किलोमीटर की बनी हैं और राजस्थान में 52.48 किलोमीटर, सम्पूर्ण भारत में तो 102 और यहां 52 और दूसरा प्रति लाख संख्या में 325 किलोमीटर है और राजस्थान में 317.88 किलोमीटर, कुल सड़कें हमारे यहां 33,83,344 किलोमीटर की बनी हैं। जब कि राजस्थान के अन्दर 1,79,605 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करके कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे ही राष्ट्रीय उच्च मार्ग में और राज्य उच्च मार्ग और मुख्य जिला सड़क और ग्रामीण सड़क इन सब के यदि आंकड़ें देखें तो मैं समझता हूं कि सड़कों के अन्दर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान की सड़कों का जब अध्ययन करते हैं तो जो यह सड़कों का जाल है जो आंकड़ें बता रहे हैं कि सड़कों पर 6417 किलोमीटर आपके पाँच साल में हुई और हमारे चार साल दो माह के कार्यकाल में 26932 किलोमीटर की सड़कें बनना अपने आप में कीर्तिमान है।

इसके साथ-साथ जो मिसिंग लिंक है वो तो आप भूल ही गये थे कि मिसिंग लिंक क्या होता है कि कैसे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जा सकता है, कैसे ग्रामीण क्षेत्र को राहत पहुंचायी जा सकती है ये तो भूल ही गये थे लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के राज के अन्दर मिसिंग लिंक के अन्दर मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। और सड़क तंत्र में जो कुल निवेश हुआ है वो भारत के अन्दर तो 1904.50 करोड़ और राजस्थान के अन्दर 7527.20 करोड़ रुपये का यह निवेश हुआ मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कीर्तिमान जो सड़कों के अन्दर जो राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने केवल सड़कें ही नहीं बनाई उन सड़कों के रखरखाव, उसकी गुणवत्ता और सड़कों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सड़क विकास निधि का गठन और गुणवत्ता के प्रत्येक जिले में गुण नियंत्रण खण्ड स्थापित करना एक बहुत-बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ-साथ टेण्डर में पारदर्शिता लाने के लिए एक करोड़ से अधिक के टेण्डर

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

और उसका विवरण और प्राप्त‍ियां विभाग की वेबसाइट पर कराये जाने की अभी घोषणा की है।

(समय: 19.16 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पचास वर्षों के अन्दर केवल पूरे राज्य में 35 आरओबी बनाये हैं और राजस्थान के इन चार साल दो माह में और जब तक हमारा कार्यकाल पूरा होगा तब तक हम कम से कम इन पांच सालों में 45 आरओबी पूर्ण करने जा रहे हैं । यह हमारे विकास की गाथा है और फिर भी आपके पेट में मरोड़ा हो तो उसका तो कोई इलाज हमारे पास में है नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब ज्यादा समय नहीं लेकर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। मैं आपके ध्यान में जिसका जिक्र मैंने पहले मंत्री महोदय से कल भी किया था आज पुनः करने जा रहा हूं। विशेष रूप से ब्यावर शहर के मध्य से जो हमारा नेशनल हाइवे गुजर रहा है उसका अधिकांश भाग तो ...(व्यवधान) मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो नेशनल हाइवे है जो पाली और जोधपुर और उदयपुर जिसको जोड़ता है वो सिटी के मध्य में से होकर गुजरता है उसके अधिकांश भाग को माननीय मंत्री महोदय ने विस्तारीकरण करके फोर लेन कर दिया है छोटा सा भाग बचा है मैंने कल भी कहा था रूपाली टाकीज से लेकर सतपुरिया तक यदि उसको बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और आने जाने की आवागमन की बहुत सुविधा हो जाएगी। इसके साथ-साथ धार्मिक दृष्ट‍ि से ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ब्यावर में जो अजगर बाबा थान है वहां से सारोड़ चौराहे तक कोटरा टाबरा मार्ग और बराख्यान से लेकर जस्साखेड़ा तक इसका भी विस्तारीकरण कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सुविधा हो जाएगी। धार्मिक दृष्ट‍ि से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत डवलपमेंट किया है उसी भावना को ध्यान में रखते हुए अभी 26 जनवरी को जब अजमेर में मीटिंग हुई थी तब भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी को निर्देश दिये हैं मैं वापस एक बार याद दिला रहा हूं कि मालातोर की बेबर से दूधालेश्वर महादेव तक की 6 किलोमीटर की सड़क यदि बना दी जाती है तो नाथद्वारा टाटगढ़ और दूधालेश्वर और फिरयाली, यानि की

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

मगरा मेड़ों में मारवाड़ा व मेवाड़ ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और धार्मिक दृष्टि से सारा ये नाथद्वारा और सिरयारी और दूधालेश्वर महादेव जुड़ जाएगा तो ये इस बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मालातोर की बेबर से लेकर दूधालेश्वर तक की सड़कें भी बनवाने का कष्ट करें।

इसके साथ-साथ भैरूकोड़ा से देवनारायण मंदिर तक और सांगरवाह से लेकर रामदेवजी के मंदिर तक सड़क और रावलीधूली से लेकर इकरालिया तक भी ये धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें हैं इनके ऊपर भी बनाने का कष्ट करें। केवल एक मिनट बात कह कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सड़कों के इस डामरीकरण के जो ऐतिहासिक कार्य किये हैं उनमें अनेक जो गिट्टी रोडें थीं जिनका डामरीकरण कर दिया गया लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तारागढ़ से लेकर भाखरड़ा तक जो सबसे पुरानी गिट्टी रोड हो रखी है उसके ऊपर भी जो डामरीकरण होना है लेकिन किसी न किसी तकनीकी कारण की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, मेरा आपसे आग्रह है माननीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उस तारागढ़ से भाखरड़ा सड़क का भी डामरीकरण कराया जाए। इसके साथ-साथ एक मेन बात जो अभी रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी और सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने भी, मंत्री महोदय को भी ध्यान है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): एक छोटी सी बात कि धापा सरूपा से लेकर जिस पर 53 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं आधा रोड बन चुका है।.

सोजत से गाफा को जोडने वाला और आधा बाकी है । वह 53 लाख स्वीकृत होने के बाद भी आज तक नहीं बन रहा है । पहले भी 26 लाख स्वीकृत हुए वापस चले गये, उसकी कास्ट बढकर 53 लाख आ गई लेकिन वन विभाग की अड़चन के कारण, उसकी एनओसी लेकर इस सड़क को बनाया जाना चाहिये । मैं समझता हूं माउंट आबू के बाद सबसे ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं यह माननीय वन मंत्रीजी को भी मालूम है, देवल साहब ने भी इसका जिक्र किया था । इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विशेष तौर पर निवेदन है कि इसकी स्वीकृति दिलायें। एक आपने जो ब्यावर से डेगाना जो स्टेट हाईवे घोषित किया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बाकी आप मंत्री महोदय को ....

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): गाफा से सरूपा के लिये 53 लाख रुपये स्वीकृत हुए है वह 53 लाख रुपये वन विभाग की वजह से अटके हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह है वन विभाग की एनओसी दिलाकर उस कार्य को पूर्ण कराये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बाकी आप लिखित में दे देना ।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): केवल एक बात ब्यावर से डेगाना का जो स्टेट हाइवे घोषित किया है उसका अंडर ब्रिज बना दिया जाये तो मैं समझता हूं कि जो स्टेट हाइवे घोषित किया है उसका फायदा मिल सकता है। उसका प्रस्ताव आपके यहां आया हुआ है जिसमें 50 प्रतिशत विधायक कोष से हम देने के लिये तैयार हैं, 50 प्रतिशत आप दे देंगे तो मैं समझता हूं कि वह अंडर ब्रिज बन जायेगा । इसलिए आपसे आग्रह है कि इस पर आप गौर फरमायें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि सब सदस्यों के कट मोशन दिये हुए हैं, कट मोशन के जवाब भी देंगे इसलिए अब मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए समय काफी हो चुका है । (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत सहृदय हैं ऐसा मत कीजिए ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हम बोलने के लिये तैयार नहीं हैं केवल हमारा एक आग्रह सुन लीजिए । आप जवाब दें हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, 5-7 मिनट बोलेंगे, आसन से हमारा शोषण मत करो ।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): उपाध्यक्ष महोदय, पहले आधे-आधे घंटे बोले हैं अब 5-5 मिनट दे दो ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी मेन बातें दो-दो, तीन-तीन मिनट में कह दीजिए, बिलकुल स्पेसिफिक ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आपसे हमारे विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे मत कीजिए । (व्यवधान) हमारी पार्टी की तरफ से नाम दिये हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: बैठिए आप, दे देंगे समय, आप बैठिए । आप सुनो तो सही

पहले । पहले मंत्री महोदय का जवाब तो सुनिए आप । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा .. (व्यवधान) जिन्होंने बहुमूल्य सुझावों के माध्यम से मेरा और मेरे विभाग का मार्ग दर्शन किया ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, हम एक मिनट में हमारी बात कह लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मैं समय दे रहा हूं । माननीय सदस्य मेरा निवेदन यही है कि कृपया दो-दो मिनट में अपनी बात रख दीजिए भूमिका की आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (अनुपस्थित) श्री भरत सिंह । (व्यवधान) माननीय सदस्य बीच में नहीं, आपको भी मौका देंगे ।

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, सड़क को विकास की धमनियां माना गया है और उस दृष्टि से एक विधायक अपने क्षेत्र में विकास का जब मूल्यांकन करता है तो सडकों की ओर देखता है । मुझे इस बात की तसल्ली है और अधिकांश विधायक इस बात से संतुष्ट हैं कि उनके क्षेत्र में सडकों का काम हुआ है मैं मंत्रीजी को इस बात के लिये बधाई देता हूं । मैं कुछ बातों पर मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश में आज भी हज़ारों गांवों में सडकें नहीं है । सडकों का घनत्व बढ़ा है मगर राष्ट्रीय औसत का जो घनत्व है उसमें आज भी हमारी सडकों का घनत्व आधा ही है । जिस जिले से मैं आता हूं उस जिले में आज भी साढ़े आठ सौ गांवों में से ढाई सौ गांव ऐसे हैं जो सरकार की विभिन्न योजना से कवर नहीं हो रहे और उन गांवों में सड़क नहीं है । आजादी के 60 दशक बाद भी किसी गांव में सड़क नहीं है तो उस गांव के व्यक्ति को वह सबसे बड़ी पीड़ा है । इस दृष्टि से मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ढाई सौ की आबादी के गांव को लेते हैं तो भौगोलिक स्थिति से साउथ ईस्ट राजस्थान जो नदी नालों का इलाका है उसमें भी ढाई सौ की आबादी के गांवों को आप सड़क से जोडने की योजना में लें ताकि उसका लाभ हज़ारों की जनसंख्या जिससे वंचित है उसको मिले ।

कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सरकार ने जो पैट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगाया है सड़कों के विकास के लिये उस राशि को

(श्री भरत सिंह)

इन गांवों के विकास के लिये लगाया जा सकता है उससे यह सम्भव होगा । एक चीज जिस पर मैं विशेष तौर से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस प्रदेश में लगभग एक लाख किलोमीटर सड़के पीडब्ल्युडी के पास हैं । गांव के नागरिक के लिये सड़क का मतलब पीडब्ल्युडी विभाग है । इस प्रदेश में 14 हजार किलोमीटर सडकें जो कृषि उपज मंडी के माध्यम से बनी हैं वह सारी सड़कें एक डिपार्टमैंट के अधीन होनी चाहिये और सड़कों का काम कृषि उपज मंडी की जगह पीडब्ल्युडी को अपने अधीन लेना चाहिये और सडकों का निर्माण कराना चाहिये । दूसरी चीज जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी व्यवस्था करायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें ।

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जिस पर विशेष रूप से पीडब्ल्युडी विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आजादी के पूर्व सड़के हमारे क्षेत्र में रही होंगी, प्रदेश में सडकों का बहुत अभाव था मगर उस टाइम जब सडकें बनती थीं सड़क के दोनों किनारे पेड़ रहते थे । अब सडकों का विस्तार हुआ, एमडीआर को स्टेट हाइवे बनाया, स्टेट हाइवे को नेशनल हाईवे बनाया और सडकों के सहारे जो पेड़ थे वह लाखों की संख्या में पेड़ उखड गये । सरकार ने, पीडब्ल्युडी विभाग ने पेड़ लगाने का काम जो पहले रियासत के जमाने में किया करते थे वह काम बिलकुल छोड़ दिया और दूसरे विभाग वन विभाग के पास है तो पैसा जमा करवा लेते हैं पेड़ों की छुट्टी हो गई, बीच में बोगनबेलिया लगा दिये वह सुंदर लगता है उसका स्वागत है मगर सड़क के किनारे चाहे वह एमडीआर हो चाहे वह नेशनल हाइवे हो पेड़ लगाने का काम विभाग को करना चाहिये । दूसरी चीज जो गार्डन डिपार्टमैंट है पीडब्ल्युडी के पास उस गार्डन डिपार्टमैंट का कोई औचित्य नहीं रहा क्योंकि गार्डन की तरफ ध्यान ही नहीं है । बगीचों में काम करने वाले अधिकारियों के बंगले पर पौधे जरूर लगाते हैं इस गार्डन डिपार्टमैंट को हार्टिकल्चर डिपार्टमैंट के पास आप ट्रांसफर करें उससे वह बेहतर रहेगा ।

पीडब्ल्युडी के जो बंगले हैं रियासत के जमाने में बहुत सुंदर व्यवस्था। आज हम अपेक्षा करते हैं कि अधिकारी जाये ग्रामीण क्षेत्र में निवास करें, पीडब्ल्युडी के जो बंगले हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया है । हर एसडीएम हैड

(श्री भरत सिंह)

क्वार्टर पर कम से कम एक पीडब्ल्युडी का बंगला बनाया जाये और उसकी हालत इस प्रकार की रहे ताकि उसमें लोग बाग़ जाकर ठहर सकें, अधिकारी ठहर सकें।

दूसरी चीज जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा सड़क नीति में भौगोलिक स्थिति का ध्यान रख कर बुनियादी बातें छोड दी गई हैं। जिस कोटा संभाग से मैं आता हूं उसमें दो हजार किलोमीटर नदी नाले हैं । उन नदी नालों के ऊपर रियासत के जमाने में 100 से अधिक ओफ रोड ब्रिजिस थीं। आज जिस तहसील का मैं निवासी हूं उस तहसील में 100 साल पहले रियासत के जमाने की जो रपटें हैं आज भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है । बरसात में उनमें पानी आता है और उसको क्रोस करते वक्त लोगबाग नदी में हर साल बहते हैं । सरकार से जब हम मांग करते हैं तो सरकार कहती है कि हम साधन के अनुरूप काम करेंगे । साधन के अनुरूप नहीं जब आप एक गांव को जोड़ने के लिये एक करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं तो दो जिलों को जोड़ने वाली रियासतकालीन रपटे जो 100 साल पहले बनी थीं उनके ऊपर नई सड़क बनाने का नीतिगत निर्णय आप लें ताकि आवागमन के रास्ते खुलें । इस प्रकार के मैंने कटौती प्रस्ताव भी दिये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी समस्या जो सडकों के किनारे हैं,

वो यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपनी सड़क बना दी जाती है उसके सहारे जो अतिक्रमण होते हैं नई डम्बर की सड़क आपकी बनी और किसी आदमी को खेती का पाइन लगाना हो तो वह सड़क काट लेता है, विभाग कोई कार्यवाही नहीं करता है कोई अतिक्रमण करता है। तो उसके ऊपर सरकार का यह पीडब्ल्यूडी विभाग है यह कोई एक्शन नहीं लेता। आपकी सम्पत्ति जो आप बनाते हैं उसका आप ध्यान करें। दूसरी चीज, सड़क निर्माण मंत्रीजी ने हम सब को एक चिट्ठी लिखी है कि आप शिकायत के संबंध में मुझसे मिलें, मुझसे कहें। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहूंगा कि आप जब इलाके में जाते हैं तो आप गुणवत्ता की सड़कों को देखें और आपका जब एक्शन होगा तो मैसेज जाएगा कि मंत्री वहां गये उन्होंने खराब सड़क देखी। इस प्रकार के आपके एक्शन दिखाई देते नहीं हैं। इस प्रकार के आप एक्शन लें तो सड़कों की गुणवत्ता सुधरेगी। जहां सीमेंट,

(श्री भरत सिंह)

कंकरीट हमारे यहां सड़कें बनती हैं हम प्रसन्न होते हैं कि सड़क बनी है मगर उसकी गुणवत्ता को जब देखेंगे तो सीमेंट सड़क कोटा रियासत में एक स्टेशन से सीमेंट सड़क थी तीस साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा। आज आपकी सीमेंट सड़क बनी है, लोगबाग बहुत प्रसन्न हैं कि सड़क बन रही है मगर उसकी गुणवत्ता थोडे साल के अंदर छह महीने के अंदर सीमेंट निकलने लगती है क्योंकि माल पूरा नहीं मिलता और इसका प्रमुख कारण...

श्री उपाध्यक्ष: आ गई बात।

श्री भरत सिंह (दीगोद): एक ही पाइंट, एक ही लाइन बोलूंगा। आपके जो ठेके होते हैं, वह जो सबलेट हो रहे हैं जो बात पहले आ चुकी है मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। एक भी आदमी, आप अपना उत्तर दें तो यह बतायें, या तो विभाग की जानकारी में नहीं है अगर विभाग की जानकारी में है तो विभाग एक्शन क्यों नहीं लेता कि राजस्थान में जो ठेके सबलेट हुए हैं और उसका मूल ठेकेदार है वह अपना कमीशन काटकर दूसरे को दे रहा है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इसका उत्तर जब आप दे, कितने लोगों के खिलाफ सबलेट करने के, प्रदेश के अंदर आपने कहां एक्शन लिया यह बता दें आप। अगर आप इस पर कार्यवाही करेंगे तो आपकी व्यवस्था सुधरेगी। आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभूराम वर्मा, रामरतन बैरवा, अर्जुनलाल जीनगर, श्री हीरालाल..(व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): मैं तो खड़ा हूं ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने बोलना प्रारम्भ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: जीतमल खांट। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): आपने नाम पुकारा ना साहब इनका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बाद में बुला देंगे।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): आज ही खड़ा हुआ हूं मैं चार साल में बोलने के लिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बुला देंगे अभी (व्यवधान) यह खतम कर दें...

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं मात्र एक मिनिट में खतम कर दूंगा। (व्यवधान) मात्र एक मिनिट में।

श्री उपाध्यक्ष: कर दो, (व्यवधान) देंगे मौका आपको।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को सिर्फ एक मिनिट में खतम कर दूंगा। मैं बिना किसी भूमिका के माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी राठौड़ साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने चार साल के अंदर सड़कों के अंदर जिस तरीके से कीर्तिमान स्थापित किया है इसके लिए तो आपको और आपके तकनीकी विभाग को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन बार-बार एक बात सामने आ रही है कि प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत आपने देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इधर से बोल रहे हैं कि हमारे राज में। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के गांव और ढाणी मजरों के अंदर, हम भारत के निवासी हैं यह महसूस कराने का काम, पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए के जार्ज फर्नाडिश ने यह महसूस कराया कि हम हिन्दुस्तान में रहते हैं, नम्बर एक।

नम्बर दो, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा (व्यवधान) मंत्रीजी हमारा ध्यान से सुन लें, दूरसंचार विभाग के माध्यम से, जितनी प्रधान मंत्री सड़कें बन रही हैं बिलकुल डामरीकरण से सटकर सारी की सारी चाहे हच लाइन हो, एयरटेल हो, सारी की सारी खोदी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से हालत खराब हो रहे हैं। जब तक आपके विभाग की एनओसी नहीं मिले तब तक चाहे वह हच की हो, एयरटेल की हो चाहे हमारे बीएसएनएल की हो, कहीं भी लाइन नहीं खुदनी चाहिए। आदिवासी चुकीपुरा ट्राइबल सब प्लान में आता है। मेरा आग्रह है कि वन विभाग के अंदर हमारी मात्र 500 मीटर की, बीच का टुकड़ा आता है और सारा का सारा हमारा इलाका, सदियों से वहां सड़कें बनी हुई हैं और 500 मीटर की खातिर हमारी पीएमजीवाई की कई सारी सड़कें रूकी हुई हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके ऊपर कोई कोई ध्यान दें।

तीसरा मेरा आग्रह है कि आपने हमारे, यहां प्रबंध राहत मंत्री बैठे हुए हैं, जब बांसवाड़ा जिले के अंदर अतिवृष्टि हुई तब हमारे मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार बांसवाड़ा जिले के अंदर 12 करोड़ के काम सैंक्शन कर दिये थे आपने और जिला कलक्टर को आदेश कर दिये थे । मैं माननीय मंत्रीजी चाहूंगा कि 12 करोड़ के जो काम सैंक्शन हो गये, काम हो गये और भुगतान अब तक नहीं हो रहा है, मेहरबानी करके आपसे मेरा आग्रह है कि जितना

(श्री जीतमल खांट)

जल्दी हो यह भुगतान करने का श्रम करें, आपने समय दिया धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बोलो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गुणगान करोगे (व्यवधान) भई हमें बोलने दो।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): मैं तो एक मिनिट ही बोल रहा हूं, दो-तीन मिनिट नहीं बोल रहा। जब यह चर्चा स्टार्ट हो तब ही आप लिमिटेशन में सभी को कहे कि तीन मिनिट बोले ताकि हमारा नम्बर आ जाए। कोई तो आधा घंटा बोलता है, हमेशा उस सीट का नम्बर आता है और हम नये-नये सदस्य हैं एक बार भी नम्बर नहीं आता है। दो मिनिट भी नहीं बोलना हमको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए दो मिनिट।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): विपक्ष से पुकारो आप।

श्री उपाध्यक्ष: अब लिखकर दे देना आप।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार दिया, एक मिनिट में मेरी बात कहूंगा। एक ही मिनिट में मेरी बात कहूंगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बत्तीलालजी बैठिये। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दीजिए। माननीय मंत्री जवाब दीजिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, इस पीडब्ल्यूडी में भंयकर भ्रष्टाचार है। केवल मेरे (व्यवधान) आरोप लगाने की वजह से मेरे समय को काटा जा रहा है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं मंत्री महोदय पर कि पीडब्ल्यूडी में जितना भ्रष्टाचार हुआ है (व्यवधान) केवल मेरे नाम को काटने के लिए इतना बड़ा षडयंत्र रचाया जा रहा है। मैं चार्ज लगाना चाहता हूं, मुझे जानबूझकर आपने रूकवाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लगा देना अब..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): राजगढ़ तहसील में बहुत बड़ी सड़क है अन्तर्राज्यीय सड़क है (व्यवधान) दो मिनिट का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी से मिल लेना।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरा नाम आया है (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस तरह से नाम नहीं काटेंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब तो सुनिये, जवाब सुनिये भई।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सवाईमाधोपुर में, पीडब्ल्यूडी में भंयकर भ्रष्टाचार है और मैं बोलना चाहता हूं (व्यवधान) मेरी आवाज को दबाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब सुनिये माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मुझे साजिश के तहत रोका जा रहा है। मैं अपने आपको, बोलता रहूंगा चाहे मुझे सदन से बाहर निकाल दें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मेरे क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दे देना वहां (व्यवधान) सुनवाई होगी। आप सुनो तो सही। जवाब तो सुनो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सवाईमाधोपुर में भारी भ्रष्टाचार है (व्यवधान) पीडब्ल्यूडी में भंयकर भ्रष्टाचार है, मेरे को साजिश के तहत रोका जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अगर आप में दम है तो आप दो मिनिट मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, लिखकर दे देना आप (व्यवधान) लिखकर दे देना।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): दो मिनिट (व्यवधान) एक बात कहना

(श्री अशोक बैरवा)

चाहता हूं मेरे को जानबूझकर रोका जा रहा है । भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पांच करोड़ की सड़क को खा गये, पूरी डामर पी गये। मैं चार्ज लगाना चाहता हूं। मेरी बात को रोका जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप करिये शिकायत। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरा आरोप है सीधा-सीधा....

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): +++ कर लिया गया है, मुझे बोलने से रोका जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: लिखकर दे देना, करेंगे कार्यवाही।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरी सड़क सही करवा दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अपन बात कर लेंगे।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरी सड़क सही करा दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करा देंगे।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पांच करोड़ रुपये पी गये। सवाईमाधोपुर की स्टेट हाइवे को रियासत की सड़क को पी गए। पांच करोड़ का भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सड़क को पी गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिराजो, बिराजो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, लिखकर दे देना आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सैक्रेटरी महोदय जानते हैं (व्यवधान) बैठे हैं, जानते हैं। मेरी सड़क एम.पी. को जाती है, पाँच करोड़ की सड़क में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं जांच कराऊंगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मेरा बाकी काम पूरा करा दीजिए, बैठ जाता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर कोई ऐसी बात आपकी है तो मुझे लिखकर देना मैं सदन में कह रहा हूं मैं जांच कराऊंगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पहले जांच हुई थी, कुछ नहीं हुआ। आप सही करवा देंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं जांच कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): करवा दोगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, जांच कराऊंगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): कृषि उपज मण्डी के पास में जो सड़के हैं उसके बारे में वक्तव्य दें, कृषि उपज मण्डी वाली सड़क आप ले लो, बस इतना ही सुझाव है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पूनियाजी, आपके जिले की बात है, बता देना इन्हें, बता देना।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): वह ही तो बता रहा हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष: कर लेंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): एक मिनिट साहब, एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष: आपके जिले का....(व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मंत्री महोदय, राजगढ़ बहल एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है और सारा उसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी का ट्रेफिक राजगढ से बहल होकर गुजरता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कर लेंगे। बता देना (व्यवधान) घर में बता देना, बता देना घर में, कोई बात हो, आपके जिले का ही मामला है। मंत्री जी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): मकराना औद्योगिक सिटी की सड़क और रिंग रोड की सब मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन सभी 21 माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21, इसमें भाग लेते हुए अपने अति बहुमूल्य सुझावों से मेरा और मेरे विभाग का मार्गदर्शन किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसके अलावा 90 माननीय सदस्यों के 252

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कटौती के प्रस्ताव मिले हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन समस्त कटौती के प्रस्तावों पर तीन दिन के भीतर विभाग उत्तर भी भेजेगा। और इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात प्रारम्भ करुं, इससे पहले, चूंकि यह विभाग निर्माण कार्य से जुडा हुआ है, निर्माण कार्य में गुणवत्ता की बात भी आती है। समय पर कार्य हो, इसके लिये भी कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। मुझे संतोष इस बात का है कि 21 माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने सदन में विचार व्यक्त किये और जो 252 कटौती के प्रस्ताव आये, इन सब में मिलाकर देखें तो गुणवत्ता पर 10 फीसदी माननीय सदस्यों ने भी सवाल खड़े नहीं किये हैं। पर इसके बावजूद भी उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरी कार्यवाही का मैं अध्ययन करुंगा और सदन में अपने विचार व्यक्त करते हुए या कटौती के प्रस्तावों में अपनी भावनाओं को कहते हुए जिन भी माननीय सदस्यों ने, जिस किसी भी कार्य की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत की है, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि हमारे मुख्य अभियंता, नेशनल हाइ-वे, इन सारे मामलों को, जो विचारों के माध्यम से, इन्होंने अवगत कराये कि उसमें कहीं गुणवत्ता में ठीक कार्य नहीं हुआ या कार्य विलम्ब से हुआ, इन सारे कार्यों की जांच एक महीने के अन्दर-अन्दर मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से करवाकर माननीय सदस्यों को इससे अवगत कराऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है, जब सड़क की बात होती है तो सड़क के साथ हम अगर जहां विकास की बात करें तो यह विकास का एक तरह से मेरुदण्ड है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन कराया और उस अध्ययन में जो बात सामने आई कि आज अगर गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कोई कार्य हो, उसमें सड़क के निर्माण की सहभागिता सबसे ज्यादा है। आज सड़क पर अगर एक करोड़ रुपया निवेश हो तो अध्ययन यह बताता है कि 1650 व्यक्ति गरीबी की रेखा के ऊपर उठाये जा सकते हैं। इसलिये यह बात कही जा सकती है कि यह सड़क सामाजिक उत्थान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश के प्रसिद्ध वरिष्ठ लेखक स्वामीनाथन अय्यर ने, पिछले पखवाड़े ही अंग्रेजी के एक प्रमुख समाचार पत्र में उनका एक लेख आया था, उन्होंने इस बात को लिखा था, मोटे तौर पर कि सड़क ग्रामीण सम्पन्नता का निर्धारक है और उन्होंने उसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राबर्ट चेम्बर्स का हवाला देते हुए एक कोट किया था,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चेम्बर्स यह कहते हैं कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे सड़क निर्माण में लगाऊंगा और यदि और धन हो तो उससे और सड़कें बनाऊंगा, तथा अगर उससे अधिक भी धन हो तो भी सबसे पहले मैं सड़क बनाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि किसी भी राज्य के विकास के लिये जो प्रमुख इंडिकेटर हैं, जिससे निर्धारण होता है कि राजस्थान या कोई भी राज्य विकास की दृष्टि से किस ओर जा रहा है, उनमें प्राइमरी इंडिकेटर जो भी हैं उनमें सड़क प्राइमरी इंडिकेटर्स में एक है। और उपाध्यक्ष महोदय, सड़क की आवश्यकता कोई आज की बात नहीं है और सड़कों का योजनागत विकास हो, यह आज का सोच भी नहीं है। ब्रिटिशकाल के अन्दर जब इस देश के अन्दर सबसे ज्यादा एक साथ, हालांकि मोटर-कारें पहले भी आई थीं, राजतंत्र में भी, पर ब्रिटिशकाल के अन्दर जब मोटर-कारें आनी चालू हुईं तो उस वक्त, उपाध्यक्ष महोदय, 1929 के अन्दर एक जेकर कमेटी बनी थी। उस जेकर कमेटी ने पेट्रोल पर दो आना गैलन पर सैस लगाकर रोड फण्ड का गठन किया था और उसके बाद 1934 के बाद इंडियन रोड कांग्रेस का गठन हुआ और इंडियन रोड कांग्रेस की सिफारिश पर 1943 से 1961 तक नागपुर प्लान, 1961 से 1981 तक मुंबई प्लान और 1981 से 2001 तक लखनऊ प्लान और अब वर्तमान में रोड ऑन ए प्लान, 2021 के आधार पर पूरे देश के अन्दर सड़क की गतिविधियां और उनका किस तरह, कौनसी सड़क का, किस तरह के मापदण्ड के अनुसार निर्माण किया जाए, इसका निर्धारण किया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास समिति द्वारा वर्ष 2000 के अन्दर जो केन्द्र सरकार ने एक अध्ययन करके एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसकी ओर भी दिलाना चाहूंगा। उन्होंने सड़क के सामाजिक उत्थान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अगर सड़क होगी तो गांव के अन्दर गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के लिये चिकित्सालय में पहुंचाना आसान होगा। बरसात के अन्दर भी बच्चे विद्यालय में जा सकेंगे और गरीबी और बेरोजगारी और निरक्षरता, इन तीनों का चयन सड़क को उन्होंने माना है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान की सरकार ने भी एक रुरल डवलपमेंट इनिशियेटिव, उससे राजस्थान के 10 जिलों का अध्ययन कराया। 10 जिलों के 60 गांव और उन 60 गांवों में यह अध्ययन इसलिये करवाया गया कि राजस्थान की सरकार ने इन वर्षों के अन्दर जो सड़कों का निर्माण किया, जिस तरह की सड़कों का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निर्माण किया, उनकी गुणवत्ता कैसी है और उसके साथ-साथ सड़कों का घनत्व बढ़ने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन क्या आया, जो मोटे तौर पर आया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां सड़क का घनत्व बढ़ा, वहीं साक्षरता बढ़ी, कृषि उपज का पैटर्न बदला। कैश की क्राप की ओर किसान बढ़ने लगा। रोजगार के अवसर सृजित हुए और एक तरह सामाजिक उत्थान का यह माध्यम बना।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, जब देश के अन्दर पहली पंचवर्षीय योजना बनी तो सड़क पर निवेश 135 करोड़ का निर्धारित किया गया। आज हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं तो 79 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में देश के सड़क तंत्र में विकास पर खर्च करने के लिये। और उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इन वर्षो के अन्दर राजस्थान के सड़क तंत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। हम बीमारू सड़क तंत्र से निकलकर आज विकसित राज्यों के सड़क तंत्र में आकर खड़े हो गये और इसलिये राजस्थान में जहां 2003 में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 270 किलोमीटर सड़क थी, अब वह 319 किलोमीटर सड़क है और राष्ट्रीय औसत 325 है।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, वह दिन दूर नहीं जब हम राष्ट्रीय औसत को पार करेंगे। यहां कई माननीय सदस्यों ने रुरल कनेक्टिविटी की बात की। अब उपाध्यक्ष महोदय, जहां काम होता है, वह कई बार काम बोलता भी है। यह बातों ही बातों में नहीं है। आज राजस्थान के किसी गांव में जाएं आप, राजस्थान के अन्दर गांवों में जो सड़कों का जाल बिछा है, वह दृष्टिगोचर होने लग गया। और रुरल कनेक्टिविटी के लिये मैं निवेदन करुंगा हमने 21 प्रतिशत रुरल कनेक्टिविटी बढ़ाकर देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। योजनाएं पिछली सरकार के समय में भी थीं। यह योजनाएं आज ही नहीं हैं, यह सारी योजनाएं जो आज विद्यमान हैं, वह सारी योजनाएं पिछली सरकार के समय में भी थीं। पर इनके समय में सिर्फ 2 प्रतिशत रुरल कनेक्टिविटी बढ़ी और 2003 में जो 52 प्रतिशत रुरल कनेक्टिविटी थी, आज इस समय जब मैं सदन में अपनी बात कह रहा हूं, 73 प्रतिशत गांवों को हमने सड़क से जोड़ने का काम पूरा कर दिया है और राष्ट्रीय औसत से हम आगे निकल आये हैं। राष्ट्रीय औसत 65 है, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आज हम राजस्थान के सड़क तंत्र की बात करें और हमारी सरकार के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समय के सड़क तंत्र के विकास की कहानी कहें तो हमें पिछली सरकार के समय की बात भी थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए, पुराने इतिहास की बात भी। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, जिस तरह कई माननीय सदस्यों ने कहा कि 2003 के अन्दर जो सड़क तंत्र हमें मिला, वह बीमारू था और उस बीमारू में अधिकांश सड़कें तो अपनी आयु पूर्ण कर चुकी थीं। यह जो डब्ल्यू.बी.एम. सड़क की चर्चा चली, जिन सड़कों को हमने डामरीकृत करने के लिये 3 साल में काम किया और जो हमारा लक्ष्य था कि राजस्थान के अन्दर डब्ल्यू.बी.एम. सड़क कोई बचे नहीं, अब उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़क एक ऐसी बनती है कि जो एक बरसात भी झेल नहीं सकती है। गिट्‌टी की सड़क, अगर पशु भी कई बार निकले तो जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती है, वह हमें विरासत में मिली। इसमें भी शक नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने के साथ जिन्दगी भी आजकल, भागमभाग की जिन्दगी हम कह सकते हैं। वाहनों की संख्या बढ़ी है। 2003 में राजस्थान के पंजीकृत वाहन 34 लाख थे जो आज डेढ गुना बढ़कर 56 लाख हो गये और ऐसी परिस्थिति के अन्दर एक बड़ी चुनौती थी हमारी सरकार की कि जिस तरह का बीमारू सड़क तंत्र हमें मिला, हम किस तरह सड़क तंत्र को विकसित श्रेणी के राज्यों में ले जाएं और इस राजस्थान में एक अभिनव प्रयोग हुआ। राजस्थान के अन्दर 7 अक्टूबर, 2005 को मुख्य मंत्री सड़क योजना बनाकर हमने कुछ कामों को हाथ में लिया। हमने उनमें 2300 करोड़ की एक योजना बनाई और 2300 करोड़ की योजना के अन्तर्गत हमने आर.ओ.बी. का निर्माण, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क को डामरीकृत करने का निर्माण, सारी सड़कों में सी.सी. सड़क करने का निर्माण हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 2300 करोड़ की योजना में अब तक हमने 2508 करोड़ यानी, योजना जिससे बनायी उससे भी आगे बढ़कर हमने स्वीकृतियां जारी की और 1739 करोड़ रुपये हमने अब तक व्यय किये और मैं यह घोषणा करता हूं कि इसी योजना के अन्तर्गत हम आगामी वित्तीय वर्ष में 561 करोड़ रुपये व्यय करके जो कार्य हमारे अधूरे रहे गये उनको पूरा करने का काम भी करेंगे।

अब इन चार वर्षों का अगर मैं आकलन करूं मोटे तौर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो चार वर्षों में 29 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हमने किया है और मैं यदि अगर अब तक सड़क तंत्र जो हमारे पास सड़कें हैं, जो आजादी के बाद डामर सड़कें बनी हैं अगर उनका प्रतिशत मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निकालूं तो आजादी के बाद बनी सड़कों में 29 फीसदी सड़क तंत्र का विस्तार इन चार वर्षों में हो गया। यह अपने आप में कीर्तिमान नहीं है तो क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और यहां बड़ी चर्चा चली कि आपने जो कुछ काम किये वह केन्द्र सरकार ने पैसा दिया। प्रधान मंत्री सड़क योजना में आपको पैसा मिला और आपने उसकी वाहवाही लूट ली। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि कांग्रेस के पांच वर्ष में इनको भी पैसा मिला। योजनाएं सी.आर.एफ. भी थी, योजनाएं पी.एम.जी.एस.वाई. भी थी। दिसम्बर, 2000 से इनको दिल्ली की सरकार भी पैसा दे रही थी। इन्होंने कुल पांच वर्षों में 904 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने इन चार वर्षों में ... (व्यवधान) बता रहा हूं। बता रहा हूं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इन चार वर्षों में 7527 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसमें से मैं निकाल लूं इसका गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो हमें पैसा दिया वह भी 3205 करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार ने अपने संसाधनों से व्यय किये और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह घोषणा कर रहा हूं, यह हमारी गति रुकने वाली नहीं है। चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ हो राजस्थान, राजस्थान विकसित राजस्थान की परिकल्पनाओं को पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है और 2800 करोड़ रुपये राजस्थान के सड़क तंत्र को ठीक करने के लिए, नई सड़कें बनाने के लिए हम आगामी वित्तीय वर्ष में खर्च करने की बात करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह भी जून से पहले-पहले चालू करा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रधान मंत्री सड़क योजना की बहुत चर्चा चली। निश्चित तौर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़कें जो विकास की ध्वनियां हैं। राजस्थान के गांवों में सड़कें पहुंचे, गांवों के अन्दर विकास की यात्रा प्रारम्भ हो, यह सोच और किसी का नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी का था। उन्होंने सन् 2000 के अन्दर एक केन्द्रीय सड़क अधिनियम लाये और केन्द्रीय सड़क अधिनियम में उन्होंने जिस तरह की यह योजना बनायी, आज हिन्दुस्तान के गांवों में सड़कों के दर्शन होने लगे हैं और यह कह रहे हैं कि केन्द्र की योजना है। मैं निवेदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्दर भी राजस्थान के आम आवाम का पैसा है। आज राजस्थान का व्यक्ति दो रुपये सेस दे रहा है। डीजल में दे रहा है, पेट्रोल में दे रहा है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां औसत जो डीजल की खपत है एक वर्ष में, वह लगभग 476 करोड़ लीटर है और पेट्रोल की खपत हमारे 54 करोड़ लीटर है और अगर इसी को हम दो रुपये के हिसाब से देखें तो प्रतिवर्ष 1060 करोड़ रुपया राजस्थान के लोग सेस के माध्यम से सड़कें बनाने के लिए देते हैं। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सारे पैसों को हम जोड़ने भी चले तो लगभग साढ़े छह, साढ़े सात हजार करोड़ रुपये राजस्थान के लोगों ने प्रधान मंत्री सड़क योजना में अपना योगदान दिया है और अगर पी.एम.जी.एस.वाई. में अब तक के कुल खर्चों को मैं जोड़ लूं तो वह 4303 करोड़ रुपये है। इसलिए यह कहने का, यह नहीं है कि आज अगर सरकार, केन्द्र की सरकार हमें दे रही है तो बहुत बड़ा अहसान कर रही है। यह पैसा राजस्थान के आम आवाम का है। यह योजना इनके समय में भी थी। यह बात नहीं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि कुछ योजना के साथ एफिशिएंसी जुड़ी रहती है। आज पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जब यह योजना चल रही है, राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से परफोर्म किया, हमें निश्चित तौर पर और राज्यों से ज्यादा पैसा मिला और मैं उन आंकड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता पर यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जब उनके पास सन् 2000 में यह योजना आयी, इनके पास भी साढ़े तीन वर्ष का समय था। इन्होंने उस साढ़े तीन वर्ष में सिर्फ 918 गांवों में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत इन्होंने 918 गांव जोड़े। 502 करोड़ रुपये खर्च किये। 3936 किलोमीटर सड़क सिर्फ बनायी और हमने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25011 किलोमीटर सड़क बनायी। 7894 गांवों को जोड़ा और 3801 करोड़ रुपये खर्च किए इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अब तक इस योजना के अन्तर्गत पूरे देश के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 लाख 41 हजार किलोमीटर सड़क बनी है, पूरे देश में और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उसमें 21 फीसदी योगदान अकेले राजस्थान का है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर इसी वित्तीय वर्ष की बात कर लूं, दिसम्बर तक का आकड़ा है मेरे पास। दिसम्बर तक 2007-08 में पूरे देश में बनी 22238 किलोमीटर सड़क और राजस्थान ने बनायी 6854 किलोमीटर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सड़क, यानी, कुल पूरे देश में इसी वित्तीय वर्ष में दिसम्बर तक जितनी सड़कें बनीं उसमें 31 प्रतिशत हिस्सा अकेले राजस्थान का है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): हिन्दुस्तान में आधे राज्य तो ऐसे हैं जो जिनका हर राजस्व गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। अब यह भी कहिये कि पहले से ही सड़क से जुड़ा हुआ है हर राजस्व गांव।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): बैठ जाओ, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर गांव की दृष्टि से हम देखें तो 2007-08 में पूरे देश में दिसम्बर तक जुड़े 5979 गांव और राजस्थान में अकेले में जुड़े 2258 गांव यानी, उनका 38 प्रतिशत और अब तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो है नहीं, कुछ प्रदेशों में ही यह योजना चल रही हो। पूरे हिन्दुस्तान में सर्वाधिक गांवों को सड़क से जोड़ने में हम पहले पायदान पर खड़े हैं। राजस्थान ने अब तक जोड़े 8812 गांव, हमारे पीछे यू.पी. है, यू.पी. ने जोड़े 5345 गांव, उसके पीछे मध्य प्रदेश है, उन्होंने जोड़े 4968 गांव, उसके पीछे उड़ीसा है, जिसमें उन्होंने जोड़े 3645 गांव और उसके पीछे गुजरात है जो 1780 पर है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कांग्रेस वाले राज्यों ने तो जोड़ा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बंगाल का बताता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने 500 तक की आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए सवाल उठाये हैं। 500 तक की आबादी के पूरे प्रदेश में 9159 गांव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9159 गांवों में से हमने 8530 गांवों को जोड़ दिया और शेष बच गये 639 गांव। 639, और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि यह सदन समाप्त होगा, अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक हम राजस्थान के इन सभी गांवों को, जो 639 गांवों को सड़क से जोड़ देंगे और इसके साथ ही हमारी रूरल कनेक्टिविटी जो हो जाएगी 75 प्रतिशत और जनजाति क्षेत्र में और मरू क्षेत्र के अन्दर जो 1762 गांव हैं, इन 1762 गांवों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम सितम्बर, 2008 तक जोड़ देंगे और इसके साथ हमारी रूरल कनेक्टिविटी हो जाएगी 80 परसेंट। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नया कार्य भी हाथ में लिया है। वह सड़कें जो गांवों की सड़कों को जहां स्टेट हाइवे से जोड़ती हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट की रोड जोड़ती हैं, वह ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से जोड़ती है। जहां पर यातयात का दबाव जिन सड़कों पर है। किसान अपनी उपज को मंडी तक ले जाना चाहता है, ऐसी सड़कों को चौड़ा करने के लिए हमें 8400 किलोमीटर की स्वीकृति मिली है। 1900 करोड़ रुपये हम व्यय करेंगे। 800 करोड़ का कार्य प्रगति पर है और शेष कार्य सब की निविदाएं आमंत्रित करके अक्टूबर, 2008 से पहले हम यह 1900 करोड़ का काम भी हम पूरा करने का काम करेंगे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बार बजट में देखा होगा एक ऐतिहासिक निर्णय। लोगबाग यह कहते हैं कि जब कभी हम किसान के पास जाते हैं, गांव के पास जाते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि राजस्थान के विकास का रास्ता गांव की चौपाल से निकलता है पर किसी ने गांवों की चिंता नहीं की और अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बहुत से ऐसे गांव बच गये जो प्रधान मंत्री सड़क योजना के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेकर जो सामान्य क्षेत्र है, जिसमें 500 तक की आबादी को हम प्रधान मंत्री सड़क योजना से जोड़ सकते हैं, सामान्य क्षेत्र के 12 जिलों के 250 तक की आबादी के 3015 गांव, जनजाति और मरूस्थलीय क्षेत्र, डिफिकल क्षेत्र है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई गांव उसकी आबादी हो या नहीं हो, राजस्व गांव घोषित होना चाहिए, ऐसे 1472 गांव यानी, 4485 गांव यह राजस्थान की सरकार अपने बलबूते पर जोड़गी। इन गांवों के अन्दर सड़क पहुंचेगी और उसके लिए 3276 करोड़ की हमने यह योजना बनायी है। अब माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसका बजट में प्रावधान नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने यह कहा है कि हम बाह्य संस्थाओं से ऋण लेंगे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं हमने वह सारी योजनाएं मृत रूप देने के लिए हमने इसके चरण बनाये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(समय : 20.00 बजे)

और मैं घोषणा कर रहा हूं, इसका पहला चरण हम अगस्त में पूरा करेंगे और इसके साथ इसकी स्वीकृतियां भी जारी करेंगे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। कोई माननीय सदस्य यह सोचें कि यह काम हम यूं ही कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कब तक जोड़ देंगे? 250 से 499 की आबादी के गांव साधारण क्षेत्रों में कब तक आप जोड़ देंगे, जरा यह बता दें मंत्री महोदय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम अपने कार्यकाल में। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तारीख नहीं बतायेंगे है न, यही है ना।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप लोगों की जोड़ी नहीं जायेंगी, इस बार आप लोगों की जोड़ी नहीं जायेंगी। चिन्ता मत करो आप। पहले बहुत कर ली हमने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, धोद से आने वाले माननीय सदस्य, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और भी कई माननीय सदस्यों ने गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े किये, हालांकि उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह के निर्माण का कार्य विभाग कर रहा है, अगर इस विभाग में पारदर्शिता नहीं होती तो बहुत-से सवाल इस बात आते। ज्यादा माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भी इसमें मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम हर साल औसतन 8,000 कि.मी. नई सड़कें बना रहे हैं, 5,000 कि.मी. सड़क का रिन्युअल हम कर रहे हैं और 20,350 कि.मी. रेजीडेंशियल क्वार्टर्स ऐसे हैं, छोटे मकान से लेकर बड़े मकान, जो आज सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के मेन्टीनेंस लिस्ट में हैं और 5020 हमारे आफिसेज हैं। 01 लाख 11 हजार कि.मी. की डामर की सड़कें हैं। अब इतना लम्बा-चौड़ा सड़क तंत्र और इतने ज्यादा भवन अब इनमें गुणवत्ता की दृष्टि से अगर छोटा-मोटा सवाल आ जाये तो मैं समझता हूं उसका प्रतिशत देखने की बात है। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए हमने क्या किया?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आर्थिक आधारभूत संरचनाओं का विश्लेषण करने वाली एक संस्था है, सेंट्रल फोर मोनिटरिंग इण्डियन इकोनोमी। उसका सर्वेक्षण हुआ, उन्होंने कहा कि राजस्थान में आधारभूत संरचनाओं के साथ जुडे हुए जितने भी निर्माण के कार्य हैं, वह उल्लेखनीय हैं। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है और इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े सड़क तंत्र के अंदर हमने निर्माण कार्य के लिए निचले अधिकारी से लेकर ऊंचे अधिकारी तक हमने सब को कहा कि आपको देखना है जे.ईएन., ए.ईएन. सब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को देखना है। जे.ईएन. शत-प्रतिशत गुणवत्ता के जिस काम पर वह तैनात है, शत-प्रतिशत देखेगा, ए.ईएन. 10 प्रतिशत देखेगा, एक्स.ईएन. पांच प्रतिशत देखेगा, एस.ई. दो प्रतिशत देखेगा। मुझे यह मापदण्ड थोड़े कम नजर आये, इसलिए मैं इन मापदण्डों को आज दोगुना करने की घोषणा भी कर रहा हूं। और उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है इन वर्षों में जो भी सड़क बनी, जब से यह शासन आया, हमने कोई नई सड़क ऐसी नहीं बनाई जिसमें पांच साल की डिफेक्ट लायबिलिटी का क्लॉज नहीं डाला हो। जो सड़क हम रिन्युअल कर रहे हैं, जिसका नवीनीकरण कर रहे हैं, उसमें भी तीन साल की डिफेक्ट लायबिलिटी का क्लॉज डालकर उसी संवेदक को जिम्मेदार बनाया है कि इस सड़क की गुणवत्ता की तरफ आपको ध्यान रखना है और इसलिए आज 28 हजार कि.मी. सड़कें ऐसी हैं जो इस डिफेक्ट लायबिलिटी में आती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सभी जिलों के अंदर पहले क्वालिटी कंट्रोल के डिवीजन नहीं थे, हमने 16 नये एक्स.ईएन. आफिस सृजित किये और सब जिलों के अंदर क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए एक एक्स.ईएन. को तैनात किया और उसके लिए प्रयोगशाला भी बनाई। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो डबल ए कांट्रेक्टर, जो हमारे ए श्रेणी के कांट्रेक्टर हैं, उन पर भी पाबन्दी लगाई कि आपको जब तक काम नहीं मिलेगा, जब तक आपके पास तनकीकी रूप से जानकारी रखने वाला कोई डिप्लोमाधारी या कोई डिग्रीधारी इंजीनियर नहीं होगा और आपके पास प्रयोगशाला नहीं होगी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह शिकायत आई कि आपके विभाग के छोटे अधिकारी की जांच बड़े अधिकारी कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर हमने सेवानिवृत्त अधिकारी, जो एडिशनल चीफ इंजीनियर भी हो सकता है, एस.ई. इंजीनियर भी हो सकता है। एस.ई. से ऊपर के अधिकारियों को हमने इंडिपेंडेंट मोनीटर नियुक्त किया। वह इंडिपेंडेंट मोनीटर जब कभी भी अपने जिले में किसी भी काम की गुणवत्ता को देखने के लिए जायेगा, वह रिपोर्ट भेजेगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंदर राष्ट्रीय गुणवत्ता मोनीटर, NQM में इस तरह राजस्थान में 1120 दौरे किये और 4,918 कि.मी. सड़क को देखा और इसने 96 फीसदी सड़कों को मानक स्तर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का बताया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास वह रिपोर्ट है विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर की रिपोर्ट, इसोबेल एम. गुरेरा की। मैं आप कहो तो रिपोर्ट टेबल करना चाहूंगा। इस विश्व बैंक का जो मिशन आया, दिसम्बर, 2004 में आया, अगस्त, 2005 में आया, मार्च, 2006 में आया, मार्च, 2007 में आया और अगस्त, 2007 में आया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वर्ल्ड बैंक के मिशन ने कन्क्लुड करके जो रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में पूरे देश के अंदर प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से बनी हुई सड़कों की गुणवत्ता की दृष्टि से, लागत की दृष्टि से और रोड फर्नीचर की दृष्ट‍ि से, समय पर काम होने की दृष्ट‍ि से हमें उत्कृष्ट श्रेणी में डाला गया है। यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। केन्द्र सरकार के जो डायरेक्टर एण्ड चीफ क्वालिटी को-आर्डिनेटर है, उन्होंने भी दौरा किया। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में तीन-चार वर्ष पहले बनी सड़कों को देखा। उन्होंने भी सड़कों को गुणवत्ता वाली माना।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मैंने नया प्रयोग किया और उस प्रयोग को आज भारत सरकार ने भी प्रारम्भ किया है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं एक-दो नहीं, सब सम्मानित सदस्यों को, सब माननीय सांसदों को, सब प्रमुखों को, प्रधानों को और सरपंचों को मैंने आठ पत्र लिखाए हैं। आठ पत्र अलग-अलग तारीखों के, आप कहो तो मैं तारीख बता दूं। हमारे मुख्य अभियन्ता ने लिखे, पी.डब्ल्यू.डी. के सेक्रेट्री ने लिखे और यह कहा कि यह सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी की हैं, इन सड़कों की गुणवत्ता देखो और इसमें कहीं कोई मीनमेख हो तो निश्च‍ित तौर पर उसके आधार पर हम कार्यवाही करेंगे और मुझे प्रसन्नता है उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे सांसदों ने 18 बार अलग-अलग निरीक्षण किये, 67 निरीक्षण उन्होंने किये। कई माननीय सदस्यों ने किये अलग-अलग, किसी विधायक ने दो बार किये, पांच बार किये पर 136 निरीक्षण विधायकों ने किये हैं। 395 इसंपेक्शन उन्होंने किये। 24 प्रमुखों ने 86 निरीक्षण किये, प्रधानों ने 437 किये सरपंचों ने किये, कुल मिलाकर 617 जन प्रतिनिधियों ने 1530 निरीक्षण किये और इनके निरीक्षण की रिपोर्ट जो मोटे तौर पर आई है, 93 प्रतिशत इन्होंने कहा सड़क मानक स्तर की बनी। गुणवत्ता को लेकर बनी, कहीं कोई शिकायत नहीं रही।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा आज यहां बैठकर कहना बड़ा आसान है। मैंने देखा है इतना बड़ा सड़क तंत्र है, इतना बड़ा काम है, गुणवत्ता पर सवाल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लगा दें हम। मैं कहता हूं इतने बड़े काम में हम छोटी-सी बात कह दें इसमें भ्रष्टाचार हो गया। अच्छा रहे जब सारे माननीय विधायकों को पत्र लिखा है। माननीय विधायक संबंधित एस.ई. को कहें कि मैं इतनी तारीख को दौरे पर जाना चाहता हूं, संबंधित एस.ई., एक्स.ईएन. साथ में नहीं जायें, उसके बाद हमें शिकायत करें । मैं आज घोषणा कर रहा हूं कोई माननीय विधायक कहें इंसपेक्शन के लिए जाना चाहे और संबंधित एक्स.ईएन. नहीं जाये तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ताकि उसका पता लगे कि जन प्रतिनिधियों का समय ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है।

इसके अलावा भी हमने सी सी ए 16 में 48 और सी सी ए 17 में 21 प्रकरण दर्ज करके इस मामले को करने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा चली रिडकोर की। धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने इसकी बात भी कही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं देश की पहली पी पी पी मॉडल की, सबसे बड़ी परियोजना है 1500 करोड़ की परियोजना, आर्थिक स्तर की सड़कें बनें और 1015 कि.मी. बनें और इसमें 86 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इसमें मई, 2008 तक इस परियोजना को पूरा करके हम राजस्थान की जनता को समर्पित कर देंगे और इसके अंदर राजस्थान की सरकार का मात्र 25 करोड़ की अंश पूंजी है और 240 करोड़ रुपये इंटरेस्ट फ्री लोन है। अब कई बार भी चर्चा चलती है कि एक संस्था बन गयी। इस संस्था में इतना बड़ा लाभ होगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा इसका जो एग्रीमेंट हुआ है, एम ओ यू हुआ है, उसमें साफ इस बात का उल्लेख किया है कि इसमें जो अंश पूंजी है उसमें जो 25 करोड़ रुपये हैं, उस पर अधिकतम 15 फीसदी लाभांश होगा यानि 25 करोड़ का 15 फीसदी साल में मिलेंगे, जो 2-3 करोड़ होंगे और, और ज्यादा पैसा आयेगा। इसमें वह सारा का सारा पैसा एस.आर.एफ. में जायेगा, स्टेट रोड फण्ड में जायेगा जिससे और सड़कें बनाने का काम हम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बी.ओ.टी. की बात भी कही। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बी.ओ.टी. जगह-जगह टोल रोड बन रही है। उपाध्यक्ष महोदय, निश्चि‍त रूप से समय उदारीकरण का है। आज जनसंख्या बढ़ रही है। राज्य सरकार चाहे कोई भी हो, उसके संसाधन छोटे होते जा रहे हैं। टैक्स रेवेन्यू सेचुरेटेड पाइंट पर पहुंच गया। नोन टैक्स रेवेन्यू सोर्स कम होते जा रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं। और हर साल, केन्द्रीय वित्तीय मंत्रीजी ने कहा कि अब वो समय आ गया है, पी.पी.पी. प्रक्रिया के आधार पर भारत में आधारभूत सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा सकता है। हमने इन पांच वर्षों के अन्दर मेगा हाई-वे सहित 1781 करोड़ रुपये की 17 परियोजना स्वीकृत की और विगत सरकार ने भी 280 करोड़ की 24 परियोजनाएं स्वीकृत की थीं पर हमने सिर्फ योजना बनायी नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 25 ऐसी परियोजनाएं, जिन पर राशि पूरी आ गयी थी, परियोजना की टोल राशि पूरी आने पर उनको टोल मुक्त करने का काम भी किया, उनसे टोल विथ्ड्रा भी किया।

हां, यह सही है, यहां बात उठी की आप जयपुर कोटा सड़क, यह टोंक बनास पुलिया, इस पर पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी ऐसी कृपा कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नेशनल हाई-वे की टोल पुलिया है और हमने एक, दो बार नहीं तीन चिट्ठियां तो मैंने लिखी हैं, तीन चिट्ठियां हमारे पी.डब्ल्यू.डी. सेक्रेटरी ने लिखी हैं, हमने भारत सरकार को लिखा है कि इस पुलिया के निर्माण में जो लागत है उससे डेढ़ गुना राशि आपके पास चली गयी है टोल के माध्यम से, आप टोल बंद करो। उसका उत्तर हमें मिला है कि प्रीपिचुअल टोलिंग में जो लिस्ट है हमारी उसमें इसको शामिल कर लिया है, हमेशा इस पर टोल लगा रहेगा। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जयपुर-दिल्ली सड़क है, जयपुर-दिल्ली सड़क में भी जो टोल का समय था और जो राशि भारत सरकार के पास जानी थी चली गयी पर उसको भी यह कह रहे हैं प्रीपिचुअल इस में टोलिंग रहेगी। किशनगढ़ बाइपास के साथ भी यही बात है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा तो प्रयास रहेगा ही, माननीय सदस्य अगर इसके अन्दर मदद करें तो ठीक है और मैंने जो चिट्ठियां लिखीं, आप कहें तो मैं टेबल करने के लिए तैयार हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां आर.ओ.बी. की बात चली, निश्चित तौर पर आर.ओ.बी. आज की आवश्यकता है रेलवे ओवर ब्रिज। अब रेलवे ओवर ब्रिज कहां बनेगा, इसके मापदंड भी हमने तय नहीं किये, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने तय किये। एक लाख ट्रेन व्हीकल यूनिट जहां हो वहां आर.ओ.बी. बनने की स्वीकृति रेलवे मंत्रालय हमें देता है। 50 प्रतिशत पैसा राजस्थान सरकार का, 50 प्रतिशत पैसा भारत सरकार का और मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि 36 आर.ओ.बी. की स्वीकृति हमारे इस कार्यकाल में हुई है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक आर.ओ.बी. में भी आज तक भारत सरकार ने 50 प्रतिशत जो हमारी देय राशि है वो दी नहीं है। और आजादी के बाद अब तक राजस्थान में 35 आर.ओ.बी. बने, हमने अपने चार साल के कार्यकाल में 36 आर.ओ.बी. बनाये, तीन कार्य पूर्ण हो गये और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 36 आर.ओ.बी. में 16 आर.ओ.बी. का कार्य, मैं घोषणा कर रहा हूं कि हम अक्टूबर, 2008 तक पूरा करेंगे और 6 आर.ओ.बी. का कार्य हम दिसम्बर, 2008 तक पूरा करेंगे। और 11 आर.ओ.बी. ऐसे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 11 आर.ओ.बी. में हमने बजट के अन्दर प्रावधान कर रखा है पर आज भारत का रेलवे मंत्रालय हमें घुमा रहा है, जी.ए.डी. मन्जूर नहीं कर रहा। मैं चाहूंगा कुछ ऐसे मामले हैं, प्रतिपक्ष के नेता जो राजस्थान के विकास के साथ जुडे हैं, निश्चित तौर पर हमें आगे बढ़कर, आपका बहुत बड़ा प्रभाव है लालु प्रसादजी यादव पर, मुझे कुछ लोगों ने कहा है, प्रभाव का इस्तेमाल करो और यह 11 आर.ओ.बी. जो राजस्थान के लोगों की सुविधा के लिए हम बनाना चाहते हैं उसमें आप हमारा सहयोग करो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता की पहले नाराजगी दूर करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरे से?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता की पहले नाराजगी दूर करो जब सहयोग करेंगे।

एक माननीय सदस्य: आप मुस्कुराओ मत इधर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आपसे कोई नाराजगी नहीं है, सड़कों का काम ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं मुस्कुराऊंगा नहीं, आप नाराज मत होओ, साहब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट कंक्रीट सड़क की यहां चर्चा चली। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, निश्चित तौर पर समस्या का समाधान जहां इच्छा शक्ति हो वहां समस्या का समाधान निकलता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा पर पिछली सरकार का नीतिगत निर्णय है कि जहां भी सड़क बने, ज्यों ही गांव या शहर की आबादी क्षेत्र में आओ वहां सड़क मत बनाओ, वैसे ही छोड़ दो। यह मैंने फाइलों में देखा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं सड़क पर चलते-चलते सड़क

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गायब। उस पीड़ा को हमने समझा और इसलिए पहले चरण के अन्दर हमने जितने भी स्टेट हाई-वे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो विलेजेज क्षेत्र से गुजरते हैं, 183 नगर पालिका थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें 158 करोड़ रुपये खर्च करके हमने 220 किलोमीटर की स्वीकृति जारी की और इस वर्ष भी जुलाई तक, मैं घोषणा कर रहा हूं कि शेष रहे स्टेट हाई-वे और एम.डी.आर. के अन्दर हम 128 करोड़ रुपये खर्च करके 175 किलोमीटर सड़क बनायेंगे ताकि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में और गांव के क्षेत्रों में जो सी.सी. सड़क है वो बने ताकि उनके हालात सुधरें।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां सीमेंट सड़क की जरूरत है, मैं घोषणा करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि वित्तीय वर्ष, 2008-09 में एम.डी.आर. पर आने वाले सभी आबादी क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण पूर्ण करने के लिए जिसमें 600 गांव आयेंगे, एक-दो नहीं 600 गांव, वो मैंने पहले नगर पालिका की बात की अब गांव की बात कर रहा हूं, 600 गांव 306 किलोमीटर लम्बी सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण के लिए 201 करोड़ रुपये हम व्यय करेंगे, इसकी स्वीकृति जारी कर रहे हैं। 201 करोड़ रुपये, यह 600 गांव में कोई राजनीतिक बात नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। धोद से आने वाले माननीय सदस्य मेरे पुराने मित्र भी हैं क्योंकि इनका और हमारा मार्ग एक जैसा रहा है, हम दोनों ...(व्यवधान) कलर भी, और हम दोनों कालेज और यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। इन्होंने कहा कि आप सी.आर.एफ. में वो कर रहे हैं, यह 600 गांवों में सिर्फ शर्त यह रखी कि जो एम.डी.आर. या स्टेट हाई-वे जो गांवों से गुजर रहे हैं उसमें कोई यह चयन नहीं किया, वो आपकी विधान सभा के क्षेत्र भी हो सकते हैं, मेरे विधान सभा के क्षेत्र भी हो सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डब्ल्यू.बी.एम. सड़क है, अब जब कभी भी हमें वोट लेने हों अब डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बना कर और हमने कहा कि यह सड़क बन रही है, गिट्टी गिर गयी, आपका गांव जुड़ जायेगा और फिर हमने अपनी चुनाव की वैतरणी को पार किया और फिर भूल गये। अलग-अलग योजनाओं के अन्दर पिछली सरकार ने कमाल कर दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4500 किलोमीटर डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बना कर चले गये। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 4500 किलोमीटर सड़क के अलावा अलग-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अलग योजनाओं में और भी सड़क बन गयीं, कुल मिलाकर 5195 किलोमीटर सड़क है, इस सड़क में से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4300 किलोमीटर सड़क का काम तो हमने पूरा कर दिया और शेष कार्य हम इसी जुलाई तक पूरा करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2008-09 के अन्दर कई सड़कें ऐसी हैं जिनके बारे में आज भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मेरे यहां डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनी हुई है, कई बार विभाग के पास उसकी सूचना नहीं आयी या कई बार किसी दूसरी योजना में बन गयी, 2008-09 में 50 करोड़ की लागत से शेष समस्त रही 500 किलोमीटर सड़क की डामरीकरण करने की घोषणा कर रहा हूं और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन में यह इच्छा है कि हम डब्ल्यू.बी.एम. नाम को राजस्थान के नक्शे से गायब कर दें।

एक माननीय सदस्य: डब्ल्यू उधर दे दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और बी.एम. इधर आ जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): डब्ल्यू उधर दे दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो जानकारी है कि यह राजस्थान वीर वीरांगनाओं का प्रदेश है, यह भक्ति और शक्ति की धरती है और यहां गांव में लोक देवता भी हैं, देवी-देवता भी हैं और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत पर्यटक भी आते हैं। इन धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए हमने पहले 97 करोड़ की स्वीकृति जारी की थी उसमें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, त्रिपुर सुन्दरी का मंदिर भी था, पाली के अन्दर अनावजी का माताजी का भी मंदिर था, उदयपुर में आसारामजी का मंदिर भी था, जोधपुर में सरयु धाम तीर्थ भी था और आगामी वर्ष में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करके 35 धार्मिक और पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए 70 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने की मैं घोषणा कर रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अलवर के भर्तृहरी और पांडुपोल का नाम भी ले लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कन्नै बेठ्यो हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, घनश्यामजी तिवाड़ी ने मुझे कहा है कि जो माननीय सदस्य धार्मिक भावना से ओतप्रोत हैं उनके प्रस्ताव आयेंगे, प्रस्ताव आने पर निश्चित तौर पर गुणावगुण की बात करके आप मुझे देंगे तो उनको बनाने की बात करेंगे हम।

श्री अमराराम (धोद): घनश्यामजी का प्रस्ताव तो मानोगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल मानूंगा, सदन में कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्यामजी के प्रस्ताव मानते तो घनश्यामजी गर्दन झुका के नहीं बैठे रहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने ...

श्री उपाध्यक्ष: घनश्यामजी के विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का ज्यादा ऐसा है नहीं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लेकिन गर्दन तो झुका दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आम फळै नीचो नवै और इरंड आकाशा जाए। हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी 1994 की सड़क नीति का जिक्र परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है, निश्चित तौर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सृष्टि में जो आया है, हरेक की उम्र है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): यह सांवरलालजी ने भी सोचा था ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सड़क तंत्र जो 1 लाख 79 हजार 605 किलोमीटर लम्बा सड़क तंत्र है, अब इसमें शहरी सड़कें और नेशनल हाइवे हैं। शहरी सड़कों का तो उनकी उम्र चार से पांच वर्ष है, राज्य उच्च मार्ग की उम्र छह से आठ वर्ष है, मुख्य जिला सड़क की उम्र आठ से दस वर्ष है, अन्य जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों की उम्र आठ से दस वर्ष है, अन्य जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों की उम्र बारह वर्ष है। अब इस पूरे को हम देखें तो लगभग आठ हजार किलोमीटर सड़कें जो निर्धारित मानदण्डों के अनुसार जो इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्ड भी हैं और हमारी राज्य सड़क नीति 1994 के मापदण्ड भी हैं। उनके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुसार हमारे रिन्युअल के साइकल में आकर जुड़ जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार एक दो नहीं बीस हजार किलोमीटर ऐसी सड़कें छोड़कर गयी जो अपना जीवन जी चुकी थीं, जो खस्ता हालत में थी, जो चलने योग्य नहीं थीं और हमने उसी मुख्य मंत्री सड़क योजना, जिस मुख्य मंत्री सड़क योजना का जिक्र हमने पहले किया उसी योजना के अन्तर्गत इस चुनौती में भी कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्नीस हजार किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण हम कर चुके हैं और उपाध्यक्ष महोदय, जो एक हजार किलोमीटर का बैकलाग है उसको जून 2008 में करने की घोषणा मैं कर रहा हूं।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इस मामले के अन्दर जो पेंडेंसी थी, जो बैकलाग था वह खतम हो जाएगा। अब आठ हजार किलोमीटर सड़क जुड़ेगी, उस आठ हजार किलोमीटर सड़क में एक हजार किलोमीटर सड़क स्टेट हाइवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में हैं। हम आगामी वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये खर्च करके इन एक हजार किलोमीटर सड़क का रिन्युअल करने का काम करेंगे, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। इसके अलावा सात हजार किलोमीटर सड़क जो या तो आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड हैं या विलेज रोड हैं। अब इसको जब रिन्युअल करेंगे तो इस पर भी 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हम अलग-अलग योजनाओं में करके 1500 करोड़ रुपये खर्च करके यानि कुल आठ हजार किलोमीटर सड़क पर 1700 करोड़ रुपये आगामी वित्त वर्ष में खर्च करके हम इसको ठीक करने का काम करेंगे, इसको रिन्यु करने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के पांच हजार तीस कार्यालय हैं, अब यह कार्यालय सरकार का दर्पण भी हैं, यहां बैठकर हमारे अधिकारी काम भी करते हैं, वहां का वातावरण भी ठीक होना चाहिए और बीस हजार तीन सौ तीस रिहायशी भवन, जिसके अन्दर हमारे अदने कर्मचारी से लेकर हमारे मंत्रीगण तक रहते हैं, अब इनके सब के रखरखाव, यह हमारी परिसम्पत्तियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ-साथ परिसम्पत्तियों का संरक्षण भी होना चाहिए परन्तु पिछली सरकार के समय 2003-04 में इनके परिवर्तन के लिए, परिवर्द्धन के लिए, मेंटीनेंस के लिए सिर्फ आठ करोड़ रुपये की राशि इन्होंने रखी थी और हमने इसको 2007-08 में पैंसठ करोड़ रुपये इसमें रखे हैं और 2008-09 में भी पैंसठ करोड़ रुपये और रखने की घोषणा मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो नि:शक्तजन हैं, 170 रैम्प बनाने का काम हम करेंगे। वह लोग जो प्रकृति और कुदरत की मार से पीड़ित हैं, सीढ़ियां चढ़कर किसी कार्यालय में जा नहीं सकते, ऐसे कार्यालय जहां आम व्यक्ति का आना जाना रहता है, जहां रैम्प नहीं हैं, 170 रैम्प बनाने का काम हम अगले वित्तीय वर्ष में हाथ में लेंगे।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, आज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, आज हरियाली समाप्त हो रही है, 38 सार्वजनिक उद्यान ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यहां तो खराब मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह किसने किया मेरे को बताओ।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मुझे एक बात तो लग रही है कि अमरारामजी अब इन लोगों के साथ ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। आज जिस तरह से हां भर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा दिन साथ नहीं रहेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वह जून में ही सलटा देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि यहां तो प्रदूषण खराब मत करो, दूषित मत करो, आप सुना करो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह आपके प्रदूषण से मुक्त होना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पर्यावरण की चिंता है यह चिंता भी विश्वव्यापी है और इसके लिए अभी दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सड़कों को चौड़ा करने के साथ, सड़कों का निर्माण करने के साथ पेड़ कटते हैं, निश्चित तौर पर कटते हैं। जहां विकास होता है वहां कुछ न कुछ बलिदान भी देना पड़ेगा। उसकी बात भी मैं आगे कहूंगा, आपकी भावना से मैं परिचित भी हूं पर यह हमारे पास 38 ऐसे सार्वजनिक उद्यान हैं जो पी डब्ल्यू डी की देखरेख में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने सिसोदिया रानी बाग़ जयपुर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर इसमें समितियों का गठन करके उन्हें सुपुर्द कर दिया, उससे होने वाली आय भी उसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर लगती है। पर जो बाकी हैं उसमें एक करोड़ रुपया आगामी वर्ष में इन उद्यानों की सिर्फ इनमें घास लगे, पौधे लगें और इनकी फैन्सिंग जहां टूटी हुई हो, चारदीवारी टूटी हुई हो और सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था हो उसके लिए करने की मैं घोषणा कर रहा हूं।

इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में अलवर के कम्पनी बाग़, जोधपुर के उम्मेद गार्डन व मंडौर गार्डन, चूरू के मणि पार्क व बीकानेर के पब्लिक पार्क के विकास के लिए प्रत्येक पार्क के लिए दस-दस लाख रुपये आबंटन करने की घोषणा मैं करता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): भरतपुर का भूल गये।

श्री उपाध्यक्ष: सब शामिल है इसमें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यहां मिसिंग लिंक की बहुत चर्चा हुई, यह भी सही है, शाश्वत सत्य भी है जहां लिंक मिस हो जाता है वहां उसकी पीड़ा भी बहुत होती है, अब इनका लिंक मिस हुआ तो सामने बैठे हैं पर इन्होंने उपाध्यक्ष महोदय, किया क्या। पिछली बार जब जा रहे थे आभास हो गया था इनको 263 करोड़ रुपये 2598 किलोमीटर सड़कें मिसिंग लिंक के नाम पर स्वीकृत कर गये। ना वित्तीय प्रबन्धन किया और सब जगह कह दिया कि यहां से यहां तक सड़क बनायेंगे। हमने उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी सदाशयता है कि इन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति निकाली उसके साथ वित्तीय प्रबन्धन नहीं किया, हमने उस बात को पूरा किया और 2007 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 300 करोड़ रुपये की दो हजार किलोमीटर सड़क की घोषणा की।

इस सारे काम को भी आज कई माननीय सदस्यों ने कहा कि काम कहीं प्रारम्भ नहीं हुआ है, काम कहीं धीरे चल रहा है, इस सारे काम को सितम्बर 2008 तक पूरा करने के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं, इसको हम पूरा करेंगे। मिसिंग लिंक के और प्रस्ताव भी माननीय सदस्यों से लेंगे, जल्दी लेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैंने चर्चा की है और मैं सदन की भावना से उन्हें अवगत भी कराऊंगा कि सभी माननीय सदस्यों की इच्छा है कि दस-दस किलोमीटर के प्रस्ताव और लिये जायें।

श्री अमराराम (धोद): बीस किलोमीटर के।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके प्रस्ताव आयेंगे तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निश्चित तौर पर उस पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां राष्ट्रीय राजमार्ग जो 5655 किलोमीटर है इसमें उन्नीस राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिसमें 1416 एन एच आई के पास हैं और 4239 किलोमीटर पी डब्ल्यू डी के पास हैं, 990 किलोमीटर के पांच मुख्य राजमार्गो को क्रमोन्नत करने का काम तीन साल पहले केन्द्रीय सरकार ने कर दिया। अब इनमें से उपाध्यक्ष महोदय, जो उन्नीस नेशनल हाइवे हैं जिनमें 145 किलोमीटर सिंगल लेन के हैं, 537 किलोमीटर इंटरमिडिएट लेन के हैं। अब इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्ड के अनुसार इनको दो लेन में बदलना है, 518 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। बार-बार, बार-बार हम केन्द्र सरकार को लिख रहे हैं पर केन्द्र सरकार ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई राशि नहीं दी।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन सड़कों की चर्चा हुई, बैठा-बैठा मैं लिख रहा था, उन सड़कों में आधे से ज्यादा नेशनल हाइवे की सड़कों की हुई और निश्चित तौर पर नेशनल हाइवे में इनकी मेंटीनैंस के लिए और पीरियोडिकल रिन्युअल के लिए हमें भारत सरकार पैसा देती है। इनकी उम्र भी तीन और चार साल निर्धारित कर रखी है। आज एक हजार पचास किलोमीटर का बैकलाग है, रिन्युअल मांग रही हैं, एक सौ पचास करोड़ की आवश्यकता है, प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित है और हमें 2007-08 में दिए हैं सिर्फ 43 करोड़ रुपये।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा हम भी कोशिश करेंगे, प्रतिपक्ष के नेता, सचेतकजी का और इनका प्रभाव है, हमारी कुछ मदद करें। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार मिसिंग लिंक देने की बात थी तो कोई राजनीतिक आधार पर नहीं दिये। सभी माननीय सदस्यों का जो चाहे पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, इनकी वरियता के अनुसार हमने लेकर किये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बारां, अकलेरा और कोटा, झालावाड़ यह सड़क एम डी आर से स्टेट हाइवे और फिर इसके बाद नेशनल हाइवे बनीं। इसकी क्रशसिकनैस कम है। इसके लिये भी समुचित राशि की हमें आवश्यकता है जो समुचित राशि नहीं मिल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सी आर एफ की बात चली। रामगढ़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की और धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने तो मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि चूरू के अन्दर ज्यादा काम हुए और सीकर के अन्दर कम काम हुए। अब मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं सीकर जिले के अन्दर सी आर एफ के अब तक 25 काम स्वीकृत हुए, 379 किलोमीटर और 35 करोड़ रुपये उन पर खर्च हुए और चूरू के अन्दर 27 काम हुए, 534 किलोमीटर सड़क और सिर्फ 55 करोड़ रुपये, मतलब कितना अंतर है। अब अगर मान लो वहां के जन प्रतिनिधि के नाते कोई 2, 4, 5 करोड़ के काम ज्यादा हो गये किसी जिले में और उसमें भी राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र से ज्यादा तारानगर, राजगढ़ और उधर काम हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां केन्द्रीय सड़क निधि का जिक्र भी हुआ और यह कहा गया कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्दर भी पिछली सरकार के समय राशि कम मिली, हमें राशि ज्यादा मिली। निःसंदेह राशि ज्यादा मिली और यह राशि भी किसी की कृपा से नहीं है। यह राशि भी उसी सैस का हिस्सा है। उसी सैस की साढ़े पन्द्रह परसेंट राशि सी आर एफ से आती है। उसमें जो हमारे फार्मूले के अनुसार हमें 728 करोड़ रुपये मिलने चाहिये थे और हमें अब तक मिले हैं 665 करोड़ रुपये। हमने खर्च कर दिये इसके अन्दर 670 करोड़ रुपये 514 काम और 2001 और 2001 से 2003 तक जो इन्होंने खुली छूट दे दी कितना ही माल भरो। एक गोल्डन टोकन दे दिया करते थे। भारत सरकार यह कह रही थी कि आप जितना टन गाड़ी पास है उससे ज्यादा ओवरलोड नहीं कर पायेंगे परन्तु इन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। उन्होंने हमारे 77 करोड़ रुपये की राशि रोकी जो आज तक दी नहीं इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आप हमारा सहयोग करें।

पर यह सही है कि आपके पांच वर्ष में आपने 193 करोड़ रुपये खर्च करके 3090 किलोमीटर सड़क बनायी सी आर एफ में और हमने इन चार वर्षों में 478 करोड़ रुपये खर्च करके 5277 किलोमीटर सड़क बनायी और इसी वित्तीय वर्ष में अभी 56 करोड़ की राशि हमें प्राप्त हुई है 251 किलोमीटर सड़क इसमें बनायेंगे, 21 कार्य हम स्वीकृत करेंगे। और उसके अन्दर कोई माननीय सदस्य के कार्य ऐसे रह जायेंगे तो निश्चित तौर पर वह मुझे प्रस्ताव देंगे तो उसमें शामिल करेंगे। सी आर एफ के तहत हम 56 करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपये की राशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे।

इसके अलावा जो इंटर स्टेट सड़कें हैं, इनके समय भी योजना थी, हमारे समय भी योजना है जो सी आर एफ का 10 परसेंट वह इसमें खर्च करते हैं। इनके पूरे पांच साल के कार्यकाल में इन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्च किया, 4 किलोमीटर सड़क बनायी और हमने इसमें 22.50 करोड़ रुपये खर्च करके 96 किलोमीटर सड़क बनायी और वित्तीय वर्ष 2008-09 में 15 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च करके 100 किलोमीटर की लम्बाई की अन्तरराज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण कराने का काम हम पूरा करेंगे।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस पांच-सात मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां कई तरह के आरोप लगे हैं। कहते हैं मंत्री घोषणा कर देते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने बजट में यह कह दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कांग्रेस के वित्त मंत्री के 2006-07 के भाषण की ओर। उन्होंने घोषणा की थी हरियाणा की सीमा से जयपुर तक 163 किलोमीटर, किशनगढ़ से गुजरात सीमा तक 425 किलोमीटर सड़क को चार लेन से छह लेन में बदला जायेगा। बदला गया ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने घोषणा की थी 2006 में दिल्ली से जयपुर एक्सप्रेस हाइवे बनेगा और मुझे कहने में संकोच नहीं कि सारी घोषणाएं हवाई साबित हुई। इसके अलावा रसद मंत्रीजी भी मुझे कई बार कहते हैं कि जयपुर सीकर का क्या हुआ यह जो चार लेन में बदलने और सिद्धान्ततः सहमति दो वर्ष पहले भारत सरकार ने दे दी। राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से सीकर, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 जयपुर-कोटा-झालावाड़, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर, राष्ट्रीय राजमार्ग 14 ब्यावर-पाली-सिरोही-पिण्डवाड़ा। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे स्वीकृति मिले हमें काफी समय हो गया, अब यह डी पी आर से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि एक तरह से राजस्थान के साथ अन्याय है।

मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जिस तरह का सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क के निर्माण के साथ-साथ, अच्छी सड़कों के साथ-साथ आटोमोबाइल्स की जिस तरह से क्रान्ति आयी है उदारीकरण के समय में आज वित्तीय संस्थाएं भी बहुत सस्ती दरों पर ऋण दे रही हैं। वाहनों की संख्या बढ़ी, दुर्घटना भी बढ़ी। अभी गृह मंत्रीजी कह रहे थे अपने उत्तर में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि प्रतिवर्ष आठ हजार से ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं राजस्थान में दुर्घटना की वजह से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्घटना सम्भावित सड़क मार्ग में तकनीकी सुधार कार्य के लिये आगामी वर्ष में 5 करोड़ की राशि के प्रावधान की घोषणा करता हूं। इस राशि से पूर्व में निर्मित सड़क पर ग्रेड सुधार, साइट दूरी सुधार, जंक्शन सुधार, ले-वाइज इसका सुधार एवं संकेत चिन्हों आदि के कार्य करवाये जायेंगे।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क का निर्माण होता है, सड़क की चौड़ाई भी करते हैं मजबूरन कई स्थानों पर वृक्ष भी कटते हैं। अब एक नयी योजना बना रहे हैं जिसकी घोषणा मैं कर रहा हूं। सड़क के निर्माण, कार्य स्थल और निर्धारित मानदंडों के अनुसार वृक्षारोपण सुनिश्चित करेंगे और भविष्य में जो भी ठेकेदार सड़क का चाहे निर्माण करे, चाहे सुदृढ़ीकरण करे वह पेड़ भी लगायेगा। हमारे एस्टीमेट में उसको शामिल करेंगे और जिस तरह मेंटीनेंस का क्लाज हमने डाला है उसी तरह तीन से पांच वर्ष का क्लॉज डालकर हम उसे पाबंद करेंगे वह पेड़ लगाकर उनके साथ सड़क को चौड़ा करेगा। पेड़ भी लगायेगा तीन से पांच साल में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा टेंडर प्रक्रिया और ई-टेंडरिंग का काम अब हम 1 करोड़ रुपये तक के टेंडर ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्यामजी, आप टेंडर प्रक्रिया पर मुस्कराए कैसे ? आप टेंडर प्रक्रिया पर जरा मुस्करा क्यों रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके लिये ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये एक करोड़ से अधिक की राशि के टेंडर ई-टेंडरिंग के माध्यम से स्वीकार किये जाने के लिये साफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। ई-टेंडरिंग व्यवस्था शत-प्रतिशत लागू करने की बात भी मैं करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यहां कई बातें चली। विशेष तौर पर कुछ सड़कों की बात भी हुई। यह बात भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां बड़े लम्बे समय से जो विभाग के अन्दर काम करने वाले सबसे छोटे पद पर बैठे हैं हमारे तकनीकी अधिकारी जो हमारे जे ईएन हैं, कनिष्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अभियन्ता हैं, निश्चित तौर पर 25-25 साल से एक भी पदोन्नति उनको मिली नहीं इसीलिये वन टाइम उनका प्रमोशन करके और इन सभी कनिष्ट अभियन्ताओं को एकमुश्त पदोन्नति करने की मैं घोषणा कर रहा हूं।

उसके अलावा मैं यह भी कह रहा हूं कि जो यह भ्रांति फैल रही है कि हमने यह करके इसके साथ-साथ हमारे जे ईएन के अन्दर डिप्लोमाधारियों का और उनका रास्ता बंद कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि यह सही है कि पिछले 12 वर्षों में राजस्थान के अन्दर चाहे इनकी सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो एक भी जे ईएन भर्ती नहीं हुई और यह जो एकमुश्त योजना के अन्तर्गत जो 278 पोस्ट थीं उनको अपग्रेड करके हम जे ईएन की पोस्ट जरूर कर रहे हैं। फिर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जे ईएन की पोस्ट को डाईंग काडर कर रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से जो डिप्लोमाधारी और दूसरे हमारे बंधु आन्दोलनरत हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की कतई मंशा नहीं है कि किसी भी कैडर को हम डाईंग काडर करें। चूंकि अब 25-25 वर्षों से जो लोग प्रमोशन के लिये बांट जोह रहे थे उनको एकमुश्त प्रमोशन दे रहे हैं इसलिये एक बार इन पोस्ट्स को हम जरूर अपग्रेड कर रहे हैं। भविष्य में इस बात का हम निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य जो यहां पर नहीं हैं मैं समझता हूं कि उनकी इस बात का मैं उत्तर दूं। (व्यवधान) भृतहरि से आने वाली सड़क की बात आपने कही। इसके लिये हमारी राशि स्वीकृत है। फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस काम को रोक रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको करें।

दूसरा, यहां 88 जो पी एच क्यू हैं ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट का आप वह कागज दे सकते हैं क्या कि जिसमें रोक लगायी है फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): निश्चित तौर पर मैं कल विधान सभा में आऊंगा ... (व्यवधान) कर जाऊंगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्योंकि 1947 से पहले की यह सड़कें बनी हुई हैं। फोरेस्ट तो अतिक्रमण कर रहा है। क्या अधिकार है ?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय मंत्री महोदय, मेरे

विधान सभा क्षेत्र में एक है ऐसा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी सड़कें वन विभाग के कारण से रुकी हुई हैं। मैं एक महीने के अन्दर इन सारी सड़कों की समीक्षा हमारे प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण और प्रमुख शासन सचिव, वन से बैठकर कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि हम भारत सरकार के नियम और सर्वोच्च न्यायालय के फैंसले का आदर करते हुए किस तरह रास्ता निकालें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी घोषणा कर रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर एक भी ऐसा पंचायत हैड क्वोटर नहीं बचेगा, 88 पंचायत हैड क्वार्टर बचे थे जिनकी स्वीकृति या तो हमने निकाल दी है। वरना एक सप्ताह के अन्दर सारे पंचायत हैड क्वार्टर जो बचे हैं उनकी स्वीकृति निकाल कर राजस्थान में शत-प्रतिशत सड़कों से हम पंचायत हैड क्वोटर को जोड़ देंगे। उनकी स्वीकृति निकालकर राजस्थान में शत-प्रतिशत पंचायत हैड क्वार्टर को सड़कों से हम जोड़ देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने 6 किलोमीटर मिसिंग लिंक की बात की थी, यह निश्चित रूप से स्टेट हाइवे में है, मैं आगामी प्रस्ताव जो सीआरएफ के जायेंगे उसमें इसको शामिल करके इसको भी निश्चित समयावधि में बनाकर इस काम को भी पूरा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी बात चली कि पीएमजीएसवाई बड़े-बड़े ... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सारा बजट आप धोद ही धोद को ही दे रहे हैं, क्या बात है यह?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी धोद में क्या है कि माननीय राठौड़ साहब गये थे वहां पर लगभग 11 ऊंट, 20 घोड़े थे, राठौड़ साहब को एक ऊंट पर बैठाकर के घुमाया गया और एक घंटे तक ढोल बजाया गया इसलिए धोद पर इनकी मेहरबानी हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): निश्चित रूप से यह हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष: आप थे क्या वहां?

श्री अमराराम (धोद): आपको भी ऊंट पर चढ़ाया था, आप क्या कर

रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी चर्चा चली कि बड़े-बड़े ठेकेदार, बड़े-बड़े ग्रुप जो बड़े ठेके लेते हैं और उसके बाद सबलेट करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की गाइड लाइन प्रधान मंत्री सड़क योजना में है, यह जिस तरह की गाइड लाइन है और यह जो सीआरएफ के काम हैं और जो नेशनल हाइवे के काम हैं हम तो यहां से प्रस्ताव भेजते हैं, उनको सैंक्शन भारत सरकार करती है। और जिस तरह से वह सैंक्शन करते हैं उसके अंदर जिस तरह से वह बना देते हैं उससे छोटा करने का अधिकार हमारा नहीं है और प्रधान मंत्री सड़क योजना में भी एक करोड़ से ऊपर का होना चाहिए तब टेंडर का पैकेज होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने लगा रखा है लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबलैटिंग की जो भी कार्यवाही है इस कार्यवाही पर मैं भी निगाह रखूंगा और हमारा विभाग भी निगाह रखेगा और कोई भी शिकायत आयेगी उसमें निश्चिित रूप से कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने राजस्थान के मजबूत सड़क तंत्र और राजस्थान में जो निर्माण की गतिविधियां चली हैं उसके बारे में आपके माध्यम से राजस्थान की अवाम को अवगत कराया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कहता, यह विश्व बैंक कहता है, यह मैं नहीं कहता यह भारत सरकार कहती है, यह मैं नहीं कहता यह वह संस्थाएं जो आधारभूत संरचनाओं में राजस्थान कहां खड़ा है उनका मूल्यांकन करती हैं, वह संस्थाएं कहती हैं, आज राजस्थान ने आधारभूत संरचनाओं और सड़कों के अंदर जिस तरह की छलांग लगायी है, आज उसी का परिणाम है कि एक लाख 67 हजार करोड़ का निवेश इस राजस्थान की धरती पर आ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि अब वह बात चली गयी जब राजस्थान का सड़क तंत्र बीमारू था, आज राजस्थान का सड़क तंत्र बड़ी मजबूती के साथ विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर के खड़ा है और हिन्दुस्तान की पहली पायदान पर खड़ा है इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि आप मांग संख्या 19 और मांग संख्या 21 को पारित करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): कृषि उपज मंडी की सड़कों को भी

आप विभाग में ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपदा प्रबंधन का पैसा आठ महीने हो गये हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन का ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न है कि कृषि उपज मंडी की सड़कें आप विभाग में ले लें, पी.डब्ल्यू.डी. में इस पर भी आप वक्तव्य दे दें ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): लोग बड़े परेशान हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी बात को प्रारम्भ करने से पहले ही कहा था कि मैं आज की पूरी कार्यवाही का अध्ययन करूंगा, कटमोशन के माध्यम से जो मेरे पास माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आये हैं उनका अध्ययन करूंगा। इसमें जहां काम में विलम्ब हुआ है, जहां काम की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, इन सबकी जांच एक महिने के अंदर-अंदर हमारे मुख्य अभियंता नेशनल हाइवे करेंगे और माननीय सदस्यों को भी अवगत करायेंगे। चाहे विलम्ब से काम किया हो, चाहे गुणवत्ता की बात हो।

मांग का पारण

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19- लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,45,24,93,000/- (तीन अरब पैंतालीस करोड़ चौबीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21- सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,60,27,67,000/-(तेरह अरब साठ करोड़

(श्री उपाध्यक्ष)

सत्ताइस लाख सड़सठ हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.45 बजे गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 के

अनुपस्थिति सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

महिला प्रचेताओं की मुख्य सेविका पद पर पदोन्नति

111. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा महिला अधिकारिता विभाग का पृथक गठन किया गया है?

(2) यदि हां, तो क्या इस विभाग में कार्यरत प्रचेताओं को नियमित राज्य कर्मचारी माना गया है? यदि हां, तो क्या इन्हें राज्य कर्मचारियों के समकक्ष परिलाभों यथा, वर्ष 9, 18, 27 के चयनित वेतनमान पेंशन परिलाभ, जी.पी.एफ. कटौती पर ब्याज, राज्य बीमा आदि का लाभ देय हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार के अन्य विभागों की तरह इनके भी विभागीय पदोन्नति नियम हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के जब नियम बनाए गए थे, तो प्रचेताओं के कुछ प्रतिशत को मुख्य सेविकाओं में पदोन्नति करने का प्रावधान भी किया गया था? यदि हां, तो उक्त नियम पालना में आज तक कितनी पदोन्नतियां दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार महिला अधिकारिता विभाग की प्रचेताओं की पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन 14.6.2007 से किया गया।

(2) जी नहीं। जिला महिला विकास अभिकरणों में सृजित प्रचेता के पद पर नियुक्ति राजस्थान सिविल सेवा (महिला विकास परियोजना के परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विशेष चयन तथा सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार पैतृक विभाग/सेवा से अस्थायी स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर या संविदा पर किया जाता है। ऐसी प्रचेताओं को जो प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उन्हें पैतृक विभाग/सेवा के अनुसार परिलाभ देय हैं लेकिन जिला महिला विकास अभिकरणों द्वारा जो प्रचेतायें तदर्थ/अस्थायी आधार पर नियुक्त की गई हैं,

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

उन्हें राज्य कर्मचारियों के समकक्ष परिलाभ यथा इन्हें वर्ष 9, 18, 27 का चयनित वेतनमान, पेंशन परिलाभ, जी.पी.एफ. कटौती पर ब्याज, राज्य बीमा लाभ देय नहीं है क्योंकि ये प्रचेता राज्य कर्मचारी नहीं हैं, ये सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था जिला महिला विकास अभिकरण के कर्मचारी हैं।

(3) प्रचेता के पर चयन राजस्थान सिविल सेवा (महिला विकास परियोजना के परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विशेष चयन तथा सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1984 के तहत् किया जाता है। उक्त पद प्रतिनियुक्ति का होने के कारण सम्बन्धित कार्मिक के पैतृक विभाग द्वारा ही उनके नियमों के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जाती है। उक्त नियमों में पदोन्नति का प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग (राज्य और अधिनस्थ) सेवा नियम, 1998 के परिशिष्ट-II में मुख्य सेविका के पद पर 25 प्रतिशत सीधी भर्ती से लिये जाने का प्रावधान किया गया था तथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होकर कार्यरत प्रचेताओं को पात्र बनाया गया था। किन्तु मुख्य सेविकाओं के पद दिनांक 1.3.2000 को समाप्त होने के कारण उक्त प्रावधान का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

(5) राजस्थान सिविल सेवा (महिला विकास परियोजना के परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों का विशेष चयन तथा सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1984 के तहत् प्रचेता का पद अस्थाई स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर या संविदा के आधार पर भरा जाने वाला पद है। इन नियमों में पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा पेराफेरी की पंचायतों को आबंटित राशि

115. श्री सुभाष चन्द बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा पेराफेरी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के विकास हेतु राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किन-किन पंचायतों को किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि न्यास के स्वयं कार्यकारी संस्था होने के बावजूद पंचायतों को विकास हेतु आबंटित राशि के उपयोग के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों को ही कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) संलग्न सूची अनुसार परिधीय क्षेत्र की संरचनाओं में लिंक रोड एवं शमशान के सीमांकन एवं विकास के कार्य न्यास द्वारा स्वीकृत किये गये है तथा निष्पादन हेतु कार्यकारी एजेन्सी के रूप में कार्य निष्पादन के लिए ग्राम पंचायतों को सामयिक राशि दी जाएगी।

(2) नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा में वर्तमान में तीन कनिष्ट अभियन्ताओं के पद रिक्त हैं तथा मात्र दो ही कनिष्ट अभियंता न्यास में कार्यरत हैं जो भी शहरीकरण सीमा के लिये पर्याप्त नहीं हैं अतएव कार्य निष्पादन हेतु कार्यकारी संस्था पंचायतों को बनाया गया है। उपरोक्त समस्त कार्य न्यास के वरिष्ठ अभियन्ताओं के पर्यवेक्षण में ही सम्पादित किये जायेंगे।

कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

न्यास द्वारा परिधिय क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	पंचायत	कार्यकारी संस्था	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1	भीलवाड़ा मुख्य सड़क से पांसल तक सी.सी. लिंक रोड	पांसल	ग्राम पंचायत पांसल	5.00

1	2	3	4	5
2	शमशान घाट एवं चारदिवारी निर्माण, पांसल	पांसल	ग्राम पंचायत पांसल	3.00
3	गठीला खेड़ा सी.सी. लिंक रोड आटूण भीलवाड़ा	आटूण	ग्राम पंचायत आटूण	3.00
4	काणोली सी.सी. लिंक रोड भीलवाड़ा फोरलेन	आटूण	ग्राम पंचायत आटूण	2.00
5	नया समेलिया सी.सी. लिंक रोड	आटूण	ग्राम पंचायत आटूण	5.00
6	शमशान घाट धूलखेड़ा	मालोला	ग्राम पंचायत मालोला	3.19
7	शमशान घाट जिपिया खेड़ी	मालोला	ग्राम पंचायत मालोला	3.19
8	सी.सी. लिंक रोड, नारायणपुरा	मालोला	ग्राम पंचायत मालोला	2.00
9	सी.सी. लिंक रोड, जोधरास	मालोला	ग्राम पंचायत मालोला	3.00
10	यादव मोहल्लों से लिंक रोड फोरलेन से जोधरास	मालोला	ग्राम पंचायत मालोला	2.00
11	सी.सी. लिंक रोड, मालोला	मालोला	ग्राम पंचायत मालोला	3.00
12	स्वरूपगंज सी.सी. लिंक रोड, गुवारडी	स्वरूपगंज	ग्राम पंचायत स्वरूपगंज	3.00
13	सी.सी. लिंक रोड, स्वरूपगंज से मेन रोड	स्वरूपगंज	ग्राम पंचायत स्वरूपगंज	3.00
14	शमशानघाट निर्माण स्वरूपगंज	स्वरूपगंज	ग्राम पंचायत स्वरूपगंज	2.00
15	सी.सी. लिंक रोड, पालडी आर.सी. व्यास से	आरजिया	ग्राम पंचायत आरजिया	2.00
16	सी.सी. लिंक रोड, हाइवे से भदालीखेड़ा	आरजिया	ग्राम पंचायत आरजिया	2.00
17	सी.सी. लिंक रोड हाइवे से हीराजी का खेड़ा	आरजिया	ग्राम पंचायत आरजिया	2.00

1	2	3	4	5
18	सी.सी. लिंक रोड, सोलबीधा से भीलवाड़ा रोड से	आरजिया	ग्राम पंचायत आरजिया	2.00
19	शमशान घाट निर्माण आरजिया	आरजिया	ग्राम पंचायत आरजिया	2.00
20	सी.सी. लिंक रोड माधोपुर से हाइवे मण्डपिया (भोली)	भोली	ग्राम पंचायत भोली	2.00
21	सी.सी. लिंक रोड भीलवाडा हरणी महादेव रोड से (माधोपुरा)	भोली	ग्राम पंचायत भोली	2.00
22	सी.सी. लिंक रोड भीलवाडा मेन रोड से (रेलवे फाटक से मण्डपिया)	भोली	ग्राम पंचायत भोली	2.00
23	शमशान घाट निर्माण कार्य मण्डपिया	भोली	ग्राम पंचायत भोली	2.00
24	शमशन घाट निर्माण कार्य माधोपुरा	भोली	ग्राम पंचायत भोली	2.00
25	चारदिवारी निर्माण शमशान घाट सुवाणा (तलाब के पीछे)	सुवाणा	ग्राम पंचायत सुवाणा	3.77
26	शमशान घाट पर टिन शेड निर्माण (तलाब के पीछे)	सुवाणा	ग्राम पंचायत सुवाणा	1.25
27	कोटा रोड से सुवाणा सी.सी. लिंक रोड	सुवाणा	ग्राम पंचायत सुवाणा	4.00
28	ईरास से हलेड सी.सी. लिंक रोड	सुवाणा	ग्राम पंचायत सुवाणा	3.00
29	सी.सी. लिंक रोड निर्माण आर.सी. व्यास से	पालडी	ग्राम पंचायत पालडी	2.00
30	सी.सी. लिंक रोड नाली निर्माण विस्तार गोविन्दपुरा	पालडी	ग्राम पंचायत पालडी	2.00

1	2	3	4	5
31	सार्वजनिक शमशान घाट विकास कार्य पालडी	पालडी	ग्राम पंचायत पालडी	1.87
32	सार्वजनिक शमशान घाट विकास कार्य गोविन्दपुरा	पालडी	ग्राम पंचायत पालडी	1.70
33	सार्वजनिक शमशान घाट विकास कार्य तेलीखेड़ा	पालडी	ग्राम पंचायत पालडी	1.70
34	सबलपुरा से माधोपुर जाने पर रास्ता लिंक रोड व पुलिया निर्माण	हलेड	ग्राम पंचायत हलेड	4.00
35	शमशान घाट हलेड की चारदिवारी का निर्माण	हलेड	ग्राम पंचायत हलेड	5.00
36	मेन हाइवे से बिलियाकलां सी.सी. लिंक रोड	खेराबाद	ग्राम पंचायत खेराबाद	5.00
			योग	**97.67**

सवाई मानसिंह सेंचुरी (सवाईमाधोपुर) हेतु आबंटित राशि

116. श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर में राज्य अभ्यारण्य सवाई मानसिंह सेंचुरी हेतु कहां से कहां तक की कुल कितनी वन सीमा शामिल की गई व कुल कितना क्षेत्र कम किया गया है? मय वन सीमा के मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सवाई मानसिंह सेंचुरी में गत तीन वर्षों में क्या-क्या कार्य स्वीकृत करवाये गये? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सेंचुरी में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में क्या-क्या कार्य स्वीकृत कर करवाये जा रहे हैं? उक्त कार्यो को करवाने हेतु कार्य एजेन्सी का नाम कार्यवार व्यय राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कराये गये कार्यों में श्रमिक पेटे एवं सामग्री पेटे जिसमें बजरी सीमेंट पत्थरों का विवरण पृथक-पृथक दर्शाते हुए कार्यवार व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक बैरवा)

(5) उक्त सेंचुरी को विकसित करने एवं पर्यटन की दृष्टि से शामिल करने हेतु क्या-क्या कार्य/योजनाएं सरकार की हैं? इस हेतु क्या-क्या कार्य करवाये जा रहे हैं? साथ ही क्या सेंचुरी से जुडें ग्रामों को सरकार इको ट्यूरिज्म में शामिल करते हुए ग्रामीणों को भी रोजगार प्रदान करने एवं अन्य विकास कार्य करने का विचार रखती है? कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह अभयारण्य, सवाई माधोपुर जिले में तहसील खण्डार एवं सवाई माधोपुर के 113.07 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र में स्थित है। इसकी सीमाओं का विवरण परिशिष्ट 'क' पर मय मानचित्र के संलग्न है। इस अभयारण्य के क्ष्ोत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(2) सवाई मानसिंह अभयारण्य में गत तीन वर्षों में स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) उक्त अभयारण्य में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में स्वीकृत कर करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण एवं एजेन्सी का नाम परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(4) उक्त कार्यों में से तीन कार्यों में सामग्री पेटे पत्थर, बजरी, सीमेन्ट आदि उपयोग में लिये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है।

(5) रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के सवाई मानसिंह अभ्यारण्य में 260 हैं. वन क्षेत्र में टाइगर सफारी बनाने हेतु एक योजना तैयार कर राज्य वन जीव मण्डल से अनुमोदित करा ली गई है। इस योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल एवं सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त की जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सवाई मानसिंह अभ्यारण्य के सवाई माधोपुर शहर के समीपस्थ वन क्षेत्र को विकसित किया जाकर पर्यटकों हेतु खोला गया है।

इसके अतिरिक्त सवाई मानसिंह अभ्यारण्य में ईको-ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु 400 हैक्टेयर क्षेत्र में नीमली बालास बायोडायवरसिटी क्लोजर का विकास किया जा रहा है।

उपरोक्त ईको-ट्यूरिज्म गतिविधियों से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फुलेरा के धार्मिक/पर्यटन स्थलों के विकास पर व्यय

117. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सांभर कस्बे में स्थित देवयानी सरोवर, सांभर झील व इसके आसपास का क्षेत्र, ज्वाला माता, मंदिर जोबनेर आदि धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है?

(2) सरकार द्वारा गत 5 वर्षो में उक्त क्षेत्र में पर्यटन विकास की दृष्टि से कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कहां-कहां कितनी राशि के कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त क्षेत्र में वर्तमान व आगामी वर्ष में क्या-क्या कार्य कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर कस्बे में स्थित देवयानी सरोवर के संरक्षण व जीर्णोद्धार हेतु 122.60 लाख राशि की वृहद परियोजना तैयार करवाई गई है।

(2) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा प्रथम चरण में देवयानी सरोवर के संरक्षण व जीर्णोद्धार के निम्नलिखित कार्य करवाये जा रहे हैं :-

1. कुण्ड के किनारे पर स्थित बारादरी का जीर्णोद्धार कार्य।

2. कुण्ड के क्षतिग्रस्त प्लास्टर व सीढ़ियों का मरम्मत कार्य।

3. नावा रोड स्थित ½ कि.मी. नाले को पक्का करना, जिससे आस-पास का बरसाती पानी कुण्ड में आ सके।

उक्त कार्यो के लिये 29.74 लाख का कार्य आदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2007 को जारी किया जा चुका है। पर्यटन विभाग द्वारा 07.00 लाख रुपये की राशि का हस्तान्तरण दिनांक 22.02.2008 को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को किया गया है। इस प्रकार कुल राशि 36.74 लाख में से अब तक 12.00 लाख के कार्य हो चुके हैं।

(3) बिन्दु सं. 02 में वर्णित कार्य मार्च 2008 तक करवाये जायेंगे।

बारां जिले हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत व्यय राशि

118. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में विगत दो वर्षों में केन्द्र प्रवर्तित योजना द्वारा कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से कितने-कितने परिवार लाभान्वित हुये?

उत्तर

(1) बारां जिले में विगत 2 वर्षों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत समितिवार/कार्यवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वितों की इकाई परिवार नहीं है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माता तथा किशोरी बालिका को लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2005-06 में जिले में औसतन 69,252 बच्चों/माताओं तथा वर्ष 2006-07 में औसतन 93,370 बच्चों/माताओं को प्रतिदिन पूरक पोषाहार एवं अन्य आई.सी.डी.एस. सेवाओं से लाभान्वित किया गया है।

बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 में 44 एवं 2006-07 में 154 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल 3200 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

परिशिष्ट 'अ'

(राशि लाखों में)

गतिविधि/कार्य का नाम	वर्ष 2005-06								
	कार्यालय/बाल विकास परियोजना का नाम								
	जिला बारां	बारां	शाहबाद	छबडा	किशनगंज	अन्ता	अटरू	छिपा बडौद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ) प्रशासनिक व्यय 1. वेतन भत्ते	8.37	12.38	8.41	6.46	8.28	4.91	3.22	6.28	58.31
2. मानदेय	0.00	13.96	16.50	15.33	20.61	21.42	17.94	17.78	123.54
3. अन्य भत्ते	9.74	3.28	2.86	2.22	3.87	4.64	2.84	4.06	33.51
4. प्री-स्कूल किट	3.53								3.53
5. मेडिसिन किट	4.57								4.57
6. आ.बा. स्थाई सामग्री	3.17								3.17
7. आई.ई.एस. सामग्री	1.52								1.52
योग (अ)	**30.90**	**29.62**	**27.77**	**24.01**	**32.76**	**30.97**	**24.00**	**28.12**	**228.15**
(ब) पूरक पोषाहार व्यय	0.06	36.26	44.41	39.29	52.77	56.82	47.89	47.18	324.68
(स) किशोरी शक्ति योजना	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
बालिका समृद्धि योजना	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.19	0.02	0.00	0.22
सकल योग	**30.96**	**66.16**	**72.18**	**63.31**	**85.53**	**87.98**	**71.91**	**75.30**	**553.33**

गतिविधि/कार्य का नाम	वर्ष 2005-06								
	कार्यालय/बाल विकास परियोजना का नाम								
	जिला बारां	बारां	शाहबाद	छबड़ा	किशनगंज	अन्ता	अटरू	छिपा बडौद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 2006-07									
(अ) प्रशासनिक व्यय 1. वेतन भत्ते	10.98	13.50	6.71	5.77	10.53	6.38	4.37	6.97	65.21
2. मानदेय	0.00	15.15	16.68	18.44	23.33	22.87	19.01	20.35	135.83
3. अन्य भत्ते	7.52	3.16	2.45	3.93	3.53	3.19	2.58	4.89	31.25
4. प्री-स्कूल किट	3.81								3.81
5. मेडिसिन किट	4.80								4.80
6. आ.बा. स्थाई सामग्री	17.07								17.07
7. आई.ई.एस. सामग्री	0.00								0.00
योग (अ)	**44.18**	**31.81**	**25.84**	**28.14**	**37.39**	**32.44**	**25.96**	**32.21**	**257.97**
(ब) पूरक पोषाहार व्यय	0.14	55.15	56.74	47.79	67.78	73.10	61.76	65.36	428.12
(स) किशोरी शक्ति योजना	0.00	0.90	0.00	0.57	0.00	0.10	0.82	0.56	2.95
बालिका समृद्धि योजना	0.00	0.19	0.00	0.04	0.00	0.32	0.00	0.00	0.55
सकल योग	**44.32**	**88.05**	**82.58**	**76.54**	**105.17**	**106.26**	**88.54**	**98.13**	**689.59**

नोट :- पूरक पोषाहार मद अंतर्गत भारत सरकार के अनुसार निर्धारित मानदण्ड का 50 प्रतिशत अथवा वास्तविक व्यय, जो कम हो, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

बाड़मेर जिले के बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत ऋण

119. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को कम से कम लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? पिछले पांच वर्षों में कितने बेरोजगारों को इस योजना का लाभ दिया गया? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना में बाड़मेर जिले के बेरोजगारों के साथ बैंक अन्याय कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बाड़मेर जिले के बेरोजगारों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उचित लाभ दिलवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। पिछले पांच वर्षों में 1462 बेरोजगारों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है। वर्षवार सूची परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में बाड़मेर जिले में 475 अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी, 2008 तक 424 अभ्यार्थियों को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृतियां जारी कर 222 अभ्यार्थियों को ऋण वितरण किया जा चुका है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागौर जिले की शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद

120. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में कुल कितनी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठशालायें संचालित हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित पाठशालाओं में कुल कितने पद सृजित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त राजकीय पाठशालाओं में लम्बे समय

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

से अनेकों पद रिक्त पड़े हैं? यदि हां, तो कितने-कितने व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में वर्तमान में संचालित 116 उच्च प्राथमिक, 23 माध्यमिक तथा 12 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का स्थानवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) उक्त संचालित विद्यालयों में सृजित पदों का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्मिलित है।

(3) उक्त राजकीय विद्यालयों में रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्मिलित है।

(4) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों को नियुक्त किया जा रहा है तथा शेष रिक्त रहने वाले पद राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर प्राथमिकता से भर दिये जावेंगे।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तारांकित प्रश्न संख्या-121

(स्थगित)

पावती वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ पद पर कार्यरत पशुपालन अधिकारी

122. **श्री कान्ती प्रसाद मीणा** (थानागाजी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में अधिकतर अधिकारी पावती वेतन श्रृंखला में वरिष्ठ पदों पर बिना किसी पदोन्नति के कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो किस संवर्ग में एवं कौन-कौन अधिकारी स्वयं के निर्धारित पदों पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त व्यवस्था को समाप्त कर अस्थायी रूप से अधिकारियों को उनके पदों पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में वर्तमान में 206 अधिकारी पावती वेतन श्रृंखला में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

पद नाम (जिस पर अधिकारी पावती वेतन श्रृंखला में कार्यरत है)		पावती वेतन श्रृंखला में कार्यरत अधिकारियों की संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक	02
2.	संयुक्त निदेशक	08
3.	उप निदेशक	36
4.	सहायक निदेशक	80
5.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	80

(2) पशुपालन विभाग के राज्य सेवा के सेवा नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है, तत्पश्चात नियमित पदोन्नति से पदों पर अधिकारियों को नियुक्त किया जावेगा।

नगर परिषद् क्षेत्र श्रीगंगानगर में पेचवर्क कार्यों में व्याप्त अनियमितताएं

123. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दीपावली पर्व (2007) के बाद नगर परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा शहर में सड़कों के पेचवर्क कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो कितनी राशि के?

(2) उक्त पेचवर्क कार्यों के लिए कितनी राशि का भुगतान ठेकेदारों को किया गया।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी पेचवर्क 15 दिन बाद ही क्षतिग्रस्त हो गये हैं?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त पेचवर्क के घटिया निर्माण की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो इस जांच का क्या नतीजा रहा?

उत्तर

(1) जी हां। नगर परिषद् श्रीगंगानगर द्वारा पेचवर्क हेतु 3484954/-

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

रुपये एवं पेवर सड़कों के निर्माण जिसमें पेचवर्क का कार्य भी शामिल है, करने हेतु 6451129/- रुपये कुल राशि 99,36,083/- रुपये के कार्यादेश जारी किये गये हैं।

(2) खण्ड एक में वर्णित कार्यों हेतु संवेदक को क्रमशः 3034909/- एवं 1319476/- रुपये कुल राशि 4354385/- रुपये का भुगतान किया गया है।

(3) जी नहीं। कुछ स्थानों पर कार्य के दौरान वर्षा होने या मौसम परिवर्तन होने के कारण नव निर्मित पेचवर्क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन क्षतिग्रस्त पेच वर्क को दुरुस्त करने हेतु संवेदक को जरिये नोटिस आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(4) जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा इसकी जांच के आदेश दे दिये गये हैं। रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी।

चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले के वन क्षेत्र के निवासियों के कब्जों का नियमन

124. **श्री अशोक कुमार नवलखा** (निम्बाहेड़ा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ एवं जिला प्रतापगढ़ में कितने गांव/मजरे व ढाणियां, वन आरक्षित भूमि में बसे हुए हैं? ऐसे गांवों/मजरे व ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा ऐसे गांवों/मजरों व ढाणियों को नियमित करने हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में पूर्ण रूप से वन भूमि पर बसे ग्रामों एवं आंशिक रूप से वन भूमि पर बसे ग्रामों की जिलेवार सूची क्रमशः परिशिष्ट ''क'' एवं परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(2) ऐसे मामलों में अनुसूचित और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट–क

जिलेवार आरक्षित वन भूमि पर बसे ग्रामों की सूची

क्र.सं.	जिला	वन खण्ड का नाम	आरक्षित वन भूमि पर बसे ग्रामों का नाम
1	प्रतापगढ़	पांचा गुड़ा आरक्षित वन	मुण्डला
			धौलिया
		नांगलिया आरक्षित वन	नांगलिया
			गुजरपनवा
		सीतामाता आरक्षित	जूणीरणा
			खेड़ारणा
			रकावतो का खेड़ा
			कैली
		आम्बारेटी आरक्षित वन	जाम्बूमगरा
		पाल आरक्षित वन	बलालियां
			मोग्या आम्बा
			कालिया आम्बा
			धावड़ी घाटा
		भैंवा आरक्षित वन	फूटीतलाई
			भूरीतलाई
			लडा
			भुतिया
			केली
			खेरवेली
		कटेड भटीयानी आरक्षित वन	कटेड
2.	चित्तौड़गढ़	पाड़ाझर आरक्षित वन	टाउनशिप
			सैडलडेम ढाणी
		कालाखेत मय हाथीपगा आरक्षित वन	आमलिया
			झोपड़ा
		कोलगढ़ आरक्षित वन	नलीखेड़ा

परिशिष्ट-ख

जिलेवार आंशिक रूप से आरक्षित वन भूमि पर बसे ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिला	वन खण्ड का नाम	आरक्षित वन भूमि पर बसे ग्रामों का नाम
1	प्रतापगढ़	सीतामाता आरक्षित वन	रणा
		भैवा आरक्षित वन	जाम्बुवेला
		भैंवा आरक्षित वन	अनुपपुरा
			खैरवेली
		पाल आरक्षित वन	पाल
			खलैड
			माण्डकला
		भैवा आरक्षित वन	भैवा

सीकर जिले में मरु प्रसार रोक परियोजना हेतु अंशदान

125. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री अशोक बैरवा** 'खण्डार' (खण्डार) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मरु प्रसार रोक परियोजना (हरियाली स्पेशल) राजस्थान के किस-किस जिले में चल रही है?

(2) सीकर जिले में उक्त परियोजना के तहत वर्ष 2007-08 में कितने श्रमिक कार्य पर रहे तथा उन्हें कितना भुगतान किया जा चुका एवं कितना भुगतान बकाया है?

(3) बकाया भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है? बकाया भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

(4) इस परियोजना के तहत् केन्द्र एवं राज्य सरकार का कितना-कितना अंशदान है? क्या सरकार ने अपना अंशदान दे दिया? यदि हां, तो कब व नहीं, तो कितना अंशदान बाकी है?

उत्तर

(1) मरू प्रसार रोक परियोजना बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली एवं सीकर जिले में चल रही है।

(2) सीकर जिले में वर्ष 2007-08 में मरू प्रसार रोक परियोजना के

(ग्रामीण विकास मंत्री)

अन्तर्गत 16215 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। श्रमिकों को रुपये 265.38 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा रुपये 463.316 लाख का भुगतान शेष है।

(3) भारत सरकार से लम्बित क्लेम की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण बकाया भुगतान नहीं किया जा सका। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान किया जाना सम्भव होगा।

(4) परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत लागत की 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में वहन की जाती है।

जी हां। भारत सरकार ने आदिनांक प्राप्त राशि के पेटे राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान रिलिज किया जा चुका है।

नादौती तहसील (करौली) में घरेलू विद्युत कनेक्शन के लम्बित प्रकरण

126. **श्री बत्तीलाल** (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती के अधिकतर गांवों के उपभोक्ताओं ने घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया है व डिमाण्ड नोटिस की राशि भी जमा करा रखी है?

(2) क्या यह भी सही है कि नादौती तहसील के ग्राम दलपुरा, कुजेला, बूखाड इत्यादि गांवों में डिमाण्ड नोटिस राशि जमा कराये एक वर्ष हो जाने के पश्चात् भी कनेक्शन नहीं दिये गये? यदि हां, तो क्या सरकार उन उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील नादौती के 879 आवेदन घरेलू कनेक्शन दिये जाने हेतु विचाराधीन हैं जिनमें से 314 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि भी जमा करा दी गई है।

(2) जी हां। उक्त सभी मांग पत्र जमा आवेदकों के कनेक्शन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत दिये जावेंगे जिसकी स्वीकृति भारत सरकार/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से अपेक्षित है।

चित्तौड़गढ़ जिले के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

127. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं व कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित/भवन युक्त/सरकारी भवन में संचालित/किराये के भवन में संचालित हैं? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु शीघ्र भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में किस-किस आंगनबाड़ी केन्द्र में कार्यकर्ता/सहायिका सहयोगिनी का चयन किया जाना बकाया है?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 1954 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 293 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। जिले में एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित नहीं है। जिले में 804 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में, 171 आंगनबाड़ी केन्द्र अन्य सरकारी/सामुदायिक भवनों में तथा शेष 979 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 293 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में लगभग 40 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इनके भवन निर्माण का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जा रहा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में आंगनबाड़ी सहायिका के 3 तथा सहयोगिनी के 16 चयन किया जाना बकाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सभी पद भरे हुए हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत केन्द्र		कार्यरत केन्द्र		सरकारी भवन				किराये के भवन		कुल योग	
		AWC	MAWC	AWC	MAWC	AWC		MAWC		AWC	MAWC	AWC	MAWC
						विभागीय भवन	अन्य सरकारी भवन	विभागीय भवन	अन्य सरकारी भवन				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	अरनोद	160	17	160	17	108	0	0	0	52	17	160	17
2	भदेसर	118	24	118	24	27	10	0	0	81	24	118	24
3	बड़ी सादड़ी	92	48	92	48	67	5	0	0	20	48	92	48
4	बेगूं	137	21	137	21	39	12	0	0	86	21	137	21
5	भैंसरोडगढ़	103	19	103	19	42	16	0	0	45	19	103	19
6	भोपालसागर	78	0	78	0	24	46	0	0	8	0	78	0
7	चित्तौड़गढ़ (शहर)	82	0	82	0	0	4	0	0	78	0	82	0
8	चित्तौड़गढ़ (ग्रामीण)	190	31	190	31	74	0	0	0	116	31	190	31
9	छोटीसादड़ी	136	13	136	13	39	9	0	0	88	13	136	13
10	डूंगला	92	21	92	21	31	6	0	0	55	21	92	21
11	गंगरार	102	29	102	29	81	8	0	0	13	29	102	29
12	कपासन	99	23	99	23	33	20	0	0	46	23	99	23
13	निम्बाहेड़ा	136	15	136	15	38	26	0	0	72	15	136	15
14	प्रतापगढ़	320	15	320	15	166	5	0	0	149	15	320	15
15	राशमी	109	17	109	17	35	4	0	0	70	17	109	17
	योग	**1954**	**293**	**1954**	**293**	**804**	**171**	**0**	**0**	**979**	**293**	**1954**	**293**

परिशिष्ट ''ब''

भोपालसागर			
क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र	चयन किया जाना बकाया है
1	गून्दली पंचायत समिति (भोपालसागर)	रायपुरीया कलां	आशा सहयोगिनी
2	कानड खेड़ा पंचायत समिति (भोपालसागर)	धन्ना की भागल	आशा सहयोगिनी
3	कानड खेड़ा पंचायत समिति (भोपालसागर)	कानड़ खेड़ा	आशा सहयोगिनी
4	कानड खेड़ा पंचायत समिति (भोपालसागर)	नवलपुरा	आशा सहयोगिनी
5	ताणी पंचायत समिति (भोपालसागर)	नान्दोली कला	आशा सहयोगिनी
6	काना खेड़ा पंचायत समिति (भोपालसागर)	काना खेड़ा	आशा सहयोगिनी
7	काना खेड़ा पंचायत समिति (भोपालसागर)	माली खेड़ा	आशा सहयोगिनी
8	अनोपपुरा पंचायत समिति (भोपालसागर)	ढाणी	आशा सहयोगिनी
9	उसरोल पंचायत समिति (भोपालगसार)	रायपुरिया खुर्द	आशा सहयोगिनी
10	फलासिया पंचायत समिति (भोपालसागर)	बड़ी	आशा सहयोगिनी
11	फलासिया पंचायत समिति (भोपालसागर)	जजरों का खेड़ा	आशा सहयोगिनी
12	मूरलां पंचायत समिति (भोपालसागर)	कंवरपुरा	आशा सहयोगिनी
13	पटोलिया पंचायत समिति (भोपालसागर)	आंजन खेड़ा	आशा सहयोगिनी

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	नाम आंगनबाड़ी केन्द्र	चयन किया जाना बकाया है	
कपासन				
14	लांगच (कपासन)	सरोया	सहयोगिनी	
15	लांगच (कपासन)	कोदिया खेड़ी	सहयोगिनी	
भदेसर				
16	आकोलगढ़ (भदेसर)	करौली	सहयोगिनी	
1	जाशमा पंचायत समिति (भोपालसागर)	गाडरियावास	सहायिका	
2	भोपाल नगर पंचायत समिति (भोपालसागर)	सावता	सहायिका	
3	उसरोल पंचायत समिति (भोपालसागर)	रायपुरिया खुर्द	सहायिका	

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

128. श्री अमराराम धोद (धोद) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रम सलाहकार बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव कब पास किया गया तथा कितनी मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया? प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी को मंहगाई सूचकांक के साथ सम्बद्ध करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल की बैठक में सर्व सम्मति से राज्य में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव पर दिनांक 3 नवम्बर, 2007 को राज्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश का निर्णय लिया गया। बोर्ड द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 175 रुपये 200 रुपये एवं 225 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की सिफारिश की गई।

(2) जी हां। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(3) जी हां। न्यूनतम मजदूरी को मंहगाई सूचकांक के साथ सम्बद्ध करने की कार्यवाही राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

बीकानेर जिले के क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद

129. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 2007-08 में माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कितने विषय अध्यापक लगाये गये तथा कितने पद अब भी रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सर्व शिक्षा के पद बढ़ाने के लिए प्राथमिक

(श्री मंगला राम गोदारा)

विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो क्या स्थानीय जन प्रतिनिधियों से इसके लिए प्रस्ताव मांगे गये? यदि नहीं, तो क्यों? वर्ष 2007-08 में बीकानेर जिले में क्रमोन्नत विद्यालयों की पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 2007-08 में माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में लगाये गये विषय अध्यापकों एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

रिक्त पदों की डीपीसी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। वित्तीय उपलब्धतान्तर्गत निर्धारित मानदण्ड एवं गुणावगुण पर समग्र विचार कर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं। निर्धारित मानदण्डों में जनप्रतिनिधियों की मांग भी शामिल है। बीकानेर जिले के क्रमोन्नत विद्यालयों की पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिले में सौर ऊर्जा आधारित पम्प सैट्स हेतु अनुदान

130. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें। वर्ष 2007-08 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को कितनी राशि, किन-किन कार्यों हेतु आबंटित की गई?

(2) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में उक्त राशि में से किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि, किन-किन कार्यों हेतु आबंटित की गई? क्या उक्त कार्यों हेतु आबंटित उक्त राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी राशि आबंटित की गई? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा जिलों को किन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए बजट आबंटित किया गया? यदि हां, तो किन-किन जिलों के किस-किस प्रोजेक्ट्स पर? यदि नहीं, तो आबंटन का आधार क्या है?

(4) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प सैट्स पर अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प सैट लगाने के प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि इस हेतु कितनी बजट की मांग की गई है?

(6) क्या सरकार उक्त प्रस्ताव स्वीकृत कर किसानों को उक्त अनुदान पर उक्त पम्प सैट लगाने की स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? यह भी बताएं कि उक्त अनुदान हेतु चयन की प्रक्रिया/आधार क्या होगा?

उत्तर

(1) राज्यों को उनके कृषि क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से कृषि जलवायुवीय स्थितियों, प्राकृतिक संसाधन संबंधी मुद्दों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने और पशुधन, कुक्कुट पालन और मत्स्यिकी को और अधिक पूर्ण तरीके से एकीकृत करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक नई योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2007-08 हेतु राज्य को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से रुपये 78.88 करोड़ प्राप्त होने हैं, जिसमें से परम्परागत गतिविधियों हेतु रुपये 17.00 करोड़ की राशि राज्य को प्राप्त हुई है।

(2) वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि का जिलों को आबंटन अभी नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शत-प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी, इसमें राज्य का कोई अंश सम्मिलित नहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जिलों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अब तक बजट आबंटित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत स्ट्रीम-1 में जिलों को जिला कृषि योजना तैयार करने पर प्रोजेक्ट के आधार पर राशि दी जानी है।

(कृषि मंत्री)

जिलों द्वारा कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र के विकास की जिला कृषि योजनायें तैयार कर ली गयी हैं। परियोजना प्रस्तावों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में अनुमोदन उपरांत भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर जिलों को आबंटित करने का प्रावधान है।

(4) जिला बीकानेर में आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प सेट्स पर अनुदान के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(5) जिला प्रशासन बीकानेर से किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पर आधारित पम्प सेट लगाने के प्रस्ताव कृषि विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(6) कृषि विभाग के स्तर पर इस सम्बन्ध में अनुदान के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा भूमि अवाप्ति प्रकरण

131. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा त्रिवेणी नगर, मत्स्य नगर, अभिनव नगर चित्रकूट, अरावली विहार आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो इन योजनाओं हेतु धारा-4 की कार्यवाही कब शुरू की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा उपरोक्त योजनाओं की अवाप्ति की कार्यवाही को समाप्त करने बाबत् निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही समय सीमा में की जानी चाहिये? भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु क्या-क्या नियम एवं कानून बनाये हुये हैं? इन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त योजनाओं हेतु काश्तकारों को अवाप्त भूमि का मुआवजा किन-किन दरों से दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त योजनाओं की भूमि में से कुछ

(श्री जुबेर खान)

भूमियां अवाप्ति से मुक्त की गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी भूमि? इन भूमियों को अवाप्ति से मुक्त करने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा त्रिवेणी नगर, मत्स्य नगर, अभिनव नगर, चित्रकूट, अरावली विहार आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। धारा 4(1) की अधिसूचना निम्न दिनांक को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है :-

1. एम.आई.ए. योजना :- धारा 4(1) में दिनांक 26.10.1995 को अधिसूचित।
2. अरावली विहार फेज-प्रथम दिनांक 28.02.2004 को अधिसूचित।
3. त्रिवेणी नगर :- धारा 4(1) हेतु प्रकरण विचाराधीन है।
4. अरावली विहार फेज द्वितीय दिनांक 20-7-2006 को अधिसूचित।
5. अभिनव नगर: धारा 32(1) की अधिसूचना जारी होकर धारा 4(1) के प्रस्ताव नगर सुधार न्यास, अलवर से प्राप्त होने पर अधिसूचना जारी की जायेगी।

(2) हां। यह सही है कि उपरोक्त योजनाओं में केवल एम.आई.ए. योजना हेतु अवाप्ति की कार्यवाही समाप्त करने बाबत् बैठक दिनांक 10.8.2000 में निर्णय लिया गया। पुनः न्यास बैठक दिनांक 23.6.2004 में निर्णय लिया गया कि एम.आई.ए. योजना को नियमानुसार धारा 48 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए निरस्त करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जावें। उसके बाद पुनः न्यास बैठक दिनांक 7.9.2005 को निर्णय लिया गया कि अवार्डशुदा योजना को डिनोटिफाइड नहीं किया जावे व भुगतान की कार्यवाही की जावे।

(3) हां। यह सही है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही समय सीमा में की जानी चाहियें, केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत धारा 4, 6 व अन्य धाराओं में अवार्ड स्वीकृति तक व धारा 4(1) के अन्तिम प्रकाशन से तीन वर्ष की समय अवधि में अवार्ड राज्य सरकार से अनुमोदित होना आवश्यक है। (नियमों की प्रतियां संलग्न हैं)

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(4) उपरोक्त योजनाओं में से केवल अरावली विहार फेज-प्रथम एवं एम.आई.ए. योजना का अवार्ड राज्य सरकार से स्वीकृत है जिनकी दर निम्न प्रकार से है :-

ग्राम दिवाकरी प्रति हैक्टर :-

सिंचित आबादी सड़क के पास	**सिंचित आबादी सड़क से दूर**	**असिंचित आबादी सड़क के पास**	**असिंचित आबादी सड़क से दूर**
2318059	2036815	2240497	1527611
ग्राम मन्नाका प्रति हैक्टर :-			
971145	809228	809228	712173
ग्राम कैमाला प्रति हैक्टर :-			
1028248	987072	987072	616963

एम.आई.ए. योजना 1 ग्राम देसूला :- 320399 रुपये प्रति बीघा

2 ग्राम गोलेटा :- 385972 रुपये प्रति बीघा

(5) हां। यह सही है कि उपरोक्त योजनाओं में त्रिवेणी नगर में निम्न प्रकार से भूमि अवाप्ति से मुक्त की गई है :-

1. पुष्पांजली योजना :- त्रिवेणी नगर योजना में।

2. आर.के. पुरम योजना :- त्रिवेणी नगर योजना में।

निजी टाउनशिप योजना को बढ़ावा देने हेतु अवाप्ति से मुक्त की गई है।

(नियम प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

तारांकित प्रश्न संख्या-132

(स्थगित)

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई टोंक में व्याप्त अनियमितताएं

133. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, टोंक कार्यालय में विभिन्न समान रुचि समूह/एन.जी.ओ. द्वारा की गई अनियमितताओं में कुछ संस्थाओं/समूहों के विरुद्ध पुलिस थानों में

(श्री हीरालाल)

एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं/समूहों के विरुद्ध पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु लिखा गया?

(2) क्या उक्त सभी संस्थाओं/समूहों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई? यदि नहीं, तो क्यों? अब शेष के विरुद्ध कब तक एफ.आई.आर. दर्ज करा दी जाएगी?

(3) उक्त दर्ज एफ.आई.आर. में कितने प्रकरणों में जांच पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया? शेष में कब तक चालान पेश कर दिया जाएगा?

(4) उक्त दोषी संस्थानों/समूहों में से किस-किस समूह/संस्था से गबन/अनियमितताओं की कितनी राशि वसूल कर ली गई और किस-किस समूह/संस्था से कितनी राशि वसूल की जानी शेष है? शेष राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी?

(5) क्या यह सही है कि उक्त संस्थानों/समूहों की अनियमितताओं में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की भी लिप्तता रही है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। जिन समूहों/संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवायी गई है और प्रक्रियाधीन हैं उनकी सूची संलग्न Annexner-A पर उपलब्ध है।

(2) अभी सभी प्रकरणों में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। कार्यालय रिकार्ड के अनुसार जिन समूहों/संस्थाओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होकर एफआईआर क्रमांक प्राप्त हो चुके हैं उनकी सूची संलग्न Annexner-B पर उपलब्ध है। निम्न समूहों के विरुद्ध प्रेषित एफआईआर थानों द्वारा वापस कार्यालय को लौटा दी गई है :-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

क्र. सं.	समूह का नाम	थानों द्वारा लौटाने का कारण	डीपीएम कार्यालय में FIR हेतु भेजे गये पत्र का वापिस आने की तिथि
1	बालाजी समान रूचि समूह चिकला	थानाधिकारी निवाई ने सूचित किया है कि व्यक्तिश: उपस्थित होने पर ही FIR दर्ज की जावेगी।	22.01.2008
2	प्रेम समान रूचि समूह जोधपूलिया	थानाधिकारी निवाई ने सूचित किया है कि व्यक्तिश: उपस्थित होने पर ही FIR दर्ज की जावेगी।	22.01.2008
3	श्री राम समान रूचि समूह सपनाश	थानाधिकारी अलीगढ़ ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि यह गांव अलीगढ़ थाना क्षेत्र में नहीं आता है। पुलिस अधी. कार्या. से पता किया गया उन्होंने बताया कि यह गांव थाना बनेड़ा के क्षेत्र में आता है।	05.02.2008
4	श्री राम समान रूचि समूह सूथडा	उपरोक्तानुसार।	05.02.2008
5	ग्राम विकास संस्था श्रीपुरा	उपरोक्तानुसार	05.02.2008
6	सरस्वती समान रूचि समूह कनेसर	थानाधिकारी निवाई ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि व्यक्तिश: उपस्थित होने पर ही FIR दर्ज की जावेगी।	07.02.2008
7	चेतना समान रूचि समूह महासिंहपुरा।	उपरोक्तानुसार।	07.02.2008

(ग्रामीण विकास मंत्री)

अन्य प्रकरणों के साथ ही उपर्युक्त सातों समूहों के विरुद्ध एफआईआर पुनः दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष समूहों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने की सूचना अभी अप्राप्त है। एफआईआर प्रकरण रजिस्टर्ड डाक से भी भिजवाये गये हैं। सभी प्रकरण फरवरी, 2008 के अन्तिम सप्ताह तक दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) जिन प्रकरणों में जांच पूर्ण कर न्यायालय में मुकदमे दर्ज किये जा चुके हैं उनकी सूची कार्यालय रिकार्ड अनुसार संलग्न Annexner-C पर उपलब्ध है। शेष प्रकरण पुलिस अनुसंधान अन्तर्गत हैं जिनकी जांच पूर्ण होने पर चालान सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही का निर्णय पुलिस अधिकारियों द्वारा शीघ्र होना सम्भावित है।

(4) सीसी समायोजन के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि में से अब तक प्राप्त राशि एवं बकाया राशि का समूह/संस्थावार विवरण संलग्न Annexner-D पर उपलब्ध है। शेष राशि वसूली कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) नहीं। कार्यालय के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी की इन प्रकरणों में लिप्तता नहीं पाई गई है और किसी भी कार्मिक के विरुद्ध कोई जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। चूंकि किसी भी कर्मचारी की लिप्तता नहीं पाई गई है अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही भी प्रस्तावित नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विभिन्न योजना/ऋण के रूप में केन्द्र से प्राप्त राशि

184. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) एवं श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय कर में राज्य के हिस्से के रूप में वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक वर्षवार कितनी राशि प्राप्त हुई व संबंधित वर्ष में कितनी राशि व्यय हुई एवं वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन 31 मार्च को कितनी राशि शेष रही? वर्षवार जानकारी व 2007-08 की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय अनुदान के रूप में राज्य को उक्त अवधि में कितनी राशि प्राप्त हुई संबंधित वर्ष में कितनी राशि व्यय हुई एवं वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन 31 मार्च को कितनी राशि शेष रही? वर्षवार मदवार जानकारी व 2007-08 की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य को उक्त अवधि में कितनी राशि प्राप्त हुई? संबंधित वर्ष में कितनी राशि व्यय हुई एवं वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन 31 मार्च को कितनी राशि शेष रही? वर्षवार मदवार पूर्ण जानकारी व 2007-08 की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) केन्द्रीय ऋण के रूप में उक्त अवधि में कितनी राशि प्राप्त हुई व संबंधित वर्ष में कितनी राशि व्यय हुई एवं वित्तीय वर्ष में अन्तिम दिन 31 मार्च को कितनी राशि शेष रही? वर्षवार मदवार पूर्ण जानकारी व वर्ष 2007-08 की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व संबंधित वर्ष में कितनी राशि व्यय हुई एवं वर्ष के अन्तिम दिन 31 मार्च को कितनी राशि शेष रही? वर्षवार योजनावार पूर्ण जानकारी व 2007-08 की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त योजनाओं में जिलों के पी.डी. खातों में संबंधित वर्षो में 31 मार्च को कितनी राशि शेष थी? वर्षवार योजनावार विवरण वर्ष 2007-08 की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में वर्ष 2003-04 से 2007-08 (नवमबर-2007 तक) प्राप्त वर्षवार राशि का विवरण निम्न है :-

(वित्त मंत्री)

वर्ष	प्राप्तियां (राशि करोड़ रुपयों में)
2003-04	3602.14
2004-05	4305.61
2005-06	5300.08
2006-07	6760.37
2007-08 (Upto Nov, 07)	4572.00

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग द्वारा राज्यों हेतु नियत अनुपात के अनुसार प्राप्त होता है। यह राज्य का केन्द्रीय करों में संवैधानिक हिस्सा है एवं केन्द्रीय करों के हिस्से से प्राप्त राशि का व्यय विशिष्ट मदवार नहीं किया जाता।

(2) केन्द्रीय सहायता में अनुदान एवं ऋण दोनों सम्मिलित होते हैं। केन्द्रीय अनुदान के रूप में वर्ष 2003-04 से 2007-08 (नवम्बर-07 तक) प्राप्त वर्षवार राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राप्तियां (राशि करोड़ रुपयों में)
2003-04	2503.80
2004-05	2897.01
2005-06	2921.21
2006-07	3792.96
2007-08 (Upto Nov, 07)	3016.64

(3) केन्द्रीय अनुदान योजनावार एवं निर्बन्ध (United) दोनों रूपों में प्राप्त होता है। निर्बन्ध (United) अनुदान राज्य के कुल राजस्व का भाग बन जाता है एवं ऐसे अनुदान का व्यय विशिष्ट मदवार नहीं किया जाता है। योजनागत मदों में प्राप्त राशि के व्यय का विवरण बजट खण्ड 2ब, 2स, 3अ एवं 3ब में उपलब्ध है।

(4) केन्द्रीय ऋण के रूप में 2003-04 से 2007-08 (नवम्बर-2007 तक) प्राप्त वर्षवार राशि का विवरण निम्न है :-

(वित्त मंत्री)

वर्ष	प्राप्तियां (राशि करोड़ रुपयों में)
2003-04	5662.00
2004-05	6521.96
2005-06	379.38
2006-07	352.34
2007-08 (Upto Nov, 07)	269.99

(5) केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत 2003-04 से 2007-08 (नवम्बर, 07 तक) वर्षवार प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्राप्तियां (राशि करोड़ रुपयों में)
2003-04	842.84
2004-05	973.00
2005-06	1202.84
2006-07	1472.16
2007-08 (Upto Nov, 07)	1494.78

वर्ष 2003-04 से 2007-08 (नवम्बर, 2007 तक) प्राप्त राशि उसके पेटे हुये व्यय तथा शेष रही राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राप्तियां	व्यय	शेष राशि
2003-04	842.84	844.22	(-) 1.38
2004-05	973.00	806.67	166.33
2005-06	1202.84	1097.82	105.02
2006-07	1472.16	1646.03	(-) 173.87
2007-08 (Upto Nov, 07)	1494.78	1005.85	

(6) पी.डी. खाता बैंक खाते के समान ही संचालित होता है। इस खाते में 31 मार्च को एक ही सम्मिलित शेष होता है। योजनावार इस शेष का विभाजन पी.डी. खाते से नहीं किया जाता।

सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में करवाई गई बाइपास सर्जरी की राशि का लम्बित भुगतान

185. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को उनके बाइपास सर्जरी करवाने पर हुये व्यय का पुनर्भरण किया जाता है? यदि हां, तो कितना?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के पास अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बिल लम्बित पड़े हैं? यदि हां, तो उनका भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त अस्पतालों से अपनी बाइपास सर्जरी करवा लेते हैं, उन्हें भी भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो ऐसे मामलों के भुगतान में विलम्ब के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के सरकारी अस्पतालों में बाइपास सर्जरी कराने पर हुये व्यय का पुर्नभरण राज्य कर्मचारियों पर लागू सीमा एवं शर्तों के अनुसार देय है। राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त अस्पताल में बाइपास सर्जरी करवाने पर हुये व्यय का 80 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रुपये 48000/- की सीमा तक देय है।

(2) राज्य में सरकारी अस्पताल/मान्यता प्राप्त संस्थानों में बाइपास सर्जरी कराने संबंधी पेंशनर्स के न्यास कार्यालय में प्राप्त माह जनवरी 2008 तक के बिलों का निस्तारण किया जा चुका है।

(3) पेंशनर का नियमानुसार पूर्ण दावा न्यास को प्राप्त होने के बाद पुनर्भरण कराने में विलम्ब नहीं होता है।

(4) जी हां। निर्णय की प्रति संलग्न है।

(निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

गाडगिल फार्मूले के तहत केन्द्र से प्राप्त राशि

186. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में गाडगिल फार्मूला क्या है?

(2) गाडगिल फार्मूले के आधार पर वर्ष 1998-99 से अब तक राज्य को कितनी-कितनी सहायता राशि मिली? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता (Normal Central Assistance) के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के आधार पर तय होती है। इस फार्मूले में विभिन्न मदों को निम्नानुसार भार (Weightage) दिया जाता है।

क्र.सं.	मद	प्रतिशत भार
1.	जनसंख्या (1971)	60
2.	प्रति व्यक्ति आय	
	अ. राष्ट्रीय आय से कम आय वाले राज्यों के लिए	20
	ब. अन्य राज्यों के लिये	5
3.	कार्य निष्पादन (कर प्रयास, वित्तीय प्रबन्धन, राष्ट्रीय लक्ष्य)	7.5
4.	विशेष समस्याएं	7.5

यह फार्मूला विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए लागू होता है।

(2) गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के तहत सामान्य केन्द्रीय सहायता मद में राज्य के वर्ष 1998-99 से अब तक प्राप्त होने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त राशि
1998-99	420.42
1999-2000	523.01

(आयोजना मंत्री)

वर्ष	प्राप्त राशि
2000-01	511.82
2001-02	574.40
2002-03	571.85
2003-04	768.60
2004-05	877.68
2005-06	289.01
2006-07	348.49
2007-08 (दिसम्बर, 07 तक)	291.63

जयपुर शहर में नवीन बहुमंजिला पार्किंग स्थलों का निर्माण

187. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में बहुमंजिला पार्किंग स्थल कहां-कहां पर स्थित हैं एवं इनमें प्रत्येक में कितने-कितने वाहनों के पार्किंग करने की क्षमता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर शहर में नये बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण की इन्द्रा पैलेस व्यावसायिक योजना मालवीय नगर भू.सं. 5 (क्रिस्ट कोर्ट) में जनसाधारण हेतु बहुमंजिला पार्किंग के साथ-साथ व्यावसायिक उपयोग हेतु बेसमेंट-3 तल पार्किंग व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। इसमें करीब 500 वाहनों के पार्किंग की क्षमता है।

(2) पुराना पागलखाना, चांदपोल बाजार स्थित भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एवं रामलीला मैदान, चांदपोल अनाज मण्डी, गवर्नमेन्ट हास्टल चोराहे पर होमगार्ड कार्यालय के सामने, सी-स्कीम में नाले पर एवं पुराना आतिश मार्केट में जयपुर नगर निगम द्वारा बहुमंजिला पार्किंग स्थल बनाने की योजना है।

नगर परिषद् भीलवाड़ा में लम्बित नामान्तरण प्रकरण

188. श्री सुभाष चन्द बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद् भीलवाड़ा में राजस्थान अरबन लैण्ड डिसपोजल एक्ट 1974 के तहत नामान्तरण हेतु कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। इन पर नामान्तरण कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों के निस्तारण में राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत विक्रय की गई। भूमि विक्रय अन्तरण/समानुदेशन में निर्धारित प्रपत्र शास्वत लीज की शर्त संख्या 4 व 5 के अनुसार नामान्तरण पर अंतर राशि का 50 प्रतिशत राशि वसूल/जमा कर नामान्तरण की अनुमति के प्रावधान होने से नामान्तरण कार्यवाही नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद् भीलवाड़ा में राजस्थान म्युनिसिपलिटीज अरबन लेण्ड डिस्पोजल रूल्स 1974 के तहत नामान्तरण हेतु 37 प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के तहत उपलब्ध संख्या 4(क) एवं 5 में वर्णित प्रावधानानुसार अनर्जित वृद्धि की 50 प्रतिशत राशि प्रार्थीगण द्वारा परिषद् कोष में जमा कराने पर नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) प्रार्थीगण द्वारा नियमों में निर्धारित भूमि मूल्य में हुए अनार्जित वृद्धि की 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने के कारण नामान्तरण की कार्यवाही नहीं हुई है। नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा (राजस्थान)

क्र. सं.	नाम प्रार्थी	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
1.	श्री दीपक अग्रवाल/राधेश्याम अग्रवाल	बी-100	शास्त्रीनगर
2.	श्रीमति सीमा जोशी/निर्मल जोशी	152	नागौरी गार्डन

क्र. सं.	नाम प्रार्थी	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
3.	श्रीमति निलम लढा/जगदीश चन्द्र लढ़ा	192	नागौरी गार्डन
4.	श्री रामपाल सोनी एवं रामराय समदानी	सी-11	शास्त्री नगर
5.	श्री होतचन्द, श्रीमति मोहनी देवी एवं लक्ष्मीलाल रांका	बी-148	शास्त्री नगर
6.	श्री जेठानन्द, श्रीमति आशा देवी, लोकेश कुमार C/o. अशोक कुमार लखूजा	एफ-1	फैक्ट्री एरिया
7.	श्री केशर सिंह शेखावत/भूपाल सिंह	सी-73	शास्त्री नगर
8.	श्रीमति उच्छव कंवर/भोपाल सिंह	सी-112/ए	शास्त्री नगर
9.	श्री रामेश्वर प्रसाद/बंशीलाल सोनी	सी-83	आर.के. कालोनी
10.	श्री लालचंद/प्रेमप्रकाश बैरवा	175	सुभाष नगर पूर्व
11.	श्रीमति मधुलिका उपाध्याय	21	ज्योति नगर विस्तार
12.	श्रीमति भारतीदेवी/मनोहर लाल झेठानी	132	सुभाष नगर विस्तार
13.	श्री बाबूलाल/मथुरा लाल कोटा	372-बी	आर.के. कालोनी
14.	श्रीमति दुर्गा बाई/रामसिंह शक्तावत	35	ज्योति नगर विस्तार
15.	श्री देवानंद/गोवर्धन दास सिन्धी	एम-6	इन्द्रा मार्केट
16.	श्री गोवर्धन दास/लक्ष्मण दास सिन्धी	एम-6	इन्द्रा मार्केट
17.	श्री रामजस/सोहन लाल सोडानी	एम.टी.एम.-5	आर.के. कालोनी
18.	श्री नरेन्द्र कुमार/धर्मनारायण शर्मा	ए-97	सुभाष नगर

क्र. सं.	नाम प्रार्थी	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
19.	श्रीमति बदाम देवी/मथुरा लाल शर्मा	150	कावाखेड़ा
20.	श्री नरेन्द्र कुमार/धर्मनारायण शर्मा	सी-9	आर.के. कालोनी
21.	श्रीमति मोहनी देवी/शिवनारायण शर्मा	18	सूचना केन्द्र
22.	श्री सकील अहमद/कफील अहमद	67	कावाखेडा (जगजीवन नगर)
23.	श्री श्यामलाल/भंवरलाल सोनी	156	ज्योति नगर
24.	श्रीमति उमा देवी/पारसमल लोढ़ा	53	डा. अम्बेडकर नगर
25.	श्रीमति उमा देवी/पारसमल लोढ़ा	52	डा. अम्बेडकर नगर
26.	श्री महावीर प्रसाद/रतनलाल जैन	जी-70	आर.के. कालोनी, धान्धोलाई
27.	श्रीमति प्रेम व्यास/लक्ष्मीशंकर व्यास	बी-174	आर.के. कालोनी
28.	श्री अरविन्द कुमार/मदन लाल राठी	61	ज्योति नगर
29.	श्री राजूलाल/रामपाल तंवर	12	ज्योति नगर
30.	श्रीमति कस्तुरी देवी/बाबूलाल हरिजन एवं बालुलाल/धन्नाजी हरिजन	185	डा. अम्बेडकर नगर
31.	श्री पुखराज/शिवप्रसाद ईनाणी	सी-112	आर.के. कालोनी
32.	श्री राजेश कुमार/हरकलाल ईनाणी	बी-339	आर.के. कालोनी
33.	श्री सीताराम/रामचन्द्र शर्मा	71	सुभाष नगर

क्र. सं.	नाम प्रार्थी	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
34.	श्री ओमप्रकाश/मोहन लाल कांकरवाल	43	पालिका मार्केट
35.	श्रीमति प्रेम व्यास/लक्ष्मीशंकर व्यास	बी-174	आर.के. कालोनी
36.	श्री ओमप्रकाश/ दिनेश चन्द्र जागोटिया	251	काशीपुरी
37.	श्रीमति कृष्णादेवी/राजेश खण्डेलवाल एवं श्रीमति सुशीला देवी/कमलेश कुमार	331-बी	आर.के. कालोनी

आयुक्त
नगर परिषद् भीलवाड़ा

नगरपालिका मकराना द्वारा आबंटित भूमि पर अतिक्रमण

189. डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मकराना नगरपालिका द्वारा गत 15 वर्षों से आबंटित भूखण्ड पर शहर का कचरा डाला जा रहा है यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि आबंटी द्वारा आबंटित भूमि की सम्पूर्ण राशि नगरपालिका में जमा करवा दी गई है? क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अब असामाजिक तत्वों द्वारा अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं एवं इस बाबत् पुलिस में प्रकरण भी दर्ज है?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि का कब्जा आबंटी को दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा आदेश दिनांक 19.08.1993 द्वारा ग्राम मंगलाना की खसरा नं. 9/1, 9/2, व 9/3 की कुल रकबा 55 बीघा 7 बिस्वा भूमि औद्योगिक इकाइयों का मलबा डालने हेतु नगरपालिका मकराना को आबंटित की गयी थी।

(2) नगरपालिका स्वयं आबंटी है। नगरपालिका मकराना द्वारा 50197.00 रुपये तहसील परबतसर में जमा कराये जा चुके हैं।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

कुछ व्यक्तियों द्वारा आबंटित भूमि पर पालिका कर्मचारियों को कचरा डालने से रोकने पर पालिका ने पुलिस थाना परबतसर में एफ.आई.आर. सं. 166/07 दिनांक 06.10.2007 को दर्ज कराई है।

(3) राजस्व ग्रुप (3) विभाग द्वारा दिनांक 28.04.2006 को पालिका को आबंटित ग्राम पंचायत समिति मंगलाना की भूमि का आबंटन निरस्त कर भूमि मौजा चावण्डिया का खसरा नं. 83 किस्म बंजर में से 20 बीघा भूमि का आबंटन किया गया है। जिसके विरुद्ध अध्यक्ष ग्रामदानी ने मा. उच्च न्यायालय में वाद सं. 7159/2006 दायर की तथा नगरपालिका द्वारा ग्राम मंगलाना की भूमि के आबंटन को निरस्त करने पर मा. उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 6246/2006 दायर की जाकर राजस्व विभाग के आदेशों के विरुद्ध दिनांक 11.12.2006 से स्थगन प्राप्त कर रखा है।

दादूदयाल/पटेल नगर जयपुर में मूलभूत सुविधाएं

190. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दादूदयाल नगर/पटेल नगर ग्राम कल्याणपुरा, जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी में सड़क, रोड, लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दादूदयाल नगर/पटेल नगर ग्राम कल्याणपुरा, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित योजना है। दादूदयाल नगर ब्लाक ए, बी.पी.सी. की बैठक सं. 5/02 दिनांक 17.1.2002 तथा राज्य सरकार के नियमन निर्णय क्रमांक प.10(15)नविवि/3/02 दिनांक 26.2.2002, एवं ब्लाक बी, बी.पी.सी. की बैठक 6/02 दिनांक 31.1.2002 तथा राज्य सरकार के नियमन निर्णय क्रमांक प.10(22) नविवि/3/02 दिनांक 6.4.2002 ब्लॉक सी.डी, बी.पी.सी. की बैठक 8/02 दिनांक 22.2.2002 एवं राज्य सरकार के नियमन निर्णय क्रमांक एफ 10(25)नविवि/3/02 दिनांक 7.5.2002, ब्लाक ई, बी.पी.सी. बैठक 4/2 दिनांक 11.1.2002 तथा राज्य सरकार के नियमन

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

निर्णय क्रमांक एफ10(23)नविवि/3/02 दिनांक 6.4.2002 एवं पटेल नगर बी.पी.सी. की बैठक 4/02 दिनांक 11.1.2002 राज्य सरकार के नियमन निर्णय क्रमांक प.10(23)नविवि/3/02 दिनांक 6.4.2002 को किया गया।

(2) दादूदयाल नगर एवं पटेल नगर में आंतरिक सड़कों पर डब्ल्यू.बी.एम. कार्य पूर्ण किया जा चुका है। डामरीकरण हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। लाईट एवं रोड लाइट का कार्य इस प्रकार की योजनाओं में नहीं करवाया जाता है, क्योंकि इन योजनाओं में नियमन राशि से जो राशि प्राप्त हुई है, उसमें से राज्य सरकार के हिस्से के पश्चात् इन कार्यों हेतु राशि उपलब्ध नहीं होती है।

कपासन विधान सभा क्षेत्र में स्पोर्टस स्कूल

191. **श्री बद्रीलाल जाट** (कपासन) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नये स्पोर्टस स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र कपासन में स्पोर्टस स्कूल कब तक खोल दिया जाएगा?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में कपासन में स्पोर्टस स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खेल परिषद् के वेतन भत्तों एवं खिलाड़ियों पर व्यय का तुलनात्मक विवरण

192. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या युवा एवं खेल-कूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता क्या दिया जाता है तथा पिछले दस वर्षों में इसे कब-कब बढ़ाया गया?

(2) राज्य में ओपन कम्पीटीशन एवं स्कूली प्रतिस्पर्धाएं करवाने हेतु तहसील जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जाती है?

(3) खेल विभाग एवं खेल परिषद् के वेतन एवं भत्तों पर कितनी राशि

(श्री अमराराम)

का खर्चा होता है तथा खिलाड़ियों पर सालाना कितना खर्चा होता है? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पूर्व प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 100/ रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है।

पिछले 10 वर्षों में निम्न प्रकार दैनिक भत्ता बढ़ाया गया :-

1. 16.05.1998 से रुपये 30/- से बढ़ाकर 40/- रुपये प्रतिदिन
2. वर्ष 2002-03 से रुपये 40/- से बढ़ाकर 60/- रुपये प्रतिदिन
3. 01.07.2004 से रुपये 60/- से बढ़ाकर 100/- रुपये प्रतिदिन

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पंजीकृत खेल संघों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय ओपन प्रतियोगिता हेतु अनुदान दिया जाता है। जिसमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी को 100/- प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता एवं अनुषागिक व्यय के रूप में एक दिन आने के लिए व एक दिन जाने के लिए दैनिक भत्ते के समतुल्य राशि तथा रियायती रेल किराया दिया जाता है। जो स्थान रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, वहां बस किराया दिया जाता है। तहसील एवं जिला स्तरीय ओपन प्रतियोगिता हेतु राशि खर्च नहीं की जाती है।

राज्य खेल संघों को राज्य प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निम्नानुसार विविध अनुदान दिया जाता है :-

1. एथलेटिक्स संघ को 4000/- रुपये।
2. तीरन्दाजी, बास्केटबाल, फुटबाल, हाकी, कबड्डी, बालीबाल, कुश्ती (भा.प.), एवं कुश्ती (ओ.प.) संघों को 3000/- रुपये।
3. बैडमिन्टन, जिम्नास्टिक, हैण्डबाल, तैराकी, टेबिल टेनिस, लान टेनिस एवं भारोतोलन संघों को 2500/- रुपये।
4. बाक्सिंग, महिला हाकी, खो-खो, पावर लिफ्टिंग एवं साफ्टबाल संघों को 2000/- रुपये।

स्कूली प्रतिस्पर्धाओं के लिए क्रीड़ा, परिषद् द्वारा कोई राशि खर्च नहीं की जाती है।

(युवा एवं खेल-कूद मंत्री)

(3) गत तीन वर्षों में खेल परिषद् के वेतन एवं भत्तों पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1. 2004-05 रुपये 358.98 लाख।

2. 2005-06 रुपये 386.20 लाख।

3. 2006-07 रुपये 401.63 लाख।

गत तीन वर्षों में खेल विभाग एवं खेल परिषद् द्वारा खिलाड़ियों पर की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

	खेल विभाग	खेल परिषद
1. 2004-05	रुपये 37.60 लाख।	रुपये 163.60 लाख।
2. 2005-06	रुपये 34.18 लाख।	रुपये 251.83 लाख।
3. 2006-07	रुपये 12.19 लाख।	रुपये 173.50 लाख।

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम का निर्माण

193. **श्री सुभाष चन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा समग्र स्टेडियम विकास नीति के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वित्तीय संसाधनों के अनुरूप प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्टेडियम निर्माण किया जा सकेगा।

सौरसन गोडावन वन क्षेत्र के हिरणों द्वारा फसलों को हानि पर रोक हेतु कार्य-योजना

194. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वन्यजीवों से फसलों को होने वाले नुकसान तथा वन्यजीवों द्वारा पशुओं के मारे जाने पर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि बारां जिले के सौरसन गोडावन सुरक्षित क्षेत्र

(श्री भरत सिंह)

में हिरणों की बढ़ती संख्या से कृषि को हो रहे नुकसान की शिकायत जिला प्रशासन को समय-समय पर प्राप्त होती रही है? यदि हां, तो सुरक्षित क्षेत्र में हिरणों की संख्या कुल कितनी है तथा इनको नियंत्रित करने की सरकार की क्या योजना है?

(3) क्या यह सही है कि सौरसन ब्राह्मणी माता अभ्यारण्य समिति की बैठक में नियाणा गांव से मानपुरा गांव को जाने वाली सड़क के सहारे पक्की दीवार बनाकर फसलों की सुरक्षा की मांग किसानों ने की है? यदि हां, तो दीवार का निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा?

(4) क्या सरकार इस क्षेत्र से हिरणों को अन्य क्षेत्रों में छोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में वन्य जीवों से फसलों को होने वाले नुकसान पर मुआवजा देने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। वन्य जीवों द्वारा पशुओं के मारे जाने पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.07.2005 से मुआवजा राशि देने का वर्तमान में निम्नलिखित अनुसार प्रावधान है :-

1.	भैंस व बैल के मामले में	रु. 5000
2.	गाय	रु. 2000
3.	भैंस व गाय का बच्चा	रु. 1000
4.	बकरी/ बकरा व भेड़	रु. 300
5.	ऊंट	रु. 5000

(2) जी हां। बारां जिले के सौरसन गोडावन सुरक्षित क्षेत्र में हिरणों की बढ़ती संख्या से कृषि को हो रहे नुकसान की शिकायत जिला प्रशासन को समय-समय पर प्राप्त होती रही है। सौरसन वन क्षेत्र में एवं आस-पास के क्षेत्र में वर्ष 2007 की वन्य जीव गणना के आंकलन के अनुसार 1113 काले हिरण तथा 263 चिंकारा पाये गये हैं। इन हिरणों से फसलों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सौरसन वन क्षेत्र में 300 हैक्टेयर में क्लोजर बनाने हेतु पक्की दीवार का निर्माण तथा चारा उत्पादन हेतु 36 हैक्टेयर का क्लोजर निर्माण एवं हिरणों की पेयजल व्यवस्था हेतु तलाइयों एवं एनीकट के निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर को प्रेषित किये गये हैं।

(वन राज्य मंत्री)

(3) सौरसन ब्रह्मणी अभ्यारण्य समिति की बैठक दिनांक 14.09.2007 में उक्त प्रस्ताव को लम्बित रखने का निर्णय लिया गया था परन्तु विभाग द्वारा उक्त कार्य को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने पर पक्की दीवार का निर्माण किया जाना सम्भव होगा।

(4) इस क्षेत्र से हिरणों को अन्य क्षेत्रों में छोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नागौर जिले में नकली खाद-बीज विक्रय की जांच

195. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में पिछले दो वर्षों के दौरान नकली खाद-बीज बेचे जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त शिकायतों की जांच किन अधिकारियों द्वारा की गई? जांच के क्या नतीजे रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में पिछले दो वर्षों के दौरान नकली खाद-बीज बेचे जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) चूंकि शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई, अतः जांच कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

लघु/मध्यम/वृहद् कृषकों को अनुदान स्वीकृति के मानदण्ड

196. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य के कृषकों को किन-किन कृषि यंत्रों एवं जिन्सों पर अनुदान दिया जाता है? विवरण सदन की में पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा लघु, मध्यम व वृहद कृषकों का मानदण्ड एवं परिभाषा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कृषकों को अनुदान देने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अनुदान देने में लघु कृषकों को प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि विभाग द्वारा निम्नांकित कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है-

हस्तचलित यंत्र- सीड ड्रील, फर्टीलाइजर, ब्रोडकास्टर, वीडर (व्हील हो) ग्राउन्ड नट डिकोरटिकेटर, चाफ कटर राइस प्लांटर, गारलिक प्लांटर, विनोअर, केस्टर शैलर, स्टबल पुलर, पेडी ड्रम सीडर, वीडर कम मल्चर, स्टीपर पैडल आपरेटर थ्रेसर, मेज शेलर, पैडल आपरेटेड क्लीनर/ ग्रेडर।

(2) बैच चलित - सीडकम फर्टीलाइजर ड्रिल, बंड फारमर, 2/3 रो सीड ड्रील, एमबी/ रिजर प्लाउ, कल्टीवेटर, ब्लैड हेरो, क्रस्टब्रेकर, ब्रोडबैड फारमर, डिस्क प्लाउ/हेरो, ग्राउन्डनट डिगर/प्लांटर, वीडर, पडलर, फरो/रिजर, सुगरकेन प्लांटर, मैज प्लांटर, ग्रेन क्लीनर डबल स्कीन हैंगिंग टाइप।

3. बैल चलित बहुउद्देशीय फ्रेम – बैल चलित बहुउद्देशीय फ्रेम जिस पर प्लाउ कल्टीवेटर लेवलर और हेरो को लगाया जा सके।

4. शक्ति चलित - मूंगफली थ्रेसर, अरण्डी एवं मल्टीक्रोप पावर थ्रेसर मय सुरक्षा उपकरणों के केवल आईएसआई मार्का थ्रेसर पर ही अनुदान देय है। खतरनाक मशीन अधिनियम 1983 के अन्तर्गत पंजीकरण आवश्यक है।

5. ट्रेक्टर चलित यंत्र – सीडकम फर्टीलाइजर ड्रिल, बंड फारमर, चीजल प्लाउ, पोस्ट होल डिगर ब्रोड बेड फारमर, एमबी/रिजर/डिस्क प्लाउ, ब्लैड हेरो, सभी प्रकार के सीड ड्रील एवं लैवलर शक्ति/ट्रेक्टर चलित चाफ क्टर।

6. विशेष शक्ति चलित यंत्र – जीरो टील ड्रील, रेजडबेड प्लांटर, रोटावेटर, रीपर, पेडी ट्रांसप्लांटर, सुगर केन कटर, प्लांटर, पोटाटो डिगर, ग्राउन्ड नट डिगर, स्ट्रा रीपर, मोबाइल फुट हारवेस्टर, स्ट्बल शेवर क्लीनर कम ग्रेडर।

7. स्वचलित यंत्र - स्वचलित रिपर

जिन्सों पर कोई अनुदान देय नहीं है।

(2) जी हां।

1. सीमान्त कृषक – 1 हैक्टर से कम भूमि

2. लघु कृशक – 1 से 2 हैक्टर भूमि

3. अर्ध मध्यम कृषक – 2 से 4 हैक्टर भूमि

(3) कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जाता है तथा अनुसूचित जाति/

(कृषि मंत्री)

जनजाति/महिलाएं/बीपीएल/सीमान्त/लघु एवं अर्धमध्यम कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाता है।

(4) लघु कृषकों को कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही अनुदान देने में प्राथमिकता दी जा रही है।

कृषकों को उपलब्ध करवाई गई अनुदानित जिप्सम की जांच

197. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुदान पर उपलब्ध करवाई गई जिप्सम की मात्रा का जिलेवार, वर्षवार व संस्थावार (राजफैड व आई.डी.पी.एल.) विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करवाई गई जिप्सम की कुल राशि व सरकार द्वारा देय अनुदान राशि का किये गये भुगतान का जिलेवार, वर्षवार, संस्थावार राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्षों में जिप्सम की गुणवत्ता की जांच जिप्सम के के नमूने लेकर प्रयोगशालाओं में भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो जिप्सम के भिजवाये गये नमूने का जिलेवार व संस्थावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जांच हेतु भिजवाये गये उक्त नमूनों में कितने नमूने अमानक (गलत) व कितने नमूने मानक (सही) पाये गये? गलत व सही पाये गये नमूनों का जिलेवार, संस्थावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2006-07 में कृषकों को कुल 51479 मै. टन जिप्सम उपलब्ध करवाया गया। उपलब्ध कराये गये जिप्सम का संस्थावार, जिलेवार विवरण संलग्न सारणी 1 पर अंकित है।

(2) वर्ष 2006-07 में कृषकों को उपलब्ध कराई गई जिप्सम की कुल राशि व अनुदान राशि का जिलेवार, संस्थावार विवरण सारणी 2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2006-07 में आपूर्ति स्थल RSMML के रावला प्लांट पर 42 एवं जिलों में 38 नमूने, कुल 80 नमूने लिए जाकर राजकीय

(कृषि मंत्री)

प्रयोगशालाओं से जांच कराई गई। संस्थावार लिए गए नमूनों का विवरण सारणी 3 (अ) पर संलग्न है।

(4) वर्ष 2006-07 में जांच हेतु भिजवाये गये 80 नमूनों में से 33 नमूने निर्धारित गुणवत्ता के पाए गए तथा 47 नमूने निर्धारित गुणवत्ता से कम गुणवत्ता के पाए गए जिनका विवरण सारणी 3 (ब) पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कम्प्यूटर एजूकेशन आन व्हील्स योजनान्तर्गत आबंटित वाहन

198. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ''कम्प्यूटर ऐजूकेशन आन व्हील्स'' योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक-एक वाहन उपलब्ध कराने हेतु घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किस-किस जिले में यह वाहन कार्य कर रहे हैं?

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ''कम्प्यूटर ऐजूकेशन आन व्हील्स'' योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक-एक वाहन उपलब्ध कराने हेतु घोषणा की गई थी, वर्तमान में 5 जिलों (जयपुर, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं भरतपुर) में यह योजना चल रही है तथा शेष जिलों के लिए प्रक्रिया जारी है।

बारां जिले में संचालित बाल श्रमिक विद्यालय

199. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में बाल श्रमिक विद्यालय संचालित करने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बारां में कितने बाल श्रमिक विद्यालय कहां-कहां चिन्हित किये गये तथा यह विद्यालय किसके द्वारा संचालित किये जावेंगे?

उत्तर

(1) विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों को श्रम मंत्रालय से प्राप्त राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्कीम (पुनरीक्षित 2003) के अनुसार संचालित किया जाता है। (स्कीम का विवरण परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है)

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

1. विशेष बाल श्रमिक विद्यालय संचालित करने से पूर्व जिले में जोखिमपूर्ण व्यवसायों व प्रक्रियाओं में बाल श्रमिक सर्वे व उसका सत्यापन कराया जाता है। बाल श्रमिक चिन्हित होने पर प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को प्रेषित किया जाता है, विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त होने पर क्षेत्र में विद्यालय स्थापित किये जाते हैं।

जिले में स्थापित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संस्था (जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर होते हैं) स्कीम के प्रावधानुसार क्रियान्वयन एजेन्सी अथवा क्षेत्र की प्रतिष्ठत स्वयंसेवी संस्थाओं से विद्यालय संचालित करा सकती है। परियोजना संस्था स्वयंसेवी संस्थाओं की योग्यता के लिए मापदण्ड अपने स्तर पर निर्धारित कर सकती है तथा विद्यालय संचालन के लिए परियोजना संस्था स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन अपने स्तर पर करती है। स्वयंसेवी संस्थाओं में पंचायती राज संस्था, ट्रेड यूनियन, युवक संघ, महिला समूह, ग्रामीण समूह, युवा क्लब आदि सम्मिलित हो सकते हैं।

2. विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में 9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों को शिक्षित एवं पुनर्वासित किया जाता है जिनमें उन्हें शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष विद्यालय में बच्चों को नि:शुल्क पौष्टिक पोषाहार, अनुपूरक आय के रूप में स्टाईफण्ड, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध करवाई जाती है।

(2) बारां जिले में चिन्हित बाल श्रमिक –

क्र.सं.	पंचायत समिति/नगर पालिका	संख्या
1.	किशनगंज	528
2.	बारां	344
3.	अंता	1156
4.	मोईकला	213
5.	अटरू	57
6.	शाहाबाद	54
7.	छबड़ा	41
8.	नगरपालिका, बारां	150
	कुल	**2543**

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

श्रम मंत्रालय द्वारा प्रेषित स्कीम के अनुसार विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन क्रियान्वयन एजेन्सी अथवा परियोजना संस्था द्वारा चयनित प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जावेगा।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर जिले में तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के पदस्थापन में व्याप्त अनियमितताएं

200. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जनवरी, 2008 में बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला के पद पर पदस्थापित किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि भरतपुर जोन में उक्त पदस्थापन के सम्बन्ध में अनेकों अनियमितताएं की गई हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि विकलांग व अविवाहित महिलाओं एवं अधिक मैरिट वाले अभ्यर्थियों को दूरस्थ स्थान पर पद स्थापित किया गया है तथा कम मैरिट वाले अभ्यर्थियों को मिलीभगत कर नजदीक के विद्यालयों में पदस्थापित किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा भरतपुर जोन में आने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी किया गया है? यदि हां, तो किस-किस का?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में लिप्त अधिकारी/कर्मचारियों की जांच करवाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भरतपुर सम्भाग के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा की गई उक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से शिकायत विभाग में प्राप्त हुई है जिनकी जांच विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) विकलांग व अविवाहित महिलाओं एवं अधिक मेरिट वाले

(शिक्षा मंत्री)

अभ्यर्थियों को दूरस्थ पर तथा कम मेरिट वाले को मिलीभगत कर नजदीक के विद्यालयों में पदस्थापित किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, इसकी जांच विभाग द्वारा की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(5) विभाग द्वारा जांच की जा रही है। जांचोपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उच्च प्रशिक्षित अध्यापकों का शिक्षा विभाग में अन्तरण

201. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत एम.ए. बी.एड., प्रशिक्षित पंचायती राज शिक्षकों को शिक्षा विभाग में रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार की नीति के अनुसार जो कि एम.ए. बी.एड. प्रशिक्षित शिक्षकों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं एस.टी.सी. प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों में रखा जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायतीराज मद में कार्यरत एम.ए. बी.एड. प्रशिक्षित तृतीय श्रेणी अध्यापकों को शिक्षा विभाग में रखने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार एन.सी.ई.आर.टी. के नियमों का पालन करती हैं।

शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मियों का लम्बित पदोन्नति प्रकरण

202. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों की डी.पी.सी. कब तक की, की जा चुकी है?

(2) क्या पूरे राजस्थान में सभी सम्भाग/जिला स्तर पर डी.पी.सी. निस्तारण एक समान है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) लम्बित डी.पी.सी. प्रकरणों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) राज्य में विभिन्न संवर्गों के मंत्रालयिक कर्मचारियों की सम्पन्न डी.पी.सी. की वर्षवार सूचना परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) जी नहीं। कार्यालय सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक की सत्र 2007 08 तक की बकाया डी.पी.सी. प्रक्रियाधीन है तथा कनिष्ठ लिपिक की डी.पी.सी., पदोन्नति अभ्यांश के पद उपलब्ध होने पर ही सम्भव होती है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 के प्रश्नोत्तर के अनुसार।

परिशिष्ट 'क'

मंत्रालयिक कर्मचारियों की सम्पन्न डी.पी.सी. की वर्षवार सूचना

क्र. सं.	कार्यालय/मंडल	कार्यालय अधीक्षक	कार्यालय सहायक	वरिष्ट लिपिक	कनिष्ट लिपिक	
1	आयुक्तालय माध्यमिक	2007-08	-	-	-	
2	अजमेर मंडल	-	2004-05	2004-05	1. अजमेर	2006-07
					2. भीलवाड़ा	2005-06
					3. नागौर	2005-06
					4. टोंक	2007-08
3	बीकानेर मंडल	-	2007-08	2004-05	1. चूरू	1999-2000
					2. बीकानेर	2003-2004
					3. गंगानगर	2005-06
					4. हनुमानगढ़	2006-07
					5. झुंझुनूं	2006-07
4	जोधपुर मंडल	-	2006-07	2005-06	1. जोधपुर	2003-04
					2. पाली	2006-07
					3. सिरोही	2006-07
					4. जालोर	2006-07
					5. बाड़मेर	2003-04
					6. जैसलमेर	2005-06

क्र. सं.	कार्यालय/मंडल	कार्यालय अधीक्षक	कार्यालय सहायक	वरिष्ट लिपिक	कनिष्ट लिपिक	
5	कोटा मंडल	-	2006-07	2006-07	1. कोटा	2006-07
					2. बारां	2007-08
					3. बूंदी	2007-08
					4. झालावाड़	2007-08
					5. स. माधोपुर	2007-08
					6. करौली	2006-07
6	उदयपुर मंडल	-	2007-08	2007-08	1. उदयपुर	2006-07
					2. चित्तौड़गढ़	2006-07
					3. डूंगरपुर	2006-07
					4. बांसवाड़ा	2007-08
					5. राजसमंद	2006-07
7	जयपुर मंडल	-	2006-07	2006-07	1. जयपुर	2006-07
					2. भरतपुर	2002-03
					3. धौलपुर	2007-08
					4. अलवर	2006-07
					5. दौसा	2006-07
					6. सीकर	2006-07

भाषाई अल्पसंख्यक राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, अजमेर का पुनर्संचालन

203. श्री भंवरू खां (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय भाषायी अल्पसंख्यक (उर्दू, सिंधी, पंजाबी व गुजराती) संचालित था जिसको वर्ष 2001 में बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस विद्यालय को पुनः संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी उर्दू अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो उक्त शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय के अभाव में भविष्य में तृतीय श्रेणी उर्दू अध्यापक किस विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार आदेश क्रमांक पं. 12(1) शिक्षा-1/95 पार्ट-I दिनांक 24.3.2000 के द्वारा राज्य में संचालित समस्त सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बन्द कर दिये गये थे।

(2) जी नहीं। इस विद्यालय को पुनः चालू करने का प्रस्ताव विभाग के पास वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। शेष प्रश्नोत्तर खण्ड-2 के अनुसार है।

रानीवाड़ा के विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

204. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा (जालौर) में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

(2) क्या सरकार सैकण्डरी बोर्ड की परीक्षा को मुद्देनजर रखते हुए वैकल्पिक विषयों के अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा (जालौर) में अध्यापकों के माध्यमिक शिक्षा में 86 पद व प्रारम्भिक शिक्षा में 261 पद रिक्त हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में नवनियुक्त अध्यापकों से पदों को भरने की कार्यवाही जारी है तथा माध्यमिक शिक्षा में विभागीय पदोन्नति द्वारा अध्यापक उपलब्ध होने पर पद भरे जा सकेंगे।

(2) सैकण्डरी बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए वैकल्पिक विषयों के अध्यापकों के रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यार्थी मित्र योजना/शैक्षिक व्यवस्था योजना संचालित है।

बांदीकुई में विभिन्न योजनान्तर्गत विद्युत कार्य

205. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2008 तक कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कहां-कहां पर सम्पन्न कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक निम्न योजनाएं क्रियान्वित की गई। योजनाओं पर व्यय की गई राशि एवं सम्पन्न कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

11. <u>के.वी. फीडर सुधार कार्यक्रम</u>– विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में एफ.आर.पी. के तहत 30 फीडरों का का कार्य पूर्ण करवाया गया। जिन पर लगभग 9.00 करोड़ रु. व्यय किये गये।

<u>राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-</u> विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में इस योजना के तहत 850 बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये गये। जिन पर अनुमानत : 1.40 करोड़ रु. व्यय हुए।

<u>33/11 के.वी. सब स्टेशन-</u> विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 33/11 के.वी. के चार नवीन सब-स्टेशनों का निर्माण किया गया है जो क्रमशः मोटूका, गुढालिया, कौलाना व आभानेरी है जिन पर अनुमानित 280 लाख रु. व्यय किये गये।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) वर्तमान में शेष 29 फीडरों का सुधार कार्यक्रम प्रस्तावित है जिनकी अनुमानित लागत 6.50 करोड़ रु. है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 3150 बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत तंत्र बिछाकर घरेलू विद्युत कनेक्शन देना प्रस्तावित है जिन पर अनुमानित लागत 5.23 करोड़ रु. प्रस्तावित है।

कपासन क्षेत्र के लम्बित विद्युत कनेक्शन प्रकरण

206. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र कपासन में कुल कितने कृषि/नर्सरी/घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए गये व कितने कनेक्शन काटे गये? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रत्येक योजना में कुल कितने आवेदन कनेक्शन हेतु लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पुराने डिमाण्ड जमा शुदा/डिमाण्ड रिन्युअल पत्रावलियों पर कनेक्शन के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र कपासन में जनवरी 2004 से अब तक पुराने काटे गये कनेक्शनों को पुन: जुड़वाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए इनमें से कितने कनेक्शनों को पुन: जोड़ दिया गया तथा कितने कनेक्शन जोड़े जाने शेष हैं? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) विधान सभा क्षेत्र कपासन में जनवरी 2004 से अब तक विद्युत कनेक्शन नामान्तरण के कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने नामान्तरित किए गये व कितने आवेदन किस स्तर पर कहां पर अवशेष हैं? कारण सहित संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र कपासन में जारी एवं काटे गये कनेक्शनों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :-

श्रेणी	**जारी कनेक्शन**	**काटे गये कनेक्शन**
कृषि	1168	1354
नर्सरी	0	0
घरेलू	3308	1499

(ऊर्जा मंत्री)

उपरोक्त की ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में प्रत्येक योजना में लम्बित आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार है :-

अ. कृषि श्रेणी

1.	सामान्य	-	644
2.	अनुसूचित जाति	-	66
3.	नर्सरी	-	0
	योग	**-**	**710**
ब. घरेलू -			**690**
	कुल योग-		**1400**

पंचायतवार सूची परिशिष्ट–ब पर उपलब्ध है।

(3) पुराने डिमाण्ड जमाशुदा/डिमाण्ड रिन्युअल पत्रावलियों पर कनेक्शन देने के नियमों की प्रति परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(4) विधान सभा क्षेत्र कपासन में जनवरी 2004 से अब तक पुराने काटे गये कनेकशनों को पुनः जुड़वाने के लिए 6202 आवेदन पत्र प्राप्त हुए उनमें से 6202 को ही पुनः जोड़ दिया गया। इनकी पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

(5) विधान सभा क्षेत्र कपासन में जनवरी 2004 से अब तक विद्युत कनेक्शन नामान्तरण हेतु प्राप्त 39 आवेदनों में से 31 आवेदनों का नामान्तरण किया जा चुका है तथा शेष आठ आवेदकों को मांग पत्र की राशि जमा नहीं करवाने के कारण अथवा आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में निरस्त किया गया। संख्या सूची परिशिष्ट 'य' पर उपलब्ध है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिले में पशु बीमा योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

207. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न पशुओं का बीमा करने संबंधी विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो दिनांक 1

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2008 तक जिला बीकानेर से सम्बद्ध कब-कब किन-किन पशुओं हेतु कौन-कौनसी योजना सरकार द्वारा चलाई गई तथा इस प्रीमियम का भुगतान पशुपालक एवं सरकार द्वारा किस अनुपात में किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है? यदि हां, तो उक्त अवधि में कब-कब, कितना कितना लक्ष्य किस-किस योजनान्तर्गत निर्धारित किया गया तथा इनमें से कितने लक्ष्य की प्राप्ति की गई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है? यदि हां, तो क्यों? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि किस-किस योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि का प्रीमियम जमा करवाया गया तथा इसके बदले कितनी राशि का क्लेम स्वीकृत किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 01.01.2004 से 31.01.2008 तक जिला बीकानेर से सम्बद्ध बीमा योजना एवं इसमें पशुपालक व सरकार द्वारा भुगतान प्रीमियम का अनुपात निम्न प्रकार है :-

पशु किस्म	**बीमा योजना का नाम**	**पशुपालक द्वारा प्रीमियम भुगतान का प्रतिशत**	**राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रतिशत**
भेह व भेड़ पालकों हेतु	अविका कवच बीमा योजना	75	25
	अविका पाल बीमा योजना	75	25
	अविरक्षक बीमा योजना	66.7	33.3
गायों एवं गोपालकों हेतु	कामधेनु बीमा योजना	75	25
	गोपालक बीमा योजना	75	25
	गोरक्षक बीमा योजना	66.7	33.3

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी हां। दिनांक 01.01.2004 से 31.01.2008 तक की अवधि में जिला बीकानेर में योजनावार निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्ति निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	बीमा योजना का नाम	वर्ष 04-05		वर्ष 05-06		वर्ष 06-07		वर्ष 07-08	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	अविका कवच बीमा योजना	11000	12100	15000	16469	17000	10970	18000	2520
2	अविकापाल बीमा योजना	5000	735	2500	954	2500	504	2500	56
3	अविरक्षक बीमा योजना	5500	2860	3500	1793	3000	1085	3000	416
4	कामधेनु बीमा योजना	-	-	1000	917	1500	831	1500	234
5	गोपालक बीमा योजना	-	-	1200	745	1200	448	1200	131
6	गोरक्षक बीमा योजना	-	-	1800	997	1800	780	1800	180

(3) बीमा कम्पनियों के असहयोग, पशुपालकों की बीमा में अरूचि, बीमा कम्पनी द्वारा पशुपालकों को उनके क्लेम राशि भुगतान समय पर उपलब्ध नहीं करवाये जाने तथा पशुपालकों द्वारा आगमी वर्षों में बीमा नवीनीकरण नहीं करवाए जाने के कारण बीमा प्रगति शिथिल रही है।

बीमा योजनान्तर्गत जमा प्रीमियम राशि एवं स्वीकृत क्लेम राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	बीमा योजना का नाम	राज्य सरकार द्वारा जमा कराई गई प्रीमियम राशि रुपयों में	स्वीकृत क्लेम राशि रुपयों में
1	अविका कवच बीमा योजना	32,43,664	42,93,135
2	अविकापाल बीमा योजना	2,26,440	-
3	अविरक्षक बीमा योजना	1,77,450	1,25,000
4	कामधेनु बीमा योजना	7,61,800	17,97,720

(पशुपालन मंत्री)

क्र. सं.	बीमा योजना का नाम	राज्य सरकार द्वारा जमा कराई गई प्रीमियम राशि रुपयों में	स्वीकृत क्लेम राशि रुपयों में
5	गोपालक बीमा योजना	1,29,160	50,000
6	गोरक्षक बीमा योजना	85,215	--
	कुल	**46,23,729**	**62,65,855**

फलासिया के अपूर्ण ग्राम पंचायत भवन

208. श्री बाबूलाल खराडी (फलासिया) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया की पंचायत समिति कोटडा एवं झाडोल में कई भवन अपूर्ण हैं? यदि हां, तो कितने एवं किन-किन कारणों से तथा सरकार इन्हें कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया की पंचायत समिति झाडोल में कुल 66 भवन अपूर्ण हैं उक्त भवन अकाल राहत योजनान्तर्गत स्वीकृत होने से योजना बन्द हो जाने से अपूर्ण रहे हैं। इस अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने हेतु एस.एफ. सी. III योजना से स्वीकृति जारी कर दी गई है।

पंचायत समिति कोटडा में कुल 4 कार्य अपूर्ण हैं जो अकाल राहत में विलम्ब से शुरू होने से समयाभाव के कारण अपूर्ण रहे हैं इन्हें अन्य योजना अन्तर्गत पूर्ण कराया जाना है।

उक्त अपूर्ण कार्यों को वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में पूर्ण करवाया जावेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या-209

(स्थगित)

पावर प्लाण्टों से बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम

210. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सरसों की तूड़ी (डंठल) आदि व्यर्थ पदार्थों से चलाये जा रहे पावर प्लाण्ट प्रदूषण में बढ़ोत्तरी में सहयोग कर रहे हैं? यदि हां, तो राज्य में स्थित उक्त प्रकार के उद्योगों से कितना प्रदूषण होता है? प्लान्टवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकार के पावर प्लान्ट किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी क्षमता से किस-किस के द्वारा स्थापित किये हुये हैं? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में चिन्हित की गई कमियां क्या-क्या रही तथा कमियों का निराकरण किया जाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपरोक्त उद्योग को प्रदूषण रहित बनाने के लिये कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। सरसों की तूड़ी (डंठ) आदि व्यर्थ पदार्थों से चलाये जा रहे पावर प्लांट से निकलने वाले वायु प्रदूषक तत्वों की मोनेटरिंग राज्य मण्डल द्वारा समय-समय पर की गई एवं विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषक तत्व निर्धारित मानक सीमा में पाये गये।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य में सरसों की तूड़ी (डंठल) आदि व्यर्थ पदार्थों से चलाये जा रहे पावर प्लांट का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) जी हां। इस प्रकार के सरसों की तूड़ी (डंठल) आदि व्यर्थ पदार्थों से चलाये जा रहे पावर प्लांट की निरीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

राज्य मण्डल द्वारा इन उद्योगों से उत्सर्जित वायु एवं उच्छिष्ठ निस्त्राव में विद्यमान प्रदूषक तत्वों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु बाध्य किया जाता है। निर्धारित मानकों की पालना नहीं करने वाले उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	उद्योग का नाम	स्थान	उद्योग की क्षमता
1.	मैसर्स कलपतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	चक 27, बी.बी. तहसील पदमपुरा, जिला श्रीगंगानगर	7.8 मेगावाट
2.	मैसर्स सूर्या चम्बल पावर लिमिटेड	ग्राम रणपुर, जिला कोटा	7.5 मेगावाट
3.	मैसर्स अमृत एन्वायरमेन्टल टेक्नोलोजीज प्रा. लि.	एस.पी. 3-5, रीको औद्योगिक क्षेत्र, केशवाना, तह. कोटपूतली, जिला-जयपुर।	7.5 मेगावाट
4.	मैसर्स कलपतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	ग्राम खातोली, तह. उनियारा, जिला टोंक	8 मेगावाट

परिशिष्ट 'ब'

क्र. सं.	उद्योग का नाम	विगत एक वर्ष में किये गये निरीक्षणों की दिनांक	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	निराकरण हेतु उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही
1.	मैसर्स कलपतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, चक 27, बी.बी. तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर	8.8.2007	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	मैसर्स सूर्या चम्बल पावर लिमिटेड, ग्राम रणपुर, जिला कोटा	20.12.2007	1. फ्लाई ऐश के निस्तारण के संबंध में सूचना नहीं दी गई। 2. एनवायरमेन्ट आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।	1. फ्लाई ऐश के निस्तारण के संबंध में सूचना प्रस्तुत कर दी गई है। 2. एनवायरमेन्ट आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया है।

क्र. सं.	उद्योग का नाम	विगत एक वर्ष में किये गये निरीक्षणों की दिनांक	निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां	निराकरण हेतु उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही
3.	मैसर्स अमृत एन्वायरमेन्टल टेक्नोलोजीज प्रा.लि., एस.पी. 3-5, रीको औद्योगिक क्षेत्र, केशवाना, तह. कोटपूतली, जिला-जयपुर।	8.3.2007	1. सोलर इवोपेरेशन पेन नहीं बनाया। 2. चिमनी पर परिविक्षा हेतु सुविधा स्थापित नहीं। 3. वृक्षारोपण पर्याप्त नहीं। 4. उच्छिष्ठ निस्त्राव कच्ची भूमि पर होता पाया गया। 5. वाटर मीटर नहीं लगाये गये। 6. रसायन डोजिंग एवं फ्लेश मिक्सिंग टैंक स्थापित नहीं किये गये राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 24.5.2007 को उद्योग को कारण बताओ नोटिस दिया गया।	उद्योग ने सूचित किया है कि कार्यवाही कर दी गई है। उद्योग द्वारा की गई कार्यवाही के सत्यापन के लिये दिनांक 5.12.2007 एवं 11.2.2008 को किये गये निरीक्षण के दौरान उद्योग बन्द पाया गया।
4.	मैसर्स कलपतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, ग्राम खातोली, तह. उनियारा, जिला टोंक	9.10.2007	डी.जी. सेट पर स्थापित चिमनी की ऊंचाई पर्याप्त नहीं पाई गई। राज्य मण्डल द्वारा दिनांक 16.2.2008 को कारण बताओ नोटिस दिया गया।	उद्योग से उत्तर अपेक्षित है।

भीलवाड़ा जिले के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

211. श्री कैलाश त्रिवेदी (सराड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? क्या सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार एवं कच्चे सामान रखने एवं पोषाहार ग्रहण करते वक्त बैठने के लिए व्यवस्था है? क्या उन सभी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में ही संचालित हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में स्वीकृत सभी 1785 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 107 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

सभी संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर पोषाहार व कच्चे सामान को रखने एवं पोषाहार ग्रहण करते वक्त बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था है।

जिले में संचालित 1892 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1130 केन्द्र विभागीय भवनों में एवं 762 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं, सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में लगभग 40 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। शेष भवनों के लिये आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जा रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

क्रम संख्या	नाम परियोजना	विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र
1	आसीन्द	152	42
2	बनेडा	79	29
3	भीलवाड़ा (शहर)	-	110
4	हुरडा	75	36
5	जहाजपुर	96	118
6	कोटडी	99	55

क्रम संख्या	नाम परियोजना	विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र	किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र
7	मांडल	118	83
8	मांडलगढ़	140	91
9	रायपुर	83	20
10	सहाड़ा	74	62
11	शाहपुरा	119	61
12	सुवाणा	95	55
	योग	**1130**	**762**

फुलेरा के आंगनबाड़ी केन्द्र

212. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2004 के बाद उक्त क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां खोले गये। सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में कहां-कहां पर नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित हैं और उन्हें कब तक खोल दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बाल विकास परियोजना सांभर में 202 एवं बाल विकास परियोजना दूदू के 7 केन्द्रों को मिलाकर कुल स्वीकृत सभी 209 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 209 केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्वीकृत 209 पदों में से 8 केन्द्रों पर तथा सहायिका के स्वीकृत 209 पदों

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

में से 6 केन्द्रों पर पद रिक्त हैं। आशा सहयोगिनियों के 183 पद स्वीकृत हैं इनमें से 39 आशा सहयोगिनियों के पद रिक्त हैं।

सभी रिक्त पदों को आगामी ग्राम सभाओं के माध्यम से प्राप्त चयन प्रस्तावों के आधार पर नियमानुसार भर दिया जायेगा। रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-अ पर ही संलग्न है।

(3) फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 1 जनवरी, 2004 के बाद कुल 41 आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं। जिसमें परियोजना सांभर के 40 एवं परियोजना दूदू में एक केन्द्र खोला गया है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले ग्रामों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने जाने की स्वीकृति, भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत खोलने की कार्रवाई की जाएगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्मिकों की अधिवार्षिक की आयु

213. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु राज्य कर्मचारियों की भांति 60 वर्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। निगम कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु के सम्बन्ध में राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त परिपत्र क्रमांक 1219 दिनांक 29.5.2004 व राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम डिवीजन) से प्राप्त परिपत्र क्रमांक 98 दिनांक 24.5.2004 की अनुपालना में निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 28/04 के द्वारा निगम कर्मियों की अधिवार्षिकी आयु

(यातायात मंत्री)

58 वर्ष ही रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तथा इसी अनुरूप निगम कर्मियों को सेवानिवृत्त किया जा रहा है।

निगम प्रशासन निगम कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने का विचार नहीं रखता है।

निम्बाहेड़ा में नवीन मार्गों पर निगम बस सेवा

214. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विभिन्न आगारों (डिपों) के माध्यम से प्रमुख मार्गों पर बसों का संचालन किया जाता है? यदि हां, तो निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी तहसील मुख्यालयों व क्षेत्र में निगम की कितनी बसें प्रतिदिन संचालित होती हैं? संचालित बसों व दोनों तहसीलों का मार्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक विभिन्न आगारों के माध्यम से निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में कितनी नई बसों का किस-किस मार्ग पर संचालन प्रारम्भ किया गया तथा कितनी बसें किस-किस मार्ग पर बन्द हुई? नई संचालित बसों व बन्द हुई बसों का मार्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के परिवहन विहीन मार्गों व जिलों में नई बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी तहसील मुख्यालयों व क्षेत्र में निगम द्वारा प्रतिदिन 252 एकल परिचक्र (126 अप एवं 126 डाउन) संचालित किये जा रहे हैं जिनका मार्गवार विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 (जनवरी 2008) तक विभिन्न आगारों द्वारा निम्बाहेड़ा-छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में 13 मार्गों पर 38 एकल परिचक्रों का संचालन प्रारम्भ किया गया है, तत्सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है। इन मार्गो पर संचालित की गई बसें वर्तमान में यथावत संचालित हैं।

(यातायात मंत्री)

निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में पूर्व से संचालित निम्न 2 मार्गों पर पर्याप्त यात्रीभार न मिलने एवं अनार्थिक रहने के कारण वाहन संचालन बन्द किया गया है :-

1. मन्दसौर-चित्तौड़गढ़

2. छोटी सादड़ी- जलोदिया

(3) जी हां। वाहन संचालन की मांग प्राप्त होने पर संचालन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तिजारा-कोटकासिम-किशनगढ़-भिवाड़ी हेतु नगरीय बस सेवा

215. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में तहसील तिजारा, तहसील कोटकासिम व तहसील किशनगढ़बास तक की आम जनता का कामकाज हेतु रोजाना भिवाड़ी आवागमन चलता रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों के बीच सी.टी.एस. बस सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में तहसील तिजारा, तहसील कोटकासिम व तहसील किशनगढ़बास तक की आम जनता का कामकाज हेतु रोजाना भिवाड़ी आवागमन चलता रहता है।

जी नहीं। इन क्षेत्रों के बीच सी.टी.एस. बस सेवा चालू करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि सी.टी.एस. बसें नगरपालिका/नगर निगम/नगर विकास न्यास क्षेत्र की सीमा के भीतर ही संचालित की जा सकती हैं। तथापि आमजन की सुविधा के लिए किशनगढ़बास, कोटकासिम तिजारा क्षेत्रों से भिवाड़ी के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल 49 बसों की 148 सेवाएं तथा 73 निजी बसों की 322 सेवाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर यात्रियों के आवागमन की सुविधा के लिए 110 आटो रिक्शा/आटो तांगा को भी संविदा अनुज्ञा पत्र जारी हैं।

नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) में निगम बस स्टैण्ड की स्थापना

216. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नगर पालिका क्षेत्र, राजगढ़, चूरू में परिवहन निगम का बस स्टैण्ड है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम की वर्तमान में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के के फलस्वरूप वहां पर भूमि क्रय करके उस पर बस स्टैण्ड बनाने की निगम की कोई योजना/प्रस्ताव नहीं है।

नवलगढ़ के विधायक स्थानीय विकास कोष योजनान्तर्गत अपूर्ण निर्माण कार्य

217. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से अब तक कौन-कौन से निर्माण कार्य कब-कब स्वीकृत हुए तथा कितनी राशि प्रत्येक पर व्यय होकर कब पूर्ण हुए? प्रत्येक कार्य की स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्तमान में कौन-कौन से कार्य ऐसे हैं। जो स्वीकृत तो हैं, परन्तु पूर्ण नहीं हुए हैं? निर्धारित अवधि में जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं, उनमें दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? प्रत्येक कार्य का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से 01 अप्रैल, 2004 से अब तक स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों का विवरण तथा स्वीकृत राशि, व्यय राशि व पूर्णता तिथि का विवरण परिशिष्ट अ पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्तमान में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से ऐसे स्वीकृत कार्य जो निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो पाये हैं उनका विवरण परिशिष्ट-ब पर अवलोकनीय है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत होने के उपरान्त कार्य पूर्ण होने के जगह का विवाद, निविदा प्रक्रिया तथा कतिपय कार्यों में विभागीय प्रक्रिया के कारण कुछ कार्यों में विलम्ब होने की स्थिति बन जाती है। ऐसे स्थिति में किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

करौली में जिला गरीबी उन्मूलन योजनान्तर्गत करवाये गये कार्य

218. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र करौली में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना कार्यक्रम के तहत दिनांक 01 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2008 तक की अवधि में कौन-कौनसी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य, कहां-कहां पर सम्पन्न कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

लागू नहीं है। विधान सभा क्षेत्र करौली में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना संचालित नहीं है।

सिरोही जिले में रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत न्यूनतम मजदूरी

219. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में रोजगार गारंटी योजना में वर्ष 2007-08 में श्रम आधारित (सामग्री रहित) कच्चे निर्माण कार्यों पर न्यूनतम औसत मजदूरी क्या रही? माहवार, ब्लाकवार एवं जिले का औसत मजदूरी भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में वर्ष 2007-08 में सामग्री सहित निर्माण कार्यों पर न्यूनतम औसत मजदूरी क्या रही? माहवार, ब्लाकवार एवं जिले का औसत मजदूरी भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सिरोही जिले में उक्त योजना में सामग्री मद में व्यय का वर्ष 2007-08 का ब्लाकवार एवं जिले का व्यय का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में रोजगार गारंटी योजना में वर्ष 2007-08 में श्रम आधारित कच्चे (सामग्री रहित) निर्माण कार्यों पर औसत मजदूरी रु. 59.90 रही है। माहवार व ब्लॉकवार एवं जिले की औसत मजदूरी का भुगतान विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सिरोही जिले में वर्ष 2007-08 में सामग्री सहित निर्माण कार्यों पर औसत मजदूरी रु. 62.79 रही है। माहवार, ब्लाकवार एवं जिले का औसत मजदूरी भुगतान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सिरोही जिले में उक्त योजना में सामग्री मद में व्यय का वर्ष 2007-08 का ब्लॉकवार एवं जिले का व्यय का माहवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति हिण्डौली में पंचायत समिति सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत कार्य

220. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बून्दी जिले की हिण्डौली पंचायत समिति में वर्तमान प्रधान के पदभार ग्रहण करने के पश्चात क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्येक निर्वाचन क्ष्ोत्र में अब तक 30 प्रतिशत एस.जी.आर.वाई. एवं निजी आय से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये स्वीकृत की गई और कितने कितने कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्य आरम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृतियां किस-किस पंचायत समिति सदस्य की अभिशंषा के आधार पर जारी की गई तथा इन स्वीकृतियों व कार्यों का अनुमोदन पंचायत समिति की किस-किस बैठक में किया गया?

(3) पंचायत समिति, हिण्डौली के निर्वाचन क्षेत्रों में से किन-किन पंचायत समिति सदस्यों की अभिशंषा के विपरीत कार्य स्वीकृत किये गये तथा किन-किन पंचायत समिति के सदस्यों की अभिशंषा के पश्चात् कोई भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया?

उत्तर

(1) पंचायत समिति में वर्तमान प्रधान श्रीमती शारदा वर्मा के पदभार ग्रहण करने के पश्चात सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 30 प्रतिशत राशि एवं निजी आय से पंचायत समिति क्षेत्र में स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृतियां पंचायत समिति की प्रशासन स्थापना स्थायी समिति/साधारण सभा की बैठकों में अनुमोदन उपरांत उपलब्ध राशि से जारी की गई है। उक्त स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन पंचायत समिति की जिस बैठक में किया गया, उसकी दिनांक कार्य के समक्ष परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 7 पर अंकित है।

(3) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 30 प्रतिशत में पंचायत समिति स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन साधारण सभा में किया जाकर उपलब्ध बजट अनुसार कार्यों की स्वीकृतियां जारी किये जाने का प्रावधान है। पंचायत समिति सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक प्रस्ताव दिये जाने का कोई प्रावधान योजना की कार्य निर्देशिका में नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय हाड़ी रानी महाविद्यालय, सलूम्बर में व्याख्याताओं के रिक्त पद

221. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में राजकीय हाड़ी रानी महाविद्यालय सलूम्बर में व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं। तथा उन रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) हाड़ी रानी महाविद्यालय सलूम्बर में संविदा के आधार पर कितने विषयों में व्याख्याताओं के पद भरे गये तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्याख्याताओं में सें कुछ व्याख्याताओं की नियुक्ति हाड़ी रानी महाविद्यालय, सलूम्बर में की गई है? यदि हां, तो विषयानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय हाड़ी रानी महाविद्यालय, सलूम्बर में व्याख्याताओं के 14 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 07 व्याख्याता कार्यरत हैं एवं 07 रिक्त पद हैं, रिक्त पदों में से गृह विज्ञान विषय में ही संविदा के आधार पर पूर्णतयाः अस्थाई व्याख्याता लगाया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 456 व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(2) हाड़ी रानी महाविद्यालय, सलूम्बर में संविदा के आधार पर ए.बी.एस.टी., व्यावसायिक प्रशासन, गृह विज्ञान विषयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया गया था, परन्तु केवल गृह विज्ञान विषय में ही संविदा व्याख्याता उपलब्ध हो सका। संविदा व्याख्याता के 03 पदों के विरुद्ध एक व्याख्याता उपलब्ध हुआ एवं 02 पद रिक्त रहे। चालू शैक्षणिक सत्र में संविदा के आधार पर रिक्त पदों को भरने की अब कोई उपयोगिता नहीं है।

(3) जी नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में विषय व्याख्याताओं के रिक्त पद

222. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में कला, विकास व वाणिज्य विषय में कितने विषय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कला वर्ग के कुल संचालित विषयों में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पदों पर व्याख्याता कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में व्याख्याताओं की कमी को पूरा करने के लिए इन पदों पर भर्ती करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में कला में 96, विज्ञान में 80 एवं वाणिज्य में 22 व्याख्याताओं कार्यरत हैं। सूची संलग्न है।

(2) कला वर्ग में कुल संचालित विषयों में 103 व्याख्याता पद स्वीकृत है, जिन पर 96 व्याख्याता कार्यरत हैं तथा 07 पद रिक्त है। विवरण संलग्न है।

(3) जी हां। रास्थान लोक सेवा आयोग को व्याख्याताओं को 456 रिक्त पदों हेतु चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भ्रा जा सकेगा।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में कार्यरत व्याख्याताओं का विवरण निम्न प्रकार है

कला वर्ग

क्र.सं.	कला वर्ग	
	विषय	कार्यरत व्याख्याता
1	राजस्थली	01
2	परशियन	01
3	संगीत (कण्ठ)	02
4	भूगोल	13
5	हिन्दी	08
6	दर्शनशास्त्र	04
7	इतिहास	14
8	सिन्धी	04
9	अर्थशास्त्र	09
10	अंग्रेजी	05
11	संस्कृत	04
12	राजनीतिशास्त्र	15
13	समाजशास्त्र	07
14	उर्दू	04
15	विधि	06
	कुल योग	**96**
क्र.सं.	**विज्ञान वर्ग**	
	विषय	**कार्यरत व्याख्याता**
1	वनस्पति शास्त्र	20
2	रसायनशास्त्र	23
3	गणित	10
4	भौतिकशासत्र	12
5	प्राणीशास्त्र	15
	कुल योग	**80**

क्र.सं.	वाणिज्य वर्ग	
	विषय	कार्यरत व्याख्याता
1	ए.बी.एस.टी.	07
2	व्या. प्रशासन	07
3	ई.ए.एफ.एम.	08
	कुल योग	22

इसके अतिरिक्त इतिहास और उर्दू विषय में एक-एक व्याख्याता माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के तहत कार्यरत है।

राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में कला वर्ग में स्वीकृत, कार्यतर एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कला वर्ग			
	विषय	स्वीकृत पद	कार्यरत व्याख्याता	रिक्त पद
1	राजस्थानी	01	01	0
2	परशियन	01	01	0
3	संगीत (कण्ठ)	02	02	0
4	भूगोल	15	13	02
5	हिन्दी	08	08	0
6	दर्शनशास्त्र	04	04	0
7	इतिहास	13	14	-1
8	सिन्धी	04	04	01
9	अर्थशास्त्र	09	09	0
10	अंग्रेजी	06	05	01
11	संस्कृत	04	04	0
12	राजनीतिशास्त्र	15	15	0
13	समाजशास्त्र	06	07	-1
14	उर्दू	04	04	0
15	विधि	11	06	05
	कुल योग	**103**	**96**	**07**

इसके अतिरिक्त इतिहास और उर्दू विषय में एक-एक व्याख्याता माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के तहत कार्यरत है।

बायतु (बाडमेर) में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

223. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के लिए कोई संस्कृत महाविद्यालय नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिले में एक मात्र वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय बायतु कस्बे में ही लम्बे समय से चल रहा है?

(3) क्या सरकार बायतु में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-110 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

बीपीएल परिवारों के निवास पर विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत कुल 2387.88 लाख रु. राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। जिलेवार व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार संलग्न है

31.01.08 तक

क्र.सं.	जिला	जारी किये गये बीपीएल कनेक्शनों की संख्या	व्यय की गई राशि (लाख रु.)
1	धौलपुर	1759	26.39
2	करौली	78	1.17
3	कोटा	16055	24.83
4	बूंदी	6103	91.55
5	अलवर	19938	299.07
6	दौसा	14948	224.22
7	झालावाड़	8236	123.54
8	चित्तौड़गढ़	58	0.87
9	उदयपुर	52	0.78
10	झुंझुनूं	5698	85.47
11	अजमेर	12632	189.48
12	सीकर	10640	156.90
13	राजसमंद	14092	211.38
14	डूंगरपुर	13305	199.58
15	भीलवाड़ा	25054	375.81
16	हनुमानगढ़	9152	137.28
17	जैसलमेर	1952	29.28
18	गंगानगर	14127	211.91
19	बीकानेर	7130	106.95
20	सिरोही	4420	66.30
21	जालौर	6968	104.52
22	जोधपुर	7257	108.86
23	चूरू	11223	168.35
24	नागौर	700	10.50
	कुल	**211397**	**3170.95**

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-19 मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) :

1. लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी भवनों की अनदेखी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

2. विभाग द्वारा उप-खण्ड मुख्यालय सांगोद में पी.डब्ल्यू.डी. विश्राम गृह निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. लोक निर्माण विभाग में कनिष्ट अभियन्ता के केडर को समाप्त नहीं करने के संबंध में।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

4. खेतड़ी खण्ड में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय के भवन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

5. राजस्थान में लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों के शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

6. राज्य में लोक निर्माण कार्यों के अंतर्गत किये गये कार्यों में भेदभाव करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

7. I-अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, मालपुरा के भवन निर्माण के संबंध में।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

8. विभाग द्वारा गंगापुर (भीलवाड़ा) डाक बंगले में अतिरिक्त कमरों का निर्माण तथा वर्तमान डाक बंगले में परिवर्तन/परिवर्धन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

9. लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाये गए कार्यो की गुणवत्ता को उत्तम करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

10. तहसील कार्यालय परबतसर परिसर में डाक बंगला निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विभाग द्वारा तहसील कार्यालय परबतसर में किसानों व पेंशनरों के रुकने के लिये विश्राम स्थली बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

12. विभाग द्वारा डाक बंगला दूदू को सुविधायुक्त बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :

13. विभाग द्वारा डाक बंगला परसाद (उदयपुर) के रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

14. लोक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय भवनों की मरम्मत कार्य की गुणवत्ता एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

15. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी में उपखण्ड सीमलवाड़ा में डाक बंगला या सर्किट हाउस खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :

16. विभाग द्वारा सहायक अभियन्ता राशमी एवं गंगरार के भवनों के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

17. विभाग द्वारा उपखण्ड मुख्यालय गंगरार में बाहर से आने वाले अधिकारियों को ठहराने के लिये डाक बंगले के निर्माण एवं तहसील मुख्यालय राशमी में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

18. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई में स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय को मालपुरा के स्थान पर टोंक अधिशासी अभियंता कार्यालय के अधीन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

19. लोक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) :

20. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों के रखरखाव के संबंध में चर्चा के लिये।

21. मेड़ता शहर में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा चौराहे का सुधार व सुदृढ़ीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

22. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में तहसील, उप तहसील व बड़े गांवों में सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकारी आवास निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र कपासन के डाक बंगलों में आवासों की संख्या में बढ़ोतरी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

24. लोक निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों को समय पर नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. विभागीय सहायक अभियन्ता कार्यालय, सुमेरपुर (पाली) का भवन निर्माण व विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विभाग द्वारा साण्डेराव (पाली) डाक बंगले का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

27. विभाग द्वारा घटिया निर्माण कराने से जन-धन का अपव्यय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

28. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कार्यालय बायतु के अंतर्गत आने

(श्री तगाराम चौधरी)

वाले सहायक अभियन्ताओं के कार्य-क्षेत्र का सही बंटावारा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कार्यालय बायतु जिला बाड़मेर का वृत्त कार्यालय बालोतरा के स्थान पर बाड़मेर करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

30. विभाग द्वारा माता खेड़ा जिला अलवर में बाइपास पर एक रेस्ट हाउस बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

31. विभागद्वारा विश्राम भवन अलवर में दस नये कमरे बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विभाग द्वारा किशनगढ़ बास में बाइपास अलवर-भिवाड़ी रोड पर पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

33. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी जंक्शन पर डाक बंगला के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

34. विभाग द्वारा पुष्कर एवं पीसांगन में डाक बंगला निर्माण कराया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

35. विभाग द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कैघदा (नैनवां) जिला बूंदी के क्षतिग्रस्त कमरों की मरम्म कराने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

36. समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कखर (नैनवां) में कराए गए छात्रावास निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के बाद भी जांच नहीं की जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

37. माध्यमिक विद्यालय रायथल तहसील एवं जिला बूंदी में पर्याप्त विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति की जाने में सरकारी अनदेखी पर चर्चा के लिये।

38. भजनेरी नदी (तहसील नैनवां) की पुलिया निर्माण करने में सरकार द्वारा वर्षों से की जा रही अनावश्यक अनदेखी पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

39. सार्वजनिक निर्माण विभाग के आगरा गेट चर्च के पास अजमेर में स्थित खाली पड़े गोदाम को अजमेर की यातायात व्यवस्था को देखते हुए पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. लोक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधायक कोष से विकास कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को आबंटित राशि जारी करने के उपरान्त भी कार्य समय पर पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. अजमेर स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

43. जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय विश्रान्ति गृह की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. कोटड़ी तहसील मुख्यालय पर राजकीय विश्रान्ति गृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. जहाजपुर में पी.डब्ल्यू.डी. सहायक अभियन्ता कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. जहाजपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

48. विभाग द्वारा लोक कल्याण की योजनाओं पर कार्य के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ बनाई गई परिसम्पत्तियों जो अब कोई काम नहीं आ रही हैं के समुचित उपयोग पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

49. जोधपुर के राजकीय भवनों की प्राचीन एवं जर्जर हालत में सुधार एवं आधुनिकीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनियां (सादुलपुर) :

50. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) में कार्यरत उपखण्ड एवं खण्ड कार्यालयों को रेस्ट हाउस से हटाकर अन्यत्र निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. विभाग द्वारा शालाओं के कमरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. राजगढ़ (चूरू) के पुराने रेस्ट हाउस की हालत सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लये।

53. राजगढ़ (चूरू) के प्रशासनिक एवं न्यायिक न्यायालयों में लोगों को बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

54. लोक निर्माण कार्य के कार्यकलापों की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

55. पी.डब्ल्यू.डी. के डाक बंगलों की मरम्मत एवं प्रबन्ध में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

56. विभाग द्वारा किशनगढ़ रेनवाल में डाक बंगला (गेस्ट हाउस) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' (खण्डार) :

57. विभाग द्वारा चौथ का बरवाड़ा के संस्कृत महाविद्यालय की नवीन बिल्डिंग बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खण्डार में नवीन एम.जे.एम. कोर्ट की नवीन बिल्डिंग बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

59. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विश्राम भवन में आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

60. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री संयम लोढ़ा)

61. विभाग द्वारा शिवगंज, कालन्दी, सिरोही व पिण्डवाडा डाक बंगलों में सुविधाओं की बढ़ोत्तरी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. सिरोही सर्किट हाउस में हुए घटिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

63. विभाग द्वारा सिरोही व आबूरोड हवाई पट्टी का विस्तार करने व उचित रखरखाव करने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. विभाग द्वारा सिरोही जिले में कनिष्ठ अभियन्ता लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा) :

65. विभाग द्वारा जिला मुख्यालय भीलवाड़ा का पी.डब्ल्यू.डी. खण्ड माण्डलगढ़ को पुनः भीलवाड़ा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

66. विभाग द्वारा डाक बंगला मारवाड़ जंक्शन के रख-रखाव में दुर्दशा, परिसर में गन्दगी एवं दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

67. मारवाड़ जंक्शन के पुराने तहसील भवन के स्थान पर नया तहसील भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विभाग द्वारा पंचायत समिति रानी व देसूरी में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय भवन व स्टाफ क्वार्टर के निर्माण की आववश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

69. सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत सभी कनिष्ठ अभियंता (सिविल) डिप्लोमा/डिग्री जिनकी सेवाकाल 9 वर्ष से 24 वर्ष है, की पदोन्नति के साथ ही विभाग में कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) डिप्लोमा/डिग्री जिनका सेवाकाल 12 वर्ष से 22 वर्ष का है, को पदोन्नति दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर डाक बंगले की खस्ता हालत को नहीं सुधारे जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. राज्य के लोक निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग एवं प्रभावी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मानीटरिंग नहीं होने से समय से पूर्व क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. विभाग द्वारा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव की माकूल व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विभाग द्वारा लोक निर्माण हेतु पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निर्धारित अवधि पर कार्य पूर्ण नहीं करने अथवा घटिया कार्य करने पर प्रभावी कार्यवाही नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

74. जिला बीकानेर में स्थित विभिन्न राजकीय भवनों के 01 वर्ष से अधिक अवधि से खाली पड़े रहने से उनमें क्षति/चोरी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

75. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम मोहनपुरा में डाक बंगले की मरम्मत व सुविधाएं बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

76. बीकानेर शहर के पब्लिक पार्क, रतन बिहारी पार्क सहित राज्य के विभिन्न पार्कों के रख-रखाव पर समुचित ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) :

1. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में धार्मिक महत्व की निम्न सड़कें यथा-इन्द्रागढ़-ठीपरी रोड से माला देवी तक 4.5 किमी एवं इटावा-कोटा रोड से गुणदी महादेव तक 3 किमी निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

2. मुख्य मंत्री सड़क योजना में निम्नलिखित धार्मिक मन्दिरों यथा-भालू अनोपगढ़ से गोगादेवजी का मन्दिर, शेखालां वाया हापासर, देवातु धीरपुरा से बाबा रामदेव मन्दिर, थारमी भाडू से करणी माता मन्दिर, सिहाला तक सड़क निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) :

3. विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों एवं पुलों की देखरेख नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसरदेव बाबर (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) :

4. विभाग द्वारा पुरानी सड़कों को समय पर ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद) :

5. कोटा जिले की एमडीआर 88 के 02 किमी नहरी सड़क भाग जो वर्तमान में सीएडी विभाग के पास है उसे पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को हस्तान्तरित करने पर चर्चा के लिये।

6. कोटा की सांगोद तहसील में अन्ता-सांगोद मार्ग पर रियासतकालीन रपट के स्थान पर परवन नदी पर मऊ गांव के पास नवीन पुलिया निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

7. प्रदेश में कृषि उपज मंडियों द्वारा निर्मित 1405.99 किमी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन लेकर इन सड़कों का रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री भरत सिंह)

8. प्रदेश में सड़कों के सहारे सार्व. निर्माण विभाग की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने तथा सड़कों को खोदकर नष्ट करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. कोटा जिले की एमडीआर 88 पर नहर की हानिग्रस्त पुलिया के स्थान पर नवीन पुलिया के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) :

10. प्रदेश में सड़कों का समय पर सुदृढ़ीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

11. विधान सभा क्षेत्र मावली में पाडाबावड़ी जावद से प्याऊ भानसोल तक, माणक्यावास से वेलवाड़ा, धांसा से खाम की मावड़ी तक सड़क बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

12. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटड़ा में ऊबरी स्थान चतराराम गरासिया के निवारू के समक्ष पाटिया (गोगरूद) में पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

13. विधान सभा क्षेत्र पाली में स्वीकृत रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करने एवं सन 2001 में घोषित राजस्व गांव जिनकी आबादी पांच सौ से ज्यादा है, उन्हें डामर सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) :

14. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में प्रधान मंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कों की देखभाल सही नहीं होने, एस.एच. 8 से अजीतपुरा निर्मित डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का डामरीकरण करने एवं वर्ष 2001 के बाद घोषित राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :

15. राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में कुरज रेलमगरा मार्ग पर बनास नदी

(श्री बंशीलाल खटीक)

व मोही राज्यावास सड़क पर पुल एवं सम्पूर्ण नदियों पर पुल निर्माण कार्य करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

16. जिला अलवर एवं भरतपुर में रूपारेल नदी पर ग्राम चमरवाड़ा के पास पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गोविन्दगढ़ रोड की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

18. राज्य के प्रमुख शहरों की सड़कों की दुर्दशा एवं रखरखाव में विभाग द्वारा बरती जा रही उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. बीकानेर शहर के मध्य स्थित रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़) :

20. जोधपुर जिले में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सड़कों का निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

21. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम रामा से धुम्बड़ा माताजी मंदिर तक सड़क के डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा) :

22. विभाग द्वारा टोडारायसिंह को देवली से जोड़ने हेतु बीसलपुर बांध के पास बनास नदी पर रपट निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के अंतर्गत मालपुरा से पचेवर की ओर अधूरी एवं टूटी हुई सड़क के पुर्ननिर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) :

24. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में भरक से तिलोली, अरनिया, बिकराई, सांखला से मपपुरा ग्रामों की प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत अधूरी सड़कों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के धार्मिक स्थल भरका देवी, चरावण माता, खपुरीया भैरूं नाथडिवास महादेव सड़क के डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

26. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ग्राम भिड़खेडा, खाखला एवं अन्य गांवों में डामर सड़कों के स्थान पर सीमेन्ट की सड़कों (सी.सी. रोड) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सहाडा के ग्राम रूपपुरा से लापस्या, सांगास व अन्य डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों को डामरीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के लाखोला-भरक रोड पर 90 डिग्री के मोड़ पर सड़क होने से कई वाहन दुर्घटनाएं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) :

29. विधान सभा क्षेत्र सीकर के ग्राम समदड़ी जोड़ी एवं राजपुरा-जुराठड़ा कुडली में मादवासी में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :

30. प्रदेश में सड़कों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग लेने से गुणवत्ता में कमी रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

31. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम सुमेरपुर-शिवगंज के मध्य क्षतिग्रस्त पुल के पुर्ननिर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :

32. जोधपुर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिये फ्लाई ओवर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में जोधपुर शहर की सड़कों की दयनीय हालत को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

34. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सड़क निर्माण के कार्य के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) :

35. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बालावेरा से पांबा गोरिया एवं कडेच से

(श्री मांगीलाल गरासिया)

कुरण कोयलावाव व चांपा की नाल से कोयलावाव सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) :

36. विधान सभा क्षेत्र देसूरी में यथा-ग्राम सिन्दरसी से मुण्डारा, सादड़ी से मांदा, ठारिया से सालरिया, खरोकड़ा से चामोडी एवं मुख्य सड़क से मोरखा गांव तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह (दानुपर) :

37. विधान सभा क्षेत्र दानपुर में मिसिंग लिंक सड़कों को प्राथमिकता से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :

38. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के शहीद अमराराम के गांव जावला को सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र परबतसर की पुरानी सड़कों की मरम्मत व रिकारपेटिंग कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र परबतसर से रीको एरिया बिदियाद, हरनावां से इटावालाख, गिंगालिया से इटावालाखा, कुराड़ा गूलर वाया बरनेल, मेगा हाइवे से खोखर घाट का बालाजी, मकराना तक पेवर डामर सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के रेलवे फाटक मंगलाना पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के रानाबाईजी मन्दिर हरनावां को त्रिमूर्ति बालाजी मन्दिर एवं बडू को सड़क मार्ग से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

43. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम किशनमानपुरा से खाटूश्याम एवं तिगरिया से जगतपुरा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) :

44. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम लाड़ीली सिरसू, नगवाडा-लोरीली, लाडपुर-जेलासर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

45. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में भाट (काछबा) की पुलिया एवं सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में साकरिया (चित्रावास) तहसील गोगुन्दा में पुलिया निर्माण कार्य विशेष प्राथमिकता से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :

47. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में गांव सावलसर (श्रीगंगानगर) से गांव धीरदेसर, एक कि.मी. (हनुमानगढ़) एवं सूरतगढ़ से अनूपगढ़ सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सूरतगढ़ शहर में रेलवे ओवर-ब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) :

49. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम 70 एनपी, 25 एनपी को पक्की सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में रायसिंहनगर-श्री विजयनगर सड़क को ओ.डी.आर. से एम.डी.आर. में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बहेड़ा) :

51. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में चित्तौड़गढ़ (ईस्ट–वेस्ट कॉरीडोर क्रासिंग, निम्बाहेड़ा रोड) से निम्बाहेडा-नीमच सड़क को (एन.एच. 79) को भारी ट्राफिक दबाव के कारण राज्य सीमा तक चार लेन सड़क में परिवर्तित कर निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में निम्बाहेडा-केली-कनेरा सड़क मार्ग (एम.डी.आर. नं. 20) पर गादोला व केली गांव के पास पुलियाओं की ऊंचाई एवं चौड़ाई बढ़ाकर निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में निम्बाहेड़ा से मगलवाड़ 40 कि.मी. सड़क मार्ग पर निर्माण लागत से टोल टैक्स की राशि दुगुनी वसूली हो जाने के पश्चात भी टोल नाके नहीं हटाने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(श्री अशोक कुमार नलवखा)

54. विभाग द्वारा निम्बाहेड़ा-नीमच बाय-पास रोड (टोल-रोड) की लागत वसूल हो जाने के कारण टोल-फ्री कर टोल नाके हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 79 पर निम्बाहेड़ा नीमच मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक (निम्बाहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के भीतर) पर ओवर-ब्रिज निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :

56. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के कस्बा थाना से बमनगवा की सड़क गरड़ा से जंसवा की सड़क जलवाडा रोड पर पार्वती का पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी) :

57. विभाग द्वारा हनुमानगढ़ से ऐलनाबाद वाया टिब्बी से तलवाड़ा सड़क को डबल लाइन में बनाये जाने एवं लोक देवता केसराजी की थान से ग्राम धनासर तक 04 किमी सड़क का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :

58. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू में महत्वपूर्ण रास्तों को मिसिंग लिंक से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों को मापदण्ड के अनुसार बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र दूदू में जनजाति व डी.डी.पी. क्षेत्रों के प्रत्येक राजस्व गांव में मिसिंग लिंक या राज्य सरकार की अन्य योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

61. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में लोटियाना से मंडसेरा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ की सड़क व पुलिया के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र बेंगू की ग्राम सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर वन विभाग द्वारा लगाई गई रोक हटाने पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

63. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में रावतभाटा-रामगंजमंडी रोड पर स्थित ग्राम एकलिंगपुरा में सीसी रोड निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बीछोर से सिंगोली चारभुजा रोड पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र गंगरार से बस्सी वाया तूम्बडिया रोड की मरम्मत करने एवं रावतभाटा से गांधीसागर रोड का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

66. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 पर पाली-सुमेरपुर मार्ग को चार लेन में अपग्रेड करने एवं बीच में आने वाले प्रत्येक गांव के लिये पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) :

67. 10 वर्ष के क्राईट एरिये में आने वाली सड़कों की रिकार्पेटिंग करने एवं सड़कों एवं पुलों के निर्माण में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :

68. विभाग द्वारा हिण्डौली तहसील एवं नैनवां तहसील में 250 से 500 की आबादी वाले गांवों को सडकों से जोड़ने एवं प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

69. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में काली घाटी से बेड़सा तक एवं बेड़सा से बथड़ी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम सरथूना से डूवां तक सड़क निर्माण एवं ग्राम कदवाल में पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी में डूंगरपुर से सरथुना सड़क को 7 मीटर चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में बोडामली से कोदरिया एवं गेलन से बोडामली तक सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम) :

73. विभाग द्वारा गांवों से गांवों को जोड़ने हेतु हर विधायक को 20 कि.मी. सड़क दिये जाने का प्रावधान करने जिससे ग्रामीणों को सड़क सुविधायें मिल सकें। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुये बाछाना से गोरीधाम तक सड़क, टाटगढ़, (डुगाजी के गांव) से धणाबेड़ा की माता सड़क, मथारिया से सेण्ड माता तक सड़क, मथारिया से राणा कुम्भा महल तक एवं छापली (ढाणा) से गोकुलगढ़ सड़क का कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

74. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में मावली डांगीयान गांव को पीएमजीएसवाई स्कीम में लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

75. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पुरानी सड़कों के पुनः डामरीकरण करने एवं मैन रोड से बेसार तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में परा से अरनिया एम.डी.आर. सड़क पर स्थित सारोला कला कस्बे में ताखरोड पर नाले का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विभाग द्वारा खानपुर तहसील में ग्राम पंचायत कैवल्दा से देदिया मिसिंग लिंक सडक निर्माण स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

78. विभाग द्वारा खानपुर कस्बे में पूर्व में निर्मित खरन्जे पर डामर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र खानुपर में दरा से अरनिया वाया पनवान एवं खानपुर, एम.डी.आर. सड़क के पुनः निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) :

80. विधान सभा क्षेत्र गंगरार की सीआरएफ सड़क कारोई से कपासन की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कारोई से कपासन वाया राशमी व गंगापुर से नारेला सड़क को स्टेट हाइवे सड़क का दर्जा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र गंगरार में गंगापुर से नारेल वाया मात्रीकूण्डिया, गोपालपुरा सड़क के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

83. प्रदेश में विभाग द्वारा 500 की आबादी के मजरों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विभाग द्वारा प्रदेश में मिसिंग लिंक सड़कों का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :

85. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील सूरतगढ़ के गांव मोजेवाला 12 कि.मी. वाया चक-1-2 केएसपीएम व घग्घर डिप्रेशन पर काजवे टाईप पुल का निर्माण करने एवं नेशनल हाईवे 15 तक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के चक 29 एस.टी.जी. से लखूवाली तक लिंक रोड के बीच में घग्घर नदी पर पुल निर्माण व 0.6 रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

87. विधान सभा क्षेत्र निवाई के नला से सिरस, भगवतपुरा से दतवास तक बी.टी. रोड के निर्माण एवं निवाई से झिलाय रोड को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम रम्भा से जयकिशनपुरा, राहोली से तुम्बीपुरा, बिडोली से पचरान वाया जगमोहनपुरा मिसिंग लिंक रोड निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र निवाई में रम्भा नदी पर पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गांव सरदारपुरा एवं ठेठार गांव के बीच घग्घर डिप्रेशन पर पुल निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :

91. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ग्राम पावटा से भैंसलाना वाया ललाना, प्रागपुरा, भूरीभड़ाज व धालेड़ा होते हुये सड़क निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम बुचारा से सीकर सीमा तक अन्तर्जिला सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम राजनौता में साहबी नदी पर काजवे बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

94. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ग्राम मण्ढा से पाथरेडी तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की पंचायत समिति कोटपूतली तथा विराटनगर में बाकी बची डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

96. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम भाद्राजून से सुगलिया-जोधा सड़क को मिसिंग-लिंक में डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम धाणा सीमा पर फुल थाना नदी की क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम कवराडा-वलदरा मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

99. विधान सभा क्षेत्र पिडावा में रायपुर-सेमलीखाम रोड वाया दीवलखेडा की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र डग में गुराड़िया जोगा से आकखेड़ी तक रोड की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की ढाबली-गेलानी रोड पर स्थित ग्राम बोलीया बुजुर्ग व सांगरिया के ग्रामीण क्षेत्र में खरंजा लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सुनेल-रोशनबाड़ी रोड पर स्थित रीछड नदी की क्षतिग्रस्त रपट की मरम्मत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र पिडावा में निम्न सड़कों यथा-कोटड़ी-खारपा कलां, माथनिया-चांवडिया, आजमपुर-दूबलिया की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) (नागौर) :

104. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी सड़कें बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

105. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम जारोड़ा से मेड़ता रोड़ सड़क पर पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

106. विभाग द्वारा मेड़ता से अजमेर सड़क का सुधार व डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में वर्ष 1995 में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता से रेण तक 10 किमी सड़क को चौड़ा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) :

109. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर कस्बे के दोनों तरफ बाइपास सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गौतमलाल मीणा (लसाड़िया) :

110. विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया में धरियावाद से पारसोला वाया माण्डवी सड़क का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के ग्राम कूण से फिला वाया पाणूण्ड सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :

112. विधान सभा क्षेत्र कपासन में मुख्य मार्ग से गांव अथल बस स्टैण्ड तक पुरानी डामर निर्मित सड़क का पुनर्निर्माण एवं चौड़ी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र कपासन में मिसिंग लिंक के बकाया कार्य (डामरीकरण) कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

114. विभाग द्वारा जालौर के ऐतिहासिक दुर्ग पर जाने के लिये सम्पर्क सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम बिशनगढ़ बालवाड़ा काठाड़ी सड़क को चौड़ा करने एवं सड़क के दोनों तरफ सुरक्षित आवागमन हेतु फुटपाथ बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

116. विभाग द्वारा जालौर शहर के भीतर होकर निकलने वाली सड़कों के बेहतर रखरखाव पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम सायला-जालौर मार्ग एवं सायला-सिणधरी मार्ग तक बाईपास सड़क के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. विभाग द्वारा जालौर-आहोर मार्ग से जालौर-सायला मार्ग तक बाइपास सड़क के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाडा आबू) :

119. जालौर बागदा मार्ग से जालौर-आहोर मार्ग तक बाइपास सड़क के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. जालौर बिशनगढ़ के बीच जवाई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 को रा. राजमार्ग संख्या 15 से जोड़ने हेतु रोहिट से सांचोर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

122. जालौर से नून हवाई पट्टी तक जाने के लिये निकटतम मार्ग वाया बागरा-सांथू-नून के निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) (धोद) :

123. विधान सभा क्षेत्र धोद में स्टेट हाइवे के अन्तर्गत भारदुगा से शाहपुरा तक डामर सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

124. राज्य के किसानों की सड़कों में आयी भूमि का मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. विभाग द्वारा सीकर जिले की डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र धोद में निम्न मिसिंग लिंक सड़कों यथा गोठड़ा तगेलान से गोडीयावास, टाटनवा से सेवद छोटी, झीगर बड़ी से झीगर छोटी, सावलोदापुरोहितान से भठोठ, भैरूंपुरा से फतेहपुरा, मुकन्दपुरा से बोसाना, नागवा से खातीनाडा झाडवाड़ा एवं नागवा से पूरा छोटी तक निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अमराराम)

127. विधान सभा क्षेत्र धोद की ब्राह्मणी तलाई से सेसम सड़क का विभाग द्वारा पुनरूद्धार करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

128. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत धार्मिक स्थल तक सड़क स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विभाग द्वारा जवाई बांध रेलवे फाटक पर ओवर-ब्रिज निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विभाग द्वारा सुमेरपुर-शिवगंज के मध्य क्षतिग्रस्त पुल को ऊंचा व आधुनिक तकनीक से बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

131. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में मिसिंग लिंक रोड हेतु आवश्यक पहल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे पर स्वीकृत ओवर—ब्रिज का निर्माण शीघ्र करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (बामनवास) (सवाई माधोपुर) :

133. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मिसिंग लिंक सड़कें एवं पुल निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) :

134. विधान सभा क्षेत्र खैरथल में रेलवे फाटक के समीप रेलवे अन्डर ब्रिज बनवाने पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढ़ में हाईवे रोड से रहियन छिन-छिन कुन्डों के लिए सड़क बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

136. विभाग द्वारा भिवाड़ी अलवर हाइवे से वाया खानपुर भूसाखेड़ा तिजारा तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम सिरमौली से पड़ीसल तक सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) :

138. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम सराणा से आईपुरा तक सड़क मार्ग का मिसिंग लिंक के अन्तर्गत डामरीकरण करने हेतु।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :

139. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजस्व ग्राम दरबलों की ढाणी को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड सिवाना में समदड़ी से सेवाली सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड सिवाना में सिवाना-मिठौडा-पादरू रोड का धारणा से मीठौड़ा तक नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड सिवाना में मजला से ढीढस-घुंधाडा क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम पादरू से बावतरा (जालौर) मार्ग तक 07 किमी तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) :

144. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में निम्नलिखित ग्रामों-यथा कडैल से बैजनाथ तिराहा (खोरी), पुष्कर से वाया देव नगर खोरी कवलाई बस्सी एवं कडैल से बाढ़ी घाटी होते हुए थावला तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :

145. प्रदेश में विभाग द्वारा ग्रामीण व शहरी सड़कों के विस्तारीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में ग्राम दूधातारलपुर से माहोतो की बेर तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में छावनी रेलवे मार्ग पर अण्डर ब्रिज बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्राम तारागढ़ मारवरडा सड़क का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) :

149. विभाग द्वारा बारां जिले में धतूरिया से पचेलखुर्द, बडगांव से पचेलकलां तथा कोटडी सूण्डा से तुलसा तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विभाग द्वारा बारां जिले में पाकलखेडा से शाहपुरा, सरकन्या से मूण्डली, भोराजेडी से बडवा तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र बारां में पोखरा बावड़ी व बोरडी शनि महाराज मंदिर को सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र बारां की अंता तहसील के गांव खजूरना की पुलिया का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र बारां के अंता-सांगोद मार्ग पर मऊ गांव के पास परवन नदी के क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खीचीं (कठूमर) :

154. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कठूमर में ग्राम नंगला धनसीडा, गोला का वास, गोविन्दपुरा, शाहपुर, मूडिया, नंगला फरासिया, हनुमानवास खातीपुरा समस्त 2001 की जनगणनानुसार जनसंख्या 250, 500 आबादी वालों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

155. विभाग द्वारा बूंदी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित रायथल से ऐबरा के मध्य की कुरल पुलिया के पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

156. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नैनवां में सड़क निर्माण के काम में आयी भूमि की अवाप्ति के पश्चात मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. विभाग द्वारा बूंदी जिले में माटून्दा से जघाणा वाया रायथल सड़क के संधारण तथा शेष रहे हिस्से को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विभाग द्वारा बूंदी जिले में हणोत्या तथा जैथल के मध्य बहने वाली

(श्री रामनारायण मीणा)

कुरल नदी पर पुलिया निर्माण में बरती जा रही सरकार की घोर अनदेखी पर चर्चा के लिये।

159. प्रदेश में राजमार्ग संख्या 34 की सड़क मरम्मत तथा कुरल नदी की पुलिया के पास की सडक मरम्मत में की गई अनदेखी पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) :

160. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के ग्राम ओगणा से जुडा वाया लादेन सड़क एवं निचली सिरकी से गरनवास तक पुलिया एवं सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) :

161. विभाग द्वारा अजमेर में स्वीकृत तोपदड़ा रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 पर किशनगढ़ शहर से ब्यावर तक सड़क को 04 लेन में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विभाग द्वारा अजमेर में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरूस्त करने मिसिंग लिंक योजना के तहत राशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विभाग द्वारा अजमेर में जोन्सगन्ज रेलवे क्रांसिंग पर आर.ओ.बी. के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. अजमेर के स्टेशन रोड पर बढ़ते यातायात के मध्येनजर आदर्श नगर से रेलवे लाइन के समीप स्थित नाले के साथ-साथ मदार नारेली जयपुर रोड को मिलाने वाली नई रिंग रोड के निर्माण हेतु 03 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई) :

166. नदबई क्षेत्र में मिसिंग लिंक रोड निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) :

167. विधान सभा क्षेत्र भादरा में गोगामेड़ी मेलों के समय होने वाली

(डा. सुरेश चौधरी)

अव्यवस्था को देखते हुए वहां बाइपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. प्रदेश में एक ही या एक से अधिक पंचायत समितियों के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को आपस में डामर सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. प्रदेश में दो राज्यों एवं दो जिलों के सीमावर्ती गांवों को आपस में सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र भादरा-राजगढ़ सड़क पर स्थित मानवरहित रेल्वे क्रासिंग से बचने के लिये अनूपशहर से भाड़ी मोड़ तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) :

171. विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में गांवों की दूरी को दृष्टिगत रखते हुए मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति प्रदान करने एवं जैसलमेर जोधपुर हाईवे रोड पर नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

172. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सीमलवाड़ा से सरथूना सड़क पर छारण बस्ती से झलाई तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) :

173. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में निम्नांकित ग्रामों यथा-चौकी से गोडीयावाड़ा, घाटा से गुजरात सीमा तक, बावलवाडा से दीदलवारा, चित्तौड़ा से जावली तथा बरोठी से डेरी गोहावाड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

174. जयपुर शहर में जे.डी.ए. द्वारा अनुमोदित बालाजी विहार-II ग्राम गोविन्दपुरा, कालवाड रोड झोटवाड़ा में सड़कें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) :

175. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में ग्राम देवरी से साराश सड़क एवं बीड़ का

(श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया)

बालाजी सम्पर्क सड़क को डब्ल्यू.बी.एम. से डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के ग्राम ओज्याड़ा से छाछेड़ी पंचायत समिति सुवाणा में सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में धनोप माताजी बाइपास एवं खामोर से घरटा सडक का डब्ल्यू.बी.एम. से डामरीकरण में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) :

178. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम चुवा से घडवानाडा तक पक्की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) :

179. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) में नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बाइपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) में ददेड़ सुलतानसिंह से निम्नांकित ग्रामों यथा-हमीरवास, बास मामराज से रायला सीमा तक, नरवासी से ख्याली तक चुककियागढ़ से धोलिया तक नोरंगपुरा से डिगली तक एवं सुलखनिया से डिगली तक मिसिंग लिंक रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विभाग द्वारा अन्तर्राज्य मार्ग सादुलपुर-बहल की चौड़ाई बढ़ाने एवं टूटी फूटी सड़क की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

182. विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 65 के नीचे आई हुई भूमि अवाप्ति का भुगतान नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (चूरू) तहसील की सड़क राजगढ-पिलानी, राजगढ़-झुंझुनूं की चौड़ाई बढ़ाने एवं मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) :

184. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में मेघा हाइवे रोड के निम्न हिस्से यथा-नागौर से सतूर तक जयपुर से कांकरोली तक सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामरतन बैरवा)

185. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाडा) के ग्राम बिलीया से अखड तक सड़क (वाया घरटा, खामोर) निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के निम्नांकित देस्थानों यथा आनणा देवनारायण बिलीया 2.50 किलोमीटर, अरणिया घोडा देवनारायण 500 मीटर, कदमा महादेव प्रतापपुरा 900 मीटर, खेडाराय मातेश्वरी दियास 01 किलोमीटर एवं बीड के बालाजी तस्वाटिया बांसी 01 किलोमीटर को मुख्य सडक से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

187. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में राजमार्ग संख्या 39 के किमी 27/0 से 70/0 तक की पेसेंजर कार यूनिट के मापदण्ड के अनुसार निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजमार्ग सं. 26 के किमी 90/0 से 99/0 तक की पेसेंजर कार यूनिट के मापदण्डानुसार निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बागूदार से अमयपुर तक मिसिंग सड़क एवं बनास नदी पर काजवे निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के एम.डी.आर.-7 के किमी 27/0 से किमी 50/0 तक का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ओ.डी.आर.-13 के किमी 12/0 से 24/0 तक सड़क को सुदृढ़ीकरण, उन्नयनीकरण एवं चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) :

192. प्रदेश में सड़कों एवं पुल के बनाने में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल पर चर्चा के लिये।

193. झुंझुनूं जिले में सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) :

194. जिला सवाई माधोपुर में स्थित चौथ का बरवाडा तहसील में बनास नदी पर रपट निर्माण एवं काजवे निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र खण्डार की ग्राम क्यारदां से बहराउन्डा खुर्द की प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क को पूरा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र खण्डार की क्षतिग्रस्त सड़कों यथा-ग्राम सारसोद एचेंर, शिवाड, भेडोला, कुशालीपुरा से टोंडरा फलोदी, भगवतगढ़ से जोला खिजूरी से पाचोलास तलावड़ा से न्यायपुर एवं वीरपुर कोसरा मेंई गण्डावर एवं खण्डेवला को शीघ्र ही पुनः निर्माण एवं नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. खण्डार क्षेत्र के ग्राम टोडरा फ्लोदी शिवाड, सारसोप के विलेज पोर्शन में डामर सडक के बीच छूटी सड़कों को सी.सी. रोड से बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. सवाईमाधोपुर बोदल से पालीघाट तक स्टैट हाइवे निमार्णाधीन सड़क के निर्माण में अनियमितताएं एवं भारी भ्रष्टाचार के कारण कार्य के पूर्ण होने में हो रही अनावश्यक देरी के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) :

199. विभाग द्वारा बाड़मेर शहर में तिलक बास स्टैण्ड के पास आर.ओ.बी. के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :

200. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा मिसिंग लिंक से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा को मिसिंग लिंक से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा के पातेला तालाब की क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में सड़क मरम्मत एवं टूटी हुई पुलियों को ठीक नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री जीतमल खांट)

204. विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा के कृषि मण्डी से निर्मित सड़कों के रख-रखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में के लिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

205. विभाग द्वारा तिलक बस स्टैण्ड बाडमेर के पास स्वीकृत ओवर ब्रिज का कार्य तुरन्त शुरू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

206. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ग्राम पंचायत-बागौर तहसील नादौती से कस्बा बाभौरी को मिलाने वाली सड़क का मिसिंग लिंक एवं अन्य परियोजना से एक किलोमीटर का डामरीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :

207. विभाग द्वारा जयपुर कालवाड़, जोबनेर स्टेट रोड को 300 फीट चौड़ा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

208. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बालाजी वाया काचरोदा पर ट्रेफिक की व्यवस्था को देखते हुए पुल निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा डिवीजन का विस्तार कर दूदू डिवीजन को सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

210. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम हरसौली, सुंदरपुरा, खण्डेल जिनोदिया, श्यामपुरा, भैसलाना से सिनोटिया, मण्डाभीम से मीण्डा, भादवा से देवली, खेजडावास से कालख, जोरपुरा सुन्दरियावास से मुण्डोता आदि में सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

211. विभाग द्वारा जोबेनर-फुलेरा रोड एवं लालपुरा मोड़ से हिंगोनिया रेनवाल (एम.डी.आर.) रोड को 3 मीटर से 7 मीटर चौड़ी रोड करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) :

212. विभाग द्वारा थानागाजी नारायणपुर से शाहपुरा से चौमूं-रेनवाल सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र बैराठ के रामपुरा आंतेला से गणेशपुरा-टटेरा की अंतर जिला मिसिंग लिंक सड़कें पूरी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

214. विभाग द्वारा चौमूं-अजीतगढ़-शाहपुरा सड़क को बी.ओ.टी. आधार पर निर्मित, पंचायत समिति शाहपुरा को नेशनल हाइवे नं. 8 तक पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

215. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बैराठ में पूर्व में निर्मित डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों पर डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

216. विभाग द्वारा बस स्टैण्ड शाहपुरा (जयपुर) (पिपली तिराहे) से कृषि उपज मण्डी शाहपुरा तक आये दिन बढ़ते ट्रेफिक को मध्यनजर रखते हुए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

217. कामां जिला भरतपुर में स्थित धार्मिक महत्व के स्थान श्रीकुण्ड में यात्रियों की सुविधा हेतु सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :

218. राज्य में सड़क एवं पुलों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

219. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिरोही के काम्बेश्वर महादेव सड़क का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

220. विभाग द्वारा शिवगंज में जवाई नदी पर हाइवे पर नया पुल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

221. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिरोही के पोसालिया हाइवे पर स्थित पुल को नवनिर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

222. विभाग द्वारा सिरोही जिले में सड़क नवीनीकरण की समय सीमा अत्यधिक वर्षों को देखते हुए पांच वर्ष करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :

223. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के बस्सी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज (पुल) का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

224. कृषि उपज मण्डी द्वारा बनी सड़कों के रखरखाव व निर्माण कार्य पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में आर.एम.जी.एस.वाई. व अन्य मदों से पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किये जा रहे कार्यों पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

226. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) से लालसोट सीमा वाया लालगढ, तूंगा रोड की चौड़ाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) :

227. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम कासिमपुर से बाग सुन्दरपुर, नेकपुर से विजरपुर, दीवान का पुरा, हिन्नोदापुरा, ग्रेवल सड़क पर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में विधायक निधि एवं अन्य मदों से स्वीकृत सड़कों पर डामरीकरण व सी.सी. सड़क कार्य प्रारम्भ नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में निर्माण कार्यों में देरी, सड़क निर्माण में घटिया कार्य एवं घटिया डामर एवं गुणवत्ता में कमी से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम भमरोली में रपट ऊंची कराने एवं गांव मौरोली में कटाव रोकने के लिये सुरक्षा दीवार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के ग्राम किरारपुरा, नगलादानी, कोलुआ, टहरी से मानपुर, चितोरा से कनासिल, क्षतिग्रस्त सड़कों पर डामरीकरण नहीं करने तथा टहरी से मानपुर, गंशी चटोला अधूरी सड़कों पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :

232. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नगर से गुलपाड़ा, गुलपाड़ा से टोड़ा, सीकरी से गोविन्दगढ़, गोपालगढ़ से पापड़ा, नगर से नदबई एवं नगर से अलवर सड़कों की सही मरम्मत नहीं किये जाने से हो रही जन असुविधा पर चर्चा के लिये।

233. प्रदेश में सड़कों की खस्ता हालत पर सुधार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

234. झुंझुनूं जिले की चिड़ावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुलताना के ग्राम किठाना को राजस्व गांव में सम्मिलित किये जाने के बावजूद

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भी जन-जन की आस्था के केन्द्र प्राचीन जोड़िया धाम बालाजी मंदिर तक सड़क नहीं बनाये जाने से व्याप्त आक्रोष पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र नगर उपखण्ड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. भरतपुर जिले की सड़कों के रखरखाव तथा जयपुर-भरतपुर मार्ग से खेड़ली मोड़ पर बांडी नदी पर अब तक लगने वाला टोल टैक्स से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) :

237. विभाग द्वारा 07 सितम्बर, 2007 को देसूरी नाल ट्रक दुर्घटना के बाद सड़क/पुलों को चौड़ा करने एवं देसूरी एवं काली घाटी नाल जोजावर के सुदृढ़ीकरण व ढलान को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र खारची के बागोल से देसूरी तक राज्य मार्ग 62 जीर्ण-शीर्ण सड़कों का पुन: निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची में ग्राम-केरली-गुडा जेतावतान, बारसा-सुनालिया, गुडा रघुनाथसिंह से चोकड़िया एवं ढाढटियां हनुमान में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची में धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली निम्नांकित सड़कों-गोडावास-बायसा मंडीर सड़क तथा बांता भाकरी वाला माता मंदिर तक सम्पर्क सडक के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खारची में शिव मंदिर जोजावर एस.एच. नं. 61, सीतला माता एस.एच. नं.-62, भमोड़ा एस.एच. नं. 62, खिवाड़ा एम.डी.आर., पनोता एस.एच. नं.-62 एवं बीपल में पुल एवं रपट का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

242. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में ग्राम पंचायत पाल के

(श्री प्रकाश चौधरी)

अंतर्गत जाखम की पुलिया, विनोदड़ा में पुल निर्माण नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

243. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के गांव-पाडाखोरा, पूंगा तालाब पायरों का खेड़ा करमदिया खेड़ा, सगरामपुरा को सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

244. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के गांव-बानसी से केवलपुरा, हमानो का खेड़ा से करजू मोड़ तक वाया नालेश्वर महादेव तथा बडवल से अमीरामा बोहेड़ा से बिलोट को सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

245. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के गांव-बिलोट से तलावदा वाया महूड़ी खेड़ा, मदुरा तालाब से बारावर्दा, पराना से जालमपुरा चित्तौड़गढ़ की सीमा तक सम्पर्क सड़क बनाकर जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

246. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 76 नं. होड़ा चौराहा से भदेसर, आवरीमाता, निकुम बड़ी सादड़ी, धरियावद, डूंगरपुर बिच्छीवाड़ा तक हाइवे से जोड़कर अहमदाबाद की दूरी कम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :

247. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रायपुर में कुशहालपुरा एवं कुरमावास की सड़क पर रपट बनाने, रायपुर गांव से एन.एच.-14 तक बाईपास बनवाने, गुढा बीजा, रायरा कल्ला के बीच सड़क पर रपट बनाने, कुशालपुरा से भागेवा, डामर की सड़क बनवाने, रामगढ़ शेड़ातान से नीलकण्ठ महादेव तक सड़क बनाने, एन.एच.-8 से कल्लीया, काणुजा, विराटिया खुर्द, गिरि रेलड़ा, ब्यावर सीमा तक सड़क 3.75 मीटर चौड़ी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :

248. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत ग्राम-खारबारा से 2 डी.एल. (तख्तपुरा) सड़क का निर्माण प्रारम्भ न हो पाने, घेघड़ा से 10 जी.एम. सड़क का आबादी तक निर्माण, खाखाली गांव से सुरजानवाली गांव तक सड़क, शेजड़ी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

गांव की सीमा पर स्थित डेयरी फार्म के पास सुरजनवाली तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

249. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में वंगलू रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज/रेलवे अन्डर ब्रिज, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 से सुरनाणा रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज, अन्डर ब्रिज, बीकानेर-श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बामनवाली के पास रेलवे ओवर ब्रिज-अण्डर ब्रिज निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

250. श्रीडूंगरगढ़ से लूणकरणसर वाया कालू सड़क को डबल बनाने तथा तहसील लूणकरणसर चक 18 एम.के.डी. को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने पर चर्चा के लिये।

251. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सहजरासर से खारडा, मकड़ासर से संवाईसर, गुसाईसर से शरेरो, कतरियासर से मौलानिया, बीकानेर-जोधपुर बाइपास से हिमतसर, मिण्डिया से साजनिया वाया सिंगरसर, रामबाग से राणीसर तक सडक निर्माण कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) :

252. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की विभिन्न जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत कराये जाने पर चर्चा के लिये।